मई, 2018

उच्च न्यायालय त्रैमासिक

निर्णय पत्रिका

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

प्रस्तावित संपादक-मंडल

डा. जी. नारायण राजू,
सचिव, विधायी विभाग

डा. रीटा वशिष्ठ, अपर सचिव,
विधायी विभाग

श्री एस. आर. ढलेटा,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव एवं
विधायी परामर्शी, विधायी विभाग

डा. सुरेन्द्र कुमार शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, डी आई आर डी, गुरु
गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

श्री ए. के. अवस्थी,
सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं डीन
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ

श्री एल. आर. सिंह,
प्रोफेसर एवं डीन इलाहाबाद
विश्वविद्यालय, इलाहाबाद

श्री कृष्ण गोपाल अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनुराग दीप,
एसोसिएट प्रोफेसर,
भारतीय विधि संस्थान

डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय,
प्रधान संपादक

श्री कमला कान्त,
संपादक

श्री अविनाश शुक्ला,
संपादक

श्री असलम खान,
संपादक

सहायक संपादक : श्री पुण्डरीक शर्मा

उप-संपादक : सर्वश्री महीपाल सिंह और जसवन्त सिंह

परामर्शदाता : सर्वश्री दयाल चन्द्र ग्रोवर, महमूद अली खां और विनोद कुमार आर्य

ISSN- 2457-0486

कीमत : डाक-व्यय सहित

एक प्रति : ₹ 125/-

© 2018 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय

1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. प्रधान संपादक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

आई.एस.एस.एन. 2457-0486

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

मई, 2018 अंक - 5

प्रधान संपादक
डा. मिथिलेश चन्द्र पांडेय

संपादक
असलम खान

विधि साहित्य
प्रकाशन

(2018) 1 दा. नि. प.

विधि साहित्य प्रकाशन
विधायी विभाग
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार

विक्रय कार्यालय : 1. प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054.
2. सहायक प्रबंधक, कारबार अनुभाग, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, आई. एल. आई. बिल्डिंग, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 । दूरभाष : 011-23385259, 23387589, फैक्स : 011-23387589, ई-मेल : am.vsp-molj@gov.in

संपादकीय

निःसंदेह, किसी व्यक्ति को अपराधी तब तक नहीं कहा जा सकता जब तक कि साक्ष्य द्वारा उसका अपराध सिद्ध न कर दिया जाए । इसके लिए न्यायालयों को मौखिक, दस्तावेजी तथा पारिस्थितिक साक्ष्य जैसे सभी प्रकार के साक्ष्यों पर विचार करना होता है । हम जानते हैं कि मौखिक साक्ष्य उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब वह किसी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी द्वारा दिया जाता है । किन्तु न्यायालयों के समक्ष कुछ ऐसे मामले आते हैं जहां अन्वेषण अभिकरण के भरसक प्रयास के बावजूद प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का उपलब्ध होना अत्यंत कठिन हो जाता है और ऐसी अनुपलब्धता स्वाभाविक भी होती है । बलात्संग के मामलों में प्रायः ऐसा ही देखा जाता है जहां पीड़ित के मौखिक साक्ष्य की संपुष्टि पारिस्थितिक और चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर की जाती है और परिणामस्वरूप अपराध सिद्ध किया जाता है । परन्तु ऐसा भी देखा गया है कि चिकित्सीय साक्ष्य की मात्रा पर्याप्त न होने के उपरान्त भी साक्ष्य की शृंखला इस प्रकार गठित हो जाती है कि पीड़ित का मौखिक साक्ष्य ऐसे अन्य साक्षियों के साक्ष्य से, जो प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हैं, मेल खा जाता है और लेशमात्र भी संदेह नहीं रह जाता, ऐसी स्थिति में न्यायालय दोषसिद्धि अभिनिर्धारित कर देता है । इस अंक में **तियानबुलु** उर्फ **धुबेन्द्रीय महाकुड** बनाम **ओडिशा राज्य** (2018) 1 दा. नि. प. 603 वाला मामला इस परिस्थिति को स्पष्ट करने हेतु एक अच्छा उदाहरण है । इस मामले में न्यायालय ने पीड़ित को उड़ीसा पीड़ित प्रतिकर योजना, 2012 के अन्तर्गत समुचित प्रतिकर दिलाने का एक अच्छा कदम उठाया है ।

अपराध विधि के अन्तर्गत आने वाले मामलों में अन्वेषण अभिकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । विधि के क्षेत्र में कार्य करने वालों और नए अधिवक्ताओं को अन्वेषण प्रक्रिया को लेकर कुछ भ्रांतियों का सामना करना पड़ता है जिनमें से एक अन्वेषण प्रक्रिया का वह चरण है जिसके दौरान अन्वेषण अधिकारी अभियुक्त का कथन अभिलिखित करता है और प्रायः यह धारणा बनती है कि अभियुक्त का यह कथन साक्ष्य की दृष्टि से मान्य नहीं होगा जबकि ऐसा नहीं है । यदि उस कथन में ऐसी कोई बात अभियुक्त द्वारा प्रकट की गई है जो अन्वेषण अधिकारी या किसी आम आदमी की जानकारी से परे है और उस बात या तथ्य के आधार पर कोई

साक्ष्य प्रकट होता है या अपराध से जुड़ी कोई सामग्री प्राप्त होती है तब ऐसी स्थिति में अभियुक्तों द्वारा दिए गए कथन का वह भाग साक्ष्य की दृष्टि से मान्य होगा । इस संबंध में **रामसत्ता पटेल** बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** (2018) 1 दा. नि. प. 625 वाला मामला पूर्णतया संगत है ।

इस अंक में कई महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला गया है । यह अंक विधि विद्यार्थियों, वकीलों, न्यायाधीशों, विधि अध्यापकों तथा विधि के ज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए पर्याप्त रूप से लाभकारी है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 को भी इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है जिसका आप परिशीलन करें और अपने अमूल्य सुझावों से अवगत कराएं ।

असलम खान
संपादक

निर्णय-सूची

	पृष्ठ संख्या
तियानबुलु **उर्फ** ध्रुबेन्द्रीय महाकुड **बनाम** ओडिशा राज्य	603
प्रकाश कश्यप **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य	616
भैरों सिंह **बनाम** बिहार राज्य	658
मनीत बिंद और अन्य **बनाम** बिहार राज्य	633
मोती लाल सिंह **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य	725
मोहम्मद अकबर अली **बनाम** बिहार राज्य	685
राज किशन शाह **बनाम** बिहार राज्य	679
रामसत्ता पटेल **बनाम** छत्तीसगढ़ राज्य	625
लाल यादव **बनाम** बिहार राज्य	692
संतोष कुमार **बनाम** बिहार राज्य और एक अन्य	644
हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** पंकज गुलेरिया	738

संसद् के अधिनियम

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ	33 – 60

पृष्ठ संख्या

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33)

– धारा 3(1)(v) – अत्याचार – अभियुक्तों द्वारा इत्तिलाकर्ता को बलपूर्वक भूमि से बेदखल किया जाना – अभियुक्तों द्वारा यह दबाव दिया जाना कि विवादित भूमि हथवा राज द्वारा बन्दोबस्त के समय पर उसके पक्ष में आबंटित की गई थी – यदि अभियुक्तों द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपने विधिपूर्ण अधिकार, हक और कब्जे को साबित करने के लिए अभिलेख पर दस्तावेज पेश किए गए हैं और इत्तिलाकर्ता की अभिकथित बेदखली और उसे भूमि जोतने से रोकने के बारे में इत्तिलाकर्ता के पक्ष में हक के सबूत को पेश नहीं किया गया है तो अभियुक्त दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

राज किशन शाह बनाम **बिहार राज्य** 679

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43)

– धारा 18, 19, 20 और 27 – पूर्व पत्नी द्वारा परिवाद फाइल किया जाना – विवाह-विच्छेद की डिक्री के बाद पति-पत्नी के आपसी संबंध समाप्त हो जाते हैं और इसलिए, पूर्व पत्नी द्वारा फाइल किया गया परिवाद चलने योग्य नहीं है ।

संतोष कुमार बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य** 644

– धारा 28 और 32 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 468] – परिसीमा का वर्जन – परिसीमा से संबंधित धारा 468 के उपबंध – घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अधीन संस्थित मामलों में प्रयोज्य हैं ।

संतोष कुमार बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य** 644

पृष्ठ संख्या

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)

– धारा 428 [सपठित घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 18] – घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां अभिखंडित किया जाना – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन चलने योग्य है ।

संतोष कुमार बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य** 644

– धारा 482 – कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाना – पक्षकारों के बीच समझौता – पत्नी की ओर से अभियुक्त पति द्वारा दहेज मांग के संबंध में इसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां प्रारंभ किया जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों से पति के विरुद्ध प्रथम-दृष्ट्या मामला गठित होना – यदि पक्षकारों के बीच विवाह-विच्छेद हुआ है तो भी दांडिक कार्यवाहियों के चलने में कोई वर्जन नहीं है ।

मोहम्मद अकबर अली बनाम **बिहार राज्य** 685

– धारा 482 – आपराधिक कार्यवाहियों का प्रारंभ हो जाना – जहां आपराधिक अभियोजन प्रारंभ हो जाता है और पत्नी के अपने अभिकथनों में लचीलापन नहीं आ जाता वहां पर आपराधिक कार्यवाहियों का प्रारंभ होना और पक्षकारों के बीच विवाह-विच्छेद, दोनों बातें भिन्नता रखते हैं उनका प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता है अतः पति के विरुद्ध कार्यवाहियों को अभिखंडित नहीं किया जा सकता ।

मोहम्मद अकबर अली बनाम **बिहार राज्य** 685

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)

– धारा 53 और 326 – दंड – घोर उपहति – अपीलार्थी का 79 वर्ष की वृद्ध अवस्था में होना – कारावास की अवधि में रियायत किन्तु जुर्माने में वृद्धि –

पृष्ठ संख्या

अपराध के समय वृद्ध अपीलार्थी की आयु 65 वर्ष थी और निर्णय दिए जाने के समय लगभग 78-79 वर्ष है जिसका अब तक लगभग 13-14 वर्ष का समय कारावास में बीत चुका है और आगे कारावास में और अधिक रखने में कोई फायदा नहीं होगा, अतः उसे पहले से भोगे गए कारावास की अवधि से दंडादिष्ट करना और जुर्माने की रकम को 1,000/- रुपए से बढ़ाकर 15,000/- रुपए करना न्यायोचित है ।

प्रकाश कश्यप बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य** 616

– धारा 279, 337 और 338 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – उतावलेपन से और उपेक्षापूर्ण रीति में वाहन चलाना – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा अपनी मोटरसाइकिल का अभिकथित रूप से उतावलेपन से तथा उपेक्षापूर्ण रीति में चलाना और बस में टक्कर मारना – साक्षियों द्वारा घटनास्थल पर रेत और बजरी के मौजूद होने और उस पर से मोटरसाइकिल फिसलने की पुष्टि होना – अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्ण रीति में मोटरसाइकिल चलाने का साक्ष्य न होना – साक्षियों ने यह स्पष्ट किया है कि घटनास्थल पर रेत और बजरी पड़ी हुई थी और जब प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने ब्रेक लगाए तो मोटरसाइकिल फिसल गई और उसके द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्ण रीति में मोटरसाइकिल चलाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में निचले न्यायालय का दोषमुक्ति का निर्णय उचित है ।

हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम **पंकज गुलेरिया** 738

– धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 155] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त का मृतक पर धन-विवाद को लेकर

पृष्ठ संख्या

गोली चलाना – साक्ष्य में विरोधाभास – रक्तरंजित कपड़ों को न्यायालयिक प्रयोगशाला न भेजना – अन्वेषण में खामी – साक्षियों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है और मृतक के रक्तरंजित वस्त्रों से साक्षियों के वस्त्र भी रक्तरंजित हो गए थे जिन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया, अतः अन्वेषण की इस खामी के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

लाल यादव बनाम **बिहार राज्य** 692

– धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और शवपरीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास – किसी भी स्वतंत्र साक्षी द्वारा सारभूत साक्ष्य न दिया जाना और हेतु का साबित न होना – प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की संपुष्टि शवपरीक्षण के आधार पर चिकित्सक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से नहीं होती है और अभियोजन पक्षकथन सत्य प्रतीत नहीं होता है, साथ ही हेतु साबित नहीं किया गया है, अतः अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

लाल यादव बनाम **बिहार राज्य** 692

– धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – अपीलार्थियों द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को मृतक की हत्या के समय जीवित छोड़ देना – अपीलार्थियों का अस्वाभाविक कृत्य – घटनास्थल पर समुचित प्रकाश की कमी – अपराध में प्रयोग किए गए आयुधों की संख्या में असंगतता – घटनास्थल का साबित न होना – इत्तिलाकर्ता का सामना अपीलार्थियों से होने पर अपीलार्थियों ने उसे धमकी दी कि वह घटनास्थल से भाग जाए वरना उसकी भी हत्या कर दी जाएगी, अपीलार्थियों का यह कृत्य अस्वाभाविक है और घटनास्थल पर समुचित प्रकाश न होने के कारण किसी भी साक्षी ने अपीलार्थियों

पृष्ठ संख्या

को घटनास्थल से भागते हुए नहीं देखा, साथ ही अन्वेषण अधिकारी द्वारा घटनास्थल से कोई भी सामग्री बरामद नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में घटनास्थल साबित नहीं माना जा सकता और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

लाल यादव बनाम **बिहार राज्य** 692

– धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 118] – हत्या का मामला – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी – विश्वसनीयता – यदि अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है तो स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं हो सकता ।

मोती लाल सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 725

– धारा 302, 304 का भाग II – हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – अन्तर – झगड़े के दौरान अभियुक्त द्वारा मृतक के अमार्मिक अंगों पर बिना पूर्वचिन्तन के गोली चलाया जाना – उपचार के दौरान 15 दिन बाद मृतक की मृत्यु होना – सभी क्षतियां मृतक के ऐसे अंगों पर कारित हुई हैं जो अमार्मिक हैं और किसी भी नाजुक अंग पर क्षति नहीं पहुंचाई गई है तथा मृतक की मृत्यु उपचार के दौरान 15 दिन के बाद हुई है अतः अपीलार्थी हत्या का नहीं अपितु हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अपराध का दोषी है ।

मनीत बिंद और अन्य बनाम **बिहार राज्य** 633

– धारा 302, 304 का भाग II और धारा 53 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – दंड में उपान्तरण – अपीलार्थी के विरुद्ध स्पष्ट कृत्य को लेकर कोई भी विशिष्ट अभिकथन नहीं किया गया है और वह अन्य

पृष्ठ संख्या

हमलावरों के साथ घटनास्थल पर केवल मौजूद रहा है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः अपीलार्थी के कारावास की अवधि को घटाकर पहले से भोगे गए कारावास के बराबर की जाती है ।

मनीत बिंद और अन्य बनाम **बिहार राज्य** 633

– धारा 302, 304, भाग-1, 300, अपवाद सं. 4 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 3] – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – अचानक झगड़ा होना – यह अभिकथन किया जाना कि अभियुक्त संत है जिसने त्रिशूल से मंदिर परिसर में मृतक पर हमला किया परिणामस्वरूप मृतक के वक्ष पर प्राणघातक क्षति पहुंची – स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब मृतक मंदिर में था तब अभियुक्त वहां आश्रय लेने के लिए पहुंचा और अगले दिन जब अभियुक्त से मंदिर परिसर छोड़ने के लिए कहा गया तो उसने मृतक के वक्ष पर त्रिशूल से हमला कर दिया – अभियुक्त के कब्जे से त्रिशूल का अभिग्रहण किया गया जिस पर मानव रक्त पाया गया, इसलिए, अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

मोती लाल सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 725

– धारा 302, 304, भाग-1, 300, अपवाद सं. 4 – जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य की चिकित्सा साक्ष्य और अभिग्रहण के साक्ष्य से संपुष्टि हुई है तथा अभियुक्त संत होने के कारण परंपरा के अनुसार त्रिशूल धारण करता था और अभियुक्त द्वारा बिना पूर्व चिन्तन के मृतक पर एक प्रहार किया गया था और हत्या के आशय और पूर्व दुश्मनी के अभाव में अभियुक्त ने हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का कार्य किया है इसलिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को धारा 302 के बजाय धारा

पृष्ठ संख्या

304(1) में परिवर्तित किया जाना उचित है ।

मोती लाल सिंह बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 725

– धारा 307 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – हत्या का प्रयास – प्रकटीकरण कथन की ग्राह्यता – प्रकटीकरण कथन के पूर्व वस्तुओं का अभिग्रहण किया जाना – प्रकटीकरण कथन अभिलिखित किए जाने के पूर्व ही घटनास्थल से अपराध से संबंधित सामग्री बरामद कर ली गई थी, इसलिए प्रकटीकरण कथन को विधि की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं माना जा सकता, अतः इस आधार पर की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

रामसत्ता पटेल बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 625

– धारा 307 [सपठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 3, 11 और 27] – हत्या का प्रयास – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से रात्रि में हमला किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का अभाव – संस्वीकृति कथन पुलिस की मौजूदगी में दिया जाना – घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, घटना के दिन और समय पर अपीलार्थी ग्राम से बाहर गया हुआ था, पुलिस द्वारा अभिगृहीत की गई वस्तुएं अपीलार्थी की नहीं पायीं गई हैं तथा संस्वीकृति कथन पुलिस की मौजूदगी में दिया गया है जो कि साक्ष्य की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं होगा, अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है और वह दोषमुक्ति का हकदार है ।

रामसत्ता पटेल बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य** 625

– धारा 326 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 और 14] – घोर उपहति – आशय – हेतु – अभियुक्त द्वारा प्रतिशोध की भावना से आहत शिकायतकर्ता के शिश्न का विच्छेदन किया जाना – आहत

पृष्ठ संख्या

के साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि – अपूर्णीय क्षति – अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड की मात्रा – आहत को ऐसी क्षति पहुंची है जो अपूर्णीय है और उसे समाज द्वारा किए जाने वाले शोषण का सामना भी करना होगा, अतः न्यायोचित और समानुपातिक – दंड दिया जाना चाहिए जो अपराध की गंभीरता और प्रकृति के साथ मेल खाए तथा समाज के हित और चेतना के भी अनुकूल हो, इसलिए अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंड कम नहीं किया जा सकता ।

प्रकाश कश्यप बनाम **छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य** 616

– धारा 376(2)(छ) (2003 के अधिनियम 13 के द्वारा किए गए संशोधन के पूर्व) – सामूहिक बलात्संग – अभियोक्त्री की आयु 14 वर्ष – माता-पिता के साक्ष्य से अभियोक्त्री के साक्ष्य की संपुष्टि – न्यायालय में अभियोक्त्री ने विचारण के दौरान अपनी आयु 16 वर्ष बताई है जिसकी पुष्टि माता-पिता के साक्ष्य और स्कूल रजिस्टर से होती है जिसे प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है, अतः अभियोक्त्री की आयु घटना के समय 14 वर्ष ही मानी जाएगी ।

तियानबुलु उर्फ **धुबेन्द्रीय महाकुड** बनाम **ओडिशा राज्य** 603

– धारा 376(2)(छ) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – सामूहिक बलात्संग – साक्ष्य का मूल्यांकन – पानी मांगने के बहाने से अपीलार्थियों का अभियोक्त्री के घर में प्रवेश करना – घटना के तत्काल पश्चात् अभियोक्त्री का अपनी माता को बलात्संग के बारे में सूचित करना – गुप्तांगों पर क्षति का न पाया जाना – अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि दोनों अपीलार्थियों ने एक के बाद एक उसके साथ बलात्संग

पृष्ठ संख्या

किया है और उसने अपने वस्त्रों पर रक्त और वीर्य के धब्बे भी देखे थे और माता-पिता ने उसे बलात्संग के तुरन्त बाद रोते हुए देखा था, माता-पिता के इस साक्ष्य की संपुष्टि अभियोक्त्री के साक्ष्य से भी होती है जिसका खण्डन करने के लिए प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः इन परिस्थितियों में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

तियानबुलु उर्फ **ध्रुबेन्द्रीय महाकुड** बनाम **ओडिशा राज्य** 603

स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61)

– धारा 42, 50 – तलाशी और अभिग्रहण – इत्तिलाकर्ता द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त किया जाना और उच्चतर पुलिस पदाधिकारियों को इस सूचना के बारे में संसूचित नहीं किया जाना – यदि यान की तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही राजपत्रित/सरकारी अधिकारी की मौजूदगी में नहीं की गई और अभियुक्तों को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष उनकी तलाशी लिए जाने के अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया है तथा अधिनियम की धारा 42 और 50 के आज्ञापक उपबंधों का अननुपालन किया गया है तब तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही दोषपूर्ण है, अतः दोषसिद्धि अपास्त की जाती है ।

भैरों सिंह बनाम **बिहार राज्य** 658

– धारा 52(क) – गांजा के नमूनों का अभिग्रहण – अभिग्रहण के स्थान पर नमूने तैयार नहीं किया जाना, परंतु नमूने तैयार किए जाने के समय के बारे में समय, किसके द्वारा उन्हें तैयार किया गया है इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है और समान सूची को तैयार करने,

पृष्ठ संख्या

अभिग्रहण गांजा के ब्यौरेवार वर्णन और मजिस्ट्रेट के समक्ष नमूने लेने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो विचारण दूषित है और दोषसिद्धि अपास्त की जाती है ।

भैरों सिंह बनाम **बिहार राज्य** 658

– धारा 55 – अभिगृहीत गांजा की सुरक्षित अभिरक्षा – अभिगृहीत 400 किलो ग्राम गांजा को विनष्ट करने का प्रमाणपत्र पेश नहीं किया गया जिसे पेश किया जाना आज्ञापक है – अभिगृहीत गांजा की सुरक्षित अभिरक्षा के बारे में धारा 55 का अननुपालन किया गया है, इसलिए दोषसिद्धि अपास्त की जाती है ।

भैरों सिंह बनाम **बिहार राज्य** 658

तियानबुलु उर्फ ध्रुबेन्द्रीय महाकुड

बनाम

ओडिशा राज्य

तारीख 12 अक्तूबर, 2017

न्यायमूर्ति एस. के. साहू

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376(2)(छ) (2003 के अधिनियम 13 के द्वारा किए गए संशोधन के पूर्व) – सामूहिक बलात्संग – अभियोक्त्री की आयु 14 वर्ष – माता-पिता के साक्ष्य से अभियोक्त्री के साक्ष्य की संपुष्टि – न्यायालय में अभियोक्त्री ने विचारण के दौरान अपनी आयु 16 वर्ष बताई है जिसकी पुष्टि माता-पिता के साक्ष्य और स्कूल रजिस्टर से होती है जिसे प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई चुनौती नहीं दी गई है, अतः अभियोक्त्री की आयु घटना के समय 14 वर्ष ही मानी जाएगी ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 376(2)(छ) [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – सामूहिक बलात्संग – साक्ष्य का मूल्यांकन – पानी मांगने के बहाने से अपीलार्थियों का अभियोक्त्री के घर में प्रवेश करना – घटना के तत्काल पश्चात् अभियोक्त्री का अपनी माता को बलात्संग के बारे में सूचित करना – गुप्तांगों पर क्षति का न पाया जाना – अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि दोनों अपीलार्थियों ने एक के बाद एक उसके साथ बलात्संग किया है और उसने अपने वस्त्रों पर रक्त और वीर्य के धब्बे भी देखे थे और माता-पिता ने उसे बलात्संग के तुरन्त बाद रोते हुए देखा था, माता-पिता के इस साक्ष्य की संपुष्टि अभियोक्त्री के साक्ष्य से भी होती है जिसका खण्डन करने के लिए प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः इन परिस्थितियों में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता ।

प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अट्टाबीरा में तारीख 21 जून, 2004 को दंड संहिता की धारा 342/376(2)(छ) तथा अधिनियम,

1989 की धारा 3 के अधीन मामला सं. 124/2004 रजिस्ट्रीकृत किया गया । शरत कुमार परमगुरु (अभि. सा. 8) ने जो जिला बारगढ़ में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात था, अन्वेषण का कार्यभार संभाला और अन्वेषण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक ने इत्तिलाकर्ता, आहत और उसकी माता से पूछताछ की और आहत को जिला मुख्यालय अस्पताल, बारगढ़ को चिकित्सीय जांच के लिए भेज दिया गया । अपीलार्थी स्वाधीन तारिया को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और उसको भी चिकित्सीय जांच हेतु भेज दिया गया और अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का मुआयना किया, स्थलनक्शा (प्रदर्श 11) तैयार किया और आहत के पहने हुए कपड़े अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 12) के अनुसार अभिगृहीत किए और साथ ही अपीलार्थी तियानबुलु के पहने हुए कपड़े भी कब्जे में लिए गए और अपीलार्थी तियानबुलु ने तारीख 24 जून, 2004 को न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण किया और अभिग्रहण सूची प्रदर्श 13 तैयार की गई और इस अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा अन्वेषण अधिकारी द्वारा आवेदन किए जाने पर कराई गई । अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी स्वाधीन तारिया के पहने हुए कपड़े भी अभिगृहीत किए । आहत की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की गई । आहत के स्कूल में प्रवेश लेने से संबंधित रजिस्टर भी हैड मास्टर द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 6) के अधीन अभिगृहीत की गई । इत्तिलाकर्ता और अभियुक्तों की जाति से संबंधित ब्यौरे भी तहसीलदार अट्टाबीरा के यहां से अभिगृहीत किए गए । अभिगृहीत की गई वस्तुओं को रासायनिक विश्लेषण और आहत की रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला, संबलपुर भेज दिया । अन्वेषण पूरा होने पर अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 16 अक्तूबर, 2004 को दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 448/506/376(2)(छ) तथा अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (xii) के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया । आरोप पत्र प्रस्तुत करने और सम्यक् रूप से सुपुर्दगी की कार्यवाही पूरी करने के पश्चात् मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 342 /376(2)(छ) और अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए और चूंकि अपीलार्थियों ने आरोपों का खण्डन किया, दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की, इसलिए सेशन विचारण न्यायालय द्वारा उनका अभियोजन किया गया और उनको दोषसिद्ध किया गया । दोषसिद्धि के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थियों ने उड़ीसा उच्च न्यायालय के समक्ष

अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभिसाक्ष्य देने के समय आहत की आयु पर विचार करने पर यह पता चलता है कि आहत ने अपनी आयु 16 वर्ष बताई है और उसने यह कथन किया है कि घटना उसके अभिसाक्ष्य देने के दो वर्ष पूर्व घटित हुई थी । आहत ने यह भी कथन किया है कि वह अभिसाक्ष्य देने के समय आठवीं कक्षा की छात्रा थी । उसके माता-पिता अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने उसकी आयु के बारे में भी कथन किया है जिसकी संपुष्टि आहत के साक्ष्य से होती है । अभि. सा. 6 स्कूल का हैड मास्टर है जहां पर आहत पढ़ाई करती थी और हैड मास्टर ने स्कूल के दाखिला रजिस्टर को साबित किया है जिससे यह दर्शित होता है कि तारीख 19 जुलाई, 2003 को आहत का छठी कक्षा में दाखिला हुआ था और उस समय आहत की आयु 11 वर्ष 9 दिन थी और उसकी जन्म तिथि 11 जुलाई, 1992 है । वह स्कूल जहां पर आहत शिक्षा ग्रहण कर रही थी, एक सरकारी संस्था है । प्रतिरक्षा पक्ष ने किसी भी प्रकार से आहत की आयु को चुनौती नहीं दी है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्ष तथा दस्तावेजी साक्ष्य का निर्धारण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि आहत की आयु अभिकथित घटना के समय 14 वर्ष थी । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा की गई चर्चा पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह मत है कि इस निष्कर्ष में कोई कमी नहीं है और अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध किया है कि घटना के दिन आहत कन्या की आयु 14 वर्ष थी । (पैरा 8)

आहत ने घटना का विस्तार से वर्णन किया है और उसने यह कथन किया है कि घटना के दिन दोनों अपीलार्थी घर के अन्दर आए, उन्होंने पानी मांगा और जब उसने पानी दिया तब अपीलार्थी तियानबुलु **उर्फ** ध्रुबेन्द्रीय महाकुड ने उसका मुंह बंद कर दिया और अपीलार्थी स्वाधीन तारिया ने अन्दर से दरवाजा बंद कर दिया और इसके पश्चात् दोनों अपीलार्थी उसे पूजा-गृह में ले गए और उसे फर्श पर लिटा दिया, उन्होनें उसको निर्वस्त्र कर दिया और अपीलार्थियों ने अपने कपड़े भी उतार दिए और आहत के साथ मैथुन किया । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि पहले अपीलार्थी तियानबुलु **उर्फ** ध्रुबेन्द्रीय महाकुड ने उसके साथ बलात्संग किया और उसके पश्चात् स्वाधीन तारिया ने बलात्संग किया । आहत ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि इस प्रकार मैथुन करने के दौरान उसे बहुत अधिक पीड़ा हुई थी और उसने अपने उस समय पहने हुए वस्त्र पर

रक्त और वीर्य जैसे धब्बे भी देखे । अपीलार्थियों के घटनास्थल से चले जाने के पश्चात् आहत रो रही थी और जब उसके माता-पिता वहां पहुंचे तब आहत ने उन्हें सम्पूर्ण घटना के बारे में बताया । आहत की माता अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि जब लगभग 4 बजे अपराह्न में वे घर आए थे, तब उन्होंने आहत को रोते हुए पाया और जब आहत की माता ने आहत से उसके रोने का कारण मालूम किया तब आहत ने यह बताया कि अपीलार्थियों ने उसके साथ बलात्संग किया है । इस तथ्य की संपुष्टि आहत के पिता के साक्ष्य से भी होती है जिसकी परीक्षा अभि. सा. 3 के रूप में कराई गई है । आहत तथा उसके माता-पिता ने यह कथन किया है कि इस मामले के संबंध में ग्राम में पंचायत बिठाई गई थी और चूंकि उस सभा में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और पक्षकारों को यह निदेश दिया गया कि वे पुलिस को सूचित करें, इसलिए शिकायतकर्ता पक्ष पुलिस थाने के लिए रवाना हुआ और तद्नुसार उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई । घटना के अगले दिन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । इस प्रकार, आहत के साक्ष्य की संपुष्टि उसके माता-पिता के प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य से होती है । इन साक्षियों के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने के लिए उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई भी सामग्री उद्भूत नहीं हुई है । डा. पी. एन. दास (अभि. सा. 4) ने जिला मुख्यालय अस्पताल, बारगढ़ में आहत की चिकित्सा परीक्षा की है और इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसी दिन लिए गए एक्स-रे फिल्म सं. 743 और 744 के आधार पर प्रकीर्ण संबंधी साक्ष्य के अनुसार आहत की आयु 14 से 16 वर्ष हो सकती है । चिकित्सक (अभि. सा. 7) का साक्ष्य, जिसने तारीख 28 अगस्त, 2004 को आहत की चिकित्सा परीक्षा की थी, से यह उपदर्शित होता है कि उसकी योनिच्छद विदीर्ण है जो पुरानी प्रतीत होती है और पहले से निरन्तर मैथुन क्रिया किए जाने के साथ संगत है । चिकित्सक (अभि. सा. 5) ने तारीख 30 जून, 2004 को अपीलार्थियों की परीक्षा की और उनके गुप्तांगों पर क्षति के कोई भी चिह्न नहीं पाए किन्तु चूंकि घटना घटित होने और परीक्षा किए जाने के बीच लम्बा समयान्तराल है, इसलिए किसी भी क्षति के न पाए जाने के कारण आहत के साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित होता है कि केवल इतना ही नहीं है कि आहत अप्राप्तवय है और उसकी आयु घटना के समय 14 वर्ष थी अपितु आहत का साक्ष्य जो कि स्पष्ट, तर्कसम्मत और विश्वासप्रद है, से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थियों ने घटना के दिन उसके साथ सामूहिक बलात्संग किया है । आहत के साक्ष्य की संपुष्टि उसके माता-

पिता के साक्ष्य से भी होती है । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि दंड संहिता की धारा 376(2)(छ)/342 के अधीन आरोप अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध संदेह के परे साबित किए गए हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों पर 10 वर्ष का कठोर कारावास अधिरोपित किया है जो कि उचित और ठीक प्रतीत होता है । मुझे आक्षेपित निर्णय में कोई भी कमी या अवैधता दिखाई नहीं देती है, अतः, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 376(2)(छ)/342 के अधीन की गई अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की जाती है । उड़ीसा आहत प्रतिकर योजना, 2012 के अधिनियमन को दृष्टिगत करते हुए, तथा घटना के समय आहत की आयु और अपराध की प्रकृति तथा गंभीरता और साथ ही आहत के परिवार की पृष्ठभूमि को दृष्टिगत करते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि आहत के मामले को जिला विधि सेवा प्राधिकरण, बारगढ़ को भेजने के लिए सिफारिश करना आवश्यक होगा ताकि उड़ीसा आहत प्रतिकर योजना, 2012 के अधीन प्रतिकर मंजूर करने के लिए विधि के अनुसरण में आवश्यक जांच कराने के उपरान्त आहत के मामले पर विचार किया जा सके । (पैरा 8 और 9)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 144.

2005 के दांडिक विचारण मामला सं. 45 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-सह-न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, बारगढ़ के तारीख 27 जनवरी, 2007 के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री मनोज कुमार पांडा
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री चित्तराजन स्वेन (अपर स्थायी काउंसेल)

न्यायमूर्ति एस. के. साहू – अपीलार्थी तियानबुलु **उर्फ** ध्रुबेन्द्रीय महाकुड और स्वाधीन तारिया का विचारण विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश-सह-न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, बारगढ़ के समक्ष 2005 के दांडिक विचारण मामला सं. 45 के अन्तर्गत भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 342/376(2)(छ) और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (जिसे संक्षेप में "अधिनियम, 1989" कहा गया है) की धारा 3(1)(xii) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए विचारण किया गया ।

विद्वान् विचारण न्यायालय ने तारीख 27 जनवरी, 2007 के आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा अपीलार्थियों को अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन आरोपों से दोषमुक्त कर दिया किन्तु दंड संहिता की धारा 376(2)(छ) और धारा 342 के अधीन आरोपों का दोषी पाया और उन्हें प्रत्येक को 10 वर्ष का कठोर कारावास भोगने तथा 2,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने, जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर 3 मास का कठोर कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया और दंड संहिता की धारा 342 के अधीन अलग से कोई भी दंडादेश अधिरोपित नहीं किया गया ।

2. दैतारी देहुरी (अभि. सा. 3) द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 20 जून, 2004 को वह और उसकी पत्नी ग्राम बन्डापाली गए थे । लगभग 4 बजे अपराह्न में वे घर वापस आए और उन्होंने अपनी पुत्री (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आहत" कहा गया है) को रोते हुए देखा, पूछने पर आहत ने उन्हें बताया कि लगभग 12.30 बजे अपराह्न में अपीलार्थियों ने उससे पानी मांगा था और अचानक वे घर में घुस आए, उसका मुंह बंद किया और दरवाजा बंद कर दिया तथा अपीलार्थियों ने एक के बाद एक उसके साथ बलात्संग किया और जब वे आहत के घर से जा रहे थे तब पड़ोसी रूपाधर चंदन बरामदे में विश्राम कर रहा था और अपीलार्थियों को देखकर उक्त पड़ोसी इत्तिलाकर्ता के घर के अन्दर आया और उसने आहत को नग्न अवस्था में पाया । इत्तिलाकर्ता ने इस मामले को ग्राम पंचायत को बताया और उसे वार्ड के सदस्य तथा ग्रामवासियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि वह इस मामले की रिपोर्ट पुलिस थाने में करे और तद्नुसार, इत्तिलाकर्ता ने रिपोर्ट की ।

इस प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अट्टाबीरा में तारीख 21 जून, 2004 को दंड संहिता की धारा 342/376(2)(छ) तथा अधिनियम, 1989 की धारा 3 के अधीन मामला सं. 124/2004 रजिस्ट्रीकृत किया गया । शरत कुमार परमगुरु (अभि. सा. 8) ने जो जिला बारगढ़ में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात था, अन्वेषण का कार्यभार संभाला और अन्वेषण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक ने इत्तिलाकर्ता, आहत और उसकी माता से पूछताछ की और आहत को जिला मुख्यालय अस्पताल, बारगढ़ को चिकित्सीय जांच के लिए भेज दिया गया । अपीलार्थी स्वाधीन तारिया को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया और उसको भी चिकित्सीय जांच हेतु भेज दिया गया और अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल का मुआयना किया,

स्थलनक्शा (प्रदर्श 11) तैयार किया और आहत के पहने हुए कपड़े अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 12) के अनुसार अभिगृहीत किए और साथ ही अपीलार्थी तियानबुलु के पहने हुए कपड़े भी कब्जे में लिए गए और अपीलार्थी तियानबुलु ने तारीख 24 जून, 2004 को न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण किया और अभिग्रहण सूची प्रदर्श 13 तैयार की गई और इस अपीलार्थी की चिकित्सा परीक्षा अन्वेषण अधिकारी द्वारा आवेदन किए जाने पर कराई गई । अन्वेषण अधिकारी ने अपीलार्थी स्वाधीन तारिया के पहने हुए कपड़े भी अभिगृहीत किए । आहत की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की गई । आहत के स्कूल में प्रवेश लेने से संबंधित रजिस्टर भी हैड मास्टर द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर अभिग्रहण सूची (प्रदर्श 6) के अधीन अभिगृहीत की गई । इत्तिलाकर्ता और अभियुक्तों की जाति से संबंधित ब्यौरे भी तहसीलदार अट्टाबीरा के यहां से अभिगृहीत किए गए । अभिगृहीत की गई वस्तुओं को रासायनिक विश्लेषण और आहत की रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला, संबलपुर भेज दिया ।

अन्वेषण पूरा होने पर अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 16 अक्तूबर, 2004 को दोनों अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 448/506/376(2)(छ) तथा अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

3. आरोप पत्र प्रस्तुत करने और सम्यक् रूप से सुपुर्दगी की कार्यवाही पूरी करने के पश्चात् मामला विचारण के लिए सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और विद्वान् विचारण न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 342 /376(2)(छ) और अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(xii) के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए और चूंकि अपीलार्थियों ने आरोपों का खण्डन किया, दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने की मांग की, इसलिए सेशन विचारण न्यायालय द्वारा उनका अभियोजन किया गया और उन्हें दोषसिद्ध किया गया ।

4. अपीलार्थियों ने अपनी प्रतिरक्षा में अभिवाक् करते समय अभियोजन पक्ष के आरोपों से इनकार किया ।

5. अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए 9 साक्षियों की परीक्षा कराई ।

अभि. सा. 1 आहत है जिसने इस घटना का विस्तार से वर्णन किया है ।

अभि. सा. 2 मालती देहुरी है जो आहत की माता है और इस साक्षी ने आहत की आयु तथा आहत द्वारा घटना के संबंध में किए गए प्रकटीकरण का उल्लेख किया है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि इस मुद्दे को लेकर एक सभा भी बैठाई गई थी ।

अभि. सा. 3 दैतारी देहुरी है जो आहत का पिता है और इस साक्षी ने भी घटना के संबंध में आहत द्वारा किए गए प्रकटीकरण का उल्लेख किया है ।

अभि. सा. 4 डा. पी. एन. दास है जो जिला मुख्यालय अस्पताल, बारगढ़ में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी है और इस साक्षी ने पुलिस की अध्यपेक्षा के आधार पर आहत की परीक्षा की है और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श 2 के अनुसार यह राय दी है कि आहत की आयु 14 से 16 वर्ष के बीच है ।

अभि. सा. 5 डा. ई. साहू सहायक शल्य चिकित्सक, जिला मुख्यालय अस्पताल, बारगढ़ में कार्यरत है और इस साक्षी ने दोनों अपीलार्थियों की चिकित्सीय परीक्षा की है और अपीलार्थियों की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श 3 और 4 को साबित किया है ।

अभि. सा. 6 पूर्णचन्द्र महर है जो कोडाबहल यू. जी. एम. ई. स्कूल में हैड मास्टर है और इस साक्षी ने आहत की जन्म तिथि से संबंधित स्कूल के प्रवेश रजिस्टर को साबित किया है ।

अभि. सा. 7 डा. ए. बहेरा है जो वी. एस. एस. मेडिकल कालेज, बुरला के एफ. एम. एण्ड टी. विभाग में सहायक प्रोफेसर है और इस साक्षी ने आहत की चिकित्सा परीक्षा की है और अपनी रिपोर्ट प्रदर्श 9 साबित की है । अभि. सा. 8 शरत कुमार परमगुरु है जो जिला बारगढ़ में पुलिस उपाधीक्षक है और इस मामले में अन्वेषण अधिकारी है ।

अभि. सा. 9 रूपाधर चंदन है जिसने इत्तिलाकर्ता के मकान में दोनों अपीलार्थियों के मौजूद होने के संबंध में कथन किया है । अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 19 दस्तावेज प्रदर्शित किए हैं ।

प्रदर्श 1 प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है, प्रदर्श 2 आहत की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट है, प्रदर्श 3 अपीलार्थी ध्रुबेन्द्रीय की चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट है, अभि. सा. 4 अपीलार्थी स्वाधीन तारिया की चिकित्सा रिपोर्ट है, प्रदर्श 5 प्रश्नोत्तर रिपोर्ट है, प्रदर्श 6 अभिग्रहण सूची है, प्रदर्श 7 जिमानामा है, प्रदर्श 8 कोडाबहल सरकारी यू. जी. एम. ई. स्कूल का प्रवेश रजिस्टर है, प्रदर्श 9

चिकित्सा परीक्षा रिपोर्ट है, प्रदर्श 10 अभि. सा. 7 की वह रिपोर्ट है जो अन्वेषण अधिकारी द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर तैयार की गई है, प्रदर्श 11 स्थलनक्शा है, प्रदर्श 12 से प्रदर्श 16 अभिग्रहण सूचियां हैं, प्रदर्श 17 जाति प्रमाणपत्र है, प्रदर्श 18 अग्रेषण रिपोर्ट की प्रति है और प्रदर्श 19 रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट है ।

अभियोजन पक्ष ने तीन तात्विक वस्तुओं अर्थात् एम. ओ. I से एम. ओ. III को साबित किया है जो आहत द्वारा पहने गए वस्त्र हैं ।

6. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य का निर्धारण करने के पश्चात् यह अभिनिर्धारित किया है कि अभिलेख पर उपलब्ध सम्पूर्ण सामग्री पर विचार करने पर अभियोक्त्री की आयु अभिकथित घटना के समय लगभग 14 वर्ष थी, अतः अभिकथित घटना के दौरान आहत की औसत आयु 16 वर्ष से कम थी जैसा कि अभिलेख से दिखाई पड़ता है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि आहत के साक्ष्य का परिशीलन करने पर, यह प्रतीत होता है कि वह अशिक्षित माता-पिता की सीधी-सादी कन्या है जिसका संबंध दूर-दराज के ग्राम से है जिसके मन में अभियुक्तों के प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी और उनके परिवार के सदस्यों के मन में अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी शत्रुता या दुर्भावना नहीं थी यहां तक कि घटना के पूर्व भी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी, अतः अभियुक्तों के अपराध में मिथ्या फंसाए जाने का प्रश्न अत्यधिक दूरस्थ है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि दोपहर में अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 की अनुपस्थिति में अभियुक्त आहत के घर आए और प्रश्नगत मकान में दोपहर के समय उनकी मौजूदगी एक संदिग्ध कृत्य है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 का साक्ष्य नैसर्गिक प्रतीत होता है जो कि सत्य से आच्छादित है । यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि आहत का कथन किसी भी शिथिलता से ग्रसित नहीं है और संभाव्यता को दृष्टिगत करते हुए उसका साक्ष्य अविश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है, अतः उसके साक्ष्य को त्यक्त करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है ।

7. श्री मनोज कुमार पांडा को अपीलार्थियों के काउंसेल के रूप में नियुक्त किया गया है क्योंकि अपीलार्थियों ने इस अपील में बहस करने के लिए जिस काउंसेल को नियुक्त किया था वे न्यायालय में पेश नहीं हुए हैं । उन्हें पेपर-बुक की एक प्रति उपलब्ध करा दी गई है । अभिलेख का

परिशीलन करने के पश्चात् उन्होंने आक्षेपित निर्णय और आहत के साक्ष्य को प्रस्तुत किया है और यह दलील दी है कि आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि का आदेश विधि की दृष्टि से कायम रखे जाने योग्य नहीं है और आहत और उसके माता-पिता के साक्ष्य में अनेक कमियां हैं तथा चिकित्सीय साक्ष्य आहत के साक्ष्य के प्रतिकूल है, अतः अपीलार्थियों के पक्ष में संदेह का लाभ दिए जाने के लिए यह एक उचित मामला है ।

इसके प्रतिकूल विद्वान् अपर स्थायी काउंसेल श्री चितरंजन स्वेन ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और यह दलील दी है कि आहत कन्या घटना के समय न केवल अप्राप्तवय थी अपितु उसने अपने माता-पिता के समक्ष प्रकटीकरण कथन दिया है और अभिलेख पर अन्य सामग्री भी उपलब्ध है, इन सब बातों से स्पष्ट रूप से सह-अपराधिता सिद्ध होती है, अतः आक्षेपित निर्णय में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

8. अभिसाक्ष्य देने के समय आहत की आयु पर विचार करने पर यह पता चलता है कि आहत ने अपनी आयु 16 वर्ष बताई है और उसने यह कथन किया है कि घटना उसके अभिसाक्ष्य देने के दो वर्ष पूर्व घटित हुई थी । आहत ने यह भी कथन किया है कि वह अभिसाक्ष्य देने के समय आठवीं कक्षा की छात्रा थी । उसके माता-पिता अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने उसकी आयु के बारे में भी कथन किया है जिसकी संपुष्टि आहत के साक्ष्य से होती है । अभि. सा. 6 स्कूल का हैड मास्टर है जहां पर आहत पढ़ाई करती थी और हैड मास्टर ने स्कूल के दाखिला रजिस्टर को साबित किया है जिससे यह दर्शित होता है कि तारीख 19 जुलाई, 2003 को आहत का छठी कक्षा में दाखिला हुआ था और उस समय आहत की आयु 11 वर्ष 9 दिन थी और उसकी जन्म तिथि 11 जुलाई, 1992 है । वह स्कूल जहां पर आहत शिक्षा ग्रहण कर रही थी, एक सरकारी संस्था है । प्रतिरक्षा पक्ष ने किसी भी प्रकार से आहत की आयु को चुनौती नहीं दी है ।

विद्वान् विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्ष तथा दस्तावेजी साक्ष्य का निर्धारण करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि आहत की आयु अभिकथित घटना के समय 14 वर्ष थी । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन और विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा की गई चर्चा पर विचार करने के पश्चात् मेरा यह मत है कि इस निष्कर्ष में कोई कमी नहीं है और अभियोजन पक्ष ने यह सिद्ध किया है कि घटना के दिन आहत कन्या की आयु 14 वर्ष थी ।

आहत ने घटना का विस्तार से वर्णन किया है और उसने यह कथन किया है कि घटना के दिन दोनों अपीलार्थी घर के अन्दर आए, उन्होंने पानी मांगा और जब उसने पानी दिया तब अपीलार्थी तियानबुलु **उर्फ** ध्रुबेन्द्रीय महाकुड ने उसका मुंह बंद कर दिया और अपीलार्थी स्वाधीन तारिया ने अन्दर से दरवाजा बंद कर दिया और इसके पश्चात् दोनों अपीलार्थी उसे पूजा-गृह में ले गए और उसे फर्श पर लिटा दिया, उन्होनें उसको निर्वस्त्र कर दिया और अपीलार्थियों ने अपने कपड़े भी उतार दिए और आहत के साथ मैथुन किया । इस साक्षी ने यह कथन किया है कि पहले अपीलार्थी तियानबुलु **उर्फ** ध्रुबेन्द्रीय महाकुड ने उसके साथ बलात्संग किया और उसके पश्चात् स्वाधीन तारिया ने बलात्संग किया । आहत ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि इस प्रकार मैथुन करने के दौरान उसे बहुत अधिक पीड़ा हुई थी और उसने अपने उस समय पहने हुए वस्त्र पर रक्त और वीर्य जैसे धब्बे भी देखे । अपीलार्थियों के घटनास्थल से चले जाने के पश्चात् आहत रो रही थी और जब उसके माता-पिता वहां पहुंचे तब आहत ने उन्हें सम्पूर्ण घटना के बारे में बताया ।

आहत की माता अभि. सा. 2 ने यह कथन किया है कि जब लगभग 4 बजे अपराह्न में वे घर आए थे, तब उन्होंने आहत को रोते हुए पाया और जब आहत की माता ने आहत से उसके रोने का कारण मालूम किया तब आहत ने यह बताया कि अपीलार्थियों ने उसके साथ बलात्संग किया है । इस तथ्य की संपुष्टि आहत के पिता के साक्ष्य से भी होती है जिसकी परीक्षा अभि. सा. 3 के रूप में कराई गई है ।

आहत तथा उसके माता-पिता ने यह कथन किया है कि इस मामले के संबंध में ग्राम में पंचायत बिठाई गई थी और चूंकि उस सभा में कोई निर्णय नहीं लिया जा सका और पक्षकारों को यह निदेश दिया गया कि वे पुलिस को सूचित करें, इसलिए शिकायतकर्ता पक्ष पुलिस थाने के लिए रवाना हुआ और तद्नुसार उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई । घटना के अगले दिन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । इस प्रकार, आहत के साक्ष्य की संपुष्टि उसके माता-पिता के प्रत्यक्षदर्शी परिसाक्ष्य से होती है । इन साक्षियों के साक्ष्य को अविश्वसनीय ठहराने के लिए उनकी प्रतिपरीक्षा के दौरान कोई भी सामग्री उद्भूत नहीं हुई है ।

डा. पी. एन. दास (अभि. सा. 4) ने जिला मुख्यालय अस्पताल, बारगढ़ में आहत की चिकित्सा परीक्षा की है और इस साक्षी ने यह कथन

किया है कि उसी दिन लिए गए एक्स-रे फिल्म सं. 743 और 744 के आधार पर प्रकीर्ण संबंधी साक्ष्य के अनुसार आहत की आयु 14 से 16 वर्ष हो सकती है ।

चिकित्सक (अभि. सा. 7) का साक्ष्य, जिसने तारीख 28 अगस्त, 2004 को आहत की चिकित्सा परीक्षा की थी, से यह उपदर्शित होता है कि उसकी योनिच्छद विदीर्ण है जो पुरानी प्रतीत होती है और पहले से निरन्तर मैथुन क्रिया किए जाने के साथ संगत है । चिकित्सक (अभि. सा. 5) ने तारीख 30 जून, 2004 को अपीलार्थियों की परीक्षा की और उनके गुप्तांगों पर क्षति के कोई भी चिह्न नहीं पाए किन्तु चूंकि घटना घटित होने और परीक्षा किए जाने के बीच लम्बा समयान्तराल है, इसलिए किसी भी क्षति के न पाए जाने के कारण आहत के साक्ष्य को त्यक्त नहीं किया जा सकता ।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह साबित होता है कि केवल इतना ही नहीं है कि आहत अप्राप्तवय है और उसकी आयु घटना के समय 14 वर्ष थी अपितु आहत का साक्ष्य जो कि स्पष्ट, तर्कसम्मत और विश्वासप्रद है, से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थियों ने घटना के दिन उसके साथ सामूहिक बलात्संग किया है । आहत के साक्ष्य की संपुष्टि उसके माता-पिता के साक्ष्य से भी होती है ।

विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि दंड संहिता की धारा 376(2)(छ)/342 के अधीन आरोप अभियोजन पक्ष द्वारा अपीलार्थियों के विरुद्ध संदेह के परे साबित किए गए हैं । विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों पर 10 वर्ष का कठोर कारावास अधिरोपित किया है जो कि उचित और ठीक प्रतीत होता है । मुझे आक्षेपित निर्णय में कोई भी कमी या अवैधता दिखाई नहीं देती है, अतः, विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 376(2)(छ)/342 के अधीन की गई अपीलार्थियों की दोषसिद्धि और दंडादेश की पुष्टि की जाती है ।

9. उड़ीसा आहत प्रतिकर योजना, 2012 के अधिनियमन को दृष्टिगत करते हुए, तथा घटना के समय आहत की आयु और अपराध की प्रकृति तथा गंभीरता और साथ ही आहत के परिवार की पृष्ठभूमि को दृष्टिगत करते हुए मैं यह महसूस करता हूं कि आहत के मामले को जिला विधि सेवा प्राधिकरण, बारगढ़ को भेजने के लिए सिफारिश करना आवश्यक

होगा ताकि उड़ीसा आहत प्रतिकर योजना, 2012 के अधीन प्रतिकर मंजूर करने के लिए विधि के अनुसरण में आवश्यक जांच कराने के उपरान्त आहत के मामले पर विचार किया जा सके ।

इस आदेश की प्रति जिला विधि सेवा प्राधिकरण, बारगढ़ को अनुपालन के लिए भेजी जाए ।

इस निर्णय की प्रति के साथ निचले न्यायालय का अभिलेख विद्वान् विचारण न्यायालय को सूचना और आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल भेजा जाए ।

10. इस मामले के निपटारा करने के पूर्व, मैं श्री मनोज कुमार पांडा द्वारा दी गई मूल्यवान सेवाओं की अभिलेख पर प्रशंसा करता हूं जिसके आधार पर उपरोक्त निर्णय दिए जाने में सहायता मिली है । विद्वान् काउंसेल अपने व्यवसायिक शुल्क के रूप में 2,500/- रुपए पाने के हकदार होंगे ।

11. उपरोक्त चर्चा को दृष्टिगत करते हुए, अपील में कोई सार दिखाई नहीं देता है, इसलिए यह खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

प्रकाश कश्यप

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

तारीख 29 अगस्त, 2017

न्यायमूर्ति गौतम भादुरी

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 326 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 8 और 14] – घोर उपहति – आशय – हेतु – अभियुक्त द्वारा प्रतिशोध की भावना से आहत शिकायतकर्ता के शिश्न का विच्छेदन किया जाना – आहत के साक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य से संपुष्टि – अपूर्णीय क्षति – अपराध की गंभीरता के अनुरूप दंड की मात्रा – आहत को ऐसी क्षति पहुंची है जो अपूर्णीय है और उसे समाज द्वारा किए जाने वाले शोषण का सामना भी करना होगा, अतः न्यायोचित और समानुपातिक – दंड दिया जाना चाहिए जो अपराध की गंभीरता और प्रकृति के साथ मेल खाए तथा समाज के हित और चेतना के भी अनुकूल हो, इसलिए अपीलार्थी को अधिनिर्णीत दंड कम नहीं किया जा सकता ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 53 और 326 – दंड – घोर उपहति – अपीलार्थी का 79 वर्ष की वृद्ध अवस्था में होना – कारावास की अवधि में रियायत किन्तु जुर्माने में वृद्धि – अपराध के समय वृद्ध अपीलार्थी की आयु 65 वर्ष थी और निर्णय दिए जाने के समय लगभग 78-79 वर्ष है जिसका अब तक लगभग 13-14 वर्ष का समय कारावास में बीत चुका है और आगे कारावास में और अधिक रखने में कोई फायदा नहीं होगा, अतः उसे पहले से भोगे गए कारावास की अवधि से दंडादिष्ट करना और जुर्माने की रकम को 1,000/- रुपए से बढ़ाकर 15,000/- रुपए करना न्यायोचित है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 19 अगस्त, 2003 को शिकायतकर्ता प्रकाश कश्यप अर्थात् आवेदक, जो इस मामले में ग्राम पेन्डरी कुर्द में आहत हुआ है, तालाब में नहाने और शौच करने गया और जब वह रास्ते में था तब सुखलाल (प्रत्यर्थी-2), अजीत (प्रत्यर्थी-3), विजय (प्रत्यर्थी-4) और तुलाराम (प्रत्यर्थी-5) वहां आए । इसके पश्चात् सुखलाल ने यह कथन किया कि वह सुखलाल की पत्नी पर बुरी नजर रखता है । आहत

सुखलाल को सबक सिखाने के लिए पहले तो उस पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया । उसी क्षण शिकायतकर्ता ने वार से बचने का प्रयास किया और इस प्रक्रम में उसे उसके कान पर क्षति पहुंची । तत्पश्चात्, अजीत (प्रत्यर्थी-3), विजय (प्रत्यर्थी-4) और तुलाराम (प्रत्यर्थी-5) ने शिकायतकर्ता को दबोच लिया और सुखलाल ने शिकायतकर्ता का शिश्न काट दिया और उसके पश्चात् वहां से भाग गए । इस घटना के संबंध में तारीख 19 अगस्त, 2003 को पुलिस थाने में 7.30 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी.1) दर्ज कराई । अन्वेषण के पश्चात् आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित न्यायालय, कावरधा के न्यायालय में फाइल किया गया । न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित न्यायालय ने दांडिक मामला सं. 18/2005 में तारीख 27 अगस्त, 2005 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्तों को उपरोक्त रूप में दंडादिष्ट किया । इस दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त सुखलाल और अन्य अभियुक्तों द्वारा अपील प्रस्तुत की गई । अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कबीरधाम (कावरधा) ने दांडिक अपील सं. 12/2005 में तारीख 3 दिसंबर, 2005 के अपने आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 148 के अधीन अभियुक्त सुखलाल को दोषमुक्त कर दिया किन्तु दंड संहिता की धारा 149, 147 के साथ पठित धारा 326 और आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दोषसिद्धि कायम रखी जबकि अन्य अपीलार्थी-अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 149, 147 के साथ पठित धारा 326 के अधीन दोषसिद्ध किया । अभियुक्तों के कारावास संबंधी दंडादेश को लेकर अपील न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अपीलार्थी तारीख 20 अगस्त, 2003 से तारीख 19 अक्तूबर, 2004 तक अर्थात् 13 मास और 29 दिन तक पहले से कारावास में रहे हैं और इसे समुचित अभिनिर्धारित किया गया । इस अवधि को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया कि यह घटना क्षण भर में आवेश की तीव्रता के कारण घटित हुई थी और अपीलार्थियों में से एक की आयु 65 वर्ष दर्शायी गई है, इस कारण से कारावास में बिताया गया समय पर्याप्त है । तारीख 3 दिसंबर, 2005 को अपील न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की गई, उच्च न्यायालय ने अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – इसके अतिरिक्त, यदि आहत को पहुंची क्षति का अहसास आहत के स्थान पर स्वयं को रखकर किया जाए तब यह दर्शित होता है कि आहत को ऐसी क्षति पहुंची है जो अपूर्णय है यद्यपि वह जी रहा है ।

उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है कि भविष्य में उसका आत्मसम्मान बना रहेगा और आहत को केवल समाज द्वारा किए जाने वाले शोषण का ही सामना करना होगा । अतः, उचित, न्यायोचित और समानुपाती दंड अपराध की गंभीरता और प्रकृति के साथ मेल खाना चाहिए और साथ ही समाज के हित और चेतना के भी अनुकूल होना चाहिए । आहत के कथन से यह दर्शित होता है कि कुछ अभियुक्तों ने उसे दबोच लिया था और अन्य अभियुक्त ने उसका शिश्न काटा था जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्तों ने ऐसी क्षति पहुंचाने का निश्चित रूप से इरादा किया हुआ था । एक अन्य मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि दांडिक विधि का उद्देश्य उचित, न्यायोचित और समानुपाती दंड अधिरोपित करना है जो अपराध की गंभीरता और प्रकृति तथा कारित किए जाने की रीति से मेल खाना चाहिए । दंड अधिरोपित करने का सबसे सुसंगत और निश्चायक कारक अपराध और दंड के बीच समानुपातिकता बनाए रखना है जो समाज के हित और उसकी चेतना को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है । अनुचित दयाभाव रखने जैसे रियायती दृष्टिकोण अपनाने तथा दांडिक कार्यवाहियों को विलंबित करने से दांडिक न्यायतंत्र के साथ खिलवाड़ करना है । दंड इतना कम नहीं होना चाहिए कि इससे समाज की भावना को ठेस पहुंचे और दंड की मात्रा मूल सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए । अतः, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह दंड अधिनिर्णीत करते समय यह ध्यान में रखे कि कम दंड निर्णीत करने से अपराधियों को ढील मिलती है और परिणामस्वरूप समाज का नुकसान होता है । अधिकथित सिद्धांतों को दृष्टिगत करते हुए तथा कारित की गई क्षति की प्रकृति पर विचार करते हुए अपील न्यायालय के कारावास में कमी किए जाने संबंधी आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता । (पैरा 11)

परिणामतः, अपील न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है और दांडिक मामला सं. 18/2005 में तारीख 27 अगस्त, 2005 को पारित किए गए न्यायिक मजिस्ट्रेट के दंडादेश को सुखलाल (प्रत्यर्थी-1), अजीत (प्रत्यर्थी-2), विजय (प्रत्यर्थी-3) और जय (प्रत्यर्थी-4) के प्रति बहाल करता हूं । अभियुक्त तुलाराम (प्रत्यर्थी-5) के संबंध में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसकी आयु वर्ष 2003 में 65 वर्ष दर्शायी गई है अर्थात् जब घटना घटित हुई थी और अब 13-14 वर्ष का समय बीत चुका है और उसकी आयु 78-79 वर्ष हो सकती है, इस अभियुक्त को और अधिक

समय के लिए जेल में रखने से कोई फायदा नहीं होगा । इन परिस्थितियों में यह आदेश किया जाता है कि अभियुक्त तुलाराम को पहले से भोगे गए कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है किन्तु 1,000/- रुपए जुर्माने को बढ़ाकर 15,000/- रुपए किया जाता है और इस जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर यह अभियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) द्वारा अधिरोपित कारावास की अवधि भोगेगा । जुर्माने की रकम का संदाय किए जाने पर यह रकम आहत को दी जाएगी । (पैरा 12)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2014] (2014)15 एस. सी. सी. 558 :
सागर बनाम **हरियाणा राज्य** ; 11

[2010] (2010)2 एम. पी. जे. आर. (एस. सी.) :
मध्य प्रदेश राज्य बनाम **कांशी राम और अन्य** । 4

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2005 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 544.

2005 की दांडिक अपील सं. 12 में अपर सेशन न्यायाधाश (त्वरित न्यायालय), कबीरधाम (कवरधा) के तारीख 3 दिसंबर, 2005 के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन ।

आवेदक की ओर से श्री एम. के. भादुरी

प्रत्यर्थी की ओर से सर्वश्री एस. आर. जे. जयसवाल (पी. एल.) और संतोष भरत

आदेश

यह पुनरीक्षण आवेदन 2005 की दांडिक अपील सं. 12 में अपर सेशन न्यायाधाश (त्वरित न्यायालय), कबीरधाम (कवरधा) के तारीख 3 दिसंबर, 2005 के उस आदेश के विरुद्ध फाइल किया गया है जिसमें अपील न्यायालय द्वारा दंड की मात्रा को लेकर हस्तक्षेप किया गया है । वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन शिकायतकर्ता की ओर से फाइल किया गया है ।

2. तारीख 27 अगस्त, 2005 के न्यायिक मजिस्ट्रेट (त्वरित न्यायालय) के आदेश का परिशीलन करने पर यह दर्शित होता है कि

सुखलाल (अभियुक्त-1) को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 148 के अधीन दोषसिद्ध किया गया था और छह मास के कारावास से दंडादिष्ट किया गया था और इसके अतिरिक्त दंड संहिता की धारा 326 के अधीन उसे 3 वर्ष के कठोर कारावास और 5,000/- रुपए के जुर्माने तथा आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 25 के अधीन एक वर्ष के साधारण कारावास और 500/- रुपए जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया था जबकि अजीत (अभियुक्त-2), विजय (अभियुक्त-3) और तुलाराम (अभियुक्त-5) को दंड संहिता की धारा 147 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और प्रत्येक को छह मास के साधारण कारावास से दंडादिष्ट किया गया तथा दंड संहिता की धारा 149 के साथ पठित धारा 326 के अधीन उन्हें 3-3 वर्ष के कठोर कारावास से तथा 1-1 हजार रूपए के जुर्माने से दंडादिष्ट किया गया । यह भी निदेश दिया गया है कि यदि सुखलाल द्वारा 5,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय नहीं किया जाता है तब वह 3 मास का साधारण कारावास भोगेगा और 500/- रुपए जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक मास का साधारण कारावास और शेष अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 326 और 149 के अधीन अधिरोपित 1-1 हजार रुपए जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त 2-2 मास का साधारण कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया ।

3. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 19 अगस्त, 2003 को शिकायतकर्ता प्रकाश कश्यप अर्थात् आवेदक, जो इस मामले में ग्राम पेन्डरी कुर्द में आहत हुआ है, तालाब में नहाने और शौच करने गया और जब वह रास्ते में था तब सुखलाल (प्रत्यर्थी-2), अजीत (प्रत्यर्थी-3), विजय (प्रत्यर्थी-4) और तुलाराम (प्रत्यर्थी-5) वहां आए । इसके पश्चात् सुखलाल ने यह कथन किया कि वह सुखलाल की पत्नी पर बुरी नजर रखता है । आहत सुखलाल को सबक सिखाने के लिए पहले तो उस पर चाकू से हमला करने का प्रयास किया गया । उसी क्षण शिकायतकर्ता ने वार से बचने का प्रयास किया और इस प्रक्रम में उसे उसके कान पर क्षति पहुंची । तत्पश्चात्, अजीत (प्रत्यर्थी-3), विजय (प्रत्यर्थी-4) और तुलाराम (प्रत्यर्थी-5) ने शिकायतकर्ता को दबोच लिया और सुखलाल ने शिकायतकर्ता का शिश्न काट दिया और उसके पश्चात् वहां से भाग गए । इस घटना के संबंध में तारीख 19 अगस्त, 2003 को पुलिस थाने में 7.30 बजे प्रथम इत्तिला

रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 1) दर्ज कराई । अन्वेषण के पश्चात् आरोप पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित न्यायालय, कवर्धा के न्यायालय में फाइल किया गया । न्यायिक मजिस्ट्रेट, त्वरित न्यायालय ने दांडिक मामला सं. 18/2005 में तारीख 27 अगस्त, 2005 के आदेश द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्तों को उपरोक्त रूप में दंडादिष्ट किया । इस दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध अभियुक्त सुखलाल और अन्य अभियुक्तों द्वारा अपील प्रस्तुत की गई । अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कबीरधाम (कवर्धा) ने दांडिक अपील सं. 12/2005 में तारीख 3 दिसंबर, 2005 के अपने आदेश द्वारा दंड संहिता की धारा 148 के अधीन अभियुक्त सुखलाल को दोषमुक्त कर दिया किन्तु दंड संहिता की धारा 149, 147 के साथ पठित धारा 326 और आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन दोषसिद्धि कायम रखी जबकि अन्य अपीलार्थी-अभियुक्तों को दंड संहिता की धारा 149, 147 के साथ पठित धारा 326 के अधीन दोषसिद्ध किया । अभियुक्तों के कारावास संबंधी दंडादेश को लेकर अपील न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि अपीलार्थी तारीख 20 अगस्त, 2003 से तारीख 19 अक्तूबर, 2004 तक अर्थात् 13 मास और 29 दिन तक पहले से कारावास में रहे हैं और इसे समुचित अभिनिर्धारित किया गया । इस अवधि को इस आधार पर न्यायोचित ठहराया गया कि यह घटना क्षण भर में आवेश की तीव्रता के कारण घटित हुई थी और अपीलार्थियों में से एक की आयु 65 वर्ष दर्शायी गई है, इस कारण से कारावास में बिताया गया समय पर्याप्त है । तारीख 3 दिसंबर, 2005 को अपील न्यायालय द्वारा पारित किया गया यह निर्णय इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षणाधीन है ।

4. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस आवेदन में जो चुनौती दी गई है वह केवल कारावास की अवधि के कम किए जाने तक सीमित है जिसे पहले से भोगे गए कारावास की अवधि जितना अभिनिर्धारित किया गया है । यह कथन किया गया है कि चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार, जिस पर कोई विवाद नहीं है, आवेदक के शिश्न का पूरा भाग काट दिया गया है, अतः, अपील न्यायालय को दंडादेश में हस्तक्षेप करते समय अपराध के प्रभाव पर सम्यक रूप से विचार करना चाहिए था । यह दलील दी गई है कि तथ्यों से यह दर्शित होता है कि प्रत्यर्थी-अभियुक्तों द्वारा पहले से लेकर अपील की सुनवाई तक भोगा गया कारावास समुचित नहीं है और यह दलील दी है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा अधिनिर्णीत

कारावास कायम रखा जाए । आवेदक के काउंसेल ने **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **काशीराम और अन्य**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट करते हुए यह दलील दी है कि अनुचित दंडादेश अधिरोपित करके असम्यक् सहानुभूति समाज के लिए हानिकर होगी और यह भी दलील दी है कि अभियुक्तों को समुचित दंडादेश अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए था ।

5. प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि इस मामले के तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए दंड संहिता की धारा 326 के अधीन अपराध नहीं बनता है । यह भी दलील दी गई है कि घटना के पश्चात् अपीलार्थी के यहां तीन बच्चों ने जन्म लिया है और वास्तव में आवेदक के शरीर को कोई भी क्षति नहीं पहुंची है अतः निचले न्यायालय का आदेश गुणता से भरपूर है जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

6. राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि कारावास की अवधि को पहले से भोगे गए कारावास जितना अभिनिर्धारित करके ठीक ही किया गया है जिसमें किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

7. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है।

8. प्रत्यर्थी सं. 2 से 5 की ओर से विद्वान् काउंसेलों द्वारा दी गई यह दलील कि दंड संहिता की धारा 326 के अधीन अपराध नहीं बनता है, इस न्यायालय द्वारा इस प्रक्रम पर स्वीकार नहीं की जा सकती क्योंकि प्रत्यर्थी-अपीलार्थियों ने आयुध अधिनियम की धारा 25 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 326, 147 और 149 के अधीन निचले न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि और निकाले गए निष्कर्षों को चुनौती नहीं दी है । अतः, निचले दोनों न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष के आधार पर, प्रत्यर्थियों द्वारा अन्तिम रूप से दलीलों का उत्तर दिए जाने के दौरान मुकदमें के अन्त में निकाले गए निष्कर्ष को चुनौती दिए बिना, दोषसिद्धि नहीं की जा सकती । परिणामतः, निचले दोनों न्यायालयों द्वारा निकाले गए निष्कर्ष कि दंड संहिता की धारा 326, 147, 149 और आयुध अधिनियम की धारा 25 के अधीन सुखलाल द्वारा अपराध कारित किए गए हैं और अन्य प्रत्यर्थियों-अभियुक्तों के संबंध में, जिन्होंने दंड संहिता की धारा 326, 147 और 149 के अधीन अपराध कारित किए हैं, इस प्रक्रम पर कोई भी संवीक्षा नहीं की जा सकती ।

---

[1] (2010) 2 एम. पी. जे. आर. (एस. सी.) 308.

9. आवेदक द्वारा दी गई दलीलों पर विचार करने के लिए निचले न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन किया गया है । चिकित्सा रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 9) एक ऐसा दस्तावेज है जिससे यह दर्शित होता है कि शिश्न जड़ से काटा गया है और शरीर से अत्यधिक रक्तस्राव भी हुआ है । शिकायतकर्ता (अभि. सा. 1) के कथन की पुष्टि मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी. 10ए) से होती है । अतः, इससे अपराध की कोटि का पता चलता है । इसके अतिरिक्त, किसी भी अभियुक्त द्वारा इस निष्कर्ष को कोई भी चुनौती नहीं दी गई है । परिणामतः, दोषसिद्धि के निष्कर्ष पर इस न्यायालय द्वारा पुनः विचार नहीं किया जा सकता ।

10. गुप्तांग को जड़ से काट देने पर निश्चित रूप से आहत पर दुष्प्रभाव पड़ेगा । यह उल्लेख करना ही होगा कि आहत को हर समय उसकी शारीरिक अशक्तता जो अभियुक्तों द्वारा कारित की गई है, मरते दम तक याद रहेगी । अभियुक्त द्वारा कारित किए गए अपराध की प्रकृति को इस आधार पर हलका नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त ने अपने पिछले अपराध में सुधार कर लिया था । न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) ने प्राथमिक रूप से अभियुक्त को दंड संहिता की धारा 326 के अधीन 3 वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट किया है । दोषसिद्धि सदैव आहत को पहुंची क्षति के अनुरूप अभिनिर्धारित करना न्यायोचित होता है । दंडादेश की मात्रा का संबंध आहत को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए अभियुक्त के आशय और ज्ञान पर निर्भर करती है । अभियुक्त के साथ असम्यक् दयाभाव रखते हुए अनुचित दंडादेश अधिरोपित करने से न्यायतंत्र को और अधिक क्षति पहुंचेगी जिससे विधि के अनुपालन के प्रति समाज का विश्वास कम होता है और ऐसे भयावह वातावरण के अधीन समाज में अधिक समय तक शान्ति बनी नहीं रह सकती । अतः, प्रत्येक न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अपराध की प्रकृति और रीति जिसमें अपराध कारित किया गया है, को ध्यान में रखते हुए समुचित दंडादेश अधिरोपित करे । यह प्रतिपादना **मध्य प्रदेश राज्य** बनाम **काशीराम और अन्य** (उपरोक्त) वाले मामले में अधिकथित की गई है ।

11. इसके अतिरिक्त, यदि आहत को पहुंची क्षति का अहसास आहत के स्थान पर स्वयं को रखकर किया जाए तब यह दर्शित होता है कि आहत को ऐसी क्षति पहुंची है जो अपूर्णय है यद्यपि वह जी रहा है । उसके मन में ऐसा कोई विचार नहीं है कि भविष्य में उसका आत्मसम्मान बना रहेगा और आहत को केवल समाज द्वारा किए जाने वाले शोषण का ही सामना करना होगा । अतः, उचित, न्यायोचित और समानुपाती दंड अपराध

की गंभीरता और प्रकृति के साथ मेल खाना चाहिए और साथ ही समाज के हित और चेतना के भी अनुकूल होना चाहिए । आहत के कथन से यह दर्शित होता है कि कुछ अभियुक्तों ने उसे दबोच लिया था और अन्य अभियुक्त ने उसका शिश्न काटा था जिससे यह दर्शित होता है कि अभियुक्तों ने ऐसी क्षति पहुंचाने का निश्चित रूप से इरादा किया हुआ था । जैसा कि **सागर** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में अभिनिर्धारित किया गया है कि दांडिक विधि का उद्देश्य उचित, न्यायोचित और समानुपाती दंड अधिरोपित करना है जो अपराध की गंभीरता और प्रकृति तथा कारित किए जाने की रीति से मेल खाना चाहिए । दंड अधिरोपित करने का सबसे सुसंगत और निश्चायक कारक अपराध और दंड के बीच समानुपातिकता बनाए रखना है जो समाज के हित और उसकी चेतना को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है । अनुचित दयाभाव रखने जैसे रियायती दृष्टिकोण अपनाने तथा दांडिक कार्यवाहियों को विलंबित करने से दांडिक न्यायतंत्र के साथ खिलवाड़ करना है । दंड इतना कम नहीं होना चाहिए कि इससे समाज की भावना को ठेस पहुंचे और दंड की मात्रा मूल सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए । अतः, न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह दंड अधिनिर्णीत करते समय यह ध्यान में रखे कि कम दंड निर्णीत करने से अपराधियों को ढील मिलती है और परिणामस्वरूप समाज का नुकसान होता है । अधिकथित सिद्धांतों को दृष्टिगत करते हुए तथा कारित की गई क्षति की प्रकृति पर विचार करते हुए मैं अपील न्यायालय के कारावास में कमी किए जाने संबंधी आदेश में हस्तक्षेप करने के लिए आनत हूं ।

12. परिणामतः, अपील न्यायालय का आदेश अपास्त किया जाता है और दांडिक मामला सं. 18/2005 में तारीख 27 अगस्त, 2005 को पारित किए गए न्यायिक मजिस्ट्रेट के दंडादेश को सुखलाल (प्रत्यर्थी-1), अजीत (प्रत्यर्थी-2), विजय (प्रत्यर्थी-3) और जय (प्रत्यर्थी-4) के प्रति बहाल करता हूं । अभियुक्त तुलाराम (प्रत्यर्थी-5) के संबंध में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसकी आयु वर्ष 2003 में 65 वर्ष दर्शायी गई है अर्थात् जब घटना घटित हुई थी और अब 13-14 वर्ष का समय बीत चुका है और उसकी आयु 78-79 वर्ष हो सकती है, इस अभियुक्त को और अधिक समय के लिए जेल में रखने से कोई फायदा नहीं होगा । इन परिस्थितियों में यह आदेश किया जाता है कि अभियुक्त तुलाराम को पहले से भोगे गए कारावास से दंडादिष्ट किया जाता है किन्तु 1,000/- रुपए जुर्माने को बढ़ाकर

---

[1] (2014) 15 एस. सी. सी. 558.

15,000/- रुपए किया जाता है और इस जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर यह अभियुक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) द्वारा अधिरोपित कारावास की अवधि भोगेगा । जुर्माने की रकम का संदाय किए जाने पर यह रकम आहत को दी जाएगी । उपरोक्त निष्कर्षों के साथ पुनरीक्षण आवेदन भागतः मंजूर किया जाता है ।

आवेदन भागतः मंजूर किया गया ।

अस.

(2018) 1 दा. नि. प. 625 छत्तीसगढ़

रामसत्ता पटेल

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

तारीख 28 नवंबर, 2017

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27] – हत्या का प्रयास – प्रकटीकरण कथन की ग्राह्यता – प्रकटीकरण कथन के पूर्व वस्तुओं का अभिग्रहण किया जाना – प्रकटीकरण कथन अभिलिखित किए जाने के पूर्व ही घटनास्थल से अपराध से संबंधित सामग्री बरामद कर ली गई थी, इसलिए प्रकटीकरण कथन को विधि की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं माना जा सकता, अतः इस आधार पर की गई अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 307 [सपठित साक्ष्य अधिनियम की धारा 3, 11 और 27] – हत्या का प्रयास – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा अभिकथित रूप से रात्रि में हमला किया जाना – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का अभाव – संस्वीकृति कथन पुलिस की मौजूदगी में दिया जाना – घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है, घटना के दिन और समय पर अपीलार्थी ग्राम से बाहर गया हुआ था, पुलिस द्वारा अभिगृहीत की गई वस्तुएं अपीलार्थी की नहीं पायीं गई हैं तथा संस्वीकृति कथन पुलिस की

मौजूदगी में दिया गया है जो कि साक्ष्य की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं होगा, अतः ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है और वह दोषमुक्ति का हकदार है ।

संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 7 मई, 2002 को लगभग 2 बजे पूर्वाह्न में, शिकायतकर्ता/आहत रामकीर्तन (अभि. सा. 1) ग्राम झावड़ी में अपने घर में अपने परिवार के साथ सो रहा था । उस समय कुछ अज्ञात व्यक्ति वहां आए और उन्होंने उस पर और उसकी पत्नी समुंद कुंवर पर हमला किया । उन्हें सिर में क्षतियां पहुंचीं । क्षतियों से रक्त बहने लगा । इस घटना के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 2) कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना कासडोल में भरतलाल (अभि. सा. 3) द्वारा दर्ज कराई गई । रामकीर्तन की चिकित्सा परीक्षा डा. आर. एस. जोशी (अभि. सा. 10) द्वारा की गई । इस चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 13ए) प्रस्तुत की जिसमें उसने दो विदीर्ण घावों का उल्लेख किया जिनमें से एक की माप 5 सेमी. × 1 सेमी. पाई गई जिसकी गहराई अस्थि तक थी और यह क्षति बाएं पार्श्विक भाग में कारित हुई थी, इस क्षति में रक्त का थक्का पाया गया और अन्य क्षति की मांप 1.5 सेमी. × 1.5 सेमी. और गहराई 0.5 सेमी. पाई गई और यह क्षति ललाट पर कारित हुई थी, इस क्षति में थक्केदार रक्त भी पाया गया । चिकित्सक ने यह राय व्यक्त की कि यह क्षति किसी कठोर और कुन्द वस्तु से कारित की जा सकती है । समुंद कुंवर की भी चिकित्सा परीक्षा डा. आर. एस. जोशी (अभि. सा. 10) द्वारा की गई । इस चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 14ए) प्रस्तुत की जिसमें उसने दो विदीर्ण घावों का उल्लेख किया जिनमें से एक की स्थिति तिरछी पाई गई और माप 5 सेमी. × 1.5 सेमी. और गहराई अस्थि तक पाई गई, यह क्षति ललाट के बायीं ओर कारित हुई थी और दूसरी क्षति उर्ध्वाधर स्थिति में पाई गई जिसकी माप 2 सेमी. × 0.5 सेमी. और गहराई 1.5 सेमी. पाई गई जो कि मध्य पार्श्विक भाग में कारित हुई थी । चिकित्सक ने यह राय व्यक्त की है कि ये क्षतियां किसी भी कठोर और कुन्द वस्तु से कारित की जा सकती हैं । बबूल का 51 इंच का एक बांस भी रामकीर्तन के मकान के सामने से प्रदर्श पी. 12 के अनुसार अभिगृहीत किया गया । घटनास्थल से प्रदर्श पी. 12 के अनुसार ही सादा और रक्तरंजित मिट्टी भी बरामद की गई । अभिगृहीत की गई वस्तुओं को प्रदर्श पी. 7 द्वारा रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 9 है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि

सभी वस्तुओं पर रक्त लगा पाया गया सिवाय सादा मिट्टी के । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया । अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 10 साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन भी अभिलिखित किया गया जिसमें अपीलार्थी ने अपने विरुद्ध रखी गई परिस्थितियों से इनकार किया । उसने निर्दोष होने का दावा किया और इस मामले में मिथ्या फंसाये जाने का अभिवाक् किया । अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रतिरक्षा साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई । विचारण के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को इस निर्णय के प्रथम पैरा में किए गए उल्लेख के अनुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इस दोषसिद्धि से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – एम. आर. सिन्हा अर्थात् अन्वेषण अधिकारी (अभि.सा. 6) के कथनानुसार अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी.11) तारीख 9 जुलाई, 2002 को इस साक्षी द्वारा अभिलिखित किया गया था । अन्वेषण अधिकारी ने स्वयं अपने कथन के पैरा 3 में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रकटीकरण कथन अभिलिखित किए जाने के पूर्व, उसने घटनास्थल से एक लाल कमीज और बबूल का एक बांस अभिगृहीत किया था । चूंकि उक्त वस्तुएं अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन के काफी पहले अभिगृहीत की जा चुकी थी, इसलिए प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श 11) को विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं माना जा सकता । अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि उक्त बबूल का बांस और कमीज अपीलार्थी के ही हैं । (पैरा 11)

छोटूलाल (अभि.सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब अपीलार्थी को पुलिस द्वारा उनके ग्राम में लाया गया था, तब उस समय जब उन्होंने अपीलार्थी से मालूम किया तब उसने यह स्वीकार किया कि उसने रामकीर्तन और उसकी पत्नी पर पिछली रात हमला किया है । विचारण न्यायालय ने छोटूलाल के कथन का अवलंब अपीलार्थी के न्यायेत्तर संस्वीकृति कथन के रूप में लिया है । किन्तु छोटूलाल के उपरोक्त कथन से स्वयं यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त न्यायेत्तर संस्वीकृति कथन दिए जाने के समय पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे । चूंकि,

अपीलार्थी द्वारा पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उक्त संस्वीकृति कथन दिया गया है, इसलिए यह साक्ष्य की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है । उपरोक्त चर्चा के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि हमलावर कोई अज्ञात व्यक्ति है । इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । स्वीकृततः, घटना के दिन और समय पर, अपीलार्थी ग्राम से बाहर गया हुआ था और उसे किसी भी व्यक्ति द्वारा ग्राम में नहीं देखा गया था । अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभिगृहीत की गई वस्तुएं अर्थात् बबूल का बांस और कमीज अपीलार्थी के ही हैं । अपीलार्थी द्वारा तथाकथित संस्वीकृति कथन पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में दिया गया है । अतः, यह कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है । (पैरा 12 और 13)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2003 की दांडिक अपील सं. 591.

2002 के दांडिक विचारण मामला सं. 381 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, बलोडा बाजार के तारीख 31 मार्च, 2003 के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से सुश्री उषा चन्द्रकर

प्रत्यर्थी की ओर से श्री समीर बेहर

न्यायमूर्ति अरविंद सिंह चंदेल – यह अपील 2002 के सेशन विचारण मामला सं. 381 में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, बलोडा बाजार द्वारा तारीख 31 मार्च, 2003 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा अभियुक्त-अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 307 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया है और 5 वर्ष के कठोर कारावास से तथा 500/- रुपए जुर्माने का संदाय करने जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है ।

2. संक्षेप में अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 7 मई, 2002 को लगभग 2 बजे पूर्वाह्न में, शिकायतकर्ता/आहत रामकीर्तन (अभि. सा. 1) ग्राम झावड़ी में अपने घर में अपने परिवार के साथ सो रहा था । उस समय कुछ अज्ञात व्यक्ति वहां आए और उन्होंने उस पर और उसकी पत्नी समुंद कुंवर पर हमला किया । उन्हें सिर में क्षतियां पहुंचीं । क्षतियों से रक्त बहने लगा । इस घटना के संबंध में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 2) कुछ अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस थाना कासडोल में भरतलाल (अभि. सा. 3) द्वारा दर्ज कराई गई । रामकीर्तन की चिकित्सा परीक्षा डा. आर. एस. जोशी

(अभि. सा. 10) द्वारा की गई । इस चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 13ए) प्रस्तुत की जिसमें उसने दो विदीर्ण घावों का उल्लेख किया जिनमें से एक की माप 5 सेमी. × 1 सेमी. पाई गई जिसकी गहराई अस्थि तक थी और यह क्षति बाएं पार्श्विक भाग में कारित हुई थी, इस क्षति में रक्त का थक्का पाया गया और अन्य क्षति की मांप 1.5 सेमी. × 1.5 सेमी. और गहराई 0.5 सेमी. पाई गई और यह क्षति ललाट पर कारित हुई थी, इस क्षति में थक्केदार रक्त भी पाया गया । चिकित्सक ने यह राय व्यक्त की कि यह क्षति किसी कठोर और कुन्द वस्तु से कारित की जा सकती है । समुंद कुंवर की भी चिकित्सा परीक्षा डा. आर. एस. जोशी (अभि. सा. 10) द्वारा की गई । इस चिकित्सक ने अपनी रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 14ए) प्रस्तुत की जिसमें उसने दो विदीर्ण घावों का उल्लेख किया जिनमें से एक की स्थिति तिरछी पाई गई और माप 5 सेमी. × 1.5 सेमी. और गहराई अस्थि तक पाई गई, यह क्षति ललाट के बायीं ओर कारित हुई थी और दूसरी क्षति उर्ध्वाधर स्थिति में पाई गई जिसकी माप 2 सेमी. × 0.5 सेमी. और गहराई 1.5 सेमी. पाई गई जो कि मध्य पार्श्विक भाग में कारित हुई थी । चिकित्सक ने यह राय व्यक्त की है कि ये क्षतियां किसी भी कठोर और कुन्द वस्तु से कारित की जा सकती हैं । बबूल का 51 इंच का एक बांस भी रामकीर्तन के मकान के सामने से प्रदर्श पी. 12 के अनुसार अभिगृहीत किया गया । घटनास्थल से प्रदर्श पी. 12 के अनुसार ही सादा और रक्तरंजित मिट्टी भी बरामद की गई । अभिगृहीत की गई वस्तुओं को प्रदर्श पी. 7 द्वारा रासायनिक परीक्षण के लिए भेजा गया । न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी. 9 है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सभी वस्तुओं पर रक्त लगा पाया गया सिवाय सादा मिट्टी के । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 307 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया । दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया ।

3. अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 10 साक्षियों की परीक्षा कराई । दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 313 के अधीन अपीलार्थी का कथन भी अभिलिखित किया गया जिसमें अपीलार्थी ने अपने विरुद्ध रखी गई परिस्थितियों से इनकार किया । उसने निर्दोष होने का दावा किया और इस मामले में मिथ्या फंसाये जाने का अभिवाक् किया । अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रतिरक्षा साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई ।

4. विचारण के पश्चात्, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को इस

निर्णय के प्रथम पैरा में किए गए उल्लेख के अनुसार अपीलार्थी को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । इसीलिए, यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

5. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने रामकीर्तन और उसकी पत्नी समुंद कुंवर पर हमला किया । अपीलार्थी को इस मामले में मिथ्या फंसाया गया है । इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । रामकीर्तन को साधारण क्षतियां पहुंची हैं । अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी पत्नी समुंद कुंवर की परीक्षा नहीं कराई गई है ।

6. इसके प्रतिकूल राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है ।

7. मैंने पक्षकारों की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेलों को सुना है और आक्षेपित निर्णय सहित अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का परिशीलन सूक्ष्मता के साथ किया है ।

8. स्वीकृततः, रामकीर्तन (अभि. सा. 1) की पत्नी आहत समुंद कुंवर की परीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा नहीं कराई गई है । इस घटना के संबंध में, रामकीर्तन ने न्यायालय में दिए गए अपने कथन में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि गर्मियों का मौसम होने के कारण वह और उसकी पत्नी अपने मकान के आंगन में सो रहे थे । जब वे सो रहे थे, कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर और उसकी पत्नी पर हमला किया । उन्हें उनके सिर में क्षतियां पहुंची । इस साक्षी ने यह भी अभिसाक्ष्य दिया है कि वह अचेत हो गया था । इसके पश्चात्, उसे अस्पताल ले जाया गया । अस्पताल में उसका उपचार किया गया । रथ राम (अभि. सा. 2) और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराने वाले साक्षी भरत लाल (अभि.सा. 3) ने रामकीर्तन के उपरोक्त कथन का समर्थन किया है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि रामकीर्तन पर रात्रि में कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हमला किया गया था और उसे सिर में क्षतियां पहुंची थीं ।

9. डा. आर. एस. जोशी (अभि. सा. 10) ने तारीख 7 मई, 2002 को रामकीर्तन (अभि. सा. 1) की चिकित्सा परीक्षा की और पूर्वगामी पैरा में उल्लिखत क्षतियां पाईं । डा. जोशी ने रामकीर्तन की पत्नी समुंद कुंवर की भी परीक्षा की और पूर्वगामी पैरा में कथित क्षतियां देखीं । साक्षियों के उपरोक्त कथनों का खंडन नहीं किया गया हैं । अतः, यह स्पष्ट है कि घटना की रात्रि में रामकीर्तन और उसकी पत्नी को, जैसा कि डा. आर. एस. जोशी और डा. एस. एन. मधरिया (अभि. सा. 8) द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है, क्षतियां पहुंची थी ।

10. इस मामले में, घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । रामकीर्तन (अभि. सा. 1) ने स्वयं यह अभिसाक्ष्य दिया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर और उसकी पत्नी पर हमला किया था । न्यायालय में दिए गए कथन के अनुसार, इस घटना से 7-8 मास पूर्व अपीलार्थी ने उसके घर से एक डेक चोरी कर लिया था । इसके पश्चात् अपीलार्थी के पिता ने अपीलार्थी को क्षमा करने की विनती की थी । इस कारण से अपीलार्थी ने रामकीर्तन से कहा कि उसने अपीलार्थी की मानहानि की है, अतः वह उससे बदला लेगा । रामकीर्तन ने यह भी कथन किया है कि इसी कारण से अपीलार्थी ने उस पर और उसकी पत्नी पर हमला किया है । राम रथ (अभि. सा. 2) और भरत लाल (अभि. सा. 3) ने भी रामकीर्तन के उपरोक्त कथन का समर्थन किया है और यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी और रामकीर्तन के बीच उक्त विवाद था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में रामकीर्तन ने यह स्वीकार किया है कि चूंकि वह सो रहा था अतः वह हमलावर को नहीं देख सका । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 11 में यह भी स्वीकार किया है कि उसके घर से उसका डेक चोरी हो जाने के पश्चात्, अपीलार्थी जीवन-यापन के लिए ग्राम से बाहर चला गया था । राम रथ (अभि. सा. 2) ने पैरा 10 में और छोटूलाल (अभि. सा. 4) ने पैरा 7 में यह स्वीकार किया है कि इस घटना के पूर्व अपीलार्थी ने ग्राम छोड़ दिया था और वह अपने रोजगार हेतु दिल्ली चला गया था । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि अपीलार्थी को घटना के दिन और समय पर और न ही घटना के पूर्व तथा पश्चात् ग्राम में देखा गया था ।

11. एम. आर. सिन्हा अर्थात् अन्वेषण अधिकारी (अभि.सा. 6) के कथनानुसार अपीलार्थी का प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श पी.11) तारीख 9 जुलाई, 2002 को इस साक्षी द्वारा अभिलिखित किया गया था । अन्वेषण अधिकारी ने स्वयं अपने कथन के पैरा 3 में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि प्रकटीकरण कथन अभिलिखित किए जाने के पूर्व, उसने घटनास्थल से एक लाल कमीज और बबूल का एक बांस अभिगृहीत किया था । चूंकि उक्त वस्तुएं अपीलार्थी के प्रकटीकरण कथन के काफी पहले अभिगृहीत की जा चुकी थीं, इसलिए प्रकटीकरण कथन (प्रदर्श 11) को विधिक रूप से स्वीकार्य नहीं माना जा सकता । अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि उक्त बबूल का बांस और कमीज अपीलार्थी के ही हैं ।

12. छोटूलाल (अभि.सा. 4) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब अपीलार्थी को पुलिस द्वारा उनके ग्राम में लाया गया था, तब उस समय जब

उन्होंने अपीलार्थी से मालूम किया तब उसने यह स्वीकार किया कि उसने रामकीर्तन और उसकी पत्नी पर पिछली रात हमला किया है । विचारण न्यायालय ने छोटूलाल के कथन का अवलंब अपीलार्थी के न्यायेत्तर संस्वीकृति कथन के रूप में लिया है । किन्तु छोटूलाल के उपरोक्त कथन से स्वयं यह दर्शित होता है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त न्यायेत्तर संस्वीकृति कथन दिए जाने के समय पर पुलिस अधिकारी मौजूद थे । चूंकि, अपीलार्थी द्वारा पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में उक्त संस्वीकृति कथन दिया गया है, इसलिए यह साक्ष्य की दृष्टि से स्वीकार्य नहीं है ।

13. उपरोक्त चर्चा के आधार पर यह स्पष्ट हो गया है कि हमलावर कोई अज्ञात व्यक्ति है । इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । स्वीकृततः, घटना के दिन और समय पर, अपीलार्थी ग्राम से बाहर गया हुआ था और उसे किसी भी व्यक्ति द्वारा ग्राम में नहीं देखा गया था । अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभिगृहीत की गई वस्तुएं अर्थात् बबूल का बांस और कमीज अपीलार्थी के ही हैं । अपीलार्थी द्वारा तथाकथित संस्वीकृति कथन पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में दिया गया है । अतः, यह कथन साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है ।

14. पूर्वगामी चर्चा के आधार पर मेरा यह निष्कर्ष है कि अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि अपीलार्थी हमलावर है ।

15. परिणामतः, अपील मंजूर की जाती है । दोषसिद्धि का आक्षेपित निर्णय और दंडादेश अपास्त किए जाते हैं । अपीलार्थी को उस पर विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

16. यह बताया गया है कि अपीलार्थी जमानत पर है । उसके जमानत पत्र दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 437क के निबंधनों में आज से छह मास की अवधि तक बने रहेंगे ।

17. निचले न्यायालय का अभिलेख इस निर्णय की प्रति के साथ सूचना और आवश्यक अनुपालन के लिए तत्काल भेजी जाए ।

अपील मंजूर की गई ।

अस.

मनीत बिंद और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 9 सितंबर, 2017

मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन और न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 304 का भाग II – हत्या और हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – अन्तर – झगड़े के दौरान अभियुक्त द्वारा मृतक के अमार्मिक अंगों पर बिना पूर्वचिन्तन के गोली चलाया जाना – उपचार के दौरान 15 दिन बाद मृतक की मृत्यु होना – सभी क्षतियां मृतक के ऐसे अंगों पर कारित हुई हैं जो अमार्मिक हैं और किसी भी नाजुक अंग पर क्षति नहीं पहुंचाई गई है तथा मृतक की मृत्यु उपचार के दौरान 15 दिन के बाद हुई है अतः अपीलार्थी हत्या का नहीं अपितु हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अपराध का दोषी है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302, 304 का भाग II और धारा 53 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध – दंड में उपान्तरण – अपीलार्थी के विरुद्ध स्पष्ट कृत्य को लेकर कोई भी विशिष्ट अभिकथन नहीं किया गया है और वह अन्य हमलावरों के साथ घटनास्थल पर केवल मौजूद रहा है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अतः अपीलार्थी के कारावास की अवधि को घटाकर पहले से भोगे गए कारावास के बराबर की जाती है ।

अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 25 मई, 2000 को 9 बजे अपराह्न में जब दामोदर बिंद ग्राम इंग्लिश रतनपुर, पुलिस थाना बाठ, जिला भागलपुर में स्थित चक्की मिल पर मौजूद था, तब 2007 की दांडिक अपील सं. 559 में का अपीलार्थी अन्य अपीलार्थियों अर्थात् अंगद बिंद जो 2011 की दांडिक अपील सं. 1038 में का अपीलार्थी है, जयहिंद बिंद, उमेश बिंद के साथ अग्न्यायुध लेकर पहुंचा और इत्तिलाकर्ता अर्थात् दामोदर बिंद (मृतक) को घेर लिया, उस पर हमला किया और इसी दौरान सोभी बिंद, बिनोद बिंद और मनीत बिंद घटनास्थल पर आए और उन्होंने चीख-पुकार की, जोगो बिंद ने जिसके पास बंदूक थी इत्तिलाकर्ता अर्थात् मृतक

दामोदर बिंद पर गोलियां चलाई जो उसकी बगल में, दाएं कन्धे, दाएं कूल्हे और बाईं जंघा में लगी । यह कथन किया गया है कि कुछ लोग होहल्ला सुनकर आए थे जो अभियुक्तों के भागने पर हुआ था और अभियोजन का यह पक्षकथन है कि अपराध कारित करने का हेतु यह था कि दामोदर बिंद अभियुक्तों के दल के बारे में सूचना दिया करता था । मृतक/इत्तिलाकर्ता दामोदर बिंद को तत्काल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज और अस्पताल, भागलपुर ले जाया गया जहां पर तारीख 26 मई, 2000 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में उसका कथन अभिलिखित किया गया जिसके आधार पर फर्द-बयान अभिलिखित किया गया और अभियोजन आरंभ किया गया । तथापि, 15 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद तारीख 11/12 जून, 2000 की मध्यरात्रि में क्षतियों के कारण मृतक दामोदर बिंद की मृत्यु हो गई । आरंभ में यह मामला दंड संहिता की धारा 307 के साथ पठित धारा 147, 148, 341, 323, 504 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया । तथापि, तत्पश्चात् आरोप विरचित किए गए, अभियुक्तों को केवल दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए ही आरोपित किया गया । तीनों अपीलें अपीलार्थियों की ओर से, 2001 के विचारण मामला सं. 591 (2006 की टी. आर. सं. 133) जो अपराध मामला सं. 12/2000 से उद्भूत है, में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) सं. II, भागलपुर द्वारा तारीख 19 जून, 2006 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई हैं जिसके द्वारा इस मामले में के सभी अपीलार्थियों अर्थात् मनीत बिंद, जोगी बिंद **उर्फ** जोगो बिंद और अंगद बिंद को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास से और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है । तथापि, दोनों दंडादेशों के साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया गया है । विचारण न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी मनीत बिंद ने पटना उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है । घटना का घटनाक्रम, जैसा कि वर्णन किया गया है, अभियोजन पक्षकथन पर चर्चा करते हुए अभिलेख पर

उपलब्ध साक्षियों के कथनों से सिद्ध हो गया है और हमारा यह निष्कर्ष है कि यद्यपि इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है किन्तु दामोदर बिंद इस घटना का साक्षी है जो इस घटना में आहत हुआ है और उसे प्रश्नगत अस्पताल में भर्ती कराया गया, घटना से अगले दिन अर्थात् तारीख 26 मई, 2000 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में अन्वेषण अधिकारी द्वारा उसका कथन अभिलिखित किया गया और उसके कथन की पुष्टि अन्य साक्षियों के कथन से की गई है । तारीख 26 मई, 2000 को अभिलिखित किए गए मृतक के कथन को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण नहीं है, भले ही चिकित्सक (अभि. सा. 9) ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 8 और 9 में इस सुझाव के प्रति सहमति व्यक्त की है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पीछे की ओर से अग्न्यायुध से क्षति कारित की गई है, हमारी यह सुविचारित राय है कि घटना के तत्काल पश्चात् अभिलिखित किए गए मृतक दामोदर बिंद के कथन को अविश्वसनीय ठहराने के लिए कोई कारण नहीं है और चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत की गई शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि मृतक के शरीर पर पांच क्षतियां कारित हुई हैं । यदि ऐसा है, तब ऐसा मामला है जिसमें वर्तमान मामले की घटना अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई है और यदि मृतक दामोदर बिंद का कथन, जो कि अब मृत्युकालिक कथन बन गया है, पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाए तब अभियोजन पक्षकथन जैसा कि विचारण के दौरान प्रस्तुत किया गया है, स्वीकार किया जाना चाहिए । न्यायालय ने मृतक दामोदर बिंद द्वारा दिए गए कथन को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है यद्यपि अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । सभी साक्षियों ने वही साक्ष्य दिया है जो उन्हें मृतक दामोदर ने तारीख 26 मई, 2000 से तारीख 11/12 जून, 2000 के बीच अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान बताया था । जब एक बार न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि दामोदर बिंद का कथन अगले दिन ही अर्थात् तारीख 26 मई, 2000 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में अभिलिखित किया गया था, तब मृतक की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसका कथन मृत्युकालिक कथन बन जाता है जो कि एक ठोस विश्वसनीय साक्ष्य है, इसलिए यह अभिनिर्धारित करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि अपीलार्थियों द्वारा यह घटना घटित नहीं हुई है । इसके प्रतिकूल, दामोदर बिंद का कथन जो अभिलिखित किया गया है और अभिलेख पर उपलब्ध है, वह न्यायालय के लिए विश्वासोत्पादक है और अभियोजन पक्ष का भी यही पक्षकथन है जिसे स्वीकार किया जाना

चाहिए । ऐसा अभिनिर्धारित करने के पश्चात् यदि हम चिकित्सक (अभि. सा. 9) के कथन और मृतक को पहुंची क्षतियों जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है, का विश्लेषण करें, तब यह दिखाई देता है कि सभी क्षतियां मृतक के ऐसे अंगों पर कारित हुई हैं जो नाजुक नहीं हैं, यद्यपि, अभियुक्त घटनास्थल पर आए थे, उन्होंने मृतक पर हमला किया किन्तु वह हमला भी तब किया गया था जब झगड़े के बाद चीख-पुकार की गई थी और मृतक को पहुंची क्षतियों की पृष्ठभूमि में सभी तथ्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है, यह देखना होगा कि मृतक दामोदर के किसी भी नाजुक अंग पर क्षति नहीं पहुंची है और उपचार के दौरान 15 दिन बाद मृतक की मृत्यु हुई है । ऐसा होने पर यह एक ऐसा मामला बनता है जो दंड संहिता की धारा 304, भाग II के अन्तर्गत आता है अर्थात् हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध का अपराध और जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि अपीलार्थी पहले ही 11 वर्ष की अवधि का कारावास भोग चुके हैं तब यह एक ऐसा मामला बनता है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी ने आयुध अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 304, भाग II के अधीन अपराध कारित किया है । (पैरा 10 और 11)

अपीलार्थी जोगी बिंद **उर्फ** जोगो बिंद के मामले (दांडिक अपील सं. 559/2007) पर विचार करने पर यह पता चलता है कि यह अपीलार्थी साढ़े आठ वर्ष से अधिक समय से जेल में है । इस अपीलार्थी के विरुद्ध मृतक के नाजुक अंगों पर नहीं अपितु साधारण अंगों पर क्षति कारित हुई है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने साढ़े आठ वर्ष से अधिक अवधि का कारावास भोग लिया है, हम अपने इस निष्कर्ष को दृष्टिगत करते हुए कि वर्तमान मामला दंड संहिता की धारा 302 के अधीन नहीं अपितु धारा 304, भाग II के अधीन आता है और अपीलार्थी की आयु वर्ष 2000 में लगभग 50 वर्ष हो चुकी है, आजीवन कारावास की अवधि कम करके पहले से भोगे गए कारावास में परिवर्तित करते हैं । जहां तक अपीलार्थी अंगद बिंद द्वारा फाइल की गई अपील (दांडिक अपील सं.1038/2011) का संबंध है उसे सेशन विचारण मामला सं. 591/2001/ टी. आर. सं.133/2006 में दोषसिद्ध किया गया था, चूंकि इस अपीलार्थी का विचारण अन्य सह-अभियुक्तों के साथ इस कारण से नहीं किया गया था कि वह दिल्ली में श्रमिक के रूप में कार्य करता था और वह सितंबर, 2011 में वापस आया था, तब उसे अभिरक्षा में लिया गया और निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया । अपीलार्थी अंगद बिंद के विरुद्ध किसी भी स्पष्ट कृत्य को लेकर कोई भी विशिष्ट अभिकथन नहीं किया

गया है और केवल यह पाया गया है कि यह अपीलार्थी घटनास्थल पर मौजूद हमलावरों के साथ था और घटनास्थल से भागा था । उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्तमान मामला वर्ष 2000 का है और यह मामला शुरु-शुरु में दंड संहिता की धारा 147, 148, 341, 323, 504 और 307 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दर्ज कराया गया था । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस अपीलार्थी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए, न्यायालय विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय–II , भागलपुर के आदेश को उपान्तरित करता है और इस अपील को इस सीमा तक मंजूर करता है कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखी जाती है, किन्तु दंडादेश को पहले से भोगे गए कारावास की अवधि में उपान्तरित किया जाता है । (पैरा 12 और 13)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 1016.

2001 के विचारण मामला सं. 591 (2006 की टी. आर. सं. 133) में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) सं. II, भागलपुर द्वारा तारीख 19 जून, 2006 को पारित के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	श्री शेलेन्द्र कुमार झा
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री ए. के. सिन्हा (अपर लोक अभियोजक), दिलीप कुमार सिन्हा (अपर लोक अभियोजक) और सुश्री एस. बी. वर्मा

न्यायालय का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति राजेन्द्र मेनन ने दिया ।

मु. न्या. मेनन – तीनों अपीलें अपीलार्थियों की ओर से, 2001 के विचारण मामला सं. 591 (2006 की टी. आर. सं. 133) जो अपराध मामला सं. 12/2000 से उद्भूत है, में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) सं. II, भागलपुर द्वारा तारीख 19 जून, 2006 को पारित उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई हैं जिसके द्वारा इस मामले में के सभी अपीलार्थियों अर्थात् मनीत बिंद, जोगी बिंद **उर्फ** जोगो बिंद और अंगद बिंद को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपराध के लिए आजीवन कारावास से और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए 3 वर्ष के कठोर कारावास से

दंडादिष्ट किया गया है । तथापि, दोनों दंडादेशों के साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया गया है ।

2. अभियोजन पक्षकथन इस प्रकार है कि तारीख 25 मई, 2000 को 9 बजे अपराह्न में जब दामोदर बिंद ग्राम इंग्लिश रतनपुर, पुलिस थाना बाठ, जिला भागलपुर में स्थित चक्की मिल पर मौजूद था, तब 2007 की दांडिक अपील सं. 559 में का अपीलार्थी अन्य अपीलार्थियों अर्थात् अंगद बिंद जो 2011 की दांडिक अपील सं. 1038 में का अपीलार्थी है, जयहिंद बिंद, उमेश बिंद के साथ अग्न्यायुध लेकर पहुंचा और इत्तिलाकर्ता अर्थात् दामोदर बिंद (मृतक) को घेर लिया, उस पर हमला किया और इसी दौरान सोभी बिंद, बिनोद बिंद और मनीत बिंद घटनास्थल पर आए और उन्होंने चीख-पुकार की, जोगो बिंद ने जिसके पास बंदूक थी इत्तिलाकर्ता अर्थात् मृतक दामोदर बिंद पर गोलियां चलाई जो उसकी बगल में, दाएं कन्धे, दाएं कूल्हे और बाईं जंघा में लगी । यह कथन किया गया है कि कुछ लोग होहल्ला सुनकर आए थे जो अभियुक्तों के भागने पर हुआ था और अभियोजन का यह पक्षकथन है कि अपराध कारित करने का हेतु यह था कि दामोदर बिंद अभियुक्तों के दल के बारे में सूचना दिया करता था । मृतक/इत्तिलाकर्ता दामोदर बिंद को तत्काल जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कालेज और अस्पताल, भागलपुर ले जाया गया जहां पर तारीख 26 मई, 2000 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में उसका कथन अभिलिखित किया गया जिसके आधार पर फर्द-बयान अभिलिखित किया गया और अभियोजन आरंभ किया गया । तथापि, 15 दिन से अधिक समय बीत जाने के बाद तारीख 11/12 जून, 2000 की मध्यरात्रि में क्षतियों के कारण मृतक दामोदर बिंद की मृत्यु हो गई ।

3. आरंभ में यह मामला दंड संहिता की धारा 307 के साथ पठित धारा 147, 148, 341, 323, 504 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए सभी अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया । तथापि, तत्पश्चात् आरोप विरचित किए गए, अभियुक्तों को केवल दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए ही आरोपित किया गया ।

4. अभियोजन पक्ष ने कुल मिलाकर 9 साक्षियों की परीक्षा कराई है जिनमें डोमन बिंद (अभि. सा. 1), सिपाही बिंद (अभि. सा. 2), सदानन्द बिंद (अभि. सा. 4), मनोज बिंद (अभि. सा. 5), टिकुली देवी (अभि. सा. 5), मैनेजर बिंद (अभि. सा. 6), गणेश बिंद (अभि. सा. 7), माणिक चंद

बिंद (अभि. सा. 8), डा. संदीप प्रसाद लाल (अभि. सा. 9) और मोहम्मद शकूर (अभि. सा. 10) हैं और अनेक दस्तावेज भी प्रदर्श किए गए हैं और विचारण के लंबित रहने के दौरान एक अभियुक्त अर्थात् सोभी बिंद की मृत्यु हो गई, इसलिए उसका नाम तारीख 21 जुलाई, 2003 को अभियुक्तों की सूची से हटा दिया गया । प्रतिरक्षा पक्ष ने भी 5 साक्षियों अर्थात् सरदा मंडल (प्रतिरक्षा साक्षी 1), जागेश प्रसाद सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 2), सरजू सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 3), हारो बिंद (प्रतिरक्षा साक्षी 4) और सदा नंद सिंह (प्रतिरक्षा साक्षी 5) की परीक्षा कराई है ।

5. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य और सामग्री के आधार पर आक्षेपित निर्णय द्वारा विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्तों को आयुध अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध का दोषी पाया और उन्हें दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास से और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन तीन वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया । तथापि, दोनों दंडादेशों को साथ-साथ चलाए जाने का निदेश दिया ।

6. इस निर्णय को चुनौती देते हुए ये अपीलें फाइल की गई हैं । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने हमारा ध्यान साक्षियों के कथनों की ओर दिलाया है और यह तर्क देने का प्रयास किया है कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन सिद्ध करने में असफल रहा है और इसीलिए दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है । अनुकल्पतः, अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेलों ने यह दलील दी है कि यदि अभियोजन पक्ष के सम्पूर्ण पक्षकथन को स्वीकार कर लिया जाए और यदि डा. संदीप प्रसाद लाल (अभि. सा. 9) के कथन पर विचार किया जाए और मृतक को पहुंची क्षतियों का मूल्यांकन किया जाए, जैसा कि शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श 2) से स्पष्ट है, अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम नहीं रखी जा सकती ।

7. विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि बहुत से बहुत यह अभिकथन साबित किया गया माना जा सकता है कि अपीलार्थी जोगो बिंद ने मृतक दामोदर बिंद पर गोली चलाई और उसके नाजुक अंगों पर क्षति कारित नहीं हुई, अतः दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है और यदि डा. संदीप प्रसाद लाल (अभि. सा. 9) के कथन सहित सम्पूर्ण अभियोजन साक्ष्य स्वीकार कर लिया जाए, तब भी दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम रखे जाने योग्य नहीं है । अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल

ने हमारा ध्यान डा. संदीप प्रसाद लाल (अभि. सा. 9) की प्रतिपरीक्षा के दौरान दिए गए कथन के पैरा 8 और 9 की ओर दिलाया है जिसमें चिकित्सक ने यह उल्लेख किया है कि मृत्यु के कारण के संबंध में कोई भी निश्चित राय नहीं दी जा सकती है और न ही इस संबंध में राय स्पष्ट की जा सकती है कि गोली सामने से चलाई गई थी या पीछे की ओर से । यह कथन किया गया है कि यह दलील भी सिद्ध नहीं हो सकी है कि जोगो बिंद द्वारा सामने की ओर से गोली चलाई गई ।

8. अतः, विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क दिया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर जब सभी अभियुक्त 11 वर्ष से अभिरक्षा में हैं और दोषसिद्धि साबित करने के लिए यह एक उचित मामला है, तब भी दंडादेश को कम करते हुए दंड संहिता की धारा 304, भाग II के अधीन दोषसिद्धि की जानी चाहिए और अपीलार्थी को अभी छोड़ देना चाहिए क्योंकि वह 11 वर्ष से अधिक समय का कारावास भोग चुका है ।

9. तथापि, राज्य की ओर से विद्वान् काउंसेल सुश्री एस. बी. वर्मा ने उपरोक्त दलील का खण्डन करते हुए यह तर्क दिया है कि सभी अभियुक्तों ने सामान्य आशय से घटनास्थल पर पहुंचकर मृतक दामोदर बिंद पर हमला किया है और तत्पश्चात् जब उन्होंने यह देखा कि दामोदर सहायता के लिए चीख-पुकार कर रहा है, तब उन्होंने दामोदर पर गोली चलाई और वहां से भाग गए और इसी के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हुई और यह एक ऐसा उचित मामला है जिसमें दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दोषसिद्धि कायम रखी जानी चाहिए और अपील खारिज की जानी चाहिए ।

10. हमने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है । घटना का घटनाक्रम, जैसा कि वर्णन किया गया है, अभियोजन पक्षकथन पर चर्चा करते हुए अभिलेख पर उपलब्ध साक्षियों के कथनों से सिद्ध हो गया है और हमारा यह निष्कर्ष है कि यद्यपि इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है किन्तु दामोदर बिंद इस घटना का साक्षी है जो इस घटना में आहत हुआ है और उसे प्रश्नगत अस्पताल में भर्ती कराया गया, घटना से अगले दिन अर्थात् तारीख 26 मई, 2000 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में अन्वेषण अधिकारी द्वारा उसका कथन अभिलिखित किया गया और उसके कथन की पुष्टि अन्य साक्षियों के कथन से की गई है । तारीख 26 मई, 2000 को अभिलिखित किए गए मृतक के कथन को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण नहीं है, भले ही चिकित्सक (अभि. सा. 9) ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा 8 और 9 में इस

सुझाव के प्रति सहमति व्यक्त की है कि इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पीछे की ओर से अग्न्यायुध से क्षति कारित की गई है, हमारी यह सुविचारित राय है कि घटना के तत्काल पश्चात् अभिलिखित किए गए मृतक दामोदर बिंद के कथन को अविश्वसनीय ठहराने के लिए कोई कारण नहीं है और चिकित्सक द्वारा प्रस्तुत की गई शवपरीक्षण रिपोर्ट से यह उपदर्शित होता है कि मृतक के शरीर पर पांच क्षतियां कारित हुई हैं जो निम्न प्रकार हैं :–

(i) दाईं कांख में 0.25 इंच × 0.25 इंच माप का प्रविष्टि घाव मौजूद है जिसके किनारे भीतर की ओर मुड़े हुए हैं, विच्छेदन करने पर दाएं फेफड़े के शीर्ष में गोली (छर्रा) वेधित है और धातु का एक छर्रा हृदय के माइकोकार्डियम में पाया गया है । वक्षीय गुहा में रक्त और रक्त का थक्का अल्प मात्रा में मौजूद है ।

(ii) दाईं ओर के कटि भाग में 0.25 इंच × 0.25 इंच माप का प्रविष्टि घाव पाया गया है और 0.25 इंच × 0.25 इंच माप का प्रविष्टि घाव एक और मौजूद है जिसके किनारे बाहर की ओर मुड़े हुए हैं । विच्छेदन करने पर रक्त और रक्त का थक्का उदरीय गुहा में पाया गया है । धातु के दो छर्रे अन्त्रयोजनी और छोटी आंत से प्राप्त हुए हैं ।

(iii) दाईं बाहु के कंठ्य क्षेत्र में अत्यंत छोटे आकार का प्रविष्टि घाव जिसका विच्छेदन करने पर कंठ्य मांसपेशी में से धातु का एक छर्रा बरामद हुआ है ।

(iv) दाईं बाहु के व्यपघृष्ट क्षेत्र में अत्यंत छोटे आकार का प्रविष्टि घाव पाया गया है । दाईं बाहु की व्यपघृष्ट मांसपेशी में से एक छर्रा प्राप्त हुआ है ।

(v) दाईं जंघा के पार्श्व में 0.25 इंच × 0.25 इंच माप का प्रविष्टि घाव मौजूद है । विच्छेदन करने पर जंघा की ऊपरी परत में से एक छर्रा प्राप्त हुआ है ।

11. यदि ऐसा है, तब ऐसा मामला है जिसमें वर्तमान मामले की घटना अभियोजन पक्ष द्वारा साबित की गई है और यदि मृतक दामोदर बिंद का कथन, जो कि अब मृत्युकालिक कथन बन गया है, पूर्ण रूप से स्वीकार कर लिया जाए तब अभियोजन पक्षकथन जैसा कि विचारण के दौरान प्रस्तुत किया गया है, स्वीकार किया जाना चाहिए । हमें मृतक

दामोदर बिंद द्वारा दिए गए कथन को अविश्वसनीय ठहराने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है यद्यपि अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह तर्क देने का प्रयास किया है कि इस घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है । सभी साक्षियों ने वही साक्ष्य दिया है जो उन्हें मृतक दामोदर ने तारीख 26 मई, 2000 से तारीख 11/12 जून, 2000 के बीच अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान बताया था । जब एक बार हमारा यह समाधान हो गया है कि दामोदर बिंद का कथन अगले दिन ही अर्थात् तारीख 26 मई, 2000 को 10.30 बजे पूर्वाह्न में अभिलिखित किया गया था, तब मृतक की मृत्यु हो जाने के पश्चात् उसका कथन मृत्युकालिक कथन बन जाता है जो कि एक ठोस विश्वसनीय साक्ष्य है, इसलिए हमें यह अभिनिर्धारित करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है कि अपीलार्थियों द्वारा यह घटना घटित नहीं हुई है । इसके प्रतिकूल, दामोदर बिंद का कथन जो अभिलिखित किया गया है और अभिलेख पर उपलब्ध है, वह हमारे लिए विश्वासोत्पादक है और अभियोजन पक्ष का भी यही पक्षकथन है जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए । ऐसा अभिनिर्धारित करने के पश्चात् यदि हम चिकित्सक (अभि. सा. 9) के कथन और मृतक को पहुंची क्षतियों जैसा कि ऊपर उपदर्शित किया गया है, का विश्लेषण करें, तब यह दिखाई देता है कि सभी क्षतियां मृतक के ऐसे अंगों पर कारित हुई हैं जो नाजुक नहीं हैं, यद्यपि, अभियुक्त घटनास्थल पर आए थे, उन्होंने मृतक पर हमला किया किन्तु वह हमला भी तब किया गया था जब झगड़े के बाद चीख-पुकार की गई थी और मृतक को पहुंची क्षतियों की पृष्ठभूमि में सभी तथ्यों का मूल्यांकन किया जा सकता है, यह देखना होगा कि मृतक दामोदर के किसी भी नाजुक अंग पर क्षति नहीं पहुंची है और उपचार के दौरान 15 दिन बाद मृतक की मृत्यु हुई है । ऐसा होने पर यह एक ऐसा मामला बनता है जो दंड संहिता की धारा 304, भाग II के अन्तर्गत आता है अर्थात् हत्या की कोटि में न आने वाला मानव वध का अपराध और जब हम इस तथ्य पर विचार करते हैं कि अपीलार्थी पहले ही 11 वर्ष की अवधि का कारावास भोग चुके हैं तब यह एक ऐसा मामला बनता है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी ने आयुध अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 304, भाग II के अधीन अपराध कारित किया है और हम अपील भागतः मंजूर करते हैं तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन की गई दोषसिद्धि को आयुध अधिनियम की धारा 27 के साथ पठित दंड संहिता की धारा 304, भाग II के अधीन परिवर्तित करते हैं और उन्हें 10 वर्ष के कारावास से दंडादिष्ट

करते हैं ।

12. अपीलार्थी जोगी बिंद **उर्फ** जोगो बिंद के मामले (दांडिक अपील सं. 559/2007) पर विचार करने पर यह पता चलता है कि यह अपीलार्थी साढ़े आठ वर्ष से अधिक समय से जेल में है । इस अपीलार्थी के विरुद्ध मृतक के नाजुक अंगों पर नहीं अपितु साधारण अंगों पर क्षति कारित हुई है और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने साढ़े आठ वर्ष से अधिक अवधि का कारावास भोग लिया है, हम अपने इस निष्कर्ष को दृष्टिगत करते हुए कि वर्तमान मामला दंड संहिता की धारा 302 के अधीन नहीं अपितु धारा 304, भाग II के अधीन आता है और अपीलार्थी की आयु वर्ष 2000 में लगभग 50 वर्ष हो चुकी है, आजीवन कारावास की अवधि कम करके पहले से भोगे गए कारावास में परिवर्तित करते हैं ।

13. जहां तक अपीलार्थी अंगद बिंद द्वारा फाइल की गई अपील (दांडिक अपील सं. 1038/2011) का संबंध है उसे सेशन विचारण मामला सं. 591/2001–टी. आर. सं.133/2006 में दोषसिद्ध किया गया था, चूंकि इस अपीलार्थी का विचारण अन्य सह-अभियुक्तों के साथ इस कारण से नहीं किया गया था कि वह दिल्ली में श्रमिक के रूप में कार्य करता था और वह सितंबर, 2011 में वापस आया था, तब उसे अभिरक्षा में लिया गया और निचले न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया । अपीलार्थी अंगद बिंद के विरुद्ध किसी भी स्पष्ट कृत्य को लेकर कोई भी विशिष्ट अभिकथन नहीं किया गया है और केवल यह पाया गया है कि यह अपीलार्थी घटनास्थल पर मौजूद हमलावरों के साथ था और घटनास्थल से भागा था । उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों और तथ्य पर विचार करते हुए कि वर्तमान मामला वर्ष 2000 का है और यह मामला शुरु-शुरु में दंड संहिता की धारा 147, 148, 341, 323, 504 और 307 तथा आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन दर्ज कराया गया था । इस तथ्य पर विचार करते हुए कि इस अपीलार्थी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए, हम विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय–II, भागलपुर के आदेश को उपान्तरित करते हैं और इस अपील को इस सीमा तक मंजूर करते हैं कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि कायम रखी जाती है, किन्तु दंडादेश को पहले से भोगे गए कारावास की अवधि में उपान्तरित किया जाता है ।

14. जहां तक अपीलार्थी मनीत बिंद द्वारा फाइल की गई अपील (दांडिक अपील सं. 1016/ 2007) का संबंध है, वह 11 वर्ष से जेल में है,

इसलिए हम अपीलार्थी को, यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है, तत्काल छोड़े जाने का निदेश देते हैं ।

15. उपरोक्त निदेशों के साथ ये सभी अपीलें भागतः मंजूर की जाती हैं ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

अस.

(2018) 1 दा. नि. प. 644 पटना

संतोष कुमार

बनाम

बिहार राज्य और एक अन्य

तारीख 6 अक्तूबर, 2017

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 18, 19, 20 और 27 – पूर्व पत्नी द्वारा परिवाद फाइल किया जाना – विवाह-विच्छेद की डिक्री के बाद पति-पत्नी के आपसी संबंध समाप्त हो जाते हैं और इसलिए, पूर्व पत्नी द्वारा फाइल किया गया परिवाद चलने योग्य नहीं है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 428 [सपठित घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) की धारा 18] – घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन कार्यवाहियां अभिखंडित किया जाना – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन चलने योग्य है ।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम, 2005 (2005 का 43) – धारा 28 और 32 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 468] – परिसीमा का वर्जन – परिसीमा से संबंधित धारा 468 के उपबंध – घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अधीन संस्थित मामलों में प्रयोज्य हैं ।

घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18, 19, 20 और 27 के अधीन

परिवाद जिसे विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा आवेदक और तीन अन्य लोगों के विरुद्ध यह अभिकथन करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना के न्यायालय में फाइल किया गया था कि उसका तारीख 14 फरवरी, 2013 को आवेदक के साथ बरौनी, बेगुसराय में विवाह हुआ था । उसके माता-पिता ने उसके विवाह पर 18 लाख रुपए खर्च किए थे । विवाह के पश्चात् उसे जमशेदपुर पर उसके ससुराल ले जाया गया था । ससुराल में उसके पति और ससुरालियों द्वारा 10 लाख रुपए की मांग के लिए उसे परेशान किया गया था । वे प्रायः यह कहा करते थे कि आवेदक बी.एच.इ.एल. में दूसरी श्रेणी का अधिकारी है, जिसका मासिक वेतन 1,25,000/- रुपए है । उसे कई व्यक्तियों द्वारा पच्चीस लाख रुपए दहेज के रूप में देने का प्रस्ताव किया गया था । उन्होंने उससे कहा कि वे उसके माता-पिता से दस लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और इस बात को नहीं मानने पर उसे उसके वैवाहिक गृह से बाहर निकालने की धमकी दी गई थी । उसने यह भी अभिकथन किया है कि कुछ समय के पश्चात् उसे लिंगमपल्ली, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) ले जाया गया था जहां उसका पति नौकरी में था । जहां पर उससे दस लाख रुपए और लक्जरी कार की मांग पूरा न करने पर पति और ससुरालियों द्वारा उससे क्रूरता की गई थी । उसने यह भी अभिकथन किया है कि उसका पति और ससुरालियों ने उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया, परंतु किसी प्रकार वह अपने जीवन को बचा सकी और अंततोगत्वा तारीख 23 अप्रैल, 2013 को हैदराबाद में उसके पति और ससुराल वालों द्वारा उसे घर से बाहर निकाल दिया गया । इस बारे में हैदराबाद पुलिस को सूचना दी गई थी, परंतु उसकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी । तत्पश्चात्, वह अपने माता-पिता के घर पटना वापस आ गई । पटना में भी उससे मांग की गई दहेज लाने के लिए धमकी दी गई थी । पटना उच्च न्यायालय द्वारा विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को अभिखंडित किया गया और आवेदक के आवेदन को मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – पहला प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन पूर्व पत्नी परिवाद फाइल कर सकती है, जबकि आपसी संबंध विवाह-विच्छेद की डिक्री से समाप्त हो गए हों, यह बात अमित अग्रवाल वाले मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया । उस मामले में पति द्वारा 2009 में उसकी पूर्व पत्नी के भाई की ओर से विवाह-विच्छेद की डिक्री कारित होने के एक वर्ष पश्चात् परिवाद फाइल किया गया था जिसे पति द्वारा चुनौती दी गई थी ।

उक्त मामले के तथ्य इस प्रकार थे कि आवेदक का 2003 में विवाह हुआ था, परंतु 2006 में उसकी पत्नी ने वैवाहिक गृह छोड़ दिया था, उसी बीच में घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन पत्नी द्वारा अपने पति और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध भी परिवाद फाइल किया गया था । पति ने विवाह-विच्छेद मामला फाइल किया जिसके विरुद्ध उसे 2008 में एकतरफा आदेश प्राप्त हुआ था । पत्नी द्वारा 2006 में फाइल किए गए परिवाद को मार्च, 2009 में वापस ले लिया गया था, परंतु एक मास पश्चात् उसके भाई ने पुनः परिवाद फाइल किया था । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार व्यथित महिला का भाई सम्यक् रूप से परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम था, परंतु इस मामले में जहां विवाह-विच्छेद की डिक्री पहले ही पारित की गई थी तब यह चलने योग्य नहीं था । न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए परिवाद को अभिखंडित कर दिया और यह मत व्यक्त किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन "उपबंध का केवल तब अवलंब लिया जा सकता है जब घरेलू संबंध विद्यमान हो ।" अमित अग्रवाल मामले में दूसरे प्रश्न की परीक्षा करते हुए कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन घरेलू हिंसा अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्रवाई को अभिखंडित करने के लिए कायम रखा जा सकता है । उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन में घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियों को अभिखंडित कर दिया गया था । उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को मंजूर कर दिया जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन फाइल किए गए परिवाद को अभिखंडित करने की ईप्सा की गई थी । कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को मंजूर कर दिया । इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन के आधार पर परिवाद को अभिखंडित किया जा सकता है । यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि परिवाद न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग था या अन्य लोगों को परेशान करने के विचार से ही फाइल किया गया था । दोनों कथित प्रश्नों पर मैं अमित अग्रवाल के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत से पूर्णतया सहमत हूं । उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित की गई विधि का बाध्यकारी प्रभाव होता है और मामले को इस दृष्टि से देखते हुए यह कहा जाना सुरक्षित हो सकता है कि दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 468 के उपबंध घरेलू हिंसा अधिनियम के उपबंधों के अधिनियम संस्थित किए गए मामलों में स्पष्ट रूप से लागू होंगे । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 का परिशीलन करने पर यह सुस्पष्ट होता है कि न्यायालय एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् अपराध का संज्ञान लेने के लिए विवर्जित होगा यदि अपराध कारावास से न कि एक वर्ष की अवधि को बढ़ाने से संबंधित दंडनीय अपराध का है । जैसा कि ऊपर उपदर्शित है घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन उपबंधित अधिकतम दंड जिसकी अवधि एक वर्ष तक विस्तारित हो सकती है । इसलिए, न्यायालय को एक वर्ष के पश्चात् संज्ञान लेने से विवर्जित किया गया होगा । सुस्पष्टतया, परिसीमा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् वर्तमान मामले में परिवाद फाइल किया गया है । इस संबंध में, आवेदक ने इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिकथित विनिश्चयाधार का अवलंब लेकर ठीक ही किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन परिवाद घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 28 और 32 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए घटना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ही फाइल किया जा सकता है । (पैरा 9, 13, 14, 17, 23, और 24)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2017]	(2016) डी. एम. सी. 97 = 2017 क्रिमिनल ला जर्नल 3570 (पी. और एच.) : **अमित अग्रवाल और अन्य** बनाम **संजय अग्रवाल** ;	6
[2013]	एमएएनयू/एस.सी.ओ.156/2013 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1077 : **आशीष दीक्षित और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य** ;	13
[2011]	सीआरएम सं. एम-29792/2011 : **जसवीर कौर और एक अन्य** बनाम **मनप्रीत कौर** ;	13
[2011]	(2011) 12 एस. सी. सी. 588 = 2011 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6925 : **इंद्रजीत ग्रेवाल** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य** ;	6
[2010]	दांडिक पी. सं. 5246/2010 : **श्रीमती नागरथमन्ना** बनाम **एम. एस. वनीताश्री** ;	13

[2010] (2010) 171 डी. एल. टी. 67 :
हरबंस लाल मलिक बनाम पायल मलिक ; 12

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : **2016 की दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 41318.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

आवेदकों की ओर से — सर्वश्री दीनू कुमार और स्वपनील कुमार

विरोधी पक्षकारों की ओर से — श्री वैद्यनाथ ठाकुर

न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह – यह आवेदन विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा तारीख 22 जुलाई, 2016 को पारित आदेश सहित घरेलू हिंसा मामला सं. 110/2015 की संपूर्ण कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (जिसे संक्षेप में दं.प्र.सं. कहा गया है) की धारा 482 के अधीन फाइल किया गया है, जिसके द्वारा विरोधी पक्षकार सं. 2 के लिए अंतरिम अनुतोष मंजूर किया गया जिसके द्वारा आवेदक को यह निदेश दिया गया कि विरोधी पक्षकार सं. 2 को दिन-प्रतिदिन भरण-पोषण और उसके निरंतर अध्ययन के लिए 15,000/- रु प्रतिमास दिया जाए ।

2. मामले में तीन महत्वपूर्ण विवाद्यक प्रकट हैं, जो इस मामले के अवधारण के लिए उद्भूत हुए हैं, इस प्रकार हैं :–

(i) क्या पूर्व पत्नी घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण का अधिनियम, 2005 (जिसे संक्षेप में घरेलू हिंसा अधिनियम कहा गया है) के अधीन परिवाद फाइल कर सकती है, जबकि विवाह-विच्छेद की डिक्री होने पर उसके संबंध समाप्त हो गए हों ?

(ii) क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन घरेलू हिंसा अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्यवाही को अभिखंडित करने के लिए चलने योग्य होगा ?

(iii) क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के उपबंध घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के मामले में लागू होगा ?

3. मैं पूर्वोक्त प्रश्नों पर चर्चा करने और उनका विनिश्चय करने के लिए अग्रसर होता हूं । यह आवश्यक होगा कि तथ्यात्मक विवाद्यकों का संक्षेप में उल्लेख करें ।

4. घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 18, 19, 20 और 27 के अधीन परिवाद जिसे विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा आवेदक और तीन अन्य लोगों के विरुद्ध यह अभिकथन करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना के न्यायालय में फाइल किया गया था कि उसका तारीख 14 फरवरी, 2013 को आवेदक के साथ बरौनी, बेगुसराय में विवाह हुआ था । उसके माता-पिता ने उसके विवाह पर 18 लाख रुपए खर्च किए थे । विवाह के पश्चात् उसे जमशेदपुर पर उसके ससुराल ले जाया गया था । ससुराल में उसके पति और ससुरालियों द्वारा 10 लाख रुपए की मांग के लिए उसे परेशान किया गया था । वे प्रायः यह कहा करते थे कि आवेदक बी.एच.इ.एल. में दूसरी श्रेणी का अधिकारी है, जिसका मासिक वेतन 1,25,000/- रुपए है । उसे कई व्यक्तियों द्वारा पच्चीस लाख रुपए दहेज के रूप में देने का प्रस्ताव किया गया था । उन्होंने उससे कहा कि वे उसके माता-पिता से दस लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और इस बात को नहीं मानने पर उसे उसके वैवाहिक गृह से बाहर निकालने की धमकी दी गई थी । उसने यह भी अभिकथन किया है कि कुछ समय के पश्चात् उसे लिंगमपल्ली, हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) ले जाया गया था जहां उसका पति नौकरी में था । जहां पर उससे दस लाख रुपए और लक्जरी कार की मांग पूरा न करने पर पति और ससुरालियों द्वारा उससे क्रूरता की गई थी । उसने यह भी अभिकथन किया है कि उसका पति और ससुरालियों ने उसकी हत्या करने का भी प्रयास किया, परंतु किसी प्रकार वह अपने जीवन को बचा सकी और अंततोगत्वा तारीख 23 अप्रैल, 2013 को हैदराबाद में उसके पति और ससुराल वालों द्वारा उसे घर से बाहर निकाल दिया गया । इस बारे में हैदराबाद पुलिस को सूचना दी गई थी, परंतु उसकी शिकायत पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी । तत्पश्चात्, वह अपने माता-पिता के घर पटना वापस आ गई । पटना में भी उससे मांग की गई दहेज लाने के लिए धमकी दी गई थी ।

5. इन अभिकथनों के आधार पर परिवादी ने घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन न्यायालय में अपने पति से निम्नलिखित अनुतोष देने का अनुरोध किया गया :–

(i) शारीरिक और मानसिक वेदनाओं पर दस लाख का प्रतिकर ;

(ii) शिक्षा की हानि के लिए 15 लाख रुपए ;

(iii) भरण-पोषण के लिए प्रतिमास 25 हजार रुपए ;

(iv) निवास की वास सुविधा के लिए प्रतिमास 20 हजार रुपए या हैदराबाद पर अपने पति के फ्लैट में रहने के लिए आवेदक को इजाजत देने के लिए निदेश देने हेतु ;

(v) सामूहिक दुख और हानि भोगने पर 25 लाख रुपया ।

6. आवेदक के विद्वान् काउंसेल श्री दीनू कुमार ने यह निवेदन किया कि मामले को विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अंतरित किया गया था । आवेदक और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को नोटिस तामिल कराया गया था । उसने विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा किए गए अभिकथनों से इनकार करते हुए तारीख 31 मई, 2016 को कारण बताओ नोटिस फाइल किया था । विद्वान् मजिस्ट्रेट के समक्ष विनिर्दिष्ट आधार यह लिया गया था कि घरेलू हिंसा मामला ईर्ष्या मूलक है और अप्रत्यक्ष हेतु से फाइल किया गया है, जो चलने योग्य नहीं है । यह भी अभिवाक् किया गया था कि अधिनियम, 2005 की धारा 18, 19, 20 और 21 के उपबंध मामले में प्रकट नहीं होते हैं । यह भी अभिवाक् किया गया था कि विरोधी पक्षकार सं. 2 मुश्किल से विवाह के पश्चात् जमशेदपुर पर 5-6 दिन रुकी और वह हैदराबाद पर लगभग 2 मास रुकी और विवाह बिना किसी दहेज के अनुष्ठापित हुआ था और दहेज की मांग और प्रताड़ना का अभिकथन जैसाकि परिवाद में उल्लिखित है, षड्यंत्रपर्वूक और मिथ्या रूप से रचा गया है । मामले को इस तथ्य से देखने पर जिस पर विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा क्रूरता का कारण बताया गया है । आवेदक तनाव में था जिसके लिए अस्पताल में उसका उपचार चल रहा था । चूंकि मुद्दे को तय करने के लिए कार्रवाई हेतु कदम उठाए गए थे जिसके कोई फलदायक परिणाम नहीं आ सके । हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(i)(क) के अधीन 2014 का एचएमओपी सं. 54 विवाह-विच्छेद मामला आवेदक और विरोधी पक्षकार सं. 2 के बीच में विवाह के विच्छेद के लिए ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश, संघराडी, आंध्र प्रदेश के न्यायालय में फाइल किया गया था । विरोधी पक्षकार सं. 2 जानबूझकर आवेदक द्वारा फाइल किए गए विवाह-विच्छेद मामले में हाजिर नहीं हुई, जबकि उसे विधिमान्य रूप से नोटिस तामील कराया गया था । तारीख 27 फरवरी, 2015 को विवाह-विच्छेद की डिक्री विद्वान् ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश, संघराडी द्वारा पारित की गई थी । आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह भी निवेदन किया है कि जब एक बार विवाह-विच्छेद की डिक्री के पश्चात् घरेलू संबंध समाप्त हो गए तो घरेलू हिंसा

अधिनियम के अधीन परिवाद फाइल नहीं किया जा सकता । उन्होंने अपने दलील के समर्थन में **अमित अग्रवाल और अन्य** बनाम **संजय अग्रवाल**[1] वाले मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णय का अवलंब लिया गया । उन्होंने यह निवेदन किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन परिवाद को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अधीन उपबंधों को ध्यान में रखते हुए परिसीमा विधि द्वारा वर्जित किया गया है । इस बारे में उन्होंने **इंद्रजीत ग्रेवाल** बनाम **पंजाब राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया ।

7. इसे विपरीत, विरोधी पक्षकार सं. 2 के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन वर्तमान आवेदन चलने योग्य नहीं है, क्योंकि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20 के अधीन पारित भरण-पोषण का आक्षेपित आदेश धारा 29 के अधीन अपील योग्य है । उन्होंने यह दलील दी है कि जब कानूनी उपचार उपलब्ध है तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता । उन्होंने यह दलील दी कि ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश, आंध्र प्रदेश द्वारा तारीख 27 फरवरी, 2015 को पारित विवाह-विच्छेद की डिक्री जिसे एकतरफा डिक्री घोषित किया गया था, जिसका आवेदक द्वारा फाइल किए गए दांडिक प्रकीर्ण सं. 36243/2015 में वह हाजिर हुई तब उसे आवेदक और अन्य के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन संस्थित 2015 का परिवाद मामला सं. 56ग में पारित संज्ञान के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय के समक्ष विरोधी पक्षकार सं. 2 को पता चला । उक्त विवाह-विच्छेद की डिक्री के बारे में पता चलने के पश्चात् विरोधी पक्षकार सं. 2 ने उक्त डिक्री को अपास्त करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के साथ पठित आदेश IX, नियम 13 के अधीन तारीख 30 सितम्बर, 2015 को 2014 का एचएमओपी सं. 54 आवेदन फाइल किया । उन्होंने यह दलील दी कि उक्त आवेदन ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश के न्यायालय संगराडी के समक्ष अभी भी लंबित है । उन्होंने यह दलील दी कि परिवादी-विरोधी पक्षकार सं. 2 घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 20(I)(घ) के अधीन भरण-पोषण, भत्ता प्राप्त करने के हकदार है, क्योंकि घरेलू हिंसा मामला सं. 110/2015 में घरेलू हिंसा का अभिकथन किया गया जो उक्त विवाह-विच्छेद के मामले को संस्थित करने

---

[1] (2016) डी. एम. सी. 97 = 2017 क्रिमिनल ला जर्नल 3570 (पी. और एच.).

[2] (2011) 12 एस. सी. सी. 588 = 2011 ए. आई. आर. एस. सी. डब्ल्यू. 6925.

के पूर्व पिछले तारीख से संबंधित है ।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और अभिलेख का सावधानीपर्वूक परिशीलन किया ।

9. पहला प्रश्न यह उद्भूत होता है कि क्या घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन पूर्व पत्नी परिवादी फाइल कर सकती है, जबकि आपसी संबंध विवाह-विच्छेद की डिक्री से समाप्त हो गए हों, यह बात **अमित अग्रवाल** (उपरोक्त) वाले मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आया । उस मामले में पति द्वारा 2009 में उसकी पूर्व पत्नी के भाई की ओर से विवाह-विच्छेद की डिक्री कारित होने के एक वर्ष पश्चात् परिवाद फाइल किया गया था जिसे पति द्वारा चुनौती दी गई थी । उक्त मामले के तथ्य इस प्रकार थे कि आवेदक का 2003 में विवाह हुआ था, परंतु 2006 में उसकी पत्नी ने वैवाहिक गृह छोड़ दिया था, उसी बीच में घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन पत्नी द्वारा अपने पति और उसके कुटुम्ब के सदस्यों के विरुद्ध भी परिवाद फाइल किया गया था । पति ने विवाह-विच्छेद मामला फाइल किया जिसके विरुद्ध उसे 2008 में एकतरफा आदेश प्राप्त हुआ था । पत्नी द्वारा 2006 में फाइल किया गया परिवाद को मार्च, 2009 में वापस ले लिया गया था, परंतु एक मास पश्चात् उसके भाई ने पुनः परिवाद फाइल किया था । पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार व्यथित महिला का भाई सम्यक् रूप से परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम था, परंतु इस मामले में जहां विवाह-विच्छेद की डिक्री पहले ही पारित की गई थी तब यह चलने योग्य नहीं था । न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए परिवाद को अभिखंडित कर दिया और यह मत व्यक्त किया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन "उपबंध का केवल तब अवलंब लिया जा सकता है जब घरेलू संबंध विद्यमान हो ।"

10. घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 2(क) का उल्लेख करते हुए न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि "प्रयोग किया गया शब्द किसी महिला से संबंधित है जिस पर "वह कौन है" या "ऐसा कार्य किया गया" दोनों बातों की अभिव्यक्ति वर्तमान काल में होनी चाहिए । विधान-मंडल ने वह कौन थी या किया जा चुका था शब्दों का प्रयोग नहीं किया है । घरेलू संबंधों का अर्थान्वयन करने पर उन बातों का वर्तमान स्वरूप में होना चाहिए न कि भूतकाल में । परिभाषा में यह अपेक्षित है कि वह तारीख

जिसमें अधिनियम परिवर्तन में आया, महिला का घरेलू संबंध होना चाहिए ।"

11. घरेलू हिंसा की धारा 2(च) का उल्लेख करते हुए जिसमें घरेलू नातेदारी या संबंध को परिभाषित किया गया है, उस पर न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि परिभाषा में "स्पष्ट रूप से दो व्यक्तियों के बीच घरेलू नातेदारी अभिप्रेत है, जो एक साथ साहनी गृहस्ती में या घरेलू कार्यों में किसी समय एक साथ रह चुके हैं और ऐसे व्यक्तियों का विवाह से नातेदारी थी या विवाह के प्रकृति के संबंध के माध्यम से ऐसा था । इस परिभाषा में विवाह या विवाह की प्रकृति के संबंध की विद्यमानता के बारे में भी प्रकट किया गया है । प्रयोग की गई अभिव्यक्ति "विवाह द्वारा संबंधित हैं" है । विधान-मंडल द्वारा प्रकट की गई अभिव्यक्ति "द्वारा संबंधित थे" नहीं है । इन दो उपबंधों का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि विधान-मंडल का आशय उन महिलाओं को संरक्षण देने का है जो घरेलू संबंध में साथ-साथ रहते हैं ।

12. उक्त प्रश्न का विनिश्चय करते हुए न्यायालय ने **हरबंस लाल मलिक** बनाम **पायल मलिक**[1] वाले मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के विनिश्चय का उल्लेख किया है और यह अभिनिर्धारित किया है "पत्नी की परिभाषा जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में उपलब्ध है उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता ।"

13. **अमिल अग्रवाल** (उपरोक्त) मामले में दूसरे प्रश्न की परीक्षा करते हुए कि क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन आवेदन घरेलू हिंसा अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्रवाई को अभिखंडित करने के लिए कायम रखा जा सकता है । **आशीष दीक्षित और अन्य** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन में घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाइयों को अभिखंडित कर दिया गया था । **जसवीर कौर और एक अन्य** बनाम **मनप्रीत कौर**[3] वाले मामले में उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को मंजूर कर दिया जिसमें घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन फाइल

---

[1] (2010) 171 डी. एल. टी. 67.

[2] एमएएनयू/एस.सी.ओ.156/2013 = ए. आई. आर. 2013 एस. सी. 1077.

[3] सीआरएम सं. एम-29792/2011.

किए गए परिवाद को अभिखंडित करने की ईप्सा की गई थी । **श्रीमती नागरथमन्ना** बनाम **एम. एस. वनीताश्री**[1] वाले मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन को मंजूर कर दिया । इस प्रकार, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन फाइल किए गए आवेदन के आधार पर परिवाद को अभिखंडित किया जा सकता है । यदि यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि परिवाद न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग था या अन्य लोगों को परेशान करने के विचार से ही फाइल किया गया था ।

14. उपरोक्त दोनों कथित प्रश्नों पर मैं **अमित अग्रवाल** (उपर्युक्त) के मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए मत से पूर्णतया सहमत हूं ।

15. जहां तक तीसरे प्रश्न का संबंध है क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के उपबंध जहां तक अधिनियम का संबंध है उसके अंतर्गत कार्रवाई के मामले में प्रयोज्य होगा, यह अनिर्णीत विषय नहीं रहा है ।

16. **इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल** (उपर्युक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने उक्त प्रश्न का निम्नलिखित शब्दों में उत्तर दिया है :–

> "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के उपबंध को ध्यान में रखते हुए परिसीमा के मुद्दे पर श्री रंजित कुमार द्वारा किए गए निवेदन इस प्रकार है कि परिवाद घटना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ही फाइल किया जा सकता है, यह बात अधिनियम 2005 की धारा 28 और 32 के साथ पठित महिला संरक्षण घरेलू हिंसा नियम 2006 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए हास्यास्पद प्रतीत होता है जो दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध को प्रयोज्य बनाता है । जापानी साहू **बनाम** चंद्रशेखर मोहंती [ए. आई. आर. 2007 एस. सी. 2762] और नोएडा इंटरप्रीनर्स एसोशिएशन **बनाम** नोएडा और अन्य [(2011) 6 एस. सी. सी. 508 = ए. आई. आर. 2011 एस. सी. 2112] वाले मामलों में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा पुष्टि होती है ।

17. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित की गई विधि का बाध्यकारी प्रभाव होता है और मामले को इस दृष्टि से देखते हुए यह कहा जाना सुरक्षित हो सकता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के उपबंध

---

[1] दांडिक पी. सं. 5246/2010.

घरेलू हिंसा अधिनियम के उपबंधों के अधिनियम संस्थित किए गए मामलों में स्पष्ट रूप से लागू होंगे ।

18. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए शिकायतकर्ता विरोधी पक्षकार सं. 2 ने बरौनी, बेगुसराय पर तारीख 12 अप्रैल, 2013 को आवेदक के साथ विवाह होना स्वीकार किया था । तत्पश्चात्, उसे लिंगमपल्ली, हैदराबाद ले जाया गया था जहां आवेदक श्रेणी द्वितीय अधिकारी के पद पर बी.एच.ई.एल. पर नौकरी करता था । उसे तारीख 23 अप्रैल, 2013 को लिंगमपल्ली, हैदराबाद में स्थित उसके पति के घर से निकाल दिया गया था । परिवाद में यह भी अभिकथन किए गए हैं कि तारीख 4 मई, 2014 को लगभग 7.00 बजे अपराह्न शिकायतकर्ता आवेदक के घर पर अपनी माता के साथ गई थी । परंतु आवेदक ने उसके गहने और अन्य बर्तन के सामान वापस करने से इनकार कर दिया ।

19. घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 31 में संरक्षण आदेश को भंग करने पर शास्ति का उपबंध किया गया है । ऐसे भंग के लिए उपबंधित शास्ति एक ऐसी अवधि के लिए नियत की गई है जिसे एक वर्ष तक या बीस हजार रुपए या दोनों की सीमा को बढ़ाया जा सकता है । प्रकटतः घरेलू हिंसा अधिनियम पर दांडिक विधि के रूप में विचार नहीं किया गया है क्योंकि पीड़िता को अनुतोष देने से इसका अधिक संबंध है, तथापि, यदि अपराधी अंतिम या स्थायी संरक्षण आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो (i) उसे जेल में भेजा जा सकता है (ii) बीस हजार रुपए का जुर्माना करने का संदाय करने का आदेश किया जाता है या (iii) उसे कारागार भेजे जाने और जुर्माने का संदाय करने का आदेश किया जाता है ।

20. घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 28 में स्पष्ट रूप से यह अनुबंध किया गया है कि अन्यथा इसके सिवाय अभिव्यक्त रूप से जो उपबंधित किया गया है धारा 12, 18, 19, 20, 21 और 23 के अधीन सभी कार्रवाइयां तथा धारा 31 के अधीन अपराध दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों द्वारा शासित होंगे ।

21. घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 32 में यह उपबंध किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता में किसी बात के होते हुए भी धारा 31 के अधीन अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा ।

22. दंड प्रक्रिया संहिता का अध्याय XXXVI कतिपय अपराधों के संज्ञान लेने के लिए परिसीमा के बारे में है । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

468 जो एक वर्ष बीत जाने के पश्चात् अपराध का संज्ञान लेना वर्जित करता है उसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

"468. **परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जन** – (1) इस संहिता में अन्यत्र जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई न्यायालय उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट प्रवर्ग के किसी अपराध का संज्ञान परिसीमा-काल की समाप्ति के पश्चात् नहीं करेगा ।

(2) परिसीमा काल –

(क) छह मास होगा, यदि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय है ;

(ख) एक वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है ;

(ग) तीन वर्ष होगा, यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है ।

(3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के संबंध में, जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, परिसीमा काल उस अपराध के प्रतिनिर्देश से अवधारित किया जाएगा जो, यथास्थिति, कठोरतर या कठोरतम दंड से दंडनीय है ।

23. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 का परिशीलन करने पर यह सुस्पष्ट होता है कि न्यायालय एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् अपराध का संज्ञान लेने के लिए विवर्जित होगा यदि अपराध कारावास से न कि एक वर्ष की अवधि को बढ़ाने से संबंधित दंडनीय अपराध का है ।

24. जैसा कि ऊपर उपदर्शित है घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन उपबंधित अधिकतम दंड जिसकी अवधि एक वर्ष तक विस्तारित हो सकती है । इसलिए, न्यायालय को एक वर्ष के पश्चात् संज्ञान लेने से विवर्जित किया गया होगा । सुस्पष्टतया, परिसीमा की अवधि की समाप्ति के पश्चात् वर्तमान मामले में परिवाद फाइल किया गया है । इस संबंध में, आवेदक ने **इंद्रजीत सिंह ग्रेवाल** (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अभिकथित विनिश्चयाधार का अवलंब लेकर ठीक ही किया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया कि घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन परिवाद घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 28 और 32 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए

घटना की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ही फाइल किया जा सकता है ।

25. इसके अतिरिक्त, आवेदक और विरोधी पक्षकार सं. 2 के बीच तारीख 14 फरवरी, 2013 को विवाह संपन्न हुआ । विवाह के विच्छेदन के लिए हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(क) के अधीन उसके द्वारा फाइल किया गया आवेदन को विद्वान् ज्येष्ठ सिविल न्यायाधीश संगराडी, आंध्र प्रदेश द्वारा तारीख 27 फरवरी, 2015 को मंजूर किया गया था । जबकि, घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन परिवाद तारीख 10 जुलाई, 2015 को विवाह-विच्छेद की डिक्री पारित करने के 4 मास से भी अधिक समय व्यतित होने के पश्चात् फाइल किया गया था ।

26. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैं **अमित अग्रवाल** (उपरोक्त) वाले मामले में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा अपनाया गया मत से पहले ही सहमत हुआ था । पूर्व पत्नी द्वारा विवाह-विच्छेद के पश्चात् घरेलू हिंसा अधिनियम के अधीन परिवाद विधि में चलने योग्य नहीं था ।

27. इस प्रकार, मेरा यह मत है कि 2015 का घरेलू हिंसा मामला सं. 110 की संपूर्ण कार्रवाई न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है । तद्नुसार, परिवाद और पूर्वोक्त मामले से संबंधित संपूर्ण कार्यवाही जिसमें विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा तारीख 22 जुलाई, 2016 को पारित आक्षेपित आदेश भी सम्मिलित है, एतद्द्वारा अभिखंडित किया जाता है ।

28. आवेदन मंजूर किया गया ।

आवेदन मंजूर किया गया ।

आर्य

भैंरो सिंह

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 6 नवंबर, 2017

न्यायमूर्ति डा. रविरंजन और न्यायमूर्ति एस. कुमार

स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) – धारा 42, 50 – तलाशी और अभिग्रहण – इत्तिलाकर्ता द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त किया जाना और उच्चतर पुलिस पदाधिकारियों को इस सूचना के बारे में संसूचित नहीं किया जाना – यदि यान की तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही राजपत्रित/सरकारी अधिकारी की मौजूदगी में नहीं की गई और अभियुक्तों को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष उनकी तलाशी लिए जाने के अधिकार के बारे में सूचित नहीं किया गया है तथा अधिनियम की धारा 42 और 50 के आज्ञापक उपबंधों का अननुपालन किया गया है तब तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही दोषपूर्ण है, अतः दोषसिद्धि अपास्त की जाती है ।

स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 52(क) – गांजा के नमूनों का अभिग्रहण – अभिग्रहण के स्थान पर नमूने तैयार नहीं किया जाना, परंतु नमूने तैयार किए जाने के समय के बारे में समय, किसके द्वारा उन्हें तैयार किया गया है इस बात का कहीं उल्लेख नहीं किया गया है और समान सूची को तैयार करने, अभिग्रहण गांजा के ब्यौरेवार वर्णन और मजिस्ट्रेट के समक्ष नमूने लेने की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है तो विचारण दूषित है और दोषसिद्धि अपास्त की जाती है ।

स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 – धारा 55 – अभिगृहीत गांजा की सुरक्षित अभिरक्षा – अभिगृहीत 400 किलो ग्राम गांजा को विनष्ट करने का प्रमाणपत्र पेश नहीं किया गया जिसे पेश किया जाना आज्ञापक है – अभिगृहीत गांजा की सुरक्षित अभिरक्षा के बारे में धारा 55 का अननुपालन किया गया है, इसलिए दोषसिद्धि अपास्त की जाती है ।

मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के

अनुसार सिद्धनाथ सिंह पुलिस उप निरीक्षक के पद पर आलमगंज पुलिस थाना, पटना में तैनात था और तारीख 18 नवंबर, 2011 को लगभग 9.30 बजे पूर्वाह्न उसे यह गुप्त सूचना मिली की एक सफेद रंग की तवेरा जीप हाजीपुर से पटना को जा रही है जिसके अंदर गांजा रखा हुआ है । उक्त सूचना को प्राप्त करने पर वह सहायक उप-निरीक्षक विकास चंद्र यादव और अन्य पुलिस बल कार्मिक के साथ मोबाइल जीप सं. 1 को लेकर आलमगंज की ओर चला तथा लगभग 9.40 बजे पूर्वाह्न गंगा पुल के दक्षिण छोर पर पहुंचा । उसने यह देखा कि सामने से सफेद रंग की तवेरा जीप आ रही है, उक्त जीप को रोका गया और जीप में दो व्यक्ति बैठे पाए गए तथा उनसे जीप की चाबी ले ली गई और इसके पश्चात् जीप की तलाशी ली गई और उक्त जीप में गांजा पाया गया था । दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष गांजा के 40 पैकेट अभिगृहीत किए गए हैं । प्रत्येक पैकेट में दस किलोग्राम गांजा पाया गया था जो कुल चार क्विंटल था और दोनों स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष विनिषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी की गई । दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को अभिरक्षा में लिया गया था तथा उसकी प्रति दी गई । जिन्होंने अभिग्रहण सूची पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए थे । दो अभियुक्त व्यक्ति उनमें से एक जो जीप को चला रहा था, उसने अपना नाम मोहम्मद आसीम आलम बताया और जो व्यक्ति उसके बगल में बैठा हुआ था उसने अपना नाम भैंरो सिंह बताया तथा जीप का रजिस्ट्रेशन न. बीआर-06 एल-1512 बताया था । तथापि, यह प्रकट होता है कि जीप की सं. बीआर-06 एल-1215 था जिसे मिटाया गया था और उसकी जगह बीआर-06 एल-1512 का उल्लेख किया गया था तथा जब उनसे जीप के स्वामित्व के दस्तावेज़ या ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया तो वे उन्हें पेश नहीं कर सके । दोनों व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 414 तथा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20/22 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तारीख 18 नवंबर, 2011 को आलमगंज पुलिस थाना मामला सं. 414 बनाया गया था तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् मामले में अन्वेषण का जिम्मा सहायक उप-निरीक्षक विकास चंद्र यादव को सौंपा गया था । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी सहायक उप-निरीक्षक विकास चंद्र यादव ने दंड संहिता की धारा 414 और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 और 22 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध तारीख 16 फरवरी, 2012 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था । अपर सेशन न्यायाधीश-II पटना, द्वारा तारीख 17 अप्रैल, 2012 को स्वापक ओषधि और

मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 (ख) (ii) (ग) के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए थे तथा अभियुक्त-अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । दंड संहिता की धारा 414 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था । अपर सेशन न्यायाधीश, पटना द्वारा अभियुक्त अपीलार्थियों को दोषसिद्ध व दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त अपीलार्थियों द्वारा अपनी दोषसिद्धि व दंडादेश से व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – अभियोजन मामले के तथ्यों से यह प्रकट होता है कि गुप्त सूचना जिसे इत्तिलाकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था पुलिस डायरी में उसकी प्रविष्टि की गई थी जैसा धारा 42 के अधीन अपेक्षित है परंतु उस पर प्रदर्श नहीं डाला गया था । उक्त गुप्त सूचना उच्चतर पुलिस अधिकारियों को संसूचित नहीं की गई थी जैसा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42 (2) के अधीन अपेक्षित है । अभिगृहीत जीप सार्वजनिक कैरियर नहीं है और इस प्रकार किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी अधिकारी की मौजूदगी में जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त किए गए हैं, की मौजूदगी में ऐसी तलाशी और अभिग्रहण किया जाना चाहिए था और वर्तमान मामले में इत्तिलाकर्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जीप की तलाशी और उसकी अभिग्रहण की कार्यवाही की गई थी न तो उस समय कोई राजपत्रित अधिकार और न ही कोई मजिस्ट्रेट मौजूद था इससे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का उल्लंघन होता है । अभियुक्त व्यक्तियों को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने के बारे में उनके अधिकार की सूचना उन्हें नहीं दी गई थी जैसा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन उल्लिखित है । तथापि, उच्चतम न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि उक्त रीति में नमूने लेना जिसका कई प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा कई बार अनुसरण नहीं किया जा रहा है, अभिग्रहण के स्थान पर नमूने तैयार करने का कोई अभ्यास नहीं किया गया है और उन्हें स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क के उपबंधों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए । वर्तमान मामले में यह भी स्वीकार किया गया है कि नमूने अभिग्रहण के स्थान पर तैयार नहीं किए गए थे बल्कि जिसने भी नमूने तैयार किए थे, उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है । नमूनों के अभिग्रहण के समय पर पालन की गई

प्रक्रिया के अनुसार अभिगृहीत गांजा के 40 पैकेटों में से प्रत्येक से गांजे को एकत्रित किया जाना अपेक्षित था जैसा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क के अधीन प्रक्रिया में विहित किया गया है । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क का परिशीलन करने पर इस प्रकार है – [52क. अभिगृहीत स्वापक ओषधियों ओर मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन -(1) केन्द्रीय सरकार, किन्हीं स्वापक औषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की परिसंकटमय प्रकृति, चोरी की उनकी भेद्यता प्रतिस्थापन उचित भण्डारा स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या ऐसी स्वापक ओषधियों के वर्ग या मनःप्रभावी पदार्थों के वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनका व्ययन, उनके अभिग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे अधिकारी द्वारा इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् ऐसी रीति से किया जाएगा जो वह सरकार, समय-समय पर, अवधारित करे । (2) जहां कोई स्वापक ओषधि या मनः प्रभावी पदार्थ अभिगृहीत कर लिया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें उनके वर्णन, क्वालिटी, परिमाण, पैक करने के ढंग, चिहांकन, संख्यांक या ऐसी स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या पैकिंग की, जिनमें वे पैक किए गए हैं, पहचान कराने वाली अन्य विशिष्टियां, उद्भव का देश और अन्य विशिष्टियों से संबंधित ऐसे अन्य ब्यौरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी स्वापक ओषधियों या मनः प्रभावी पदार्थों को पहचान के लिए सुसंगत समझे और किसी मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा, अर्थात् :- (क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या (ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी ओषधियों या पदार्थों के फोटोचित्र लेने ओर ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या (ग) ऐसे मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में ऐसी ओषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए (3) जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा । (4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का

1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के फोटो-चित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा । अन्वेषक अधिकारी ने यह कथन किया है कि 25 ग्राम का नमूना तैयार किया गया था परंतु किस प्रकार इसे तैयार किया गया था, इस बारे में कथन नहीं किया गया था । तथापि, न्यायालयिक प्रयोगशाला, कोलकाता में भेजे गए 25 ग्राम नमूने के भार के बारे में अत्यधिक विचलन है । न्यायालयिक प्रयोगशाला, कोलकाता के रिपोर्ट में जिसकी मात्रा 110 ग्राम दिखाई गई है जबकि न्यायालयिक प्रयोगशाला पटना पर भेजे गए नमूनों में कोई भार या मोहर की संख्या और अन्य ब्यौरे नहीं दिए गए हैं जिससे अभियोजन पक्षकथन अति संदेह पूर्ण बन जाता है । ऐसी कोई प्रक्रिया जिसे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क द्वारा किया गया है जो समान सूची को तैयार करने के बारे में, अभिगृहीत गांजा के वर्णित ब्यौरों के बारे में और मजिस्ट्रेट के समक्ष नमूने लेने की प्रक्रिया का इस मामले में अनुसरण नहीं किया गया है । जिससे संपूर्ण विचारण दूषित हो जाता है । जहां तक अभिगृहीत 4 क्विंटल गांजा को भंडारण में रखने का संबंध है, अन्वेषक अधिकारी जिसने उसी दिन लगभग 11.15 बजे पूर्वाह्न अन्वेषण का प्रभार लिया था, ने यह कथन किया है कि उसने पुलिस थाने के मालखाने में अभिगृहीत गांजा को रखने के बारे में केस डायरी में उल्लेख नहीं किया है और पुलिस थाना मालखाने में उक्त जमा की गई सामग्री की रसीद प्राप्त नहीं की गई है । पुलिस थाना मालखाना रजिस्टर में 4 क्विंटल अभिगृहीत गांजा को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना दर्शित नहीं किया है अभिगृहीत 4 क्विंटल गांजा को विशेष न्यायालय के समक्ष कभी भी पेश नहीं किया गया था या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी समान सूची तैयार की गई थी या उसे आलमगंज पुलिस थाना पटना के मालखाने में जमा किया गया था जैसा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52-क के अधीन अपेक्षित है और उसे विचारण में प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा । अभिगृहीत 400 किलोग्राम गांजा को नष्ट करने का कोई प्रमाणपत्र नहीं है जो स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन आज्ञापक अध्यपेक्षित है । अभियोजन पक्षकथन में कहीं भी ऐसा नहीं है जैसा कि कहा गया है कि 4 क्विंटल गांजा कहां रखा गया था । अभिगृहीत गांजा के

सुरक्षित अभिरक्षा के बारे में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 55 का अनुपालन नहीं किया गया है । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम पदार्थ अधिनियम की धारा 55 का परिशीलन करने पर इस प्रकार है "55. **अभिगृहीत और परिदत्त वस्तुओं का पुलिस द्वारा अपने भारसाधन में लेना** - किसी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी ऐसी सभी वस्तुओं का, जो उस पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत की जाए और जो उसे परिदत्त की जाए, मजिस्ट्रेट के आदेशों के लम्बित रहने के दौरान, अपने भारसाधन में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा किसी ऐसे अधिकारी को जो ऐसी सभी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने तक जाए या जो उस प्रयोजन के लिए तैनात किया जाए, ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाने के लिए या उनके या उनमें से नमूना लेने के लिए अनुज्ञात करेगा तथा इस प्रकार लिए गए सभी नमूने भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की मुद्रा से मुद्रांकित किए जाएंगे ।" वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते समय इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त अपीलार्थियों के लिए दोषसिद्धि और दंडादेश तथा जुर्माना का आदेश विधि की दृष्टि से कायम योग्य नहीं है और अन्वेषण त्रुटि युक्त है तथा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम पदार्थ अधिनियम के आज्ञापक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है । अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा फाइल किए गए दोनों अपीलें मंजूर की जाती हैं तथा दोषसिद्धि का निर्णय और आदेश और दंड और जुर्माने का आदेश अपास्त किया जाता है । अपीलार्थियों को यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें तत्काल मुक्त किए जाने का निदेश किया जाता है । (पैरा 12, 15, 16, 17, 18 और 19)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2016] (2016) 11 एस. सी. सी. 687 =
ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 3041 :
राजस्थान राज्य बनाम **जगराज सिंह** उर्फ **हंसा** ; 13

[2016] (2016) 3 एस. सी. सी. 379 :
भारत संघ बनाम **मोहल लाल और अन्य** । 15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2015 की दांडिक अपील (डीबी) सं. 276.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से सर्वश्री मनीष कुमार, रोहित कुमार (श्रीमती) कंचन झा, (श्रीमती) नीतू कुमारी, संजय कुमार **उर्फ**, मनू, राजकिशोर प्रसाद और (श्रीमती) अंजलि

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अश्वनी कुमार सिन्हा, अपर लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति एस. कुमार ने दिया ।

न्या. कुमार – 2015 की दांडिक अपील (डीबी) 276 और 2015 की दांडिक अपील (डीबी) 834 जो जेल अपील के रूप में है, ये दोनों उपरोक्त दांडिक अपीलें स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 (ख) (ii)(ग) के अधीन तारीख 12 मई, 2014 को दोषसिद्धि के निर्णय और दोषसिद्धि आदेश से उद्भूत हुई हैं तथा तारीख 13 मई 2014 के दंडादेश के आदेश के अंतर्गत 14 वर्ष का कठोर कारावास भोगने और अलग-अलग एक लाख रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने की रकम का संदाय करने में व्यतिक्रम करने पर वे अपर सेशन न्यायाधीश पटना द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 और 22 के अधीन 2011 के आलमगंज पुलिस थाना मामला सं. 314 से उद्भूत 2011 के विशेष मामला सं. 46 में पारित दो वर्ष के कठोर कारावास भी भोगेंगे ।

2. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना ।

3. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार सिद्धनाथ सिंह पुलिस उप निरीक्षक के पद पर आलमगंज पुलिस थाना, पटना में तैनात था और तारीख 18 नवंबर, 2011 को लगभग 9.30 बजे पूर्वाह्न उसे यह गुप्त सूचना मिली कि एक सफ़ेद रंग की टावेरा जीप हाजीपुर से पटना को जा रही है जिसके अंदर गांजा रखा हुआ है । उक्त सूचना को प्राप्त करने पर वह सहायक उप-निरीक्षक विकास चंद्र यादव और अन्य पुलिस बल कार्मिक के साथ मोबाइल जीप सं. 1 को लेकर आलमगंज की ओर चला तथा लगभग 9.40 बजे पूर्वाह्न गंगा पुल के दक्षिण छोर पर पहुंचा । उसने यह देखा कि सामने से सफेद रंग की टावेरा जीप आ रही है, उक्त जीप को रोका गया और जीप में दो व्यक्ति बैठे पाए गए तथा उनसे जीप की चाबी ले ली गई और इसके पश्चात् जीप की

तलाशी ली गई और उक्त जीप में गांजा पाया गया था । दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष गांजा के 40 पैकेट अभिगृहीत किए गए हैं । प्रत्येक पैकेट में दस किलोग्राम गांजा पाया गया था जो कुल चार क्विंटल था और दोनों स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष विनिषिद्ध वस्तुओं की बरामदगी की गई । दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को अभिरक्षा में लिया गया था तथा उसकी प्रति दी गई । जिन्होंने अभिग्रहण सूची पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए थे । दो अभियुक्त व्यक्ति उनमें से एक जो जीप को चला रहा था, उसने अपना नाम मोहम्मद आसीम आलम बताया और जो व्यक्ति उसके बगल में बैठा हुआ था उसने अपना नाम भैंरो सिंह बताया तथा जीप का रजिस्ट्रेशन न. बीआर-06 एल 1512 बताया था । तथापि, यह प्रकट होता है कि जीप का रजिस्ट्रेशन सं. बीआर-06 एल 1215 था जिसे मिटाया गया था और उसकी जगह बीआर-06 एल 1512 का उल्लेख किया गया था तथा जब उनसे जीप के स्वामित्व के दस्तावेज़ या ड्राइविंग लाइसेंस मांगा गया तो वे उन्हें पेश नहीं कर सके । दोनों व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 414 तथा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20/22 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तारीख 18 नवंबर, 2011 को आलमगंज पुलिस थाना मामला सं. 314 बनाया गया था तथा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के पश्चात् मामले में अन्वेषण का जिम्मा सहायक उप निरीक्षक विकास चंद्र यादव को सौंपा गया था ।

4. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी सहायक उप-निरीक्षक विकास चंद्र यादव ने दंड संहिता की धारा 414 और स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20 और 22 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थी के विरुद्ध तारीख 16 फरवरी, 2012 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया था ।

5. अपर सेशन न्यायाधीश-II पटना, द्वारा तारीख 17 अप्रैल, 2012 को स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 20(ख)(ii)(ग) के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए थे तथा अभियुक्त-अपीलार्थियों ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । दंड संहिता की धारा 414 के अधीन अभियुक्त-अपीलार्थियों के विरुद्ध कोई आरोप विरचित नहीं किया गया था ।

6. मोहम्मद लदन (अभि. सा. 1) अभिग्रहण सूची साक्षी है जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया था । उसने इस बात से

इनकार किया है कि उसके समक्ष चार क्विंटल गांजा पकड़ा गया था । उसने यह भी कथन किया है कि उसका मकान पुलिस थाने के कैंपस के अंतर्गत था और इत्तिलाकर्ता (सिद्धनाथ सिंह) द्वारा किया गया अनुरोध पर, उसने पुलिस थाने में अभिग्रहण सूची पर अपने हस्ताक्षर किए थे ।

7. सोनू कुमार (अभि. सा. 2) भी अभिग्रहण सूची का साक्षी है जिसे भी पक्षद्रोही घोषित किया गया था । उसने यह कथन किया है कि उसके समक्ष कोई गांजा पकड़ा नहीं गया था । उसने यह भी कथन किया है कि उसका मकान पुलिस थाने के कैंपस के अंतर्गत था । इत्तिलाकर्ता (सिद्धनाथ सिंह) द्वारा किए गए अनुरोध पर उसने पुलिस थाने में अभिग्रहण सूची पर अपने हस्ताक्षर किए थे ।

8. अभि. सा. 3 विकास चन्द्र यादव है जो मामले का अन्वेषण अधिकारी है उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 18 नवंबर, 2011 को वह आलमगंज पुलिस थाना, पटना साहिब में सहायक उप निरीक्षक पद पर तैनात था और सिद्धनाथ सिंह (इत्तिलाकर्ता) पुलिस उप निरीक्षक भी वहां पर तैनात था । गुप्त सूचना प्राप्त करने पर वह मोबाइल जीप सं. 1 पर उसके साथ गया था परंतु सिद्धनाथ सिंह (इत्तिलाकर्ता) ने अपने द्वारा प्राप्त किए गए गुप्त सूचना के बारे में उसे नहीं बताया और जब बीच रास्ते में सिद्धनाथ सिंह ने फोन काल्स प्राप्त की तब उसमें गंगा पुल की ओर शीघ्रता से चलने के लिए कहा और इसके पश्चात् वे सभी गंगा पुल के दक्षिणी छोर की ओर जीप से पहुंचे और सिद्धनाथ सिंह (इत्तिलाकर्ता) ने हाजीपुर की ओर से आ रहे जीप को रुकने के लिए कहा और उन्होंने ने देखा कि हाजीपुर जीप की ओर से सफेद रंग की टावेरा जीप आ रही है, जिसे रोका गया था और उसमें दो व्यक्ति बैठे हुए थे और जीप में गांजा के चालीस पैकेट रखे हुए पाए गए थे और जो व्यक्ति टावेरा जीप चला रहा था उसने अपना नाम मोहम्मद असीम आलम बताया था और जो व्यक्ति उसके बगल में बैठा हुआ था और जिसका पैर टूटा हुआ था उसने अपना नाम भैंरों सिंह बताया । उसने यह भी कथन किया कि गांजा 40 पैकेट में था जिसको तोलने पर उसका भार 4 क्विंटल पाया गया था जिसे अभिगृहीत करके अभिग्रहण सूची तैयार की गई थी और उनमें से अलग-अलग एक प्रति दोनों स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में दोनों अभियुक्त अपीलार्थियों को दी गई थी । सिद्धनाथ सिंह (इत्तिलाकर्ता) ने स्वयं उनके कथन लिखे थे और लिखने के पश्चात् उस पर अपने हस्ताक्षर किए थे और उसके पश्चात् अभिगृहीत गांजा टावेरा जीप को

अभिगृहीत किया गया था और साथ-साथ दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार करके पुलिस थाना लाया गया था इसके पश्चात् औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखी गई थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसे मामले के अन्वेषण का प्रभार भी सौंपा गया था कि मामले का अन्वेषण करने का प्रभार किया गया था और अन्वेषण का प्रभार लेने के पश्चात् उसने सिद्धनाथ सिंह (इत्तिलाकर्ता) को पुनः कथन किया था और अन्य पुलिस कार्मिक जीप में उसके साथ गए थे तथा उसने अभियुक्त अपीलार्थियों के पते का सत्यापन भी किया था तथा और अभिगृहीत गांजा का नमूना वैज्ञानिक न्यायालयिक प्रयोगशाला कोलकाता भेजा गया था इस बारे में पटना सिविल न्यायालयिक के माध्यम से अध्यपेक्षा भेजी गई थी और इसके पश्चात् उसने नमूना न्यायालयिक प्रयोगशाला पटना में जमा कर दिया था तथा उसे एक रसीद दी गई थी । उसने अभिगृहीत टावेरा जीप के बारे में डी.टी.ओ. कार्यालय से सत्यापन भी कराया था और अन्वेषण किए जाने के पश्चात् न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने तारीख 18 नवंबर, 2011 को 11.15 बजे पूर्वाह्न अन्वेषण का जिम्मा लिया था वहां छापा मार दल के साथ भी गया था और जिसमें वह अन्वेषक अधिकारी था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा सं. 6 में उसने यह कथन किया है कि न तो ज्येष्ठ पदधारियों को अभिगृहण के बारे में कोई सूचना दी गई और न मामले की डायरी में उस बात का उल्लेख किया गया है और न इसके समर्थन में कोई दस्तावेज दिया गया है । उसने न्यायालय के समक्ष टावेरा जीप या अभिगृहीत विनिश्चित वस्तुएं पेश नहीं कीं, केवल एक नमूना न्यायालय में पेश किया गया था उसने यह भी कथन किया है कि उसे आज्ञापक उपबंधों के बारे में पूरी तरह पता था जैसा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी अधिनियम में उल्लिखित है । उसने यह भी कथन किया है कि यदि अभिगृहीत विनिषिद्ध वस्तुएं मात्रा में कम है तो उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाता है परंतु यदि इसकी मात्रा अत्यधिक है तब केवल न्यायालय में नमूना पेश किया जाता है । उसने यह भी कथन किया है कि पुलिस थाने के मालखाने में अभिगृहीत 400/- कि.ग्रा. रखने के बारे में केस डायरी में कोई उल्लेख नहीं है । नमूने को मोहरबंद करने का भी कोई उल्लेख नहीं है । रासायनिक परीक्षा के लिए तारीख 17 दिसंबर, 2011 को नमूने भेजे गए थे । डायरी में यह कथन नहीं किया गया है कि किस पैकेट से नमूना लिया गया था परंतु यह भी कथन किया गया है कि नमूने का भार 25 ग्राम है । केस डायरी के पैरा सं. 20 में यह कथन किया

गया है कि उसने न्यायालय से मोहरबंद नमूना प्राप्त किया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा सं. 10 में यह भी कथन किया है कि अभिगृहीत गांजा का भार जिसको उसने तोला था, केस डायरी में उसका उल्लेख नहीं है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा सं. 11 में यह कथन किया है कि तारीख 23 दिसंबर, 2011 को उसे न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था उसे इस बात का पता नहीं है कि अभिगृहीत गांजे का नमूना तारीख 17 दिसंबर, 2011 से 23 दिसंबर, 2011 तक कहां रखा गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा सं. 13 में यह कथन किया है कि न तो मजिस्ट्रेट के समक्ष अभिगृहीत गांजे की समान सूची तैयार की गई थी और न मजिस्ट्रेट द्वारा उस बारे में कोई प्रमाण पत्र दिया गया है ।

9. अभि. सा. 4 ललन राम हैं जो हवलदार के पद पर तैनात था । वह गश्त ड्यूटी पर जीप में विकास चंद्र यादव (अन्वेषक अधिकारी) के साथ गया था और टावेरा जीप में गांजा के 40 पैकेटों की तलाशी ली गई, प्रत्येक पैकेट में 10 किलो ग्राम गांजा पाया गया था और उन्हें बरामद करके अभिगृहीत किया गया तथा इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह तलाशी करने के लिए पुलिस दल के साथ गया था और टावेरा जीप को अभिगृहीत किया । मौखिक आदेश के अनुसार मामले में जांच और तलाशी ली गई थी उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी कथन किया है कि जीप की तलाशी का आदेश विकास चंद्र यादव द्वारा दिया गया था और विकास चंद्र यादव केवल वहां पर मौजूद अधिकारी था । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा सं. 8 में यह कथन किया कि अभिगृहीत गांजा पुलिस थाने के मालखाने में रखा गया था और शिवनाथ सिंह मालखाने का प्रभारी था । उस समय आलमगंज पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी पी.एन.एम. सिंह था ।

10. अभि. सा. 5 योगेन्द्र पंडित है । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि तारीख 18 नवंबर, 2011 को वह पुलिस उप निरीक्षक के पद पर तैनात था, उसे प्रातः पुलिस थाने पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की टावेरा जीप जिसमें गांजा रखा हुआ था, हाजीपुर से गांधी सेतू के रास्ते से पटना की ओर आ रही है और इसके पश्चात् उप निरीक्षक सिद्धनाथ सिंह (इत्तिलाकर्ता) ने अन्य पुलिस कार्मिकों से मोबाइल जीप सं. 1 में बैठने के लिए कहा और गांधी सेतू की ओर अग्रसर हो गए । लगभग 9.30 बजे पूर्वाह्न सभी पुलिस कार्मिक मोबाइल जीप सं. 1 से गांधी सेतू की ओर चले तथा लगभग 9.40 बजे पूर्वाह्न में गांधी सेतू के

दक्षिणी छोर की ओर पहुंचे और उन्होंने उत्तरी ओर से सफेद रंग की टावेरा जीप को आते हुए देखा तथा जीप की तलाशी लेने के पश्चात् गांजा के 40 पैकेट बरामद किए थे और जीप में दो व्यक्ति बैठे हुए थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया तथा सिद्धनाथ सिंह (इत्तिलाकर्ता) द्वारा दो स्वतंत्र साक्षियों के समक्ष लगभग 10 बजे पूर्वाह्न अभिग्रहण सूची तैयार की गई थी । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा सं. 5 में यह कथन किया था कि अभिग्रहण सूची 10 बजे पूर्वाह्न में तैयार की गई थी, उसे यह भी पता नहीं है कि क्या 10 पर ओवर-राइटिंग द्वारा 14 लिखा गया है या नहीं । उसने यह भी कथन किया है कि उसे यह मालूम नहीं है कि अभिग्रहण सूची और स्व-कथन पर ओवर-राइटिंग किया गया है । उसने यह भी कथन किया है कि गांजे के 40 पैकेट न्यायालय में उसके समक्ष नहीं हैं ।

11. सिद्धनाथ सिंह (अभि. सा. 6) इस मामले का इत्तिलाकर्ता है । उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि तारीख 18 नवंबर, 2011 को वह पुलिस उप निरीक्षक के पद पर आलमगंज पुलिस थाना, पटना में तैनात था जहां उसे एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की टावेरा जीप हाजीपुर से पटना की ओर आ रही है जिसमें गांजा रखा हुआ है, और वह तुरंत ही उस ओर अग्रसर हुए, वहां पहुंचने में विलंब होने के कारण अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका । उसने यह कथन किया है कि उसने उक्त गुप्त सूचना के बारे में थाने की डायरी में प्रविष्टि की है और अन्य पुलिस कार्मिकों सहित वह गांधी सेतू की ओर अग्रसर हुआ और उसने देखा कि एक सफेद रंग की टावेरा जीप हाजीपुर की ओर से आ रही तथा उसे रोका गया और जब जीप की तलाशी ली गई तो गांजा के 40 पैकेट पकड़े गए, प्रत्येक पैकेट में 10 किलोग्राम गांजा था जिन्हें अभिगृहीत किया गया और जीप में बैठे हुए दोनों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया तथा लगभग 10 बजे पूर्वाह्न दो स्वतंत्र साक्षियों की मौजूदगी में अभिग्रहण सूची तैयार की गई थी । इसके पश्चात् अभिगृहीत गांजा के साथ अभियुक्त-अपीलार्थी और टावेरा जीप को पुलिस थाने में लाया गया था और औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट लिखकर दर्ज की गई । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने स्वयं के कथन में गुप्त सूचना के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है । उसने यह कथन किया कि उसने कोई ऊपरी लेखन नहीं किया है । उसने यह कथन किया कि उसके अपने कथन में कहीं भी अभिगृहीत गांजा के भार के बारे में नहीं कहा गया है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा सं. 7 में यह कथन

किया है कि अभिगृहीत गांजा न्यायालय के कब्जे में उसके समक्ष नहीं है उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा सं. 14 में यह स्वीकार किया है कि अभिग्रहण के समय पर कोई राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट उसके साथ नहीं था ।

12. अभियोजन मामलों के तथ्यों से यह प्रकट होता है कि गुप्त सूचना जिसे इत्तिलाकर्ता द्वारा प्राप्त किया गया था पुलिस डायरी में उसकी प्रविष्टि की गई थी जैसा धारा 42 के अधीन अपेक्षित है परंतु उस पर प्रदर्श नहीं डाला गया था । उक्त गुप्त सूचना उच्चतर पुलिस अधिकारियों को संसूचित नहीं की गई थी जैसा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(2) के अधीन अपेक्षित है । अभिगृहीत जीप सार्वजनिक कैरियर नहीं है और इस प्रकार किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी अधिकारी की मौजूदगी में जैसा कि केन्द्रीय सरकार द्वारा सशक्त किए गए हैं, की मौजूदगी में ऐसी तलाशी और अभिग्रहण किया जाना चाहिए था और वर्तमान मामले में इत्तिलाकर्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि जीप की तलाशी और उसकी अभिग्रहण की कार्यवाही की गई थी न तो उस समय कोई राजपत्रित अधिकारी और न ही कोई मजिस्ट्रेट मौजूद था इससे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 का उल्लंघन होता है । अभियुक्त व्यक्तियों को किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने के बारे में उनके अधिकार की सूचना उन्हें नहीं दी गई थी जैसा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 के अधीन उल्लिखित है ।

13. इसी तरह का विवाद्यक **राजस्थान राज्य** बनाम **जगराज सिंह** उर्फ **हंसा**[1] के मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रकट हुआ था । उक्त मामले के पैरा 4, 8, 16 और 20 में यह मताभिव्यक्ति की गई है कि जीप की तलाशी ली गई और उसका अभिग्रहण किया गया जो सार्वजनिक परिवहन नहीं था और उच्च न्यायालय ने स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 42(1)(2) और 50 के आज्ञापक उपबंधों का अननुपालन करने पर दोषसिद्धि को अपास्त कर दिया था तथा उच्चतम न्यायालय द्वारा उस बात को कायम रखा गया था । वर्तमान मामले और उपरोक्त निर्दिष्ट मामले के बीच यह भिन्नता है कि वर्तमान मामले में सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच तलाशी और अभिग्रहण की कार्यवाही की गई थी जबकि निर्दिष्ट मामले में सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच तलाशी और

[1] (2016) 11 एस. सी. सी. 687 = ए. आई. आर. 2016 एस. सी. 3041.

अभिग्रहण की कार्यवाही की गई थी । उच्चतम न्यायालय के निर्दिष्ट निर्णय का सुसंगत भाग इस प्रकार है :–

5.3 जीप जो वीरा राम की निजी जीप थी, उसे सार्वजनिक परिवहन के यान के रूप में नहीं माना जा सकता है । अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं लाया गया था कि किसी सार्वजनिक परिवहन यान के लिए कोई परमिट था । वीरा राम का साला करतार राम ने मामले का समर्थन नहीं किया है कि यान सार्वजनिक परिवहन यान की श्रेणी में था । अधिनियम की धारा 43 प्रयोज्य नहीं थी इसलिए, निचले न्यायालय का मत की धारा 42 का अनुपालन किया जाना आवश्यक नहीं था, यह बात सही नहीं है ।

9. क्या उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर अभियुक्त को दोषमुक्त करके गलती की है और इस मुद्दे के बारे में इस अपील में विचार करना जरूरी है । क्या धारा 42(1) और 42(2) के अननुपालन के बारे में उच्च न्यायालय के निष्कर्षों को समर्थन देने के लिए पर्याप्त साम्रगी थी और क्या वर्तमान मामले में धारा 43 प्रयोज्य थी, यह एक अलग मुद्दा है जिसका उत्तर दिया जाना जरूरी है । जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा दावा किया गया है अभिलेख पर प्रकट साक्ष्य से समर्थन मिलता है तथा मामले की सामग्री और नमूने उचित रूप से मोहरबंद किए गए थे, एक अन्य मुद्दा है

18. धारा 43 के स्पष्टीकरण में "लोक स्थान" की अभिव्यक्ति को परिभाषित किया गया है जिसमें कोई लोक प्रवहण सम्मिलित है । लोक प्रवहण जैसा कि अधिनियम में प्रयुक्त है, प्रवहण के रूप में समझा जाना चाहिए जो साधारण तौर पर लोक द्वारा प्रयुक्त किया जा सकता है । मोटर यान अधिनियम, 1939 और इसके पश्चात् मोटर यान अधिनियम, 1988 को मोटर यानों के संबंध में विधि को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया था । ऐसे यान जो लोक के लिए जा सकते हैं, लोक मोटर यान हैं जिसके लिए आवश्यक परमिट प्राप्त किए जाने चाहिए । मोटर यान अधिनियम, 1988 के अनुसरण में बिना परमिट प्राप्त किए कोई यान परिवहन यात्रियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है ।

25. विचारण न्यायालयों के समक्ष इस प्रश्न पर विचार किया जाना है इसलिए हमें अपने निष्कर्षों पर विचार किया जाना आवश्यक है :–

"(1) यदि कोई पुलिस अधिकारी बिना किसी पूर्व सूचना के जैसा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन अनुध्यात है, किसी अपराध या संदेहास्पद अपराधों के सामान्य अनुक्रम में किसी व्यक्ति की तलाशी लेता है या उसे गिरफ्तार करता है जैसा कि दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन उपबंधित किया गया है और जब ऐसी तलाशी पूरी हो जाती है तब उस प्रक्रम पर स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होगी तथा इसके अध्यधीन अधिपेक्षित अनुपालन प्रश्न उद्भूत नहीं होता है यदि ऐसी तलाशी और गिरफ्तारी के दौरान किसी स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ या कि संयोग से बरामदगी होती है तब पुलिस अधिकारी जो इस बात के लिए सशक्त नहीं है, सशक्त अधिकारी को सूचना देगा जो इसके पश्चात् स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अनुसरण में कार्यवाही करेगा । यदि वह सशक्त अधिकारी भी है तब उस प्रक्रम पर स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अन्य उपबंधों के अनुसरण में अन्वेषण का संचालन करेगा ।

(2क) धारा 41(1) अधिनियम के अध्याय iv के अधीन दंडनीय अपराधों और आदि के बारे में गिरफ्तारी और मजिस्ट्रेट को सशक्त किया गया है जब उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसे अपराध किए गए हैं या ऐसे पदार्थ को किसी भवन में छुपा कर रखा गया । जब किसी मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी या तलाशी के लिए ऐसा वारंट जारी किया जाता है जो इस बात के लिए सशक्त नहीं है तब ऐसी तलाशी या गिरफ्तारी को यदि अमल में लाया जाता है तो यह अवैधानिक होगा । किसी भांति केवल सशक्त किए गए अधिकारी या सम्यक् रूप से प्राधिकृत ऐसे अधिकारी जैसा कि धारा 41(2) 42(1) में प्रगणित है, मजिस्ट्रेट को ही सशक्त किया गया है स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के उपबंधों के अधीन कार्य कर सकता है । यदि ऐसे अधिकारी के अलावा और किसी और व्यक्ति द्वारा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन ऐसी गिरफ्तारी या तलाशी की जाती है तो ऐसा कार्य अवैध होगा ।

(2ख) धारा 41(2) के अधीन केवल सशक्त अधिकारी

अपने अधीनस्थ अधिकारी को इस कार्य के लिए प्राधिकृत कर सकता है कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या तलाशी को कार्यान्वित कर सके जैसा कि उसमें उल्लिखित है । यदि किसी बात का उल्लंघन हुआ है तो उससे अभियोजन पक्षकथन पर प्रभाव पड़ेगा और दोषसिद्धि दूषित हो जाएगी ।

(2ग) धारा 42(1) के अधीन सशक्त अधिकारी यदि उसके पास किसी व्यक्ति द्वारा दी गई पूर्व सूचना है तब ऐसा सशक्त अधिकारी को अपरिहार्य रूप से उस बात को लिखना चाहिए । परंतु यदि उसके पास वैयक्तिक जानकारी के आधार पर विश्वास करने का कारण है कि अध्याय iv के अधीन अपराध किया गया है या ऐसी सामग्री जिससे ऐसे अपराध के कारित होने का साक्ष्य दिया जा सकता है और उसे किसी भवन आदि में छुपा दिया गया है । सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच बिना किसी वारंट के गिरफ्तारी या तलाशी कर सकता है और यह उपबंध आज्ञापक नहीं है कि उसे विश्वास का अपना कारण अभिलेख पर लाना चाहिए । परंतु धारा 42 (1) के परंतुक के अधीन यदि ऐसा अधिकारी सूर्यास्त या सूर्योदय के बीच ऐसी तलाशी लेता है तब उसे अपने विश्वास के आधारों को अभिलिखित करना चाहिए ।

यह उपबंध उस सीमा तक आज्ञापक है तो उनका उल्लंघन होने पर अभियोजन पक्षकथन प्रभावी होगा तो विचारण दूषित हो जाएगा ।

(3) धारा 42(2) ऐसा सशक्त अधिकारी जो धारा 42(1) परंतुक के अधीन किसी सूचना को देता है, आधारों को अभिलिखित करता है तब अपने तत्काल ज्येष्ठ और उसकी प्रति शीघ्रताशीघ्र भेजेगा । यदि इस उपबंध का संपूर्ण रूप से अननुपालन इस तथ्य से प्रभावी होगा उस सीमा तक यह आज्ञापक है । परंतु यदि कोई विलंब हुआ कि क्या ऐसा असम्यक् हुआ था या क्या उसका स्पष्टीकरण दिया गया था या नहीं प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न होगा ।

(4क) यदि कोई पुलिस अधिकारी, यद्यपि वह सशक्त अधिकारी के रूप में है जब दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अधीन विशुद्ध रूप से अपराधों का सामान्य अन्वेषण के दौरान

गिरफ्तारी या तलाशी हुई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100, 165 का कठोरता से अनुपालन करने में विफल हुआ है जिसमें कारणों को अभिलिखित करना यदि सम्मिलित है, ऐसे विफल होने पर केवल अनियमितताओं की कोटि में आएगा ।

(4ख) यदि अधिनियम के अधीन धारा 41 (2) के अंतर्गत कोई सशक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों अर्थात् दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 100 और 165 के अधीन कार्य करेगा यदि दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों का कठोरता से अनुपालन नहीं करता है तब ऐसी तलाशी अवैध नहीं होगी और इससे विचारण दूषित नहीं होगा ऐसे विफल होने का प्रभाव न्यायालयों के विवेक में लाया जाना चाहिए जबकि प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाता है ।

(5) पूर्व सूचना पर सशक्त अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी धारा 41(2) 42 के अधीन कार्यवाही करते हुए किसी ऐसे व्यक्ति तलाशी लिए जाने से पूर्व धारा 50 के उपबंधों का अनुपालन करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को सूचना दी जानी चाहिए कि यदि वह ऐसा उचित समझता है तो उसे किसी राजपत्रित अधिकारी या किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा जैसा कि इसके अध्यधीन उपबंध किया गया है । ऐसे अधिकारी के लिए यह बाध्यकारी है कि तलाशी लिए जाने हेतु व्यक्ति को सूचित करें । तलाशी लिए जाने में ऐसे व्यक्ति को सूचना देने में विफल होने पर और यदि ऐसे व्यक्ति के लिए यह अपेक्षित है जिस पर उसे किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाने में विफल हो जाता है तब धारा 50 के अनुपालन की कोटि में आएगा जो आज्ञापक है और इस प्रकार जिससे अभियोजन पक्षकथन पर प्रभाव पड़ेगा और इससे विचारण दूषित हो जाएगा । ऐसी सूचना दिए जाने के पश्चात् की क्या ऐसे व्यक्ति को ऐसी प्रक्रिया के लिए अंगीकार किया गया है, यह तथ्य का प्रश्न होगा ।"

14. जहां तक अभिगृहीत गांजे के नमूने लेने का संबंध है तो उसे केंद्रीय सरकार के स्थायी आदेश 1989 में अभिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाना अपेक्षित था जिसमें स्थायी आदेश के पैरा 2.2 में गांजा के

अभिग्रहण के समय पर अभियुक्त और साक्षियों की मौजूदगी में अभिगृहीत स्वापक पदार्थ से नमूना तैयार करना आज्ञापक है जिसका परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> "2.2 सभी पैकेटों/डिब्बों पर क्रमानुसार संख्याएं डाली जाएंगी और अधिकांश मात्रा में नमूने के लिए उन्हें रखा जाएगा अभिगृहीत स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ से बरामदगी के समय पर घटनास्थल से नमूने लिए जाएंगे जिसमें तलाशी साक्षी(पंच) की मौजूदगी होगी और ऐसा व्यक्ति जिसके कब्जे से ओषधि की बरामदगी की जाएगी, इस प्रभाव का उल्लेख घटनास्थल पर तैयार पंचनामा में किया जाएगा ।" (हमने उक्त बातों पर बल दिया है ।)

15. तथापि, **भारत संघ** बनाम **मोहन लाल और अन्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि उक्त रीति में नमूने लेना जिसका कई प्रवर्तन अभिकरणों द्वारा कई बार अनुसरण नहीं किया जा रहा है, अभिग्रहण के स्थान पर नमूने तैयार करने का कोई अभ्यास नहीं किया गया है और उन्हें स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क के उपबंधों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए । वर्तमान मामले में यह भी स्वीकार किया गया है कि नमूने अभिग्रहण के स्थान पर तैयार नहीं किए गए थे बल्कि जिसने भी नमूने तैयार किए थे, उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है । नमूनों के अभिग्रहण के समय पर पालन की गई प्रक्रिया के अनुसार अभिगृहीत गांजा के 40 पैकेटों में से प्रत्येक से गांजे को एकत्रित किया जाना अपेक्षित था जैसा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क के अधीन प्रक्रिया में विहित किया गया है । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> 52क. अभिगृहीत स्वापक ओषधियों ओर मनःप्रभावी पदार्थों का व्ययन -(1) केन्द्रीय सरकार, किन्हीं स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की परिसंकटमय प्रकृति, चोरी की उनकी भेद्यता प्रतिस्थापन उचित भण्डार के स्थान की कमी या किन्हीं अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या ऐसी स्वापक ओषधियों के वर्ग या मनःप्रभावी पदार्थों के वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिनका व्ययन, उनके अभिग्रहण के पश्चात् यथाशीघ्र ऐसे अधिकारी द्वारा इसमें इसके

---

[1] (2016) 3 एस. सी. सी. 379.

पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने के पश्चात् ऐसी रीति से किया जाएगा जो वह सरकार, समय-समय पर, अवधारित करे ।

2. जहां कोई स्वापक ओषधि या मनः प्रभावी पदार्थ अभिगृहीत कर लिया गया है और निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी या धारा 53 के अधीन सशक्त किसी अधिकारी को भेज दिया गया है, वहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी ऐसी स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों की एक तालिका तैयार करेगा जिसमें उनके वर्णन, क्वालिटी, परिमाण, पैक करने के ढंग, चिह्नांकन, संख्यांक या ऐसी स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों या पैकिंग की, जिनमें वे पैक किए गए हैं, पहचान कराने वाली अन्य विशिष्टियां, उद्भव का देश और अन्य विशिष्टियों से संबंधित ऐसे अन्य ब्यौरे दिए गए हों, जिन्हें उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में ऐसी स्वापक ओषधियों या मनः प्रभावी पदार्थों को पहचान के लिए सुसंगत समझे और किसी मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित प्रयोजन के लिए आवेदन करेगा, अर्थात् –

(क) ऐसे तैयार की गई तालिका का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या

(ख) ऐसे मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ऐसी ओषधियों या पदार्थों के फोटोचित्र लेने और ऐसे फोटोचित्रों का सही होना प्रमाणित करने के लिए; या

(ग) ऐसे मजिस्ट्रेटों की उपस्थिति में ऐसी ओषधियों या पदार्थों के प्रतिनिधि नमूने लिए जाने की अनुज्ञा देने के लिए और ऐसे लिए गए नमूनों की किसी सूची का सही होना प्रमाणित करने के लिए ।

3. जहां उपधारा (2) के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां ऐसा मजिस्ट्रेट यथाशीघ्र ऐसा आवेदन मंजूर करेगा ।

(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करने वाला प्रत्येक न्यायालय, उपधारा (2) के अधीन तैयार की गई और मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित तालिका, स्वापक ओषधियों या मनःप्रभावी पदार्थों के फोटो-चित्रों और नमूनों की सूची को, ऐसे अपराध के

संबंध में, प्राथमिक साक्ष्य मानेगा ।

16. अन्वेषक अधिकारी ने यह कथन किया है कि 25 ग्राम का नमूना तैयार किया गया था परंतु किस प्रकार इसे तैयार किया गया था, इस बारे में कथन नहीं किया गया था । तथापि, या न्यायालयिक प्रयोगशाला, कोलकाता में भेजे गए 25 ग्राम नमूने के भार के बारे में अत्यधिक विचलन है । न्यायालयिक प्रयोगशाला, कोलकाता के रिपोर्ट में जिसकी मात्रा 110 ग्राम दिखाई गई है जबकि न्यायालयिक प्रयोगशाला पटना पर भेजे गए नमूनों में कोई भार या मोहर की संख्या और अन्य ब्यौरे नहीं दिए गए हैं जिससे अभियोजन पक्षकथन अति संदेह पूर्ण बन जाता है । ऐसी कोई प्रक्रिया जिसे स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क द्वारा किया गया है जो समान सूची को तैयार करने के बारे में, अभिगृहीत गांजा के वर्णित ब्यौरों के बारे में और मजिस्ट्रेट के समक्ष नमूने लेने की प्रक्रिया का इस मामले में अनुसरण नहीं किया गया है । जिससे संपूर्ण विचारण दूषित हो जाता है ।

17. जहां तक अभिगृहीत 4 क्विंटल गांजा को भंडारण में रखने का संबंध है, अन्वेषक अधिकारी जिसने उसी दिन लगभग 11.15 बजे पूर्वाह्न अन्वेषण का प्रभार लिया था, ने यह कथन किया है कि उसने पुलिस थाने के मालखाने में अभिगृहीत गांजा को रखने के बारे में केस डायरी में उल्लेख नहीं किया है और पुलिस थाना मालखाने में उक्त जमा की गई सामग्री की रसीद प्राप्त नहीं की गई है । पुलिस थाना मालखाना रजिस्टर में 4 क्विंटल अभिगृहीत गांजा को सुरक्षित अभिरक्षा में रखना दर्शित नहीं किया है अभिगृहीत 4 क्विंटल गांजा को विशेष न्यायालय के समक्ष कभी भी पेश नहीं किया गया था या किसी मजिस्ट्रेट द्वारा उसकी समान सूची तैयार की गई थी या उसे आलमगंज पुलिस थाना पटना के मालखाने में जमा किया गया था जैसा कि स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 52क के अधीन अपेक्षित है और उसे विचारण में प्रारंभिक साक्ष्य के रूप में माना जाएगा ।

18. अभिगृहीत 400 किलोग्राम गांजा को नष्ट करने का कोई प्रमाणपत्र नहीं है जो स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के अधीन आज्ञापक अध्यपेक्षा है । अभियोजन पक्षकथन में कहीं भी ऐसा नहीं है जैसा कि कहा गया है कि 4 क्विंटल गांजा कहां रखा गया था । अभिगृहीत गांजा के सुरक्षित अभिरक्षा के बारे में स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 55 का अनुपालन नहीं किया गया

है । स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम की धारा 55 का परिशीलन करने पर इस प्रकार है :–

> "55. **अभिगृहीत और परिदत्त वस्तुओं का पुलिस द्वारा अपने भारसाधन में लेना** - किसी पुलिस थाने का कोई भारसाधक अधिकारी ऐसी सभी वस्तुओं का, जो उस पुलिस थाने के स्थानीय क्षेत्र के भीतर इस अधिनियम के अधीन अभिगृहीत की जाए और जो उसे परिदत्त की जाए, मजिस्ट्रेट के आदेशों के लम्बित रहने के दौरान, अपने भारसाधन में लेगा और उन्हें सुरक्षित अभिरक्षा में रखेगा तथा किसी ऐसे अधिकारी को जो ऐसी सभी वस्तुओं के साथ पुलिस थाने तक जाए या जो उस प्रयोजन के लिए तैनात किया जाए, ऐसी वस्तुओं पर अपनी मुद्रा लगाने के लिए या उनके या उनमें से नमूना लेने के लिए अनुज्ञात करेगा तथा इस प्रकार लिए गए सभी नमूने भी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की मुद्रा से मुद्रांकित किए जाएंगे ।"

19. वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते समय इस न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियुक्त अपीलार्थियों के लिए दोषसिद्धि और दंडादेश तथा जुर्माने का आदेश तथ्य या विधि की दृष्टि से कायम योग्य नहीं है और अन्वेषण त्रुटि युक्त है तथा स्वापक ओषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम के आज्ञापक उपबंधों का अनुपालन नहीं किया गया है । अभियुक्त-अपीलार्थियों द्वारा फाइल की गई दोनों अपीलें मंजूर की जातीं हैं तथा दोषसिद्धि का निर्णय और आदेश और दंड और जुर्माने का आदेश अपास्त किया जाता है । अपीलार्थियों को यदि वे किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें तत्काल मुक्त किए जाने का निदेश किया जाता है ।

20. न्यायमूर्ति डा. रवि रंजन से मैं सहमत हूं ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

राज किशन शाह

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 11 नवंबर, 2017

न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) – धारा 3(1)(v) – अत्याचार – अभियुक्तों द्वारा इत्तिलाकर्ता को बलपूर्वक भूमि से बेदखल किया जाना – अभियुक्तों द्वारा यह दबाव दिया जाना कि विवादित भूमि हथवा राज द्वारा बन्दोबस्त के समय पर उसके पक्ष में आबंटित की गई थी – यदि अभियुक्तों द्वारा प्रश्नगत भूमि पर अपने विधिपूर्ण अधिकार, हक और कब्जे को साबित करने के लिए अभिलेख पर दस्तावेज पेश किए गए हैं और इत्तिलाकर्ता की अभिकथित बेदखली और उसे भूमि जोतने से रोकने के बारे में इत्तिलाकर्ता के पक्ष में हक के सबूत को पेश नहीं किया गया है तो अभियुक्त दोषमुक्त होने के हकदार हैं ।

अभियोजन पक्षकथन जैसा कि फर्द बयान में कथित है, इस प्रकार है कि तारीख 22 जुलाई, 1999 को स्वामी नाथ राम (इत्तिलाकर्ता) अपने भूखंड सं. 6 जी. वाई और सी. एस. वाई. के साथ जोतने के लिए गया था । यह अभिकथित है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे भूमि जोतने से रोका । तारीख 23 जुलाई, 1993 को स्वामी नाथ राम भूखंड सं. 51 पर उसे जोतने के लिए गया परन्तु अभियुक्त व्यक्तियों ने भूमि जोतने के लिए उसे इजाजत नहीं दी और वे हल, कुदाल और धान के बीज जिसकी कीमत 500/- रुपए थी, अपने साथ ले गए और उन्होंने उस पर हमला करने का प्रयास किया । फर्द बयान में यह भी कथन किया गया है कि स्वामी नाथ राम भूखंड सं. 6, 7 और 51 जिनका क्षेत्रफल 6 डेसीमल, 20 डेसीमल और 18 डेसीमल था, उसके कब्जे में थे । भूखंड सं. 7 उसकी घर की भूमि थी जो उसे भूदान यज्ञ समिति से प्राप्त हुई थी । उसने हथवा राज से भूखंड सं. 6 और 51 प्राप्त किया था तथा उन भूमि का हथवा राज को किराए का संदाय किया था । यह भी अभिकथन किया गया है कि राज किशन शाह और रामदयाल शाह ने भी भूखंड सं. 6 और 61 की भूमि दी थी परन्तु वे उन भूखंडों के सम्पूर्ण क्षेत्र को हथियाना चाहते थे और स्वामी

नाथ राम द्वारा जुताई करने पर उसमें बाधा डालने का काम किया जिसने इस संबंध में पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज की थी जहां से अंचल अमीन को उसकी भूमि का सीमांकन करने के लिए तैनात किया गया था । उसके पश्चात् भी अभियुक्त व्यक्तियों ने स्वामी नाथ राम को अपनी भूमि जोतने के लिए इजाजत नहीं दी क्योंकि वे शक्तिशाली व्यक्ति थे और वे उस भूमि से उसे बेदखल करना चाहते थे । पुलिस ने अन्वेषण करने के पश्चात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(iv)(v) तथा दंड संहिता की धारा 379 के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की समीक्षा करने के पश्चात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(iv)(v) के अधीन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके एक वर्ष का कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया । अपीलार्थियों द्वारा अपनी दोषसिद्धि के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – वर्तमान मामले में इत्तिलाकर्ता का अभिकथन यह है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया, इत्तिलाकर्ता को बेदखल करने का अभिकथन और उसे बाधा पहुंचाना तथ्य का गंभीर विवादित प्रश्न है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने स्वतः ने हथवा राज द्वारा उनके पक्ष में किए गए बंदोबस्त के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अभियुक्त व्यक्तियों के दावे का उल्लेख किया है । निचले न्यायालय के समक्ष प्रदर्श ए., बी. और सी. दस्तावेज रखे गए जिनसे पर्याप्त रूप से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थियों का विधिपूर्वक दावा सही था और प्रश्नगत भूमि पर उनका सही हक और कब्जा था और इस प्रकार, उस भूमि से इत्तिलाकर्ता की बेदखली का अभिकथन और प्रश्नगत भूमि पर जोतने से उन्हें बाधा पहुंचाना, हक के सबूत के अभाव में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करना न्यायसंगत नहीं था । इसमें यह नहीं कहा जाता कि यदि अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि में अधिकार, हक और कब्जा था जैसा कि प्रदर्श ए., बी. और सी. के द्वारा उपदर्शित है तब बेदखली का अभिकथन और उस भूमि को जोतने से बाधा डालने के गुणागुण पर विचार नहीं किया जाता है और ऐसा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता ।

तद्नुसार, न्यायालय का यह मत है कि विचारण न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(iv)(v)के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों को

दोषसिद्ध करके गलती की है और इस प्रकार, मैं 1993 के मामला सं. 132 पुलिस थाना उचका गांव में विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए तारीख 23 सितंबर, 2002 और तारीख 24 सितंबर, 2002 के दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश को अपास्त किया जाता है । (पैरा 12 और 13)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2002 की दांडिक अपील (एस. जे.) सं. 619.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 अधीन अपील ।

अपीलार्थियों की ओर से	सुश्री रश्मि भारती
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री विनोद बिहारी सिंह, सहायक लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय – यह वर्तमान अपील पुलिस थाना उचका गांव मामला सं. 132/1993 में तारीख 23 सितंबर, 2002 को पारित दोषसिद्धि के निर्णय और तारीख 24 सितंबर, 2002 को पारित दंडादेश के आदेश से उद्भूत हुई है जिसके द्वारा विद्वान् प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश, गोपालगंज ने अपीलार्थियों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(iv)(v) के अधीन अपराध से दोषसिद्ध किया ।

2. अभियोजन पक्षकथन जैसा कि फर्द बयान में कथित है, इस प्रकार है कि तारीख 22 जुलाई, 1999 को स्वामी नाथ राम (इत्तिलाकर्ता) अपने भूखंड सं. 6 जी. वाई और सी. एस. वाई. के साथ जोतने के लिए गया था । यह अभिकथित है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे भूमि जोतने से रोका । तारीख 23 जुलाई, 1993 को स्वामी नाथ राम भूखंड सं. 51 पर उसे जोतने के लिए गया परन्तु अभियुक्त व्यक्तियों ने भूमि जोतने के लिए उसे इजाजत नहीं दी और वे हल, कुदाल और धान के बीज जिसकी कीमत 500/- रुपए थी, अपने साथ ले गए और उन्होंने उस पर हमला करने का प्रयास किया । फर्द बयान में यह भी कथन किया गया है कि स्वामी नाथ राम भूखंड़ सं. 6, 7 और 51 जिनका क्षेत्रफल 6 डेसीमल, 20 डेसीमल और 18 डेसीमल था, उसके कब्जे में थे । भूखंड सं. 7 उसकी घर की भूमि थी जो उसे भू-दान यज्ञ समिति से प्राप्त हुई थी । उसने हथवा राज से भूखंड सं. 6 और 51 प्राप्त किया था तथा उन भूमि का हथवा राज को किराए का संदाय किया था । यह भी अभिकथन किया गया है कि राज किशन शाह और रामदयाल शाह ने भी भूखंड सं. 6 और 61

की भूमि दी थी परन्तु वे उन भूखंडों के सम्पूर्ण क्षेत्र को हथियाना चाहते थे और स्वामी नाथ राम द्वारा जुताई करने पर उसमें बाधा डालने का काम किया जिसने इस संबंध में पुलिस थाने पर शिकायत दर्ज की थी जहां से अंचल अमीन को उसकी भूमि का सीमांकन करने के लिए तैनात किया गया था । उसके पश्चात् भी अभियुक्त व्यक्तियों ने स्वामी नाथ राम को अपनी भूमि जोतने के लिए इजाजत नहीं दी क्योंकि वे शक्तिशाली व्यक्ति थे और वे उस भूमि से उसे बेदखल करना चाहते थे ।

3. पुलिस ने अन्वेषण करने के पश्चात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(iv)(v) तथा दंड संहिता की धारा 379 के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

4. विद्वान् विचारण न्यायालय ने साक्ष्य की समीक्षा करने के पश्चात् अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(iv)(v) के अधीन अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके एक वर्ष का कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया ।

5. अपीलार्थी की ओर से न्यायमित्र के रूप में हाजिर होकर विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने भूमि को जोतने के बारे में इत्तिलाकर्ता को अभिकथित रूप से रोकने के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करने में गंभीर भूल की है ।

6. अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि वस्तुतः इत्तिलाकर्ता की पूर्व पत्नी ने अपीलार्थी के विरुद्ध चोरी और हमले का मामला फाइल किया था और उस मामले में उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया था । वास्तव में, प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी की भूमि है और चालाकी से दबाव बनाकर उस भूमि को हड़पा गया, अपीलार्थियों के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज किया गया था ।

7. अपीलार्थियों के काउंसेल ने यह निवेदन किया कि अपीलार्थियों को इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है और विद्वान् विचारण न्यायालय ने वर्तमान भूमि विवाद वाले मामले में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके गंभीर गलती की है जो इत्तिलाकर्ता की पत्नी द्वारा पहले फाइल किए गए मामले की निरन्तरता के संबंध में था और इन अपीलार्थियों को पूर्व मामले में दोषमुक्त कर दिया गया था । उसने यह निवेदन किया कि धारा 3(iv)(v) के अधीन कोई मामला अपीलार्थियों के विरुद्ध नहीं बनता है ।

8. विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि इस मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है तथा विचारण न्यायालय ने यह भी निष्कर्ष निकाला है कि अपीलार्थियों ने हथवा राज के बन्दोबस्त के आधार पर अपने पक्ष में उक्त भूमि का दावा किया है और उन्होंने 1989 का मामला सं. 326 के निर्णय की प्रति फाइल की है । रजिस्टर 2 की प्रति और मामला सं. 814 में उपखण्ड मजिस्ट्रेट का आदेश तथा किराए की रसीदों से यह उपदर्शित होता है कि अपीलार्थियों का जमीन पर अधिकार और हक है और इसलिए जमीन पर भी उनका कब्जा है और इस प्रकार उस भूमि से इत्तिलाकर्ता की बेदखली का कथन प्रत्यक्षतः गलत है और विचारण न्यायालय ने इत्तिलाकर्ता को भूमि से अभिकथित बेदखल किए जाने के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके गलती की है । अपीलार्थियों के काउंसेल ने यह निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि साक्षियों का इस मामले में कोई हित नहीं है यदि उन्हें उस भूमि का कब्जा वापस मिल जाता है । इस प्रकार, तथ्यों की सम्पूर्ण स्थिति को देखते हुए वर्तमान मामले में अपीलार्थियों की दोषसिद्ध विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल है ।

9. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले काउंसेल ने यह निवेदन किया कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके कोई गलती नहीं की है जिन्होंने इत्तिलाकर्ता को बेदखल किया जो अनुसूचित जाति प्रवर्ग से संबंधित है और इस प्रकार, विचारण न्यायालय के निर्णय में कोई खामी नहीं है ।

10. मैंने अभिलेख पर प्रकट सामग्री की परीक्षा की और पक्षकारों के निवेदनों को सुना तथा अभिलेख की सामग्री पर भी विचार किया । वर्तमान मामले में अपीलार्थियों के विरुद्ध लगाए गए आरोप जिनके अधीन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(iv)(v) के अधीन अपराध बनता है ।

11. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(iv)(v) के उपबंधों के निर्देश में यह अभिकथित है जो निम्न प्रकार है :–

> "(iv) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के स्वामित्वाधीन या उसे आबंटित या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे आबंटित किए जाने के लिए अधिसूचित किसी भूमि को सदोष अधिभोग में लेगा या उस पर खेती करेगा या आबंटित भूमि को अन्तरित करा लेगा ।

(v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को उसकी भूमि या परिसर से सदोष बेकब्जा करेगा या किसी भूमि, परिसर या जल पर उसके अधिकारों के उपभोग में हस्तक्षेप करेगा ।"

12. वर्तमान मामले में इत्तिलाकर्ता का अभिकथन यह है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने उसे प्रश्नगत भूमि से बेदखल किया, इत्तिलाकर्ता को बेदखल करने का अभिकथन और उसे बाधा पहुंचाना तथ्य का गंभीर विवादित प्रश्न है इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने स्वतः हथवा राज द्वारा उनके पक्ष में किए गए बंदोबस्त के आधार पर प्रश्नगत भूमि पर अभियुक्त व्यक्तियों के दावे का उल्लेख किया है । निचले न्यायालय के समक्ष प्रदर्श ए., बी. और सी. दस्तावेज रखे गए जिनसे पर्याप्त रूप से यह दर्शित होता है कि अपीलार्थियों का विधिपूर्वक दावा सही था और प्रश्नगत भूमि पर उनका सही हक और कब्जा था और इस प्रकार, उस भूमि से इत्तिलाकर्ता की बेदखली का अभिकथन और प्रश्नगत भूमि पर जोतने से उन्हें बाधा पहुंचाना, हक के सबूत के अभाव में अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करना न्यायसंगत नहीं था । इसमें यह नहीं कहा जाता कि यदि अपीलार्थी का प्रश्नगत भूमि में अधिकार, हक और कब्जा था जैसा कि प्रदर्श ए., बी. और सी. के द्वारा उपदर्शित है तब बेदखली का अभिकथन और उस भूमि को जोतने से बाधा डालने के गुणागुण पर विचार नहीं किया जाता है और ऐसा अपीलार्थियों की दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकता ।

13. तद्नुसार, मेरा यह मत है कि विचारण न्यायालय ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(iv)(v)के अधीन अपराध के लिए अपीलार्थियों को दोषसिद्ध करके गलती की है और इस प्रकार, मैं 1993 के मामला सं. 132 पुलिस थाना उचका गांव में विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए तारीख 23 सितंबर, 2002 और तारीख 24 सितंबर, 2002 के दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश को अपास्त करता हूं ।

14. अपील मंजूर की जाती है ।

15. चूंकि अपीलार्थी जमानत पर हैं इसलिए उन्हें जमानत बंधपत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

मोहम्मद अकबर अली

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 22 नवंबर, 2017

न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 482 – कार्यवाहियों को अभिखंडित किया जाना – पक्षकारों के बीच समझौता – पत्नी की ओर से अभियुक्त पति द्वारा दहेज मांग के संबंध में इसके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाहियां प्रारंभ किया जाना – प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में किए गए अभिकथनों से पति के विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला गठित होना – यदि पक्षकारों के बीच विवाह-विच्छेद हुआ है तो भी दांडिक कार्यवाहियों के चलने में कोई वर्जन नहीं है ।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 482 – आपराधिक कार्यवाहियों का प्रारंभ हो जाना – जहां आपराधिक अभियोजन प्रारंभ हो जाता है और पत्नी के अपने अभिकथनों में लचीलापन नहीं आ जाता वहां पर आपराधिक कार्यवाहियों का प्रारंभ होना और पक्षकारों के बीच विवाह-विच्छेद, दोनों बातें भिन्नता रखते हैं उनका प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता है अतः पति के विरुद्ध कार्यवाहियों को अभिखंडित नहीं किया जा सकता ।

मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विरोधी पक्षकार सं. 2 ने मामले में यह अभिकथन करने के साथ-साथ आवेदकों के विरुद्ध तारीख 13 अप्रैल, 2011 को परिवाद मामला सं. 442 (ग)/2011 फाइल किया था कि उसका विवाह आवेदक सं. 1 के साथ तारीख 18 अक्तूबर, 2010 को हुआ था और विरोधी पक्षकार सं. 2 के माता-पिता ने उपहार स्वरूप वस्तुएं, कपड़े, फर्नीचर, टी.वी., वाशिंग मशीन, बर्तन, फ्रिज और आभूषण करीब-करीब पांच लाख मूल्य के आवेदक सं. 1 और उसके नातेदारों को दिया था । उपहारों के अलावा हजारों रुपए आवेदक सं. 1 को नकद रूप में दिया गया था । विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि पति-पत्नी के बीच लगभग एक मास तक वैवाहिक संबंध मधुर थे परन्तु इसके पश्चात् आवेदक सं. 1 की प्रथम पत्नी अर्थात् वर्तमान मामले में आवेदक

सं. 2 पिक्चर में आई और जिस वजह से आवेदक सं. 1 का व्यवहार तत्काल बदल गया और आवेदकों ने उसे गाली देना, पीटना तथा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया । विवाह के समय आवेदक सं. 1 और उसके कुटुंब के सदस्यों और विरोधी पक्षकार सं. 2 के माता-पिता कुटुंब के सदस्यों पर काफी प्रभाव डाला था कि आवेदक सं. 1 और आवेदक सं. 2 के पहले विवाह-विच्छेद हुआ था और उनके बीच आपस में कुछ भी संबंध नहीं रहा था । तथापि, आवेदक सं. 2 आवेदक सं. 1 के घर पर विवाह अनुष्ठापित होने के पश्चात् पहुंची इससे यह दर्शित होता है कि आवेदक सं. 1 और आवेदक सं. 2 के बीच विवाह-विच्छेद नहीं हुआ था और उसके कुटुंब के सदस्यों ने मिथ्या रूप से यह कथन किया था कि उन दोनों के बीच विवाह-विच्छेद हो गया था । विरोधी पक्षकार सं. 2 ने अपने कुटुंब के सदस्यों की प्रतिष्ठा पर विचार करते हुए निरन्तर आवेदकों द्वारा बरती गई क्रूरता को सहन किया । तत्पश्चात्, आवेदक सं. 1 ने दहेज के रूप में ए. सी. कार और पांच लाख रुपयों की मांग की और उसके द्वारा इनकार करने पर उसकी हत्या करने की भी कोशिश की गई । यह भी अभिकथन किया गया है कि आवेदक उसको खाना नहीं दिया करते थे । अन्ततोगत्वा तारीख 7 अप्रैल, 2011 को आवेदकों ने विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा पहने गए गहने छीन लिए और उसे गाली दी और उस पर हमला किया तथा धमकी देकर घर से लात मारकर बाहर कर दिया कि यदि वह ए. सी. कार और पांच लाख रुपए नहीं लायी तो उसे रेलवे ट्रैक पर फेंककर उसकी हत्या कर दी जाएगी । विरोधी पक्षकार सं. 2 के बारे में यह कहा गया है कि वह अपने माता-पिता के मकान पर पहुंची और अपने माता-पिता और गांव वालों को आवेदकों द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना के बारे में बताया । तारीख 13 अप्रैल, 2011 के पूर्वोक्त परिवाद के आधार पर परिवादी का कथन कि परिवादी की ओर से तीन साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य का परिशीलन करके और जांच के दौरान उनके परीक्षा करके उसकी पुष्टि की गई, विद्वान् उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरसा ने यह निष्कर्ष निकाला कि दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 और डायन एक्ट की धारा 3/4 के अधीन मामले में मौजूद आवेदकों के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है और तारीख 22 सितंबर, 2011 को आदेश पारित करके मामले में प्रकट आवेदकों के विरुद्ध समन जारी किए । तारीख 22 सितंबर, 2011 के पूर्वोक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान आवेदन के माध्यम से चुनौती दी गई है । उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया तथा मेरे द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि परिवाद आवेदन में किए गए अभिकथन यद्यपि उनके महत्व को विचार में लिया जाना चाहिए तथा उनकी सम्पूर्ण बातों को स्वीकार करके निश्चित तौर पर मामले में मौजूद आवेदकों के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला गठित होता है तथा संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का भी मामला बनता है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि यदि उपाबंध 5 की किसी उपयोगिता पर विचार किया जाए तब वर्तमान परिवाद मामले में किए गए अभिकथनों पर अपराध बना रहने का वर्जन नहीं किया जाता । यह घिसी-पिटी विधि है कि पति और पत्नी के बीच विवाह-विच्छेद हो जाने पर आपराधिक अभियोजन की परिस्थितियों को दूर नहीं किया जा सकता यदि एक बार आपराधिक अभियोजन गति में आ जाता है और स्वीकृतः आवेदकों का मामला ऐसा नहीं है कि विरोधी पक्षकार सं. 2 के अपने परिवाद आवेदन में किए गए अभिकथन में लचीलापन प्रकट होता है । दोनों कार्रवाइयां अर्थात् आपराधिक अभियोजन और विवाह-विच्छेद का तथ्य (यद्यपि यह बात अत्यधिक प्रामाणिक प्रतीत नहीं होती है और इसका गुणागुण के आधार पर परख की जानी चाहिए) दो भिन्न स्थितियां प्रकट होती हैं और वे दोनों एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि विवाह-विच्छेद पति और पत्नी के बीच हुआ है तो आपराधिक अभियोजन निरन्तर नहीं रह सकता । (पैरा 8)

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि मामले को बनाने के लिए प्रथम दृष्ट्या अभिलेख पर व्यापक सामग्री प्रकट है जिससे कि आवेदकों के विरुद्ध और परिवादी द्वारा किए गए अभिकथन से निश्चित तौर पर संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है, इसलिए, मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय द्वारा अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है । (पैरा 10)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[1992]	(1992) सप्ली (1) एस. सी. सी. 335 : = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604 ; **हरियाणा राज्य** बनाम **भजन लाल ।**	10

प्रकीर्ण (दांडिक) अधिकारिता : 2014 की दांडिक प्रकीर्ण सं. 22390.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 के अधीन आवेदन ।

आवेदकों की ओर से	श्री सैय्यद मसलेहउद्दीन अशरफ
प्रत्यर्थी की ओर से	श्री एस. एन. शुक्ला, सहायक लोक अभियोजक

न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह – वर्तमान मामला काफी समय से चल रहा है और इस मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता केन्द्र को भी भेजा गया था, तथापि, मध्यस्थता केन्द्र पक्षकारों के बीच मामले को सौहार्दपूर्ण रूप से तय करने में भी विफल रहा ।

2. आवेदकों और विरोधी पक्षकार सं. 2 के विद्वान् काउंसेलों को मामले को तय करने के लिए पुनः अवसर दिया गया था तथापि, इसमें आवेदकों के दुराग्रही व्यवहार के कारण किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका, इसलिए इस न्यायालय के पास मामले पर गुणागुण पर विचार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था ।

3. मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विरोधी पक्षकार सं. 2 ने मामले में यह अभिकथन करने के साथ-साथ आवेदकों के विरुद्ध तारीख 13 अप्रैल, 2011 को परिवाद मामला सं. 442 (ग)/2011 फाइल किया था कि उसका विवाह आवेदक सं. 1 के साथ तारीख 18 अक्तूबर, 2010 को हुआ था और विरोधी पक्षकार सं. 2 के माता-पिता ने उपहार स्वरूप वस्तुएं, कपड़े, फर्नीचर, टी.वी., वाशिंग मशीन, बर्तन, फ्रिज और आभूषण करीब-करीब पांच लाख मूल्य के आवेदक सं. 1 और उसके नातेदारों को दिया था । उपहारों के अलावा हजारों रुपए आवेदक सं. 1 को नकद रूप में दिया गया था । विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि पति-पत्नी के बीच लगभग एक मास तक वैवाहिक संबंध मधुर थे परन्तु इसके पश्चात् आवेदक सं. 1 की प्रथम पत्नी अर्थात् वर्तमान मामले में आवेदक सं. 2 पिक्चर में आई और जिस वजह से आवेदक सं. 1 का व्यवहार तत्काल बदल गया और आवेदकों ने उसे गाली देना, पीटना तथा मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया गया । विवाह के समय आवेदक सं. 1 और उसके कुटुंब के सदस्यों और विरोधी पक्षकार सं. 2 के माता-पिता कुटुंब के सदस्यों पर काफी प्रभाव डाला था कि आवेदक सं. 1 और आवेदक सं. 2 के पहले विवाह-विच्छेद हुआ था और उनके बीच आपस में

कुछ भी संबंध नहीं रहा था । तथापि, आवेदक सं. 2 आवेदक सं. 1 के घर पर विवाह अनुष्ठापित होने के पश्चात् पहुंची इससे यह दर्शित होता है कि आवेदक सं. 1 और आवेदक सं. 2 के बीच विवाह-विच्छेद नहीं हुआ था और उसके कुटुंब के सदस्यों ने मिथ्या रूप से यह कथन किया था कि उन दोनों के बीच विवाह-विच्छेद हो गया था । विरोधी पक्षकार सं. 2 ने अपने कुटुंब के सदस्यों की प्रतिष्ठा पर विचार करते हुए निरन्तर आवेदकों द्वारा बरती गई क्रूरता को सहन किया । तत्पश्चात्, आवेदक सं. 1 ने दहेज के रूप में ए. सी. कार और पांच लाख रुपयों की मांग की और उसके द्वारा इनकार करने पर उसकी हत्या करने की भी कोशिश की गई । यह भी अभिकथन किया गया है कि आवेदक उसको खाना नहीं दिया करते थे । अन्ततोगत्वा तारीख 7 अप्रैल, 2011 को आवेदकों ने विरोधी पक्षकार सं. 2 द्वारा पहने गए गहने छीन लिए और उसे गाली दी और उस पर हमला किया तथा धमकी देकर घर से लात मारकर बाहर कर दिया कि यदि वह ए. सी. कार और पांच लाख रुपए नहीं लायी तो उसे रेलवे ट्रैक पर फेंककर उसकी हत्या कर दी जाएगी । विरोधी पक्षकार सं. 2 के बारे में यह कहा गया है कि वह अपने माता-पिता के मकान पर पहुंची और अपने माता-पिता और गांव वालों को आवेदकों द्वारा की जाने वाली प्रताड़ना के बारे में बताया ।

4. तारीख 13 अप्रैल, 2011 के पूर्वोक्त परिवाद के आधार पर परिवादी का कथन कि परिवादी की ओर से तीन साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य का परिशीलन करके और जांच के दौरान उनकी परीक्षा करके उसकी पुष्टि की गई, विद्वान् उपखण्ड न्यायिक मजिस्ट्रेट, सरसा ने यह निष्कर्ष निकाला कि दंड संहिता की धारा 498क और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4 और डायन एक्ट की धारा 3/4 के अधीन मामले में मौजूद आवेदकों के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है और तारीख 22 सितंबर, 2011 को आदेश पारित करके मामले में प्रकट आवेदकों के विरुद्ध समन जारी किए ।

5. तारीख 22 सितंबर, 2011 के पूर्वोक्त आदेश को इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान आवेदन के माध्यम से चुनौती दी गई है ।

6. आवेदकों के विद्वान् काउंसेल ने यह निवेदन किया कि विरोधी पक्षकार सं. 2 और आवेदक सं. 1 के बीच पहले ही विवाह-विच्छेद हो गया था और इसमें आवेदक ने मेहर की राशि का भी पुनः संदाय किया जैसा कि आवेदन के उपाबंध 5 से प्रकट होता है जिसमें तारीख 2 जून, 2012 पड़ी हुई है, इसलिए, तारीख 13 अप्रैल, 2011 का पूर्वोक्त का

परिवाद मामला दुर्भावपूर्ण है और विचार के लिए अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता ।

7. इसके विपरीत, विरोधी पक्षकार सं. 2 के विद्वान् काउंसेल ने वर्तमान आवेदन का पुरजोर विरोध किया है और यह निवेदन किया है कि परिवाद आवेदन का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर निश्चित तौर पर इसमें मौजूद आवेदकों के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला बनता है इस प्रकार लंबित परिवाद मामला बिल्कुल ठीक है इसे अभिखंडित नहीं किया जाना चाहिए ।

8. मैंने पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और अभिलेखों का परिशीलन किया तथा मेरे द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि परिवाद आवेदन में किए गए अभिकथन यद्यपि उनके महत्व को विचार में लिया जाना चाहिए तथा उनकी सम्पूर्ण बातों को स्वीकार करके निश्चित तौर पर मामले में मौजूद आवेदकों के विरुद्ध प्रथम दृष्ट्या मामला गठित होता है तथा संज्ञेय अपराध कारित किए जाने का भी मामला बनता है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि यदि उपाबंध 5 की किसी उपयोगिता पर विचार किया जाए तब वर्तमान परिवाद मामले में किए गए अभिकथनों पर अपराध बना रहने का वर्जन नहीं किया जाता । यह घिसी-पिटी विधि है कि पति और पत्नी के बीच विवाह-विच्छेद हो जाने पर आपराधिक अभियोजन की परिस्थितियों को दूर नहीं किया जा सकता यदि एक बार आपराधिक अभियोजन गति में आ जाता है और स्वीकृतः आवेदकों का मामला ऐसा नहीं है कि विरोधी पक्षकार सं. 2 के अपने परिवाद आवेदन में किए गए अभिकथन में लचीलापन प्रकट होता है । दोनों कार्रवाइयां अर्थात् आपराधिक अभियोजन और विवाह-विच्छेद का तथ्य (यद्यपि यह बात अत्यधिक प्रमाणिक प्रतीत नहीं होती है और इसका गुणागुण के आधार पर परख की जानी चाहिए) दो भिन्न स्थितियां प्रकट होती हैं और वे दोनों एक दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं डालेंगे । इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि यदि विवाह-विच्छेद पति और पत्नी के बीच हुआ है तो आपराधिक अभियोजन निरन्तर नहीं रह सकता ।

9. अन्त में, कम से कम मैं शीघ्रता से इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि इस न्यायालय का पर्याप्त समय आवेदकों द्वारा मामले में विलंब करके बर्बाद किया है और कुछ अवसरों पर स्थगनों की ईप्सा की गई और जिस पर न्यायालय को यह आश्वासन दिया गया कि वे मामले में समझौता करेंगे परन्तु इस उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सका ।

आवेदकों की ओर से इस प्रकार का कदाचार से मामले का अवमूल्यन हुआ है, इसलिए, न्यायालय का समय बर्बाद करने के लिए उन पर खर्चा अधिरोपित किया जाना आवश्यक है ।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निष्कर्ष निकाला कि मामले को बनाने के लिए प्रथम दृष्ट्या अभिलेख पर व्यापक सामग्री प्रकट है जिससे कि आवेदकों के विरुद्ध और परिवादी द्वारा किए गए अभिकथन से निश्चित तौर पर संज्ञेय अपराध कारित किया जाना प्रकट होता है, इसलिए, मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अधीन इस न्यायालय द्वारा अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, खासतौर पर **हरियाणा राज्य** बनाम **भजन लाल**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित विधि को ध्यान में रखा गया ।

11. यह आवेदन पटना उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, पटना को 25,000/- रुपए संदाय किए जाने पर खर्चों सहित खारिज किया जाता है ।

आवेदन खारिज किया गया ।

आर्य

---

[1] (1992) सप्ली. (1) एस. सी. सी. 335 = ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604.

लाल यादव

बनाम

बिहार राज्य

तारीख 19 दिसंबर, 2017

न्यायमूर्ति राकेश कुमार और न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 155] – हत्या – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त का मृतक पर धन-विवाद को लेकर गोली चलाना – साक्ष्य में विरोधाभास – रक्तरंजित कपड़ों को न्यायालयिक प्रयोगशाला न भेजना – अन्वेषण में खामी – साक्षियों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है और मृतक के रक्तरंजित वस्त्रों से साक्षियों के वस्त्र भी रक्तरंजित हो गए थे जिन्हें न्यायालयिक प्रयोगशाला नहीं भेजा गया, अतः अन्वेषण की इस खामी के तहत अपीलार्थियों की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

दंड सहिता, 1860 – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य और शवपरीक्षण रिपोर्ट में विरोधाभास – किसी भी स्वतंत्र साक्षी द्वारा सारभूत साक्ष्य न दिया जाना और हेतु का साबित न होना – प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की संपुष्टि शवपरीक्षण के आधार पर चिकित्सक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से नहीं होती है और अभियोजन पक्षकथन सत्य प्रतीत नहीं होता है, साथ ही हेतु साबित नहीं किया गया है, अतः अपीलार्थियों की दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – हत्या – अपीलार्थियों द्वारा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को मृतक की हत्या के समय जीवित छोड़ देना – अपीलार्थियों का अस्वाभाविक कृत्य – घटनास्थल पर समुचित प्रकाश की कमी – अपराध में प्रयोग किए गए आयुधों की संख्या में असंगतता – घटनास्थल का साबित न होना – इत्तिलाकर्ता का सामना अपीलार्थियों से होने पर अपीलार्थियों ने उसे धमकी दी कि वह घटनास्थल से भाग जाए वरना उसकी भी हत्या कर दी जाएगी, अपीलार्थियों का यह कृत्य अस्वाभाविक है और घटनास्थल पर समुचित प्रकाश न होने के कारण किसी भी साक्षी ने अपीलार्थियों को घटनास्थल से भागते हुए नहीं देखा, साथ ही अन्वेषण अधिकारी द्वारा

घटनास्थल से कोई भी सामग्री बरामद नहीं की गई है, ऐसी स्थिति में घटनास्थल साबित नहीं माना जा सकता और अपीलार्थियों की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती ।

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि इत्तिलाकर्ता अर्थात् राजेश कुमार के फर्द बयान जिसे तारीख 2 मार्च, 2010 को लगभग 11.30 बजे अपराह्न में सदर अस्पताल, माधेपुरा, सिंहेश्वर में पुलिस उप निरीक्षक सी. डी. राजक द्वारा अभिलिखित किया गया था, के आधार पर दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन उपरोक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध दर्ज कराया गया था । इत्तिलाकर्ता अर्थात् राजेश कुमार का पक्षकथन यह है कि तारीख 2 मार्च, 2010 को लगभग 4 बजे अपराह्न में वह अपने भाई प्रमोद कुमार यादव के साथ घरेलू सामान और दवाइयां खरीदने सिंहेश्वर गया था । लगभग 8 बजे अपराह्न में जब इत्तिलाकर्ता और उसका भाई घरेलू सामान और दवाइयां खरीदने तथा मेला देखने के पश्चात् अपने घर अपनी साइकिल से वापस आ रहे थे और जब वे सिंहेश्वर दुर्गा स्थान (महावीर चौक) के निकट पहुंचे तब उनकी मुलाकात अशोक यादव (2002 की दांडिक अपील सं. 1035 में का अपीलार्थी), बीरेन्द्र यादव (2012 की दांडिक अपील सं. 988 में का अपीलार्थी) तथा लाल यादव (2012 की दांडिक अपील सं. 973 में का अपीलार्थी) से हुई जो दो मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए थे । इसके पश्चात् अपीलार्थी अशोक यादव ने उक्त दोनों भाइयों को महावीर चौक पर रोका और इत्तिलाकर्ता के भाई प्रमोद कुमार से कहा कि वह पैसा लेना चाहता है या नहीं और उसने उससे यह भी कहा कि वह उसे उसके घर मोटरसाइकिल से ले जाएगा और उसे पैसा दे देगा और इसके पश्चात् वह उसे उसके घर छोड़ देगा । इसके पश्चात् मृतक प्रमोद यादव अपना धन जिसकी कुल रकम 1,50,000/- रुपए थी, लेने के आशय से अपीलार्थी अशोक यादव की मोटरसाइकिल पर बैठ गया और इसके पश्चात् चारों व्यक्ति वहां से चले गए । इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति पान वाले की दुकान पर पान खाने लगे और इत्तिलाकर्ता अपनी साइकिल से आगे की ओर चला गया । जब इत्तिलाकर्ता डोमासी चौक पर पहुंचा और वहां पर पान खा रहा था तब तीनों अपीलार्थी और उसका भाई वहां पहुंचे । इत्तिलाकर्ता के पान खाने और लघु शंका से निवृत्त होने के पश्चात् अचानक अपीलार्थी अशोक यादव और लाल यादव ने उसके भाई प्रमोद यादव को दबोच लिया और अपीलार्थी बीरेन्द्र यादव ने अपनी पीठ से देसी पिस्तौल निकाल कर मृतक पर गोली चलाई और इत्तिलाकर्ता को यह चेतावनी दी कि यदि वह आगे

बढ़ा तो उसे भी गोली मार दी जाएगी । इत्तिलाकर्ता ने यह भी कथन किया है कि तीनों अपीलार्थियों का आपराधिक इतिहास है । इत्तिलाकर्ता के अनुसार इन व्यक्तियों ने मृतक से 1,50,000/- रुपया हड़पने के आशय से उधार लिया था और उन्होंने इत्तिलाकर्ता के भाई को धोखे से अपने साथ लाकर हत्या और क्षति पहुंचाने के आशय से उस स्थान पर गोली चलाई जो डोमा चौक के दक्षिण में 200 गज की दूरी पर है और इस घटना के पश्चात् उक्त तीनों अपीलार्थी अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गए । इसके पश्चात्, इत्तिलाकर्ता ने अपने परिवार के सदस्यों को घर पर सूचना दी और पुलिस थाना सिंहेश्वर को भी सूचित किया और इसके पश्चात् निकट के क्षेत्र से ग्रामवासी वहां पहुंच गए । तत्पश्चात्, पुलिस भी वहां पहुंच गई और मृतक को जीप की सहायता से मधेपुरा सदर अस्पताल ले गई जहां पर उपचार के दौरान लगभग 11.30 बजे अपराह्न में इत्तिलाकर्ता के भाई अर्थात् प्रमोद कुमार यादव की मृत्यु हो गई । इत्तिलाकर्ता राजेश के उक्त फर्द बयान के आधार पर तारीख 3 मार्च, 2010 को एक बजे पूर्वाह्न में दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन तीनों अपीलार्थियों के विरुद्ध औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई । पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया और मामले को सत्य पाते हुए उपरोक्त तीनों अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन तारीख 30 मई, 2010 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया । पुलिस द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् मामला तारीख 3 जुलाई, 2010 को सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और तारीख 3 अगस्त, 2010 को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए तथा तारीख 13 दिसंबर, 2010 को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपीलार्थी बीरेन्द्र यादव के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया । विचारण के दौरान सभी अपीलार्थियों को हत्या का दोषी पाया गया । विचारण न्यायालय के इस आदेश से व्यथित होकर तीनों अपीलार्थियों ने उच्च न्यायालय के समक्ष अलग-अलग तीन अपीलें फाइल कीं । उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के निर्णय को अपास्त किया और अपीलें मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि साक्षियों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है और साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । इत्तिलाकर्ता, जिसकी परीक्षा अभि. सा. 6 के रूप में कराई गई है, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने

यह देखा था कि अपीलार्थी अशोक यादव और लाल यादव ने मृतक प्रमोद यादव को पकड़ा था और अपीलार्थी बीरेन्द्र यादव ने मृतक प्रमोद यादव पर अपनी कमर से .303 बोर वाले आयुध से गोली चलाई, तथापि, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बताया है कि जब वह पहली पुलिया पर था तब उसने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी थी और जब वह साइकिल के साथ पैदल चलते हुए आगे की ओर गया और अपनी साइकिल पर सवार होने ही वाला था तब उसने गोली चलने की आवाज सुनी और इसके पश्चात् उसने अपने भाई के चिल्लाने की आवाज सुनी और यह देखा कि उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और जब वह अपने भाई के निकट पहुंचा उसने देखा कि उसका भाई नीचे पड़ा हुआ है और दर्द से तड़फ रहा था । यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 6 ने विरोधाभासी वृत्तांत दिया है और घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य जैसा प्रतीत नहीं होता है । इसी प्रकार, इत्तिलाकर्ता राजेश कुमार यादव अर्थात् अभि. सा. 6 और इत्तिलाकर्ता के भाई संजय कुमार (अभि. सा. 2) ने यह कहा है कि मृतक प्रमोद खून से लथपथ था और जब उन्होंने उसे उठाया और उसे संभाला तब उनके कपड़े भी रक्तरंजित हो गए थे, तथापि, न तो मृतक के रक्तरंजित कपड़े और न ही साक्षियों के रक्तरंजित कपड़े अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किए गए और न ही न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया सम्पूर्ण पक्षकथन मृतक की पत्नी बबीता देवी (अभि. सा. 4) के साक्ष्य से अविश्वसनीय हो जाता है जिसने यह कथन किया है कि मोबाइल फोन पर काल प्राप्त करने के पश्चात् उसका पति घर 11 बजे पूर्वाह्न में घर से रवाना हुआ था और उस समय इत्तिलाकर्ता राजेश (जो कि मृतक प्रमोद का भाई है), उसका श्वसुर और तीन सालियां घर में मौजूद थीं । अभि. सा. 4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 44 में यह कथन किया है कि घटना के संबंध में सूचना प्राप्त करने के पश्चात् उसके पति के सभी भाई और उसका श्वसुर शीघ्र ही घटनास्थल पर गए । अभि. सा. 4 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अभिकथित घटना के समय इत्तिलाकर्ता अपने घर पर था और वह इस घटना की सूचना प्राप्त करने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा था, तथापि, इत्तिलाकर्ता ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह तारीख 2 मार्च, 2010 को 4 बजे अपराह्न में घरेलू सामान और दवाइयां खरीदने के लिए मृतक प्रमोद के साथ सिंहेश्वर गया था और लगभग 8 बजे अपराह्न में वे अपने घर वापस आ रहे थे जिसके पश्चात् यह घटना घटित हुई । इत्तिलाकर्ता के कथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास है और इसीलिए उसका

साक्ष्य सत्य प्रतीत नहीं होता है । (पैरा 20)

इसके अतिरिक्त, मृतक प्रमोद को पहुंची क्षतियों के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की संपुष्टि शवपरीक्षण के आधार पर चिकित्सक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से नहीं होती है, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया पक्षकथन सत्य प्रतीत नहीं होता है । यद्यपि, साक्षियों ने यह कथन किया है कि 30-35 या उससे अधिक व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद थे, तथापि, अभि. सा. 1 के अतिरिक्त अभियोजन पक्षकथन को प्रबलित करने वाले साक्षियों में से किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने कोई भी सारभूत अभिसाक्ष्य नहीं दिया है । इस अपराध का हेतु भी सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि सभी साक्षियों ने यह कथन किया है कि मृतक प्रमोद का इस मामले में के तीनों अपीलार्थियों से कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था । (पैरा 21)

इस मामले का एक अन्य पहलू यह है कि इत्तिलाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया वृत्तांत इस प्रभाव से संभावी नहीं है कि जब उसका सामना इस मामले में के अपीलार्थियों से हुआ, तब अपीलार्थियों ने इत्तिलाकर्ता को यह धमकी दी थी कि यदि वह वहां से नहीं गया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, इस प्रकार, यह अस्वाभाविक है कि कोई भी अभियुक्त ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए जीवित कैसे छोड़ देगा जिसके समक्ष उसने आहत की हत्या की है । अभि. सा. 1 से लेकर अभि. सा. 5 तक सभी साक्षियों का साक्ष्य असंगत है और उनमें से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और वास्तव में यह भी प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने उपर्युक्त तीनों अपीलार्थियों को भागते हुए देखा था क्योंकि न तो कोई लाइट जल रही थी और न ही कोई टार्च अभिगृहीत की गई थी जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता और साक्षियों का यह दावा सिद्ध किया जाता कि उन्होंने अपीलार्थियों को भागते हुए देखा था । इसके अतिरिक्त, उक्त साक्षी का साक्ष्य अभियुक्तों द्वारा लाए हुए अग्न्यायुधों की संख्या को लेकर असंगत है और उनके साक्ष्य में इस मुद्दे से संबंधित विरोधाभास है । अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल को साबित करने में असफल रहा है क्योंकि घटनास्थल पर अभिकथित घटना को लेकर कोई भी चिह्न नहीं पाया गया है न ही घटनास्थल से कोई भी सामग्री अभिगृहीत की गई है और कोई भी कारतूस या रक्तरंजित मिट्टी भी अन्वेषण अधिकारी द्वारा कब्जे में नहीं ली गई है और अन्वेषण अधिकारी द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य घटनास्थल से बरामद किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभिकथित घटना

घटित हुई है । इस प्रकार, घटनास्थल सिद्ध नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, मृतक को अस्पताल ले जाने के ढंग और रीति को लेकर भी विरोधाभास है । मृतक के अस्पताल में भर्ती किए जाने के समय पर जिस चिकित्सक द्वारा उपचार किया गया था, उसकी भी परीक्षा नहीं कराई गई है, इसलिए, मृतक द्वारा पुलिस उपाधीक्षक को दिए गए कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता । एक अन्य विरोधाभास यह है कि इत्तिलाकर्ता के अनुसार उसने अपने परिवार के सदस्यों तथा पुलिस को तत्काल घटना की सूचना दे दी थी और पुलिस वहां पहुंच गई थी किन्तु अन्वेषण अधिकारी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब वह गश्त कर रहा था तब उसे यह सूचना मिली कि दोमाशी चौक पर कोई घटना घटित हुई है और इसके पश्चात् वह सत्यापन के लिए घटनास्थल पर पहुंचा । विभिन्न साक्षियों के साक्ष्य में घटना के समय को लेकर भिन्नता है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया पक्षकथन संभावी प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यदि अभियुक्तों ने मृतक की हत्या करने की योजना बनाई होती तब इसका कोई कारण नहीं है कि पहले वे मृतक को इत्तिलाकर्ता से दूर लेकर जाते और इसके पश्चात् वे वापस बाजार में आते और इसके पश्चात् उसके भाई की मौजूदगी में उसकी हत्या करते । अभियुक्त बड़ी आसानी से अपनी मोटरसाइकिल से दूर ले जाने के पश्चात् मृतक की हत्या सुनसान स्थान पर कर सकते थे । वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस उपाधीक्षक को इस घटना को लेकर संदेह था, इसलिए, उन्होंने अपने सर्वेक्षण टिप्पण में उस मोबाइल फोन के काल-रिकार्ड का सत्यापन कराने का निदेश दिया जिसके द्वारा इत्तिलाकर्ता ने पुलिस थाने में सूचना दी थी और अपीलार्थी अशोक के चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी । इसके अतिरिक्त, अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 10) के साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित साक्षियों के कथनों और उनके द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान दिए गए कथनों के बीच विरोधाभास है । अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित नहीं किया है और इस प्रकार तीनों दांडिक अपीलों के अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं । तद्नुसार, सेशन विचारण मामले सं. 95/2010 में पारित किया गया तारीख 30 अगस्त, 2012 का दोषसिद्धि का निर्णय और तारीख 13 सितंबर, 2012 का दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है । दांडिक अपील सं. 973/2012

का अपीलार्थी अर्थात् लाल यादव और दांडिक अपील सं. 1035/2012 के अपीलार्थी को तारीख 13 अगस्त, 2014 के आदेश द्वारा जमानत मंजूर की गई थी, तथापि, दांडिक अपील सं. 988/2012 का अपीलार्थी अर्थात् बीरेन्द्र यादव अभिरक्षा में है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त तीनों अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया गया है, दोनों अपीलार्थी अर्थात् लाल यादव और अशोक यादव जो पहले से ही जमानत पर हैं, एतद्द्वारा जमानत बंधपत्र से उन्मोचित किए जाते हैं और अपीलार्थी बीरेन्द्र यादव जो जेल में है एतद्द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल छोड़ा जाए । (पैरा 22 और 23)

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 973.

2010 के सेशन विचारण मामला सं. 95 में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, तदर्थ III, मधेपुरा द्वारा तारीख 30 अगस्त, 2012 और 13 सितंबर, 2012 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से	सर्वश्री शेखर कुमार सिंह, पी. के. झा, आर. एस. मोहन, विश्वनाथ प्रसाद सिंह (ज्येष्ठ अधिवक्ता), भुवनेश्वर प्रसाद, विक्रम देव सिंह और अमर नाथ झा
प्रत्यर्थी की ओर से	सर्वश्री अजय मिश्रा और शिवेश चन्द्र मिश्रा (अपर लोक अभियोजक)

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति मोहित कुमार शाह ने दिया ।

न्या. शाह – वर्तमान अपीलें पुलिस थाना सिंहेश्वर में दर्ज किए गए 2010 के मामला सं. 14 से उद्भूत 2010 के सेशन विचारण मामला सं. 95 में अपर जिला और सेशन न्यायाधीश, तदर्थ III, मधेपुरा द्वारा तारीख 30 अगस्त, 2012 और 13 सितंबर, 2012 को पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय के विरुद्ध दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 389(1) के साथ पठित धारा 374 (2) के अधीन फाइल की गई हैं ।

2. चूंकि तीनों अपीलें 2010 के सेशन विचारण मामला सं. 95 तथा तारीख 30 अगस्त, 2012 और 13 सितंबर, 2012 के क्रमशः दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय से उद्भूत हैं, इसलिए इनकी एक साथ

सुनवाई की जा रही है और एक ही निर्णय द्वारा इनका निपटारा किया जाएगा ।

3. खंड न्यायपीठ के समक्ष लंबित 2012 की दांडिक अपील सं. 988 के अपीलार्थी अर्थात् बीरेन्द्र यादव को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में दंड संहिता कहा गया है) की धारा 302 और आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 27 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आजीवन कारावास और 10,000/- रुपए के जुर्माने से जिसका व्यतिक्रम किए जाने पर अतिरिक्त छह मास के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है । अपीलार्थी को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन तीन वर्ष का कठोर कारावास भोगने के लिए भी दंडादिष्ट किया गया है । अन्य दो अपीलार्थी अर्थात् 2012 की अपील सं. 973 के अपीलार्थी लाल यादव और 2012 की दांडिक अपील सं. 1035 के अपीलार्थी अशोक यादव को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी अभिनिर्धारित किया गया है और उन्हें आजीवन कारावास तथा 10,000/- रुपए के जुर्माने से जिसके संदाय में व्यतिक्रम किए जाने पर तीन मास के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

4. मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि इत्तिलाकर्ता अर्थात् राजेश कुमार के फर्द बयान जिसे तारीख 2 मार्च, 2010 को लगभग 11.30 बजे अपराह्न में सदर अस्पताल, माधेपुरा, सिंहेश्वर में पुलिस उप निरीक्षक सी. डी. राजक द्वारा अभिलिखित किया गया था, के आधार पर दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन उपरोक्त अपीलार्थियों के विरुद्ध दर्ज कराया गया था । इत्तिलाकर्ता अर्थात् राजेश कुमार का पक्षकथन यह है कि तारीख 2 मार्च, 2010 को लगभग 4 बजे अपराह्न में वह अपने भाई प्रमोद कुमार यादव के साथ घरेलू सामान और दवाइयां खरीदने सिंहेश्वर गया था । लगभग 8 बजे अपराह्न में जब इत्तिलाकर्ता और उसका भाई घरेलू सामान और दवाइयां खरीदने तथा मेला देखने के पश्चात् अपने घर पर अपनी साइकिल से वापस आ रहे थे और जब वे सिंहेश्वर दुर्गा स्थान (महावीर चौक) के निकट पहुंचे तब उनकी मुलाकात अशोक यादव (2002 की दांडिक अपील सं. 1035 में का अपीलार्थी), बीरेन्द्र यादव (2012 की दांडिक अपील सं. 988 में का अपीलार्थी) तथा लाल यादव (2012 की दांडिक अपील सं. 973 में का अपीलार्थी) से हुई जो दो मोटरसाइकिलों पर बैठे हुए थे । इसके

पश्चात् अपीलार्थी अशोक यादव ने उक्त दोनों भाइयों को महावीर चौक पर रोका और इत्तिलाकर्ता के भाई प्रमोद कुमार से कहा कि वह पैसा लेना चाहता है या नहीं और उसने उससे यह भी कहा कि वह उसे उसके घर मोटरसाइकिल से ले जाएगा और उसे पैसा दे देगा और इसके पश्चात् वह उसे उसके घर छोड़ देगा । इसके पश्चात् मृतक प्रमोद यादव अपना धन जिसकी कुल रकम 1,50,000/- रुपए थी, लेने के आशय से अपीलार्थी अशोक यादव की मोटरसाइकिल पर बैठ गया और इसके पश्चात् चारों व्यक्ति वहां से चले गए । इसके पश्चात् उक्त व्यक्ति पान वाले की दुकान पर पान खाने लगे और इत्तिलाकर्ता अपनी साइकिल से आगे की ओर चला गया । जब इत्तिलाकर्ता डोमा चौक पर पहुंचा और वहां पर पान खा रहा था तब तीनों अपीलार्थी और उसका भाई वहां पहुंचे । इत्तिलाकर्ता के पान खाने और लघु शंका से निवृत्त होने के पश्चात् अचानक अपीलार्थी अशोक यादव और लाल यादव ने उसके भाई प्रमोद यादव को दबोच लिया और अपीलार्थी बीरेन्द्र यादव ने अपनी पीठ से देसी पिस्तौल निकाल कर मृतक पर गोली चलाई और इत्तिलाकर्ता को यह चेतावनी दी कि यदि वह आगे बढ़ा तो उसे भी गोली मार दी जाएगी । इत्तिलाकर्ता ने यह भी कथन किया है कि तीनों अपीलार्थियों का आपराधिक इतिहास है । इत्तिलाकर्ता के अनुसार इन व्यक्तियों ने मृतक से 1,50,000/- रुपए हड़पने के आशय से उधार लिया था और उन्होंने इत्तिलाकर्ता के भाई को धोखे से अपने साथ लाकर हत्या और क्षति पहुंचाने के आशय से उस स्थान पर गोली चलाई जो डोमा चौक के दक्षिण में 200 गज की दूरी पर है और इस घटना के पश्चात् उक्त तीनों अपीलार्थी अपनी मोटरसाइकिल से फरार हो गए । इसके पश्चात्, इत्तिलाकर्ता ने अपने परिवार के सदस्यों को घर पर सूचना दी और पुलिस थाना सिंहेश्वर को भी सूचित किया और इसके पश्चात् निकट के क्षेत्र से ग्रामवासी वहां पहुंच गए । तत्पश्चात्, पुलिस भी वहां पहुंच गई और मृतक को जीप की सहायता से मधेपुरा सदर अस्पताल ले गई जहां पर उपचार के दौरान लगभग 11.30 बजे अपराह्न में इत्तिलाकर्ता के भाई अर्थात् प्रमोद कुमार यादव की मृत्यु हो गई । इत्तिलाकर्ता राजेश के उक्त फर्द बयान के आधार पर तारीख 3 मार्च, 2010 को एक बजे पूर्वाह्न में दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन तीनों अपीलार्थियों के विरुद्ध औपचारिक प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

5. पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया और मामले को सत्य पाते हुए

उपरोक्त तीनों अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन तारीख 30 मई, 2010 को आरोप पत्र प्रस्तुत किया । पुलिस द्वारा तैयार किए गए दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने के पश्चात् मामला तारीख 3 जुलाई, 2010 को सेशन न्यायालय को सुपुर्द कर दिया गया और तारीख 3 अगस्त, 2010 को दंड संहिता की धारा 302/34 के अधीन अपीलार्थियों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए तथा तारीख 13 दिसंबर, 2010 को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपीलार्थी बीरेन्द्र यादव के विरुद्ध आरोप विरचित किया गया ।

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए दस साक्षी प्रस्तुत किए हैं जबकि प्रतिरक्षा पक्ष ने दो साक्षियों की परीक्षा कराई है ।

7. इस मामले का इत्तिलाकर्ता अभि. सा. 6 अर्थात् राजेश कुमार यादव है और वह मृतक का भाई भी है । अभि.सा. 2 का नाम संजय है जो इत्तिलाकर्ता तथा मृतक दोनों का भाई है और अभियोजन पक्ष द्वारा उसकी परीक्षा अनुश्रुत साक्षी के रूप में कराई गई है । इसी प्रकार, बबीता देवी (अभि. सा. 4) मृतक की पत्नी है जिसकी परीक्षा भी अनुश्रुत साक्षी के रूप में कराई गई है । रवीन्द्र कुमार यादव (अभि. सा. 5) मृतक का भाई है और यह भी अनुश्रुत साक्षी है । नंद कुमार (अभि. सा. 3) अभि. सा. 5 का जीजा है और अभि. सा. 1 चन्द्र दीप कुमार है । डा. विजय प्रसाद मोडक की परीक्षा अभि. सा. 7 के रूप में कराई गई है और इस साक्षी ने मृतक के शव का शवपरीक्षण किया है और शवपरीक्षण रिपोर्ट तैयार की है । अमरकांत चौबे (अभि. सा. 10) इस मामले का प्रथम अन्वेषण अधिकारी है और राजेश्वर सिंह (अभि. सा. 9) द्वितीय अन्वेषण अधिकारी है और इस साक्षी ने आरोप पत्र फाइल किया है और बिनोद प्रसाद यादव (अभि. सा. 8) पुलिस उपाधीक्षक है जिसने सर्वेक्षण रिपोर्ट फाइल की है । अमरेन्द्र कुमार यादव और सीताराम यादव की परीक्षा क्रमशः प्रतिरक्षा साक्षी 1 और प्रतिरक्षा साक्षी 2 के रूप में कराई गई है ।

8. विद्वान् ज्येष्ठ काउंसेल श्री विश्वनाथ प्रसाद सिंह, जो अपीलार्थी अशोक कुमार की ओर से न्यायालय में हाजिर हुए हैं, ने यह दलील दी है कि परिस्थितियों से दर्शित होता है कि अभियोजन साक्षी विश्वसनीय नहीं हैं और मृतक को अस्पताल ले जाने के तरीके को लेकर इन साक्षियों के साक्ष्य में विरोधाभास है । इसके अतिरिक्त, घटनास्थल पर कोई सामग्री

नहीं पाई गई है और कोई भी अभिग्रहण ज्ञापन तैयार नहीं किया गया है । जिस चिकित्सक ने मृतक की क्षतियों का मुआयना किया है, उसकी परीक्षा नहीं कराई गई है और इसलिए किसी प्रयोजनार्थ घटना का सही वर्णन नहीं किया गया है । यह भी दलील दी गई है कि मृतक की पत्नी बबीता देवी (अभि. सा. 4) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि इत्तिलाकर्ता राजेश कुमार यादव घर पर था और बबीता देवी के सभी भाईसुर घटना के बारे में सुनकर घटनास्थल पर चले गए थे, इसलिए इत्तिलाकर्ता इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं हो सकता और उसने मिथ्या अभिसाक्ष्य दिया है तथा यह स्पष्ट हो गया है कि इत्तिलाकर्ता द्वारा बताई गई कोई भी घटना घटित नहीं हुई है । विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि पुलिस के आने के संबंध में महत्वपूर्ण विरोधाभास है और अपराध का हेतु भी संभावी नहीं है । यह भी दलील दी गई है कि यदि अपीलार्थियों ने मृतक की हत्या करने की योजना बनाई होती तब मृतक को पान की दुकान पर लाने और हत्या करने के लिए मृतक का हाथ पकड़कर ले जाने की आवश्यकता न होती और वे मृतक की हत्या किसी सुनसान स्थान पर कर सकते थे । यह भी दलील दी गई है कि किसी भी स्वतंत्र साक्षी की परीक्षा नहीं कराई गई है यद्यपि 30-35 व्यक्ति घटनास्थल पर एकत्र हुए थे और जिन सभी साक्षियों की परीक्षा अभियोजन पक्ष द्वारा कराई गई है वे सिखाये-पढ़ाये तथा बनावटी साक्षी हैं । अन्त में, यह दलील दी गई है कि अन्वेषण अधिकारी को घटनास्थल पर अभिकथित घटना के संबंध में कोई भी चिह्न नहीं मिला है न ही घटनास्थल से रक्तरंजित कपड़े और न ही कारतूस बरामद किए गए हैं और इस संबंध में कोई भी अभिग्रहण सूची भी तैयार नहीं की गई है, इसलिए, घटनास्थल संदिग्ध हो जाता है । यह दलील दी गई है कि वर्तमान मामला स्पष्ट रूप से दोषमुक्त किए जाने का मामला है । अन्य दो अपीलार्थियों के विद्वान् काउंसेल ने उपरोक्त दलीलों को ही अपनाया है ।

9. राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् अपर लोक अभियोजक श्री अजय मिश्रा ने यह दलील दी है कि साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है न कि मात्रा, इसलिए जिन साक्षियों ने अभियोजन पक्ष की ओर से साक्ष्य दिया है उनका अवलंब लिया जाना चाहिए क्योंकि उनका साक्ष्य संगत है । यह भी दलील दी गई है कि इत्तिलाकर्ता के साक्ष्य को अभि. सा. 4 जो कि पर्दानशीं महिला है, के साक्ष्य के आधार पर अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता । मामले को इस प्रकार दृष्टिगत करते हुए इसमें कोई संदेह नहीं है

कि अपीलार्थियों के विरुद्ध किए गए अभिकथन सभी युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित किए गए हैं । अन्त में, यह दलील दी गई है कि इस मामले में अपीलार्थियों की दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य है ।

10. इस प्रक्रम पर, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर विचार करना सुसंगत होगा । राजेश कुमार यादव (अभि. सा. 6) जो कि इस मामले में इत्तिलाकर्ता है तथा मृतक का भाई है, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि यह घटना तारीख 2 मार्च, 2010 को लगभग 9 बजे अपराह्न में घटित हुई है जब वह दूसरी पुलिया के निकट था जो कि डोमा चौक से एक पुलिया आगे है और वह सिंहेश्वर से अपने घर वापस आ रहा था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि जब वह अपने भाई प्रमोद के साथ महावीर चौक पर पहुंचा था तब तीनों अपीलार्थी अपनी मोटरसाइकिल के साथ वहां खड़े हुए थे और अपीलार्थी अशोक यादव ने उसके भाई प्रमोद यादव को रोका और उससे मालूम किया कि क्या वह अपना धन वापस लेना चाहता है और उससे मोटरसाइकिल पर अपने साथ घर चलने को कहा कि वह उसे धन दे देगा जिसके पश्चात् वह मृतक को वापस भी छोड़ देगा । मृतक प्रमोद ने साइकिल अभि. सा. 6 को दे दी और इसके पश्चात् वह अपीलार्थियों की मोटरसाइकिल से पूरब की ओर चला गया । अशोक, लाल यादव और मृतक प्रमोद एक ही मोटरसाइकिल पर बैठ गए और अपीलार्थी बीरेन्द्र एक अन्य मोटरसाइकिल पर सवार हो गया । इत्तिलाकर्ता के अनुसार जब वह अपनी साइकिल से आगे की ओर गया तब उसने उक्त चारों व्यक्तियों को पान वाले की दुकान पर पान खाते हुए देखा जिसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता आगे बढ़ गया और डोमाशी चौक पर पहुंचने पर वह भी पान खाने लगा । अभि. सा. 6 के अनुसार वह लघु शंका के लिए गया और इसी दौरान उसने चारों व्यक्तियों को (तीन अपीलार्थी और एक मृतक) को देखा जो आगे की ओर चले गए थे और उस समय इत्तिलाकर्ता पहली पुलिया पर था जो डोमाशी चौक से आगे है । अभि. सा. 6 का यह कथन है कि जब वह अपनी साइकिल से चलने वाला था तब उसने देखा कि अपीलार्थी अशोक यादव और लाल यादव ने मोटरसाइकिल से उतरकर मृतक प्रमोद यादव को दबोच लिया है और अपीलार्थी बीरेन्द्र ने अपनी कमर में से पिस्तौल निकाली और मृतक प्रमोद यादव पर गोली चला दी । इसके पश्चात् प्रमोद यादव यह कहने लगा कि उसे कोई पैसा नहीं चाहिए और उसकी हत्या न की जाए किन्तु प्रमोद पर

गोली चलाई गई और वह क्षतिग्रस्त हो गया । इसके पश्चात् इत्तिलाकर्ता चीख-पुकार करने लगा जिस पर अपीलार्थी अशोक कुमार ने कहा कि उस पर भी गोली चलाई जाए । इसके पश्चात् तीनों अपीलार्थी उक्त दोनों मोटरसाइकिल से सिंहेश्वर की ओर भाग गए । इत्तिलाकर्ता द्वारा चीख-पुकार करने पर और गोली की आवाज सुनने के पश्चात् बहुत से लोग वहां आ गए । यह कहा गया है कि इत्तिलाकर्ता ने वहां मौजूद किसी व्यक्ति को अपने घर का मोबाइल नम्बर बताया और उस व्यक्ति ने परिवार के सदस्यों तथा पुलिस को सूचित किया । इसके पश्चात्, परिवार के सदस्य और पुलिस भी वहां पहुंच गई । पुलिस ने आहत प्रमोद को उठाकर जीप में रखवाया और इसके पश्चात् उसे मधेपुरा सदर अस्पताल ले जाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई । जब मृतक प्रमोद कुमार को अस्पताल ले जाया जा रहा था वह रास्ते में यह कह रहा था कि अपीलार्थियों ने धन के कारण उस पर गोली चलाई है । अभि. सा. 6 ने यह भी कथन किया है कि मृतक प्रमोद एक्सचेंज में काम किया करता था जो अपीलार्थी अशोक यादव के घर के निकट स्थित है और उस समय अपीलार्थी अशोक यादव ने प्रमोद से धन उधार लिया था । मृतक ने अपना कथन पुलिस उपाधीक्षक को दिया और उसे बताया कि तीनों अपीलार्थियों ने उस पर धन को लेकर गोली चलाई है जिसके परिणामस्वरूप वह आहत हुआ है । पुलिस उपाधीक्षक ने दरोगा को निदेश दिया कि वह कुछ पदधारियों को बुलाकर प्रमोद का कथन अभिलिखित कराए, तथापि, इसी दौरान प्रमोद की मृत्यु हो गई । अभि. सा. 6 ने फर्द बयान पर अपने हस्ताक्षर की शनाख्त की है जिसे प्रदर्श 1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । अभि. सा. 6 ने भी अपने चाचा छोटेलाल यादव की फर्द बयान पर किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त की है जिसे प्रदर्श 1/1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । पुलिस पदधारियों ने मृत्यु-समीक्षा रिपोर्ट तैयार की है जिस पर अभि. सा. 6 और उसके भाई संजय के हस्ताक्षर हैं और अभि. सा. 6 ने अपने तथा संजय के हस्ताक्षरों की शनाख्त की है और इन्हें प्रदर्श 2 और 2/1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । अभि. सा. 6 ने प्रोटेस्ट आवेदन पर किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त की है जिसे प्रदर्श 3 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । अभि.सा. 6 ने प्रोटेस्ट आवेदन पर किए गए श्री जवाहर के हस्ताक्षरों की शनाख्त की है जो अधिवक्ता हैं और प्रोटेस्ट आवेदन को प्रदर्श 3/1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । पैरा सं. 13 में अभि. सा. 6 ने यह स्पष्ट किया है कि फर्द ब्यान में तारीख 3

मार्च, 2010 के स्थान पर तारीख 2 फरवरी, 2010 लिखा गया है जो कि गलत है । अभि. सा. 6 की प्रतिपरीक्षा के पैरा 25 में यह कथन किया गया है कि वह और उसका भाई प्रमोद 4 बजे अपराह्न में दवाइयां और सब्जियां खरीदने के लिए घर से चले गए थे । अभि. सा. 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 28 में यह कथन किया है कि महावीर चौक पर लगभग 40-50 व्यक्ति थे । प्रतिपरीक्षा के पैरा 29 में अभि. सा. 6 ने यह कथन किया है कि इस तथ्य के बावजूद कि बहुत से लोग उसके पास से होकर गुजर रहे थे फिर भी महावीर चौक और डोमाशी चौक के बीच वह किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला था । अभि. सा. 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 30 में यह कथन किया है कि उसने डोमाशी चौक पर एक दुकान से पान लेकर खाया था, तथापि वह दुकानदार का नाम नहीं बता सकता, तथापि, उसे पान लेने में 10-15 मिनट लगे थे । अभि. सा. 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 31 में यह कथन किया है कि घटनास्थल दोमाशी चौक से लगभग 200 गज की दूरी पर है और प्रथम पुलिया वहां से 100 गज की दूरी पर है । अभि. सा. 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा में यह कथन किया है कि जब वह प्रथम पुलिया पर था तब उसने बन्दूक से गोली चलाई जाने की आवाज नहीं सुनी थी और जब वह प्रथम पुलिया से आगे की ओर साइकिल लेकर पैदल-पैदल चला और जैसे ही वह अपनी साइकिल पर सवार होने वाला था तभी उसने गोली चलने की आवाज सुनी । अभि. सा. 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 33 में यह कथन किया है कि उसके भाई के चिल्लाने की आवाज सुनने के पश्चात् उसने देखा कि गोली चलाकर उसके भाई की हत्या कर दी गई है जिसके पश्चात् उसने अपनी साइकिल सड़क के एक ओर खड़ी कर दी । अभि. सा. 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 35 में यह कथन किया है कि जब वह अपने भाई के निकट पहुंचा उसने देखा कि उसका भाई नीचे पड़ा हुआ है जिसका शरीर अकड़ा हुआ है और इसके पश्चात् उसने अपने भाई को पकड़ा और नीचे बैठ गया और पुलिस के आने तक वह घबराया हुआ था । पुलिस 15-20 मिनट के पश्चात् वहां आई और उसने और उसके परिवार के सदस्यों ने पुलिस की सहायता से अपने भाई को सहारा दिया और उसे बैठाने का प्रयास किया । अभि. सा. 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 38 में यह कथन किया है कि जब उसने अपने भाई को पकड़ा, तब उसके कपड़े भी रक्तरंजित हो गए थे । अभि. सा. 6 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 39 में यह कथन किया है कि जब उसके भाई को जीप में बिठाया गया तब उसके शरीर से रक्त बह रहा था और पुलिस

पदधारी अर्थात् चौबे जी ने मृतक का रक्त बहते हुए देखा था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 41 में यह कथन किया है कि वह प्रमोद को लेकर चन्द्रदीप, रतनदीप और रवीन्द्र के साथ जीप में बैठा था । जीप में 15 व्यक्ति मौजूद थे और प्रमोद को मधेपुरा अस्पताल में सीधे ही ले जाया गया क्योंकि उसकी दशा गंभीर थी और इसलिए वे उन्होंने सिंहेश्वर अस्पताल पर नहीं रुके । रास्ते में मोबाइल फोन से पुलिस उपाधीक्षक को सूचना दी गई । अभि. सा. 6 की प्रतिपरीक्षा के पैरा 44 में यह कथन किया गया है कि मधेपुरा अस्पताल पहुंचने के आधे घन्टे के पश्चात् उपचार के दौरान प्रमोद की मृत्यु हो गई । प्रतिपरीक्षा के पैरा 46 में इस जानकारी से इनकार किया है कि अशोक को अस्पताल में पकड़ लिया गया था या नहीं । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पैरा 47 में यह कथन किया गया है कि 3 बजे पूर्वाह्न में उसे यह पता चला कि अशोक को पकड़ लिया गया है । अभि. सा. 6 की प्रतिपरीक्षा के पैरा 72 में यह कथन किया गया है कि जब उसके भाई को जीप द्वारा अस्पताल ले जाया जा रहा था तब उसने देखा कि बन्दूक की गोली से मृतक के शरीर पर 3-4 क्षतियां कारित हुई हैं जिनसे रक्त निकल रहा है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पैरा 75 मे यह कथन किया गया है कि इस घटना के पूर्व उसका या उसके परिवार वालों का अपीलार्थी बीरेन्द्र और लाल यादव के साथ कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था । अभि. सा. 6 की प्रतिपरीक्षा के पैरा 76 में यह कथन किया गया है कि प्रमोद का भी बीरेन्द्र या लाल यादव के साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ था ।

11. अभि. सा. 2 संजय कुमार है जो इत्तिलाकर्ता और मृतक का भाई है और इस साक्षी ने अपनी परीक्षा में यह कथन किया गया है कि यह घटना तारीख 2 मार्च, 2010 को 9 बजे अपराह्न में घटित हुई थी और उस समय वह मधेपुरा से सिंहेश्वर की ओर वापस आ रहा था और लगभग 8 बजे अपराह्न में वह सिंहेश्वर पहुंचा था । सिंहेश्वर में उसने घरेलू सामान खरीदा और जब वह लगभग 8.30 बजे अपराह्न में घर की ओर जा रहा था और दोमाशी चौक से पहले कुछ दूरी पर था, तब उसने बंदूक की गोली चलने की आवाज सुनी और वह घबरा गया । जब अभि. सा. 2 आगे बढ़ा और दोमाशी चौक के निकट पहुंचा उसने देखा कि लोग यह कहते हुए चिल्ला रहे थे लाला पट्टी के प्रमोद को गोली मार दी है । इसके पश्चात् अभि. सा. 2 ने यह देखा कि तीनों अपीलार्थी अपनी मोटरसाइकिलों से सिंहेश्वर की ओर जा रहे थे और अपीलार्थी अशोक यादव यह कह रहा था कि अच्छा हुआ उसे मार दिया क्योंकि वह पैसा

चाहता था । इसके पश्चात् अभि. सा. 2 और आगे गया तथा गोमानी रोड पर स्थित ईंट के भट्टे और पुलिया के निकट पहुंचा जहां पर उसने देखा कि प्रमोद नीचे पड़ा हुआ है और राजेश उसे पकड़े हुए था और रो रहा था । चन्द्रदीप और अन्य व्यक्ति वहां मौजूद थे । प्रमोद उससे मदद मांग रहा था और यह कह रहा था कि उसने अशोक से कहा था कि उसे धन नहीं चाहिए किन्तु उसे (प्रमोद) छोड़ दे, तथापि, अशोक द्वारा उद्यापन किए जाने पर अपीलार्थी बीरेन्द्र ने प्रमोद पर गोली चलाई । इसी दौरान, अभि. सा. 2 के परिवार के सदस्य और ग्रामवासी वहां आ गए । इसके पश्चात्, प्रमोद को पुलिस के वाहन से मधेपुरा अस्पताल लाया गया जहां पर उसका उपचार किया गया और रास्ते में प्रमोद कह रहा था कि अशोक ने उस पर गोली चलाई है । अस्पताल में पुलिस और दरोगा भी पहुंच गए और उपाधीक्षक ने भी प्रमोद से पूछताछ की जिस पर प्रमोद ने उसे घटना के बारे में बताया । तथापि, उपचार के दौरान लगभग 11.30 बजे अपराह्न में प्रमोद की मृत्यु हो गई । अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 2 में यह कथन किया है कि वह वर्ष 2000 से दूरभाष विभाग में कार्य कर रहा है और वह अपने गांव से मधेपुरा स्थित अपने कार्यालय जाया करता था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 11 में यह कथन किया है कि घटना के दिन वह मधेपुरा गया था और उसने कार्य करने के लिए एक पर्ची प्राप्त की और उसने उस दिन भी कार्य करने के लिए एक पर्ची प्राप्त की । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 13 में यह कथन किया है कि वह अपने घर से कार्यालय के लिए 6-7-8 बजे पूर्वाह्न में चलता है और वह अपने कार्यालय से 7-8 बजे अपराह्न में वापस आता है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 17 में यह कथन किया है कि मधेपुरा और सिंहेश्वर के बीच रास्ते में किसी भी व्यक्ति से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी, तथापि, सिंहेश्वर पहुंचने पर वह कई व्यक्तियों से मिला किन्तु उसे उन व्यक्तियों के नाम याद नहीं है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 20 में यह कथन किया है कि उसने सिंहेश्वर और डोमाशी चौक के बीच रास्ते में कई व्यक्तियों को देखा था और उसने अपीलार्थियों को एक साथ भी देखा था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 21 में यह कथन किया है कि उसने प्रमोद को दोमाशी चौक के दक्षिण में 200 गज की दूरी पर क्षतिग्रस्त अवस्था में देखा था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 22 में यह कथन किया है कि उस रात रोशनी थी और डोमाशी में 3-4 दुकानें हैं । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 24 में यह कथन किया है कि उसने

तीनों अपीलार्थियों को दोमाशी चौक से उस सड़क की ओर तेजी से जाते हुए देखा था जो सिंहेश्वर की ओर जाती है और यह सड़क 50 मीटर की दूरी पर है । इस साक्षी (अभि. सा. 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 25 में यह कथन किया है कि जो व्यक्ति चिल्ला रहे थे उन्होंने अभियुक्तों का पीछा नहीं किया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 22 में यह कथन किया है कि उसने घटनास्थल पर 30-35 व्यक्ति देखे थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 24 में यह कथन किया है कि जब उसने अपने भाई को आकर संभाला, तब उसका भाई उसके कंधे पर झुक गया और उसके (अभि. सा. 2) कपड़े भी रक्तरंजित हो गए । रक्त जमीन पर भी गिर गया और लगभग दो हाथ की दूरी तक फैल गया । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 28 में यह कथन किया है कि जब वह अपने आहत भाई और अन्य व्यक्तियों के साथ जाते समय दोमाशी चौक से पहले 10 कदम की दूरी पर था, तब पुलिस से जीप से वहां पहुंची । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 29 में यह कथन किया है कि उन्होंने पुलिस को यह बताया था कि प्रमोद को गोली लगी है और उसे अस्पताल ले जाया जाए जिसके पश्चात् पुलिस प्रमोद को जीप से अस्पताल ले गई । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 31 में यह कथन किया है कि पुलिस घटनास्थल पर पहुंच गई थी और उसने रास्ते में राजेश और प्रमोद से पूछताछ की थी । तथापि, कुछ भी लिखित कार्य नहीं किया गया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 32 में यह कथन किया है कि आहत प्रमोद को सिंहेश्वर नहीं लाया गया था और उसे सीधे ही मधेपुरा अस्पताल ले जाया गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 34 में यह कथन किया है कि उसने अशोक यादव को मधेपुरा अस्पताल में देखा था और अशोक तथा लाल यादव अस्पताल में अपना उपचार नहीं करा रहे थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 35 में यह कथन किया है कि राजेश ने अशोक को अस्पताल में देखा था और उसकी मोटरसाइकिल अस्पताल के निकट खड़ी हुई थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 39 में यह कथन किया है कि उसने पुलिस को दिए गए अपने कथन में यह बताया था कि उसका भाई प्रमोद अशोक यादव के घर में टेलीफोन आपरेटर का काम करता है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 60 में यह कथन किया है कि उसने किसी भी व्यक्ति को प्रमोद पर गोली चलाते हुए नहीं देखा था । इस साक्षी (अभि. सा. 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 62 में यह कथन किया है कि उसने अपने भाई प्रमोद के शरीर पर 3-4 क्षतियां देखी थीं । इस साक्षी ने

अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 63 में यह कथन किया है कि उसने यह देखा था कि प्रमोद के पेट के दायीं ओर गोली लगी हुई हैं । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 65 में यह कथन किया है कि प्रमोद की कमीज, बनियान और स्वेटर को पुलिस द्वारा कब्जे में नहीं लिया गया था और इन्हीं वस्त्रों में गोली लगने का छिद्र तथा रक्त मौजूद था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 71 में यह कथन किया है कि उसने अपने वे कपड़े पुलिस को नहीं दिए थे जो उसके भाई को उठाते समय रक्तरंजित हो गए थे ।

12. अभि. सा. 3 नन्द कुमार है और इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि यह घटना तारीख 2 मार्च, 2010 को घटित हुई है जब वह गांव में मौजूद था । लगभग 2-3 बजे अपराह्न में सिंहेश्वर में मेला देखने गया था और वहां से वापस पैदल आ रहा था । मेला देखने के पश्चात् लगभग 8 बजे अपराह्न में वह अपनी बहिन रीता देवी के घर, जो लाला पट्टी में स्थित है, चला गया । जब अभि. सा. 3 दोमाशी चौक पर लगभग 9 बजे अपराह्न में पहुंचा तब उसने गोली चलने की आवाज सुनी जिसकी वजह से वह घबरा गया । उसे ग्रामवासियों ने बताया कि वह उस स्थान की ओर न जाए क्योंकि वहां पर गोली चल रही है, तथापि, उसने नहीं सुना और आगे बढ़ गया और रास्ते में उसने देखा कि सभी अपीलार्थी मोटरसाइकिल से दोमाशी चौक की ओर जा रहे हैं और वे घबराए हुए थे और इस साक्षी ने यह सब अपनी टॉर्च और चांद की रोशनी में देखा । इसके पश्चात् अभि. सा. 3 और आगे गया और पुलिया के निकट पहुंचकर उसने देखा कि प्रमोद क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़ा हुआ है और राजेश उसे संभाल रहा है । अभि. सा. 3 ने प्रमोद की सहायता करने का प्रयास किया और इसी दौरान उसके परिवार के सदस्य भी वहां आ गए और प्रमोद को अस्पताल ले जाने का प्रबंध किया जाने लगा । प्रमोद यह कह रहा था कि तीनों अपीलार्थियों ने पैसा हड़पने के हेतु से उस पर गोली चलाई है । इसी दौरान बहुत से लोग वहां पर आ गए और प्रमोद को अस्पताल ले जाने के लिए मोटरसाइकिल का प्रबंध किया गया । तथापि, उसी समय पुलिस अपने वाहन से वहां पहुंची और प्रमोद को अस्पताल ले जाया गया । रास्ते में प्रमोद ने यह बताया कि तीनों अपीलार्थियों ने उस पर गोली चलाई है । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया है कि पुलिस उपाधीक्षक, मधेपुरा अस्पताल आ गए और प्रमोद ने उन्हें भी घटना के बारे में बताया । प्रमोद की मृत्यु लगभग 11 बजे अपराह्न में हो गई । अभि. सा. 3 ने अपनी

प्रतिपरीक्षा के पैरा 19 में यह कथन किया है कि उसने हत्या होते हुए स्वयं नहीं देखी है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 21 में यह कथन किया है कि उसके जीजा का नाम रवीन्द्र कुमार है और प्रमोद उसके जीजा का भाई है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 74 में यह कथन किया है कि प्रमोद भारत संचार निगम लिमिटेड के अधीन लाला पट्टी में स्थित टेलीफोन एक्सचेंज में अस्थायी रूप से सेवारत है ।

13. मृतक की पत्नी बबीता देवी अभि. सा. 4 है और इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि यह घटना लगभग एक वर्ष पूर्व की है और उस दिन मंगलवार था और वह लाला पट्टी में अपनी ससुराल में थी । अपीलार्थी अशोक यादव ने 11 बजे पूर्वाह्न में उसके पति प्रमोद को फोन किया और धन प्राप्त करने के लिए अपने स्थान पर आने को कहा जिसके पश्चात् उसका पति सिंहेश्वर चला गया । रात में लगभग 8-9 बजे यह सूचना प्राप्त हुई कि उसके पति प्रमोद को गोली लग गई है और अपीलार्थी अशोक ने उसके पति को पकड़ा हुआ है और अपीलार्थी लाल यादव और बीरेन्द्र ने उसके पति पर गोली चलाई है । अभि. सा. 4 को यह भी पता चला कि उसके पति को दोमाशी चौक के निकट पुलिया पर गोली मारी गई है और तत्काल ही उसके पति का बड़ा भाई, उसका श्वसुर और अन्य ग्रामवासी दौड़कर घटनास्थल पर पहुंचे जिसके पश्चात् इस साक्षी को यह पता चला कि उसके पति को मधेपुरा सदर अस्पताल ले जाया गया है और इसके पश्चात् उसका छोटा भाई आया और वह अभि. सा. 4 को मधेपुरा अस्पताल ले गया जहां पर उसने अपने पति को क्षतिग्रस्त अवस्था में पड़े हुए देखा और उस समय उसको ड्रिप चढ़ाई जा रही थी । उसने अपने पति को यह कहते हुए सुना की डेढ़ लाख रूपया हड़पने के आशय से अपीलार्थियों ने उस पर गोली चलाई है । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि लगभग 11.30 बजे अपराह्न में उपचार के दौरान अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 11 में यह कथन किया है कि मोबाइल पर काल प्राप्त करने के पश्चात् उसका पति उसे और परिवार के अन्य सदस्यों को इस संबंध में सूचित करके सिंहेश्वर चला गया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 19 में यह कथन किया है कि जब उसका पति सिंहेश्वर के लिए रवाना हुआ था तब मेरे पति का भाई राजेश, श्वसुर तरानी, सास और तीन गोतानी भी घर में मौजूद थीं । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 20 में यह कथन किया है कि उसके पति का एक भाई अर्थात् रवीन्द्र जनदाहा घटना के समय हाई स्कूल

में अध्यापक था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 21 में यह कथन किया है कि रवीन्द्र जनदाहा में रहता है और एक अध्यापक है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 25 में यह कथन किया है कि उसके पति को उसकी पसलियों में गोली मारी गई थी और यह क्षति उसने अस्पताल में देखी थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 29 में यह कथन किया है कि उसके पति का 1,50,000/- रुपया अपीलार्थी अशोक पर शोध्य था और उसका पति अशोक के प्राइवेट टेलीफोन टावर एक्सचेंज में 6 वर्षों से कार्य कर रहा था और उसका पति ने ऋण के रूप में अशोक को धन दिया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 43 में यह कथन किया है कि उसने पुलिस के समक्ष यह कथन नहीं किया था कि सूचना प्राप्त होने पर उसका बड़ा भाई, श्वसुर और अन्य व्यक्ति दौड़ते हुए वहां गए थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 44 में यह कथन किया है कि सूचना प्राप्त होने के पश्चात् उसके पति के सभी भाई और श्वसुर घटनास्थल पर अतिशीघ्र पहुंचे थे ।

14. रवीन्द्र कुमार यादव अभि. सा. 5 है जो इत्तिलाकर्ता और मृतक का भाई है और इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि यह घटना तारीख 3 मार्च, 2010 को लगभग 9 बजे अपराह्न में घटित हुई थी जब वह लाला पट्टी स्थित अपने घर में मौजूद था । उस समय उसे टेलीफोन पर यह सूचना प्राप्त हुई कि दोमाशी चौक के निकट प्रमोद को गोली मार दी गई है । जिसके पश्चात् उसने तत्काल अपने कमरे से मोटरसाइकिल निकाली और घटनास्थल पर गया और घटनास्थल पर पहुंचने के पश्चात्, जो कि दोमासी चौक से पुलिया के निकट दक्षिण दिशा में 200 गज की दूरी पर है, उसने देखा कि प्रमोद क्षतिग्रस्त है और खून से लथपथ है तथा राजेश, चन्द्रदीप, नन्द कुमार और संजय आहत प्रमोद की देखरेख कर रहे हैं । अभि. सा. 5 ने यह कथन किया है कि जब प्रमोद ने उन्हें देखा तो उसने उससे उसकी जान बचाने को कहा क्योंकि उसे गोली लगी हुई थी । प्रमोद ने अभि. सा. 5 से यह भी कहा कि अपीलार्थी अशोक और लाल ने उसका हाथ पकड़ा था और अपीलार्थी बीरेन्द्र ने उस पर गोली चलाई । इसके पश्चात्, आहत को मोटरसाइकिल से अस्पताल ले जाने का प्रयास किया गया । तथापि, उसे मोटरसाइकिल से अस्पताल नहीं ले जाया जा सका और इसी दौरान पुलिस जीप वहां पहुंची जिसके पश्चात् प्रमोद को जीप से सिंहेश्वर अस्पताल ले जाया गया, तथापि, चूंकि उसकी दशा गंभीर थी, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आहत को मधेपुरा

अस्पताल ले जाना बेहतर होगा जिसके पश्चात् प्रमोद का उपचार मधेपुरा अस्पताल में किया गया । उपचार के दौरान पुलिस उपाधीक्षक वहां पहुंचे और प्रमोद ने उन्हें बताया कि अशोक के पास उसका धन है और उसने धन वापस न करने के आशय से उस पर गोली चलाई है । लगभग 11 बजे अपराह्न में उपचार के दौरान प्रमोद की मृत्यु हो गई । वह जनदाहा में ठहरता है और अध्यापन का कार्य करता है और आज भी उसका यही व्यवसाय है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 19 में यह कथन किया है कि उसने प्रमोद को गोली मारे जाने के संबंध में ग्राम में शोरगुल सुना था और उसने टेलीफोन पर संदेश भी प्राप्त किए थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 21 में यह कथन किया है कि उसने इस संबंध में पूछताछ नहीं की थी कि किसने टेलीफोन किया था और घटना के संबंध में जानकारी दी थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 22 में यह कथन किया है कि उसे अपने घर पर इस संबंध में जानकारी मिली थी जहां पर उसकी माता, उसकी पत्नी, उसकी दो भाभियां तथा प्रमोद की पत्नी मौजूद थे । उस समय उसके भाई घर पर नहीं थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 26 में यह कथन किया है कि अखिलेश भी घटनास्थल पर मोटरसाइकिल से उसके साथ आया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 55 में यह कथन किया है कि जिस समय प्रमोद पुलिस उपाधीक्षक को अपना कथन दे रहा था, उस समय पुलिस उपाधीक्षक ने किसी भी कागज पर प्रमोद के हस्ताक्षर नहीं लिए थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 86 में यह कथन किया है कि वह और उसके परिवार के सदस्यों की गहुनी और मजरहाट ग्रामों के लोगों से कोई भी शत्रुता नहीं है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 90 में यह कथन किया है कि वह जनदाहा में पिछले एक वर्ष से अध्यापक है और जनदाहा उसके ग्राम के दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित है ।

15. चन्द्रदीप कुमार अभि. सा. 1 है और इस साक्षी ने अपने अभिसाक्ष्य में यह कथन किया है कि यह घटना दस मास पुरानी है जब वह अपनी बहिन के यहां संदेश देने के लिए जा रहा था । वह लगभग 5.30 बजे अपराह्न में सिंहेश्वर पहुंचा और मेला देखने के पश्चात् जब वह अपनी बहिन के यहां लगभग 8.30 बजे अपराह्न में लाला पट्टी जा रहा था और दोमाशी चौक के निकट पहुंचा तब उसने गोली चलने की आवाज सुनी और जब वह और आगे बढ़ा उसने देखा लोग चिल्ला रहे थे और दौड़ रहे थे और यह कह रहे थे कि लाला पट्टी के निवासी प्रमोद को गोली मार

दी गई है । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि उसके पास एक टॉर्च थी और जब वह 100 मीटर आगे की ओर गया, तब उसने दो मोटरसाइकिलों को आते हुए देखा और एक मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति बैठे हुए थे और दूसरी मोटरसाइकिल को एक व्यक्ति चला रहा था । अभि. सा. 1 ने मोटरसाइकिल पर तीन अपीलार्थियों को देखा था और अपीलार्थी बीरेन्द्र और अशोक यादव अपने हाथों में तमंचे लिए हुए थे और जब अभि. सा. 1 आगे बढ़ा तो उसने देखा कि प्रमोद जमीन पर गिर गया है और वह खून से लथपथ है और चीख-चीखकर बोल रहा था कि उसे गोली मार दी गई है और वह कह रहा था कि तीन अपीलार्थियों ने धन हड़पने के आशय से उस पर गोली चलाई है । अभि. सा. 1 ने प्रमोद के भाई राजेश को देखा था जो कि उसका साला भी है । जब प्रमोद को अस्पताल ले जाने का प्रबंध किया जा रहा था तब सिंहेश्वर पुलिस थाने से पुलिस वहां पहुंची जिसके पश्चात् आहत प्रमोद को जीप द्वारा अस्पताल ले जाया गया । जीप में रवीन्द्र, संजय और नन्द कुमार तथा 5-7 पुलिस कार्मिक भी बैठ गए । अस्पताल में प्रमोद ने पुलिस उपाधीक्षक को अपना कथन दिया और यह उल्लेख किया कि अपीलार्थियों ने उस पर गोली चलाई है । अपीलार्थी अशोक को अस्पताल में पुलिस उपाधीक्षक द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया । लगभग 11.30 बजे अपराह्न में उपचार के दौरान अस्पताल में प्रमोद की मृत्यु हो गई । अभि. सां. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 8 में यह कथन किया है कि उसने प्रमोद को सिंहेश्वर मार्किट स्थित पान की दुकान पर देखा था और प्रमोद खाली हाथ था । तीनों अपीलार्थी भी पान की उसी दुकान पर मौजूद थे और प्रमोद उनसे बात कर रहा था । अभि. सा. 1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में यह कथन किया है कि प्रमोद ने उसे पान खाने के लिए नहीं बुलाया था, तथापि, उसने उससे आगे जाने को कहा था जिस पर अभि. सा. 1 दोमाशी चौक की ओर चला गया और वहां पर लगभग 45 मिनट के पश्चात् पहुंचा । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में यह कथन किया है कि वह दोमाशी चौक से लाला पट्टी की ओर जाने वाली सड़क की ओर मुड़ गया था और जब वह अपनी साइकिल से जा रहा था तब उसने अपनी टॉर्च जला रखी थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 15 में यह कथन किया है कि जिस स्थान पर प्रमोद गिरा था, वहां पर पुलिया थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 23 में यह कथन किया है कि पुलिस ने उसका कथन मधेपुरा पहुंचने के पश्चात् भी अभिलिखित नहीं किया था और उसने अपनी टॉर्च पुलिस को

नहीं दी थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 32 में यह कथन किया है कि उसने अपीलार्थी बीरेन्द्र और अशोक के हाथों में तीन आयुध देखे थे ।

16. विजय प्रसाद मोडक (अभि. सा. 7) एक चिकित्सक है जिन्होंने मृतक प्रमोद कुमार के शव का शवपरीक्षण किया है और इस साक्षी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 3 मार्च, 2010 को वह सदर अस्पताल, मधेपुरा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात था और लगभग 10 बजे पूर्वाह्न में उसने प्रमोद कुमार यादव के शव का शवपरीक्षण किया था और उसने शव के सभी अंगों में जठर काठिन्य पाया था । अभि. सा. 7 ने शव पर निम्न बाह्य क्षतियां देखीं :–

"शरीर ठंडा, शान्त, दोनों आंखों की पुतली फैली हुई और नियत पाई गईं । सिर पर काले बाल हैं । उदर में घाव पाया गया है जिस पर पट्टी बंधी हुई है । पट्टी को खोलने पर अंडाकार घाव पाया गया है जिसकी नाप 0.5 इंच × 0.5 इंच है और गहराई उदर तक है तथा घाव के किनारे मुड़े हुए हैं और घाव के चारों ओर कालापन है और यह घाव उदर में पीछे की ओर है जो बाईं श्रोणि - फलक से 3 इंच ऊपर है और कशेरुक दंड के बाईं ओर पार्श्विक भाग में 2.5 इंच की दूरी पर है –

प्रविष्टि घाव –

निकास घाव अर्थात् श्रोणि-फलक के दाईं ओर 0.5 इंच × 1 इंच माप का विदीर्ण घाव है जिसकी गहराई उदर तक है और किनारे मुड़े हुए हैं ।

खोपड़ी के पीछे की ओर 0.5 इंच × 0.5 इंच माप का विदीर्ण घाव है जिसकी गहराई मांसपेशी तक है ।

विच्छेदन करने पर अभि. सा. 7 ने निम्न क्षतियां पाईं –

(क) करोटि, जबड़ों और मस्तिष्क में कोई स्पष्ट परिवर्तन दिखाई नहीं देता है ।

(ख) गला, फेफड़े और श्वासनाल में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं है ।

(ग) उदर में रक्त भरा हुआ है जिसमें थक्केदार रक्त भी मौजूद

है ।

(घ) आंत के लूप पर बहु-छिद्रित घाव है जिसे घाव सं. 5 कहा गया है और इसमें से रक्तमय तरल बाहर निकल रहा है ।

(ङ) बड़ी आंत के दीर्घ भाग में छिद्रित घाव है ।

(च) छोटी आंत की आंत्र योजिनी में विदीर्ण घाव है जिस पर नील बना हुआ है ।

(छ) दाएं वृक्क के ऊपरी भाग पर विदीर्ण घाव है । प्लीहा और यकृत में कोई स्पष्ट परिवर्तन दिखाई नहीं देता है, रंग पीला है ।

(ज) आमाशय में अधपचा भोजन है । मूत्राशय में कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं है ।

अभि. सा. 7 ने यह राय व्यक्त की है कि अग्न्यायुध से उदर के आंतरिक अंगों में उपर्युक्त क्षतियां कारित हुई हैं जिनसे अत्यधिक रक्तस्राव हुआ है और आघात पहुंचा है । इसी रक्तस्राव और आघात से मृत्यु कारित हुई है । मृत्यु होने और शवपरीक्षण के बीच 12 से 24 घन्टे का समयान्तराल है । शवपरीक्षण रिपोर्ट अभि. सा. 7 के हस्तलेख में तैयार की गई थी जिसे उसने पहचानकर बताया है और उस पर किए गए अपने हस्ताक्षरों की शनाख्त भी की है और इस ज्ञापन को प्रदर्श 4 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । अभि. सा. 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान यह कथन किया है कि उसने शव पर अग्न्यायुध से कारित केवल एक ही क्षति देखी थी और उसने उदर में अन्य कोई क्षति नहीं देखी ।

17. अमर कांत चौबे (अभि. सा. 10) इस मामले का अन्वेषण अधिकारी है और उसने यह कथन किया है कि तारीख 3 मार्च, 2010 को वह पुलिस थाना सिंहेश्वर में भारसाधक के रूप में तैनात था और उस दिन पुलिस उप निरीक्षक सी. डी. रजक उस पुलिस थाने में तैनात था जिसने इत्तिलाकर्ता राजेश कुमार यादव का फर्द बयान अभिलिखित किया । इस साक्षी ने फर्द बयान और उस पर की गई लिखत की शनाख्त की है जिसे प्रदर्श 1/2 के रूप में चिह्नांकित की गई है । अभि. सा. 10 ने अपने हस्तलेख में दर्ज किए गए मामले से संबंधित फर्द बयान की प्रविष्टि की भी शनाख्त की है जिसे प्रदर्श 1/3 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । यह भी कथन किया गया है कि अभि. सा. 10 ने तारीख 3 मार्च, 2010 को

मामला सं. 14/2010 के अन्वेषण का भार संभाला था और इसके पश्चात् वह रात्रि में घटनास्थल पर गया था, तथापि, वह उसका निरीक्षण रात होने के कारण नहीं कर सका । इसके पश्चात्, अभि. सा. 10 ने चौकीदार को तैनात किया और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए राजेश से सम्पर्क किया । अभि. सा. 10 ने ग्राम गहमारी में छापा मारने के पश्चात् अपीलार्थी बीरेन्द्र यादव को भी गिरफ्तार किया और अपीलार्थी अशोक यादव को सदर अस्पताल, मधेपुरा से गिरफ्तार किया और उक्त दोनों अभियुक्तों को पुलिस थाने लेकर आया । अभियुक्त लाल बाबू को ग्राम मजरठ से गिरफ्तार किया । अभि. सा. 10 ने पैरा 3 में यह कथन किया है कि प्रमोद यादव (मृतक) की मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट सी. डी. रजक द्वारा कार्बन कॉपी के साथ अस्पताल में तैयार की गई थी और उसकी मूल प्रति जमा करा दी गई थी तथा मृतक का शव का शवपरीक्षण के लिए भेज दिया गया । अभि. सा. 10 ने मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट की शनाख्त की है जिसे श्री सी. डी. रजक के हस्तलेख में तैयार किया गया है और इसे प्रदर्श 2/2 के रूप में चिह्नांकित किया गया है । अभि. सा. 10 ने पैरा 4 में यह कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया था जो दूसरी पुलिया के निकट है और पहली पुलिया से आधा किलोमीटर आगे जाकर दोमाशी चौक के दक्षिण दिशा में उस सड़क पर स्थित है जो ग्राम के दक्षिण की ओर ग्राम पतौड़ी से होकर जाती है तथा पुलिस थाना सिंहेश्वर के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आती है । अभि. सा. 10 ने पैरा 6 में यह कथन किया है कि तारीख 2 मार्च, 2010 की रात्रि में लगभग 10 बजे वह गश्त पर था और इसी समय उसने यह सूचना प्राप्त की थी कि दोमाशी चौक के निकट कोई घटना घटित हुई है जिसके पश्चात् वह सत्यापन के लिए पुलिस बल के साथ अपनी जीप द्वारा उक्त स्थान के लिए रवाना हो गया और रास्ते में उसने देखा कि 2-3 मोटरसाइकिलें आ रही थीं जिनमें से एक मोटरसाइकिल पर राजेश और एक परिचारक आहत को लेकर आ रहे थे जो पुलिस की जीप देखकर रुक गए और उन्होंने जीप से अस्पताल ले जाने का निवेदन किया जिसके पश्चात् आहत, राजेश (इत्तिलाकर्ता) और अन्य व्यक्ति जीप में बैठ गए और सदर अस्पताल आ गए । यह भी कथन किया गया है कि अस्पताल पहुंचने के पूर्व अभि. सा. 10 ने सदर पुलिस थाना, मधेपुरा तथा वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में सूचित किया था । अभि. सा. 10 ने यह भी कथन किया है कि आहत अचेत अवस्था में था किन्तु अस्पताल पहुंचने के पश्चात् उसे होश आ गया था और उसने कहा

कि अशोक यादव ने यह अपराध किया है और पूछे जाने पर उसने बताया कि उसका डेढ़ लाख रुपया अशोक यादव पर है और अशोक यादव ने उक्त धन को हड़पने के लिए आहत को शराब पिलाकर घटनास्थल पर लेकर आया और बीरेन्द्र यादव से उस पर गोली चलवाई जहां पर लाल यादव मौजूद था । अभि. सा. 10 ने पैरा 7 में यह कथन किया है कि जब आहत इन बातों का उल्लेख कर रहा था उसी समय एस. डी. पी. ओ. भी वहां आ गए । पैरा 8 में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान रामवृक्ष महतो, बबीता कुमारी, रामकिशन यादव, नन्द कुमार और अभिनन्दन के कथन अभिलिखित किए । अभि. सा. 10 ने अन्वेषण के दौरान प्राप्त किए गए सर्वेक्षण टिप्पण की शनाख्त की है जो टाइप करके तैयार किया गया है और उस पर पुलिस उपाधीक्षक विनोद कुमार के हस्ताक्षर हैं और इसे प्रदर्श 3 के रूप में (प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा आक्षेप के साथ) चिह्नांकित किया गया है । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 और 13 में यह स्पष्ट किया है कि फर्द बयान में लिखी गई तारीख अर्थात् 2 फरवरी, 2010 गलत है और यह तारीख 2 मार्च, 2010 होनी चाहिए थी । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 16 में यह कथन किया है कि वह और अन्य पुलिस अधिकारी आहत को अस्पताल लेकर गए थे जहां पर वह 11.15 बजे अपराह्न पहुंचा था । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 17 में यह कथन किया है कि आहत को अस्पताल में भर्ती कराने के पश्चात् वह अकेला ही अपने पुलिस बल को लेकर छापा मारने चला गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 20 में यह कथन किया है कि बीरेन्द्र को गिरफ्तार करने के पश्चात् उसने अपने परिवार के सदस्यों को सूचित नहीं किया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 21 में यह कथन किया है कि वह बीरेन्द्र यादव को पहले से नहीं जानता था और उसकी शनाख्त चौकीदार द्वारा कराई गई थी । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 23 में यह कथन किया है कि अन्वेषण के दौरान उसने मृतक की शवपरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त नहीं की थी जिसे वह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में व्यस्त होने के कारण प्राप्त नहीं कर सका था । अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 24 में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि उसे उन अभियुक्तों के शरीर पर कोई भी रक्त चिह्न नहीं मिले थे जिन्हें उसने गिरफ्तार किया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 25 में यह कथन किया है कि वह घटनास्थल पर रात में पहुंचा था किन्तु वह अंधेरा होने की वजह से घटनास्थल का निरीक्षण नहीं कर सका था । इस साक्षी

ने यह भी कथन किया है कि सबसे पहले उसने अभियुक्त बीरेन्द्र के ग्राम में छापा मारा था और उसे पड़ोस के मकान के बरामदे में सोता हुआ पाया था और जानकारी प्राप्त होने पर ही वह वहां पहुंचा था और बीरेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया, तथापि, उसने अन्वेषण के दौरान पड़ोसी का कथन अभिलिखित नहीं किया । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 35 में यह कथन किया है कि ऐसे सभी साक्षी जिनके कथन अन्वेषण के दौरान अभिलिखित किए गए हैं, उन्होंने बीरेन्द्र और लाल यादव को नामित किया है किन्तु उन्होंने अभियुक्तों के पिता के नाम नहीं बताए हैं । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 39 में यह कथन किया है कि अभियुक्त बीरेन्द्र या लाल यादव की कोई भी शनाख्त परेड साक्षियों की मौजूदगी में नहीं कराई गई थी क्योंकि सभी साक्षियों ने इन दोनों अभियुक्तों के नाम पहले ही बता दिए थे । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 40 में यह कथन किया है कि मृतक के भाई को मृतक के गोली लगने के संबंध में सूचना टेलीफोन पर प्राप्त हुई थी, तथापि, उसने अपनी केस डायरी में फोन नम्बर का उल्लेख नहीं किया है । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 41 में यह कथन किया है कि उसके द्वारा तैयार किए गए सर्वेक्षण टिप्पण में निदेश सं. 3 के अन्तर्गत यह लिखा गया है कि जिस मोबाइल नम्बर से पुलिस को इत्तिलाकर्ता द्वारा सूचित की गई थी उसका प्रिंट आउट प्राप्त किया जाए । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 45 में यह कथन किया है कि उसकी मौजूदगी में फर्द बयान अभिलिखित नहीं की गई थी । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 46 में यह कथन किया है कि पुलिस उपाधीक्षक के हस्ताक्षर फर्द बयान पर मौजूद नहीं हैं । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 52 में यह कथन किया है कि मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट के कॉलम सं. 5 में यह उल्लेख है कि एक घाव पर पट्टी बंधी हुई है और यह घाव आमाशय के नीचे दाईं ओर है, एक घाव सिर के पीछे की ओर है और पीठ के ऊपर कटाव मौजूद है । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 53 में यह कथन किया है कि उसने रक्त रंजित कपड़े जिनका उल्लेख मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट में किया गया है, अभिगृहीत नहीं किए थे । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 57 में यह कथन किया है कि रात में आहत को जीप द्वारा लाया गया था और उस समय वह खून से लथपथ था तथा अस्पताल ले जाते समय भी रक्त बह रहा था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 60 में यह कथन किया है कि चन्द्रदीप ने अपने कथन में, जो उसने उसके (अन्वेषण

अधिकारी) समक्ष दिया था, यह उल्लेख नहीं किया था कि अशोक, लाल और बीरेन्द्र ने धन हड़पने के लिए प्रमोद पर गोली चलाई है, तथापि, बाद में उसने यह कहा कि प्रमोद यह कह रहा था कि अशोक ने धन हड़पने के आशय से बीरेन्द्र से उस पर गोली चलवाई है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 64 में यह कथन किया है कि चन्द्र कुमार ने पुलिस को दिए गए अपने कथन में यह उल्लेख किया था कि वह सिंहेश्वर के थियेटर में तमाशा देखने के पश्चात् अपनी बहिन के मकान की ओर जा रहा था । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 66 में यह कथन किया है कि साक्षी नन्द कुमार ने पुलिस को दिए गए अपने कथन में यह उल्लेख नहीं किया था कि दो मोटरसाइकिलों अर्थात् पैशन मोटरसाइकिलों से अशोक और लाल जा रहे थे जबकि दूसरी मोटरसाइकिल से बीरेन्द्र जा रहा था । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 67 में यह कथन किया है कि साक्षी नन्द कुमार ने पुलिस को दिए गए अपने कथन में यह उल्लेख नहीं किया था कि आहत प्रमोद यह कह रहा था कि बीरेन्द्र, लाल और अशोक ने धन हड़पने के आशय से उस पर गोली चलाई है । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 68 में यह कथन किया है कि साक्षी प्रमोद ने अपने कथन में पुलिस को यह नहीं बताया था कि उसका डेढ़ लाख रुपया अशोक पर शोध्य है । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 69 में यह कथन किया है कि बबीता देवी ने अपने कथन में पुलिस को यह नहीं बताया था कि यह घटना डोमाशी चौक के निकट पुलिस पर घटित हुई थी । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 71 में यह कथन किया है कि साक्षी रवीन्द्र ने अपने कथन में उसे (पुलिस को) यह बताया था कि उसने घटनास्थल पर प्रमोद को देखा था, तथापि, उसने यह कथन नहीं किया था कि चन्द्रबीर और नन्द कुमार प्रमोद को ढूंढ रहे थे । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 74 में यह कथन किया है कि साक्षी रवीन्द्र ने अपने कथन में शोध्य धन का उल्लेख किया था किन्तु उसने अपने कथन में यह नहीं उल्लेख किया है कि अशोक पर डेढ़ लाख रुपए शोध्य था । अभि. सा. 10 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 79 में यह कथन किया है कि बी. एस. एन. एल. टॉवर ग्राम में लगा हुआ था किन्तु उसने इस संबंध में अन्वेषण नहीं किया ।

18. राजेश्वर सिंह (अभि. सा. 9) ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि तारीख 27 मई, 2010 को वह पुलिस थाना सिंहेश्वर, मधेपुरा के पुलिस थाने में थानाध्यक्ष के रूप में तैनात था और उस थाने में दर्ज

किए गए मामला सं. 14/2010 के अन्वेषण का कार्य उप निरीक्षक अमरकांत चौबे से प्राप्त किया । अन्वेषण के दौरान उसने अस्पताल से शवपरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की जिसे रोज नामचे (केस डायरी) में अभिलिखित किया । अभि. सा. 9 ने वरिष्ठ अधिकारी से अन्तिम रिपोर्ट भी प्राप्त की । साक्ष्य का परिशीलन प्राप्त करने के पश्चात् अभि. सा. 9 ने घटना को सत्य पाकर, इस मामले में के तीनों अपीलार्थियों के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 302/34 और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया । अभि. सा. 9 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 4 में यह कथन किया है कि फर्द बयान का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उप निरीक्षक सी. डी. रजक ने फर्द बयान अभिलिखित की थी और उस पर तारीख 2 फरवरी, 2010 दर्शाई गई है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 5 में यह कथन किया है कि फर्द बयान के एक ओर राजेश ने अपने हस्ताक्षर किए हैं और उसके नीचे उसने तारीख 2 फरवरी, 2010 लिखी है ।

19. बिनोद प्रसाद यादव (अभि. सा. 8) ने अपने साक्ष्य यह कथन किया है कि तारीख 3 मार्च, 2010 को वह पुलिस उपाधीक्षक, मधेपुरा के पद पर तैनात था और उस दिन प्रमोद यादव नाम को व्यक्ति को पुलिस थाना सिंहेश्वर के अधिकार क्षेत्र में गोली मार दी गई थी और उसे पुलिस द्वारा क्षतिग्रस्त अवस्था में अस्पताल ले जाया गया था । अभि. सा. 8 ने यह भी कथन किया है कि वह अस्पताल पहुंचा था और उसने देखा कि प्रमोद को गोली से क्षति पहुंची हुई है और इसके पश्चात् वह बेहोश हो गया और अभि. सा. 8 ने उससे पूछताछ की । प्रमोद ने अभि. सा. 8 को यह बताया कि तीनों अपीलार्थियों ने एक साथ मिलकर उस पर गोली चलाई है । थोड़ी देर बाद प्रमोद अचेत हो गया और तत्पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई । अभि. सा. 8 ने यह भी कथन किया है कि वह मृतक का मृत्युकालिक कथन लिखना चाहता था, तथापि, इसी दौरान उसकी मृत्यु हो गई । अभि. सा. 8 ने यह भी कथन किया है कि इस संबंध में उसने अन्वेषण अधिकारी को प्रथम सर्वेक्षण टिप्पण प्रस्तुत किया था । अभि. सा. 8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 2 में कथन किया है कि उसे यह याद नहीं है कि जिस समय उसे सूचना मिली थी उस समय वह कहां था, तथापि, उसने यह कथन किया है कि सूचना लगभग 7-8 बजे अपराह्न में प्राप्त हुई थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 9 में कथन किया है कि इससे पहले कि वह अस्पताल पहुंचता, पुलिस वहां पहुंच गई थी और उन्होंने मृतक प्रमोद को देखा जो बंदूक की गोली लगने से क्षतिग्रस्त था और उसे

अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में रखा गया । अभि. सा. 8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 10 में कथन किया है कि मृतक प्रमोद उस समय सचेत अवस्था में था जब वह वहां पहुंचा था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 11 में कथन किया है कि उसने किसी भी मजिस्ट्रेट को तत्काल सूचना नहीं दी थी किन्तु वह उस समय तक पूछताछ करने में व्यस्त था और थोड़े समय बाद ही प्रमोद की मृत्यु हो गई । अभि. सा. 8 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 12 में कथन किया है कि जब वह अस्पताल के परिसर में मौजूद था, तब लोगों को यह कहते हुए सुना कि अशोक यादव अस्पताल परिसर में आ गया है और उसे पकड़ लिया गया है । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 13 में कथन किया है कि उसने अन्वेषण अधिकारी को अपने सर्वेक्षण टिप्पण के माध्यम से यह निदेश दिया था कि उस मोबाइल फोन का प्रिंट आउट प्राप्त किया जाए जिससे इत्तिलाकर्ता ने पुलिस थाने में सूचना दी थी । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 14 में यह कथन किया है कि उसने अन्वेषण अधिकारी को मृतक की हत्या तथा अपीलार्थियों के चरित्र के संबंध में जानकारी एकत्र करने का निदेश दिया था ।

20. सम्पूर्ण साक्ष्य का परिशीलन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि साक्षियों के साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास है और साक्षियों का साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है । इत्तिलाकर्ता, जिसकी परीक्षा अभि. सा. 6 के रूप में कराई गई है, ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि उसने यह देखा था कि अपीलार्थी अशोक यादव और लाल यादव ने मृतक प्रमोद यादव को पकड़ा था और अपीलार्थी बीरेन्द्र यादव ने मृतक प्रमोद यादव पर अपनी कमर से .303 बोर वाले आयुध से गोली चलाई, तथापि, उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बताया है कि जब वह पहली पुलिया पर था तब उसने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी थी और जब वह साइकिल के साथ पैदल चलते हुए आगे की ओर गया और अपनी साइकिल पर सवार होने ही वाला था तब उसने गोली चलने की आवाज सुनी और इसके पश्चात् उसने अपने भाई के चिल्लाने की आवाज सुनी और यह देखा कि उसके भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और जब वह अपने भाई के निकट पहुंचा उसने देखा कि उसका भाई नीचे पड़ा हुआ है और दर्द से तड़फ रहा था । यह स्पष्ट है कि अभि. सा. 6 ने विरोधाभासी वृत्तांत दिया है और घटना के प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य जैसा प्रतीत नहीं होता है । इसी प्रकार, इत्तिलाकर्ता राजेश कुमार यादव अर्थात् अभि. सा. 6 और

इत्तिलाकर्ता के भाई संजय कुमार (अभि. सा. 2) ने यह कहा है कि मृतक प्रमोद खून से लथपथ था और जब उन्होंने उसे उठाया और उसे संभाला तब उनके कपड़े भी रक्तरंजित हो गए थे, तथापि, न तो मृतक के रक्तरंजित कपड़े और न ही साक्षियों के रक्तरंजित कपड़े अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किए गए और न ही न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए । अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया सम्पूर्ण पक्षकथन मृतक की पत्नी बबीता देवी (अभि. सा. 4) के साक्ष्य से अविश्वसनीय हो जाता है जिसने यह कथन किया है कि मोबाइल फोन पर कॉल प्राप्त करने के पश्चात् उसका पति घर 11 बजे पूर्वाह्न में घर से रवाना हुआ था और उस समय इत्तिलाकर्ता राजेश (जो कि मृतक प्रमोद का भाई है), उसका श्वसुर और तीन सालियां घर में मौजूद थीं । अभि. सा. 4 ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैरा 44 में यह कथन किया है कि घटना के संबंध में सूचना प्राप्त करने के पश्चात् उसके पति के सभी भाई और उसका श्वसुर शीघ्र ही घटनास्थल पर गए । अभि. सा. 4 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह दर्शित होता है कि अभिकथित घटना के समय इत्तिलाकर्ता अपने घर पर था और वह इस घटना की सूचना प्राप्त करने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा था, तथापि, इत्तिलाकर्ता ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि वह तारीख 2 मार्च, 2010 को 4 बजे अपराह्न में घरेलू सामान और दवाइयां खरीदने के लिए मृतक प्रमोद के साथ सिंहेश्वर गया था और लगभग 8 बजे अपराह्न में वे अपने घर वापस आ रहे थे जिसके पश्चात् यह घटना घटित हुई । इत्तिलाकर्ता के कथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास है और इसीलिए उसका साक्ष्य सत्य प्रतीत नहीं होता है ।

21. इसके अतिरिक्त, मृतक प्रमोद को पहुंची क्षतियों के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य की संपुष्टि शवपरीक्षण के आधार पर चिकित्सक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट से नहीं होती है, इसलिए अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया पक्षकथन सत्य प्रतीत नहीं होता है । यद्यपि, साक्षियों ने यह कथन किया है कि 30-35 या उससे अधिक व्यक्ति घटनास्थल पर मौजूद थे, तथापि, अभि. सा. 1 के अतिरिक्त अभियोजन पक्षकथन को प्रबलित करने वाले साक्षियों में से किसी भी स्वतंत्र साक्षी ने कोई भी सारभूत अभिसाक्ष्य नहीं दिया है । इस अपराध का हेतु भी सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि सभी साक्षियों ने यह कथन किया है कि मृतक प्रमोद का इस मामले में के तीनों अपीलार्थियों से कोई भी झगड़ा नहीं हुआ था ।

22. इस मामले का एक अन्य पहलू यह है कि इत्तिलाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया वृत्तांत इस प्रभाव से संभावी नहीं है कि जब उसका सामना इस मामले में के अपीलार्थियों से हुआ, तब अपीलार्थियों ने इत्तिलाकर्ता को यह धमकी दी थी कि यदि वह वहां से नहीं गया तो उसकी हत्या कर दी जाएगी, इस प्रकार, यह अस्वाभाविक है कि कोई भी अभियुक्त ऐसे प्रत्यक्षदर्शी साक्षी को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए जीवित कैसे छोड़ देगा जिसके समक्ष उसने आहत की हत्या की है । अभि. सा. 1 से लेकर अभि. सा. 5 तक सभी साक्षियों का साक्ष्य असंगत है और उनमें से कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और वास्तव में यह भी प्रतीत नहीं होता है कि उन्होंने उपर्युक्त तीनों अपीलार्थियों को भागते हुए देखा था क्योंकि न तो कोई लाइट जल रही थी और न ही कोई टॉर्च अभिगृहीत की गई थी जिसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता और साक्षियों का यह दावा सिद्ध किया जाता कि उन्होंने अपीलार्थियों को भागते हुए देखा था । इसके अतिरिक्त, उक्त साक्षी का साक्ष्य अभियुक्तों द्वारा लाए हुए अग्न्यायुधों की संख्या को लेकर असंगत है और उनके साक्ष्य में इस मुद्दे से संबंधित विरोधाभास है । अन्वेषण अधिकारी घटनास्थल को साबित करने में असफल रहा है क्योंकि घटनास्थल पर अभिकथित घटना को लेकर कोई भी चिह्न नहीं पाया गया है न ही घटनास्थल से कोई भी सामग्री अभिगृहीत की गई है और कोई भी कारतूस या रक्तरंजित मिट्टी भी अन्वेषण अधिकारी द्वारा कब्जे में नहीं ली गई है और अन्वेषण अधिकारी द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य घटनास्थल से बरामद किया गया है जिससे यह दर्शित होता हो कि अभिकथित घटना घटित हुई है । इस प्रकार, घटनास्थल सिद्ध नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, मृतक को अस्पताल ले जाने के ढंग और रीति को लेकर भी विरोधाभास है । मृतक के अस्पताल में भर्ती किए जाने के समय पर जिस चिकित्सक द्वारा उपचार किया गया था, उसकी भी परीक्षा नहीं कराई गई है, इसलिए, मृतक द्वारा पुलिस उपाधीक्षक को दिए गए कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता । एक अन्य विरोधाभास यह है कि इत्तिलाकर्ता के अनुसार उसने अपने परिवार के सदस्यों तथा पुलिस को तत्काल घटना की सूचना दे दी थी और पुलिस वहां पहुंच गई थी किन्तु अन्वेषण अधिकारी ने अपने साक्ष्य में यह कथन किया है कि जब वह गश्त कर रहा था तब उसे यह सूचना मिली कि दोमाशी चौक पर कोई घटना घटित हुई है और इसके पश्चात् वह सत्यापन के लिए घटनास्थल पर पहुंचा । विभिन्न साक्षियों के साक्ष्य में घटना के समय को लेकर भिन्नता है । इसके अतिरिक्त, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किया गया पक्षकथन संभावी प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यदि अभियुक्तों ने मृतक की हत्या करने की योजना बनाई होती तब इसका कोई

कारण नहीं है कि पहले वे मृतक को इत्तिलाकर्ता से दूर लेकर जाते और इसके पश्चात् वे वापस बाजार में आते और इसके पश्चात् उसके भाई की मौजूदगी में उसकी हत्या करते । अभियुक्त बड़ी आसानी से अपनी मोटरसाइकिल से दूर ले जाने के पश्चात् मृतक की हत्या सुनसान स्थान पर कर सकते थे । वास्तव में, ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस उपाधीक्षक को इस घटना को लेकर संदेह था, इसलिए, उन्होंने अपने सर्वेक्षण टिप्पण में उस मोबाइल फोन के कॉल-रिकार्ड का सत्यापन कराने का निदेश दिया जिसके द्वारा इत्तिलाकर्ता ने पुलिस थाने में सूचना दी थी और अपीलार्थी अशोक के चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त की थी । इसके अतिरिक्त, अन्वेषण अधिकारी (अभि. सा. 10) के साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् यह स्पष्ट हो जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 161 के अधीन अभिलिखित साक्षियों के कथनों और उनके द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान दिए गए कथनों के बीच विरोधाभास है ।

23. अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष ने सभी युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन साबित नहीं किया है और इस प्रकार तीनों दांडिक अपीलों के अपीलार्थी संदेह का लाभ पाने के हकदार हैं । तद्नुसार, सेशन विचारण मामला सं. 95/2010 में पारित किया गया तारीख 30 अगस्त, 2012 का दोषसिद्धि का निर्णय और तारीख 13 सितंबर, 2012 का दंडादेश एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है । दांडिक अपील सं. 973/2012 का अपीलार्थी अर्थात् लाल यादव और दांडिक अपील सं. 1035/2012 के अपीलार्थी को तारीख 13 अगस्त, 2014 के आदेश द्वारा जमानत मंजूर की गई थी, तथापि, दांडिक अपील सं. 988/2012 का अपीलार्थी अर्थात् बीरेन्द्र यादव अभिरक्षा में है । इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त तीनों अपीलार्थियों को दोषमुक्त किया गया है, दोनों अपीलार्थी अर्थात् लाल यादव और अशोक यादव जो पहले से ही जमानत पर हैं, एतद्द्वारा जमानत बंधपत्र से उन्मोचित किए जाते हैं और अपीलार्थी बीरेन्द्र यादव जो जेल में है एतद्द्वारा यह निदेश दिया जाता है कि यदि वह अन्य किसी मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल छोड़ा जाए ।

24. उपरोक्त तीनों अपीलें एतद्द्वारा मंजूर की जाती हैं ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

अस.

मोती लाल सिंह

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 8 फरवरी, 2018

न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी और न्यायमूर्ति जे. के. गुप्ता

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302, 304, भाग-1, 300, अपवाद सं. 4 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 3] – हत्या या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध – अचानक झगड़ा होना – यह अभिकथन किया जाना कि अभियुक्त संत है जिसने त्रिशूल से मंदिर परिसर में मृतक पर हमला किया परिणामस्वरूप मृतक के वक्ष पर प्राणघातक क्षति पहुंची – स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब मृतक मंदिर में था तब अभियुक्त वहां आश्रय लेने के लिए पहुंचा और अगले दिन जब अभियुक्त से मंदिर परिसर छोड़ने के लिए कहा गया तो उसने मृतक के वक्ष पर त्रिशूल से हमला कर दिया – अभियुक्त के कब्जे से त्रिशूल का अभिग्रहण किया गया जिस पर मानव रक्त पाया गया, इसलिए, अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना न्यायसंगत है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302, 304, भाग-1, 300, अपवाद सं. 4 – जहां प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य की चिकित्सा साक्ष्य और अभिग्रहण के साक्ष्य से संपुष्टि हुई है तथा अभियुक्त संत होने के कारण परंपरा के अनुसार त्रिशूल धारण करता था और अभियुक्त द्वारा बिना पूर्व चिन्तन के मृतक पर एक प्रहार किया गया था और हत्या के आशय और पूर्व दुश्मनी के अभाव में अभियुक्त ने हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का कार्य किया है इसलिए अभियुक्त की दोषसिद्धि को धारा 302 के बजाय धारा 304(1) में परिवर्तित किया जाना उचित है ।

दंड संहिता, 1860 – धारा 302 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 और 118] – हत्या का मामला – प्रत्यक्षदर्शी साक्षी – विश्वसनीयता – यदि अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों को पक्षद्रोही घोषित कर दिया गया है तो स्वतंत्र प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता को त्यक्त करने का कोई कारण नहीं हो सकता ।

इस अपील में संक्षेप में जो तथ्य वर्णित किए गए हैं इस प्रकार हैं कि रीवा कलेक्ट्रेट परिसर पर हनुमान मंदिर में मृतक बाल्मीकि प्रसाद मिश्रा तारीख 29 अक्तूबर, 2006 को पूजा कर रहा था । अपीलार्थी वहां का संत था और "त्रिशूल" को धारण करके मंदिर में पहुंचा और मृतक की अनुज्ञा लेकर रात्रि में मंदिर में आश्रय लिया और अगले दिन (तारीख 20 अक्तूबर, 2006) जब अपीलार्थी ने वापस जाने का आशय प्रकट नहीं किया तब मृतक ने उससे जाने के बारे में और मंदिर छोड़ने के बारे में पूछा और तब अचानक उन दोनों के बीच वाक्कलह हुई । अपीलार्थी ने मृतक को गालियां दीं और यह भी कहा कि वह उसकी हत्या कर देगा तथा तत्पश्चात् अपीलार्थी ने "त्रिशूल" से मृतक पर हमला किया और उसके वक्ष पर क्षति पहुंचाई । उस समय अंजली कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3), दिनेश कुमार गोस्वामी (अभि. सा. 10) और अनिल कुमार मिश्रा (अभि. सा. 11) मौजूद थे । मृतक नीचे गिर गया और बेहोश हो गया था । अंजली कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) ने पुलिस थाना सिविल लाइन, रीवा पर देहाती नालसी (प्रदर्श पी. 7) दर्ज की और मृतक को अस्पताल ले जाया गया था जहां कुछ क्षणों के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई । पुलिस थाना, सिविल लाइन्स, रीवा में प्रारंभिक रूप से दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध सं. 621/2006 अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज की गई । अन्वेषण के दौरान डा. एस. के. पाठक (अभि. सा. 6) द्वारा मृतक के शव की शव परीक्षा की गई थी । शव-परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी.13) के अनुसार मृत्यु का कारण मानव वध था और क्षति प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । तारीख 20 अक्तूबर, 2006 को अपीलार्थी को गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी. 11) के अनुसार गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से "त्रिशूल" अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. 10) के अनुसार अभिगृहीत किया गया था जिसे न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला के अनुसार "त्रिशूल" पर प्रदर्श पी. 20 में मानव रक्त की मौजूदगी की पुष्टि की गई थी । अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा के समक्ष दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया था जिन्होंने सेशन न्यायाधीश, रीवा को मामला सुपुर्द किया और मामले को प्राप्त करने के पश्चात् उसका विचारण किए जाने के लिए प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा को मामला अन्तरित कर दिया गया । अपीलार्थी के विरुद्ध विचारण के दौरान दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था । उसने अपने दोषी होने से इनकार किया और विचारण

किए जाने का दावा किया । उसने अपनी यह प्रतिपरीक्षा दी थी कि उसे केवल संदेह के आधार पर इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है और अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने विचारण के पश्चात् अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया और उसे दंडादिष्ट किया जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है । अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा अपनी दोषसिद्धि और दंडादेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । अपील भागतः मंजूर करते हुए,

अभिनिर्धारित – एस. के. मेहरा, उपनिरीक्षक (अभि. सा. 4) ने यह भी कथन किया है कि उसी दिन उसने अपीलार्थी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी. 11) तैयार किया तथा अपीलार्थी के कब्जे से एक "त्रिशूल" भी अभिगृहीत किया गया और अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. 10) तैयार किया गया तथा अभिगृहीत वस्तुएं (प्रदर्श पी. 12) के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार "त्रिशूल" पर मानव रक्त पाए जाने की पुष्टि हुई है तथा इस परिस्थिति के बारे में अपीलार्थी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है कि अंजनी कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) एक स्वतंत्र साक्षी है तथा उसकी प्रतिपरीक्षा में उसके द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य पर कुछ भी संदेह प्रकट नहीं होता । उसके कथन की देहाती नालिसी (प्रदर्श पी. 7) से संपुष्टि हुई है तथा चिकित्सा साक्ष्य से भी संपुष्टि हुई है और अपीलार्थी के कब्जे से "त्रिशूल" पर मानव रक्त के धब्बों का भी पता चला है । ऐसी परिस्थिति में अंजनी कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) का परिसाक्ष्य इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी ने मृतक पर हमला किया और पूर्वोक्त प्राणघातक क्षति पहुंचाई । (पैरा 10)

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह आक्षेप किया है कि अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दिनेश कुमार गोस्वामी (अभि. सा. 10), अनिल कुमार मिश्रा (अभि. सा. 11) ने अंजनी कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) के कथन का समर्थन नहीं किया है इसलिए अंजनी कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) के कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता । इस दलील में कोई सार नहीं है क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि यदि अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं तो अभियोजन पक्षकथन को समर्थन देने वाले प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का अवलंब नहीं लिया जा सकता । इस मामले में अनिल कुमार (अभि.

सा. 11) ने यह कहते हुए अभियोजन वृत्तांत का समर्थन किया है कि घटना के पश्चात् वह घटनास्थल की ओर गया जहां भीड़ लगी हुई थी और लोग यह कह रहे थे कि अपीलार्थी ने "त्रिशूल" से मृतक पर हमला किया । इस कथन को प्रतिपरीक्षा के दौरान चुनौती नहीं दी गई है । साक्षी का पूर्वोक्त कथन ग्राह्य है, इसलिए, अंजनी कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता से बल मिलता है । (पैरा 11)

अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यह घटना अचानक बिना पूर्व चिन्तन के घटी जब तत्काल मंदिर छोड़ने के बारे में विवाद के कारण वाक्कलह हुई थी । अपीलार्थी संत होते हुए परम्परा के साधारण अनुक्रम में "त्रिशूल" ग्रहण करता था और उसने एक ही प्रहार किया और उसने अवसर मिलने के बाद भी दूसरा प्रहार करने की कोशिश नहीं की । ऐसे आचरण से यह दर्शित होता है कि उसका मृतक की हत्या करने का कोई आशय नहीं था और इस परिस्थिति में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उसने अप्रायिक या क्रूरता की रीति में अन्यथा असम्यक् फायदा लेने के विचार से कार्य किया । मृतक और अपीलार्थी के बीच कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी । विवाद का कारण बहुत तुच्छ था । ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी का मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 की परिधि के अन्तर्गत आता है । इसलिए, उसे दंड संहिता की धारा 304, भाग I के अधीन मुश्किल से दोषसिद्ध किया जा सकता है । (पैरा 14)

निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2006] (2006) 11 एस. सी. सी. 444 =
ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 3010 :
पूलीछेकला नागराजू बनाम **आंध्र प्रदेश राज्य** ; 16

[2002] ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1221 :
केशवलाल बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; 14

[1983] ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 185 :
हरिराम बनाम **हरियाणा राज्य** ; 15

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 1882.

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री रमन पटेल

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अनुभव जैन, सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति जे. के. महेश्वरी ने दिया ।

न्या. महेश्वरी – यह अपील 2007 के सेशन विचारण सं. 10 में प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा द्वारा तारीख 29 अगस्त, 2005 को पारित निर्णय को आक्षेपित करते हुए फाइल की गई है जिसके द्वारा अपीलार्थी को बाल्मीकि प्रसाद मिश्रा की हत्या करने के लिए दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास के लिए कठोर कारावास भोगने साथ में 200/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक मास का कारावास भी भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया ।

2. इस अपील में संक्षेप में जो तथ्य वर्णित किए गए हैं इस प्रकार हैं कि रीवा कलेक्ट्रेट परिसर पर हनुमान मंदिर में मृतक बाल्मीकि प्रसाद मिश्रा तारीख 29 अक्तूबर, 2006 को पूजा कर रहा था । अपीलार्थी वहां का संत था और "त्रिशूल" को धारण करके मंदिर में पहुंचा और मृतक की अनुज्ञा लेकर रात्रि में मंदिर में आश्रय लिया और अगले दिन (तारीख 20 अक्तूबर, 2006) जब अपीलार्थी ने वापस जाने का आशय प्रकट नहीं किया तब मृतक ने उससे जाने के बारे में और मंदिर छोड़ने के बारे में पूछा और तब अचानक उन दोनों के बीच वाक्कलह हुई । अपीलार्थी ने मृतक को गालियां दीं और यह भी कहा कि वह उसकी हत्या कर देगा तथा तत्पश्चात् अपीलार्थी ने "त्रिशूल" से मृतक पर हमला किया और उसके वक्ष पर क्षति पहुंचाई । उस समय अंजली कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3), दिनेश कुमार गोस्वामी (अभि. सा. 10) और अनिल कुमार मिश्रा (अभि. सा. 11) मौजूद थे । मृतक नीचे गिर गया और बेहोश हो गया था । अंजली कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) ने पुलिस थाना सिविल लाइन, रीवा पर देहाती नालसी (प्रदर्श पी. 7) दर्ज की और मृतक को अस्पताल ले जाया गया था जहां कुछ क्षणों के पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई । पुलिस थाना, सिविल लाइन, रीवा में प्रारंभिक रूप से दंड संहिता की धारा 307 के अधीन अपराध सं. 621/2006 अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज की गई । अन्वेषण के दौरान डा. एस. के. पाठक (अभि. सा. 6) द्वारा मृतक के शव की शव-परीक्षा की गई थी । शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 13) के अनुसार मृत्यु का कारण मानव वध था और क्षति प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित

करने के लिए पर्याप्त थी । तारीख 20 अक्तूबर, 2006 को अपीलार्थी को गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी. 11) के अनुसार गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से "त्रिशूल" अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी. 10) के अनुसार अभिगृहीत किया गया था जिसे न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था । न्यायालयिक प्रयोगशाला के अनुसार "त्रिशूल" पर प्रदर्श पी. 20 में मानव रक्त की मौजूदगी की पुष्टि की गई थी ।

3. अन्वेषण पूरा करने के पश्चात् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रीवा के समक्ष दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप पत्र फाइल किया गया था जिन्होंने सेशन न्यायाधीश, रीवा को मामला सुपुर्द किया और मामले को प्राप्त करने के पश्चात् उसका विचारण किए जाने के लिए प्रथम अपर सेशन न्यायाधीश, रीवा को मामला अन्तरित कर दिया गया ।

4. अपीलार्थी के विरुद्ध विचारण के दौरान दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप विरचित किया गया था । उसने अपने दोषी होने से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया । उसने अपनी यह प्रतिपरीक्षा दी थी कि उसे केवल संदेह के आधार पर इस मामले में मिथ्या रूप से फंसाया गया है और अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया । विद्वान् विचारण न्यायालय ने विचारण के पश्चात् अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए दोषसिद्ध किया और उसे दंडादिष्ट किया जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है ।

5. इस मामले में मृत्यु की प्रकृति के बारे में विचारण न्यायालय के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी गई है । डा. एस. के. पाठक (अभि. सा. 6) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि तारीख 20 अक्तूबर, 2006 को उसने मृतक के शरीर की शव-परीक्षा की और उसने शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी. 13) तैयार की और वक्ष के बाईं ओर एक बेधन घाव था और बाएं फेफड़े की चीर-फाड़ करने पर बेधित घाव पाया गया था और जिस वजह से हृदय को भी नुकसान पहुंचा था । ये क्षतियां मृत्यु-पूर्व की थीं और क्षतियां नुकीले और धारदार वस्तु से कारित की गई थीं तथा प्रकृति के साधारण अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी । चिकित्सा विशेषज्ञ के पूर्वोक्त कथन स्पष्ट है । इसलिए यह अभिनिर्धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मृतक की मृत्यु की प्रकृति मानवघाती थी और मृतक पर तारीख 20 अक्तूबर, 2006 को नुकीले और धारदार वस्तु द्वारा उसके दाहिने वक्ष पर क्षति कारित करने के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई थी ।

6. जहां तक अपीलार्थी की दोषसिद्धि का संबंध है, विचारण न्यायालय ने प्रत्यक्षदर्शी साक्षी अंजली कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) के कथन का और अपीलार्थी के कब्जे से "त्रिशूल" की बरामदगी का अवलंब लिया जिस पर मानव रक्त लगे होने की पुष्टि की गई थी । जहां तक अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दिनेश कुमार गोस्वामी (अभि. सा. 10) और अनिल कुमार मिश्रा (अभि. सा. 11) का संबंध है उन्होंने घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होने का दावा नहीं किया है तथा अभियोजन पक्ष ने उन्हें पक्षद्रोही घोषित कर दिया

7. विद्वान् विचारण न्यायालय के पूर्वोक्त निष्कर्षों को इस आधार पर आक्षेपित किया गया कि अंजनी कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है और उसका कथन विश्वास योग्य नहीं है तथा अंजनी कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य का समर्थन करने के लिए कोई दूसरा संपुष्ट साक्ष्य नहीं है तथा अपीलार्थी संदेह का फायदा लेने का हकदार है । अपीलार्थी की ओर से यह भी निवेदन किया गया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह इंगित होता है कि घटना मृतक और अपीलार्थी के बीच बिना किसी पूर्वचिन्तन के आवेश की तीव्रता के कारण अचानक वार्तालाप होने पर घटित हुई थी और केवल एक प्रहार किया गया था यदि अपीलार्थी का मृतक की हत्या करने का आशय था तो वह अन्य प्रहार भी करता, इसलिए, दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दोषसिद्धि में उपान्तरित किया जाना अपेक्षित है ।

8. विद्वान् सरकारी अधिवक्ता ने विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्षों का समर्थन किया है और यह कहते हुए अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की पूर्वोक्त दलीलों का विरोध किया कि विद्वान् विचारण न्यायालय के निष्कर्ष अकाट्य साक्ष्य पर आधारित हैं और इस अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना की गई है ।

9. पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल की दलीलों पर विचार करते हुए और अभिलेख का परिशीलन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला है कि दिनेश कुमार गोस्वामी (अभि. सा. 10) और अनिल कुमार मिश्रा (अभि. सा. 11) द्वारा अभियोजन पक्षकथन को समर्थन न देने के बावजूद भी अभियोजन पक्ष ने अंजनी कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) के कथन द्वारा अभियोजन पक्षकथन को साबित किया है जो स्वतंत्र साक्षी है और मृतक के साथ कोई नातेदारी नहीं है और न अपीलार्थी के साथ कोई दुर्भाव है तथा उन्होंने स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि तारीख 19 अक्तूबर, 2006 को जब वह मंदिर में था,

अपीलार्थी मंदिर पर पहुंचा और मंदिर में रुकने के लिए अनुज्ञा चाहने के लिए पूछा तथा मृतक ने अपीलार्थी को मंजूरी दी । अगले दिन लगभग 10 बजे जब मृतक ने अपीलार्थी से मंदिर छोड़ने के बारे में पूछा तब अपीलार्थी ने मृतक को गालियां दीं और मृतक ने अपीलार्थी को समझाया भी था और अपीलार्थी ने मंदिर से बाहर जाने से इनकार कर दिया और अचानक "त्रिशूल" से उसके (मृतक) वक्ष पर हमला कर दिया । उन क्षतियों से रक्त बहने लगा था और बेहोश हो गया और उसके पश्चात् उसने पुलिस प्राधिकारियों को सूचना दी तथा देहाती नालिसी (प्रदर्श पी. 7) दर्ज की जिसे एस. के. मेहरा उप निरीक्षक (अभि. सा. 4) द्वारा साबित किया गया है ।

10. एस. के. मेहरा, उप निरीक्षक (अभि. सा. 4) ने यह भी कथन किया है कि उसी दिन उसने अपीलार्थी को गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी ज्ञापन (प्रदर्श पी.11) तैयार किया तथा अपीलार्थी के कब्जे से एक "त्रिशूल" भी अभिगृहीत किया गया और अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी.10) तैयार किया गया तथा अभिगृहीत वस्तुएं (प्रदर्श पी.12) के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजे गए थे । न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट के अनुसार "त्रिशूल" पर मानव रक्त पाए जाने की पुष्टि हुई है तथा इस परिस्थिति के बारे में अपीलार्थी की ओर से कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है अंजनी कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) एक स्वतंत्र साक्षी है तथा उसकी प्रतिपरीक्षा में उसके द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य पर कुछ भी संदेह प्रकट नहीं होता । उसके कथन की देहाती नालिसी (प्रदर्श पी. 7) से संपुष्टि हुई है तथा चिकित्सा साक्ष्य से भी संपुष्टि हुई है और अपीलार्थी के कब्जे से "त्रिशूल" पर मानव रक्त के धब्बों का भी पता चला है । ऐसी परिस्थिति में अंजनी कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) का परिसाक्ष्य इस तथ्य को साबित करने के लिए पर्याप्त है कि अपीलार्थी ने मृतक पर हमला किया और पूर्वोक्त प्राणघातक क्षति पहुंचाई ।

11. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह आक्षेप किया है कि अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी दिनेश कुमार गोस्वामी (अभि. सा. 10), अनिल कुमार मिश्रा (अभि. सा. 11) ने अंजनी कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) के कथन का समर्थन नहीं किया है इसलिए अंजनी कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) का कथन का अवलंब नहीं लिया जा सकता । इस दलील में कोई सार नहीं है क्योंकि ऐसा कोई कारण नहीं है कि यदि अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं तो अभियोजन पक्षकथन को समर्थन देने वाले प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का अवलंब नहीं लिया जा सकता । इस मामले में अनिल कुमार (अभि.

सा. 11) ने यह कहते हुए अभियोजन वृत्तांत का समर्थन किया है कि घटना के पश्चात् वह घटनास्थल की ओर गया जहां भीड़ लगी हुई थी और लोग यह कह रहे थे कि अपीलार्थी ने "त्रिशूल" से मृतक पर हमला किया । इस कथन को प्रतिपरीक्षा के दौरान चुनौती नहीं दी गई है । साक्षी का पूर्वोक्त कथन ग्राह्य है, इसलिए, अंजनी कुमार पाण्डेय (अभि. सा. 3) के परिसाक्ष्य की विश्वसनीयता से बल मिलता है ।

12. पूर्वोक्त चर्चा को ध्यान रखते हुए हमारा यह मत है कि विद्वान् विचारण न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालने में कोई गलती नहीं की है कि अपीलार्थी ने "त्रिशूल" से मृतक पर हमला किया और पूर्वोक्त क्षति कारित की जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, इसलिए, हम पूर्वोक्त निष्कर्ष की भी पुष्टि करते हैं ।

13. अब निर्णायक प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी का कार्य हत्या की परिधि में आता है या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध की कोटि में ।

14. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि यह घटना अचानक बिना पूर्वचिन्तन के घटी जब तत्काल मंदिर छोड़ने के बारे में विवाद के कारण वाक्कलह हुई थी । अपीलार्थी संत होते हुए परम्परा के साधारण अनुक्रम में "त्रिशूल" ग्रहण करता था और उसने एक ही प्रहार किया और उसने अवसर मिलने के बाद भी दूसरा प्रहार करने की कोशिश नहीं की । ऐसे आचरण से यह दर्शित होता है कि उसका मृतक की हत्या करने का कोई आशय नहीं था और इस परिस्थिति में यह भी नहीं कहा जा सकता है कि उसने अप्रायिक या क्रूरता की रीति में अन्यथा असम्यक् फायदा लेने के विचार से कार्य किया । मृतक और अपीलार्थी के बीच कोई पूर्व दुश्मनी नहीं थी । विवाद का कारण बहुत तुच्छ था । ऐसी परिस्थिति में अपीलार्थी का मामला दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 की परिधि के अन्तर्गत आता है । इसलिए, उसे दंड संहिता की धारा 304, भाग I के अधीन मुश्किल से दोषसिद्ध किया जा सकता है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने **केशवलाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया जिसके सुसंगत पैरा 5 और 6 हैं जो इस प्रकार हैं :–

"5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हमने यह निष्कर्ष

---

[1] ए. आई. आर. 2002 एस. सी. 1221.

निकाला है कि पति और पत्नी के रूप में रहने वाले व्यक्तियों के बीच अचानक झगड़ा हो गया और मृतका की मृत्यु हो जाती है और अभिलेख पर यह दर्शित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अभियुक्त ने पूर्व नियोजित होकर अपराध को अंजाम दिया था । अभियोजन साक्षियों द्वारा यह भी स्वीकार किया गया है कि अपीलार्थी मृतका के माता-पिता के निवास पर बिना हथियारों के पहुंचा था और वाक्-कलह होने के पश्चात् उसने उस घर से किचन वाला चाकू उठा लिया जिससे उसके द्वारा मृतका के शरीर पर एक क्षति कारित की गई । यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने बिना पूर्वचिन्तन के और अचानक लड़ाई-झगड़े होने तथा अचानक झगड़ा होने पर आवेश की तीव्रता की वजह से अपराध किया था जिसे उसके द्वारा प्रकोपित नहीं किया गया था । यह बात अभिलेख पर भी प्रकट हुई है कि अपीलार्थी ने घटना के दौरान कोई असम्यक् फायदा नहीं लिया था । अपराध के बारे में किसी क्रूरता या अप्रायिक रीति में कार्य होना नहीं कहा जा सकता है । इसलिए, अपीलार्थी-अभियुक्त दंड संहिता की धारा 300 के अपवाद 4 का फायदा लेने का हकदार है । उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया और इस निष्कर्ष के बावजूद भी कि घटना बिना पूर्वचिन्तन के और आवेश की तीव्रता के कारण घटित हुई थी उस पर दंड संहिता की धारा 300 के किसी अपवाद का उल्लेख नहीं किया गया । उच्च न्यायालय ने केवल धारा 300 के खण्ड 2, 3 और 4 पर विचार किया और यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी हत्या का दोषी था और उसमें यह उल्लेख नहीं किया गया कि आपराधिक मानव वध केवल तब हत्या की कोटि में आता है यदि अभियुक्त की कार्रवाई धारा से संलग्न किसी वाद की परिधि के अन्तर्गत नहीं आता है । यद्यपि, अपीलार्थी आपराधिक मानव वध का दोषी पाया गया था तो भी वह अपवाद 4 का फायदा लेने का हकदार था । उसके द्वारा किया गया अपराध हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध का होगा जो दंड संहिता की धारा 304 के अधीन दंडनीय है न कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन । इसलिए, उच्च न्यायालय के निर्णय को उक्त सीमा तक उपान्तरित किया जाना अपेक्षित है ।

6. इन परिस्थितियों के अधीन अपील अपीलार्थी के पक्ष में पारित किए गए दोषमुक्ति के आदेश जहां तक अपास्त किया गया है उच्च न्यायालय के आदेश को कायम रखते हुए अपील भागतः मंजूर

की जाती है । परन्तु आक्षेपित निर्णय को इस सीमा तक उपान्तरित किया गया है कि दंड संहिता की धारा 302 के बजाय अपीलार्थी को धारा 304 (भाग 1) के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए दोषसिद्ध किया गया है, पूर्वोक्त अपराध के लिए उसकी दोषसिद्धि पर अपीलार्थी को 10 वर्ष के कारावास भोगने और 1,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने के संदाय का व्यतिक्रम करने पर उसे एक वर्ष के कठोर कारावास भोगने का भी दंडादेश दिया गया ।"

15. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने **हरिराम** बनाम **हरियाणा राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया और सुसंगत पैरा 3 है जो इस प्रकार है :–

> अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा हमारे समक्ष केवल यह दलील दी गई कि वास्तव में अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 302 के अधीन कोई अपराध नहीं बनता है और धारा 304 के द्वितीय भाग के अन्तर्गत दोषसिद्धि उसके बजाय की जानी चाहिए । हम विद्वान् काउंसेल से सहमत हैं यह प्रतीत होता है कि एक ओर रन सिंह और दूसरी ओर अपीलार्थी और उसके साथी के बीच उत्तेजित वाक्कलह हुई । अपीलार्थी ने जेली को पकड़ा और रन सिंह के वक्ष पर उसको फेंक दिया । यह भी उल्लेखनीय है कि उसने अपनी यह टिप्पणी भी की थी कि रन सिंह को उसके व्यवहार के कारण पीटा भी जाएगा । अपीलार्थी द्वारा रन सिंह पर केवल एक प्रहार किया गया था । साक्ष्य में यह प्रकट नहीं होता है कि राम सिंह की हत्या करने का कोई आशय था । अतः, हमारा इस बात से समाधान है कि धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि को कायम नहीं रखा जा सकता है और इसके प्रतिकूल धारा 304 के दूसरे भाग के अधीन अपराध के तथ्य प्रकट होते हैं ।

16. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने **पूलीछेरला नागराजू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य**[2] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय का भी अवलंब लिया गया जिसमें उच्चतम न्यायालय ने इस मुद्दे की परीक्षा की कि क्या विचार में सुसंगत कारकों को भी ध्यान में रखा गया होगा जब इस प्रश्न का विनिश्चय किया जा रहा था कि क्या वर्तमान मामला दंड संहिता की धारा

---

[1] ए. आई. आर. 1983 एस. सी. 185.

[2] (2006) 11 एस. सी. सी. 444 = ए. आई. आर. 2006 एस. सी. 3010.

302 या धारा 304 का भाग 1 या भाग 2 के अन्तर्गत आता है । सुसंगत पैरा 29 है जो इस प्रकार है :–

"29. इसलिए, न्यायालय को आशय के निर्णायक प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए सावधानीपूर्वक अग्रसर होना चाहिए क्योंकि मामले पर यह विनिश्चय किया जाएगा कि क्या दंड संहिता की धारा 302 या 304 भाग 1 या भाग 2 के अन्तर्गत मामला आता है । कई छोटे-मोटे और तुच्छ मामलों में फल को तोड़ना, मवेशी का घूमना, बच्चों का लड़ाई-झगड़ा, कठोर शब्दों में उत्तर देना या आपत्तिजनक बातों से वाक्कलह हो जाती है और सामूहिक झगड़े से मृत्यु जैसी घटनाएं घट जाती हैं, प्रायिक हेतु जैसे बदला लेना, ईर्ष्या होना या ऐसे मामलों में सम्पूर्ण रूप से इन बातों का अभाव हो सकता है और कोई आशय भी नहीं हो सकता है और कोई पूर्वचिन्तन भी नहीं हो सकता है और वस्तुतः आपराधिकता भी नहीं हो सकती है । घटना के दूसरी ओर हत्या के मामले भी हो सकते हैं जहां अभियुक्त हत्या की शास्ति से बचने का प्रयत्न करता है जिसमें मामले को इस प्रकार बनाए जाने का प्रयत्न किया जाता है कि मृत्यु किए जाने का कोई आशय नहीं था । न्यायालयों के लिए यह बात सुनिश्चित करना होता है कि दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के मामलों को धारा 304 के भाग 1 और 2 में संपरिवर्ति न किया जाए या हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मामलों में इन अपराधों को धारा 302 के अधीन दंडनीय हत्या के मामले के रूप में माना जाए । मृत्यु कारित करने के आशय को सामान्यतः निम्नलिखित में से कुछ या कई परिस्थितियों के बीच में से समवेत किया जा सकता है, (i) इस्तेमाल किए गए आयुध की प्रकृति; (ii) कि क्या अभियुक्त द्वारा आयुध को लाया गया था, या घटनास्थल से उसे उठाया गया था; (iii) क्या प्रहार शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर लक्षित करके किया गया था; (iv) क्षति कारित करने में प्रयोग किए गए बल की मात्रा; (v) कि क्या अचानक झगड़े से ऐसा कार्य हुआ था या अचानक झगड़ना या सभी झगड़ों से मुक्त होकर; (vi) क्या संयोग से घटना घटी या कोई पूर्वचिन्तन था; (vii) क्या कोई पूर्व दुश्मनी थी या क्या मृतक विचित्र आदमी था; (viii) कि क्या कोई गंभीर अचानक प्रकोपन हुआ था और यदि ऐसा है तो ऐसे प्रकोपन के कारण; (ix) कि क्या उत्तेजना में ऐसा कार्य हुआ था; (x) कि क्या किसी व्यक्ति को

असामयिक् फायदा पहुंचाने के क्षति कारित हुई थी या ऐसा कार्य क्रूरता या अप्रायिक रीति में हुआ; (xi) कि क्या अभियुक्त ने एकल या कई प्रहार किए थे । निःसंदेह, उपरोक्त परिस्थितियों की सूची समाप्त नहीं हुई है और कई अन्य विशेष परिस्थितियां व्यष्टिक या व्यक्तिगत मामलों में निर्देश देने के लिए एकत्र हुई हैं जो आशय के प्रश्न पर प्रकाश डाल सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है ।"

17. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों तथा उपरोक्त चर्चित विधि पर विचार करते हुए यदि इस मामले में हम साबित तथ्यों पर विधि के उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हैं तब हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस मामले में अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302 के बजाय दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाना चाहिए । इसलिए, हम आंशिक रूप से यह अपील मंजूर करते हैं और दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त करते हैं और उसे दंड संहिता की धारा 304 भाग 1 के अधीन अपराध कारित किए जाने के लिए दोषसिद्ध करते हैं और वह 10 वर्ष के कठोर कारावास की अवधि का दंड बहुत पहले ही भुगत चुका है जैसा कि अभिलेख से प्रकट है कि अपीलार्थी तारीख 20 अक्तूबर, 2016 से अभिरक्षा में है । उसे तत्काल मुक्त किए जाने का निदेश दिया जाता है । यदि उसे अन्य किसी मामले में निरुद्ध किया जाना अपेक्षित न हो ।

इस निर्णय की प्रति सूचना और आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित विचारण न्यायालय और जेल प्राधिकारियों को भेजी जाती है । नियमों के अनुसार प्रति अभिप्रमाणित की गई है ।

अपील भागतः मंजूर की गई ।

आर्य

हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

पंकज गुलेरिया

तारीख 8 जनवरी, 2018

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा

दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 279, 337 और 338 [सपठित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3] – उतावलेपन से और उपेक्षापूर्ण रीति में वाहन चलाना – साक्ष्य का मूल्यांकन – अभियुक्त द्वारा अपनी मोटरसाइकिल का अभिकथित रूप से उतावलेपन से तथा उपेक्षापूर्ण रीति में चलाना और बस में टक्कर मारना – साक्षियों द्वारा घटनास्थल पर रेत और बजरी के मौजूद होने और उस पर से मोटरसाइकिल फिसलने की पुष्टि होना – अभियुक्त द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्ण रीति में मोटरसाइकिल चलाने का साक्ष्य न होना – साक्षियों ने यह स्पष्ट किया है कि घटनास्थल पर रेत और बजरी पड़ी हुई थी और जब प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने ब्रेक लगाए तो मोटरसाइकिल फिसल गई और उसके द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्ण रीति में मोटरसाइकिल चलाने के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में निचले न्यायालय का दोषमुक्ति का निर्णय उचित है ।

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता आशा कुमारी (अभि. सा. 3) ने अपना कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अधीन अभिलिखित कराया कि तारीख 2 मई, 2010 को लगभग 5 बजे अपराह्न में मलेटा में अभियुक्त मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल. 35 बी. के. 2891) लोक राजमार्ग पर उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में लापरवाही के साथ और खतरनाक तरीके से चला रहा था जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को साधारण और गंभीर क्षतियां कारित हुईं, जब उपरोक्त मोटरसाइकिल को अभियुक्त चला रहा था तब उसने बस (रजिस्ट्रेशन सं. एच. पी. 54ए - 5953) में टक्कर मारी । अभियुक्त को एफ. आर. यू. देहरा चिकित्सीय उपचार के लिए भेज दिया गया जहां से चिकित्सा अधिकारी ने फोन पर पुलिस थाने में दुर्घटना के संबंध में सूचना दी जिसके आधार पर रपट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ए अभिलिखित की गई ।

अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, पुलिस ने दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 तथा मोटर यान अधिनियम की धारा 184 के अधीन सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया और न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, अभियुक्त को विधि के उपरोक्त उपबंधों के अधीन अभियोग का नोटिस जारी किया जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 7 साक्षियों की परीक्षा कराई जबकि अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अभियोजन पक्षकथन का पूर्ण रूप से इनकार किया और अपने निर्दोष होने का दावा किया । तथापि, वास्तविकता यह रही कि उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । तत्पश्चात्, विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने तारीख 1 मार्च, 2012 के अपने आदेश द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । उपरोक्त पृष्ठभूमि में अपीलार्थी राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान कार्यवाहियां करते हुए आवेदन किया है जिसमें दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने के पश्चात् प्रत्यर्थी-अभियुक्त की दोषसिद्धि किए जाने की ईप्सा की है । उच्च न्यायालय ने अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित – मामले की कार्यवाही के दौरान इस न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का परिशीलन किया है जिसके आधार पर यह न्यायालय विद्वान् अपर महाधिवक्ता की दलील से सहमत नहीं है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त करने में अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ा है, गलत निर्वचन किया है या उसका गलत अर्थ लगाया है बल्कि इस न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् बिना किसी संकोच के यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित नहीं कर सका है कि अपराधकारी यान उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में चलाया जा रहा था, इसलिए विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निर्णय में कोई भी अवैधता या कमी नहीं है । वर्तमान मामले में, जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट होता है कि सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी अर्थात् आशा कुमारी (अभि. सा. 3), जगदीश चन्द्र (अभि. सा. 1) और मल्किट सिंह (अभि. सा. 2) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभिकथित

घटनास्थल पर रेत पड़ी हुई थी और जब प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने ब्रेक लगाए, मोटरसाइकिल फिसल गई जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को साधारण और गंभीर क्षतियां पहुंचीं । मल्कित सिंह (अभि. सा. 2) प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से एक साक्षी है और यह उस बस का यात्री भी है, इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया है और यह कथन किया है कि मोटरसाइकिल चालक अर्थात् अभियुक्त सड़क पर गिर गया था और यह साक्षी यह कथन नहीं कर सका कि किसकी गलती से दुर्घटना घटित हुई । इन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा से भी यह पता नहीं चलता है कि अभियोजन पक्ष ने ऐसी कोई बात साक्षियों से स्पष्ट करवाई हो जो उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में न कही हो । बस का परिचालक सनी कुमार पक्षद्रोही हो गया है और उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त की मोटरसाइकिल रेत पर फिसल गई थी जो घटनास्थल पर पड़ा हुआ था जिसके पश्चात् मोटरसाइकिल बस से जाकर टकराई । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से यह दुर्घटना हुई है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में भी किसी भी स्थान पर उसे यह सुझाव नहीं दिया गया है कि अभियोजन पक्ष उससे ऐसी कोई बात स्पष्ट करा पाता जो उसने अपनी मुख्य परीक्षा में न कही हो । उपरोक्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्यों का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने निश्चित रूप से अभिकथित घटना के समय प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के संबंध में कथन नहीं किया है । इसी प्रकार, किसी भी अभियोजन साक्षी ने बस से टकराने वाली मोटरसाइकिल की गति के संबंध में कोई भी विशेष बात नहीं कही है । उपरोक्त बातों के अतिरिक्त किसी भी अभियोजन साक्षी ने वाहन की गति के संबंध में कोई भी विशिष्ट कथन नहीं किया है और इस प्रकार निचले न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के मात्र कथन के आधार पर ऐसा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि सुसंगत समय पर अभियुक्त उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में मोटरसाइकिल चला रहा था । यदि किसी अभियोजन साक्षी ने किसी विशेष गति के संबंध में उल्लेख किया होता, तब न्यायालय के लिए शिकायतकर्ता के इस दावे की असलियत और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतरीन साक्ष्य होता कि अभियुक्त-अपीलार्थी उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में वाहन चला रहा था । अब तक यह सुस्थापित हो गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने को

साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर विशिष्ट साक्ष्य, यदि कोई है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए । दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 और मोटर यान अधिनियम की धारा 184 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए दोषी ठहराने हेतु मात्र अभिकथन करना पर्याप्त नहीं होता है । परिणामतः, ऊपर की गई विस्तृत चर्चा को दृष्टिगत करते हुए इस न्यायालय को निचले विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के ऐसे निष्कर्ष से भिन्न मत व्यक्त करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है जो अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है । (पैरा 6, 9, 10, 11 और 16)

निर्दिष्ट निर्णय

		पैरा
[2010]	ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 2768 : **सी. मंगेश और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य** ;	15
[2009]	(2009) एच. पी. एल. जे. (एच. पी.) 72 = 2009 क्रिमिनल ला जर्नल (एन. ओ. सी.) 51 (एच. पी.) : **अक्षय कुमार** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ;	12
[1990]	(1990) 2 ए. सी. जे. 598 = 1991 क्रिमिनल ला जर्नल 771 (एच. पी.) : **गुरूचरन सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** ।	12

अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2012 की दांडिक अपील सं. 251.

आपराधिक मामला सं. 122-II/2010 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 1, देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 1 मार्च, 2012 को पारित दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील ।

अपीलार्थी की ओर से श्री पी. एम. नेगी (अपर महाधिवक्ता)

प्रत्यर्थी की ओर से श्री किशोर पुंडीर (उप अधिवक्ता)

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा – आपराधिक मामला सं. 122-II/2010 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, न्यायालय सं. 1, देहरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 1 मार्च, 2012 को पारित दोषमुक्ति के उस निर्णय से व्यथित और असंतुष्ट होकर यह अपील फाइल की गई है

जिसके द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे संक्षेप में "दंड संहिता" कहा गया है) की धारा 279, 337 और 338 तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 184 के अधीन लगाए गए अभियोग से दोषमुक्त कर दिया गया, इसलिए अपीलार्थी-राज्य ने वर्तमान अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है ।

2. संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि शिकायतकर्ता आशा कुमारी (अभि. सा. 3) ने अपना कथन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 154 के अधीन अभिलिखित कराया कि तारीख 2 मई, 2010 को लगभग 5 बजे अपराह्न में मलेटा में अभियुक्त मोटरसाइकिल (रजिस्ट्रेशन सं. डी. एल. 35 बी. के. 2891) लोक राजमार्ग पर उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में लापरवाही के साथ और खतरनाक तरीके से चला रहा था जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को साधारण और गंभीर क्षतियां कारित हुईं, जब उपरोक्त मोटरसाइकिल को अभियुक्त चला रहा था तब उसने बस (रजिस्ट्रेशन सं. एच. पी. 54ए - 5953) में टक्कर मारी । अभियुक्त को एफ. आर. यू. देहरा चिकित्सीय उपचार के लिए भेज दिया गया जहां से चिकित्सा अधिकारी ने फोन पर पुलिस थाने में दुर्घटना के संबंध में सूचना दी जिसके आधार पर रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ए अभिलिखित की गई । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात्, पुलिस ने दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 तथा मोटर यान अधिनियम की धारा 184 के अधीन सक्षम न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत किया और न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनता है, अभियुक्त को विधि के उपरोक्त उपबंधों के अधीन अभियोग का नोटिस जारी किया जिस पर अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण की मांग की । अभियोजन पक्ष ने अपना पक्षकथन साबित करने के लिए कुल मिलाकर 7 साक्षियों की परीक्षा कराई जबकि अभियुक्त ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अभियोजन पक्षकथन का पूर्ण रूप से इनकार किया और अपने निर्दोष होने का दावा किया । तथापि, वास्तविकता यह रही कि उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । तत्पश्चात्, विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने तारीख 1 मार्च, 2012 के अपने आदेश द्वारा प्रत्यर्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया । उपरोक्त पृष्ठभूमि में अपीलार्थी राज्य ने इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान कार्यवाहियां करते हुए आवेदन किया है जिसमें दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करने के पश्चात् प्रत्यर्थी-अभियुक्त की

दोषसिद्धि किए जाने की ईप्सा की है ।

3. विद्वान् अपर महाधिवक्ता श्री पी. एम. नेगी ने हमारा ध्यान विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोषमुक्ति के आक्षेपित निर्णय की ओर दिलाया है और दृढ़तापूर्वक यह दलील दी है कि यह आदेश विधि की दृष्टि से कायम रखे जाने योग्य नहीं है क्योंकि यह साक्ष्य के उचित मूल्यांकन पर आधारित नहीं है इसलिए यह आदेश अभिखंडित और अपास्त किया जाना चाहिए । श्री नेगी ने यह भी दलील दी है कि यदि विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का परिशीलन अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य को दृष्टिगत करते हुए, किया जाए तब स्पष्ट रूप से यह सामने आता है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने साक्ष्य का सही परिप्रेक्ष में मूल्यांकन नहीं किया है जिसके परिणामस्वरूप अभिलेख पर गलत निष्कर्ष निकाला गया है और अभियुक्त को, जो सुसंगत समय पर उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण अपनी मोटरसाइकिल चला रहा था, गलत तरीके से दोषमुक्त किया गया है । अपनी उपरोक्त दलील को साबित करने की दृष्टि से श्री नेगी ने हमारा ध्यान आशा कुमारी (अभि. सा. 3) और जगदीश चन्द्र (अभि. सा. 1) के साक्ष्य की ओर दिलाते हुए यह दलील दी है कि अभियोजन पक्ष ने किसी भी युक्तियुक्त संदेह के परे अपना पक्षकथन सफलतापूर्वक साबित किया है कि अभियुक्त उपेक्षापूर्ण और उतावलेपन से मोटरसाइकिल चला रहा था, इस प्रकार विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि वे उसे विरचित आरोपों से दोषमुक्त करते । अन्त में श्री नेगी ने यह दलील दी है कि इस संबंध में कोई विवाद नहीं है कि इस दुर्घटना से संबंधित अपराधकारी यान को प्रत्यर्थी-अभियुक्त ही चला रहा था, इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अभिखंडित और अपास्त किया जाना चाहिए ।

4. प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री किशोर पुंडीर ने विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निर्णय का समर्थन किया है और यह दलील दी है कि इस निर्णय में कोई भी अवैधता या कमी नहीं है और यह निर्णय अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का ठीक प्रकार से मूल्यांकन किए जाने पर ही आधारित है । प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी है कि अभियोजन पक्ष के सभी महत्वपूर्ण साक्षी पक्षद्रोही हो गए हैं और किसी भी अभियोजन साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह कथन नहीं किया है कि सुसंगत समय पर अपराधकारी यान उतावलेपन से और उपेक्षापूर्ण

रीति में प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा चलाया जा रहा था, इसलिए, विद्वान् निचले न्यायालय ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त को ठीक ही दोषमुक्त किया है ।

5. मैंने पक्षकारों की ओर से विद्वान् काउंसेलों को सुना है और अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है ।

6. मामले की कार्यवाही के दौरान इस न्यायालय में अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य का परिशीलन किया है जिसके आधार पर यह न्यायालय विद्वान् अपर महाधिवक्ता की दलील से सहमत नहीं है कि विद्वान् निचले न्यायालय ने प्रत्यर्थी-अभियुक्त को दोषमुक्त करने में अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य को गलत तरीके से पढ़ा है, गलत निर्वचन किया है या उसका गलत अर्थ लगाया है बल्कि इस न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् बिना किसी संकोच के यह निष्कर्ष निकाला है कि अभियोजन पक्ष अपना पक्षकथन संदेह के परे साबित नहीं कर सका है कि अपराधकारी यान उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में चलाया जा रहा था, इसलिए विद्वान् निचले न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के निर्णय में कोई भी अवैधता या कमी नहीं है । वर्तमान मामले में, जैसा कि अभिलेख से स्पष्ट होता है सभी महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षी अर्थात् आशा कुमारी (अभि. सा. 3), जगदीश चन्द्र (अभि. सा. 1) और मल्कित सिंह (अभि. सा. 2) ने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि अभिकथित घटनास्थल पर रेत पड़ी हुई थी और जब प्रत्यर्थी-अभियुक्त ने ब्रेक लगाए, मोटरसाइकिल फिसल गई जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को साधारण और गंभीर क्षतियां पहुंचीं । मल्कित सिंह (अभि. सा. 2) प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों में से एक साक्षी है और यह उस बस का यात्री भी है, इस साक्षी ने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया है और यह कथन किया है कि मोटरसाइकिल चालक अर्थात् अभियुक्त सड़क पर गिर गया था और यह साक्षी यह कथन नहीं कर सका कि किसकी गलती से दुर्घटना घटित हुई । इन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा से भी यह पता नहीं चलता है कि अभियोजन पक्ष ने ऐसी कोई बात साक्षियों से स्पष्ट करवाई हो जो उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में न कही हो । बस का परिचालक सनी कुमार पक्षद्रोही हो गया है और उसने यह कथन किया है कि अभियुक्त की मोटरसाइकिल रेत पर फिसल गई थी जो घटनास्थल पर पड़ा हुआ था जिसके पश्चात् मोटरसाइकिल बस से जाकर टकराई । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि वह यह नहीं बता सकता कि किसकी गलती से यह दुर्घटना हुई है । इस साक्षी की प्रतिपरीक्षा में भी

किसी भी स्थान पर उसे यह सुझाव नहीं दिया गया है कि अभियोजन पक्ष उससे ऐसी कोई बात स्पष्ट करा पाता जो उसने अपनी मुख्य परीक्षा में न कही हो ।

7. चालक जगदीश चन्द्र (अभि. सा. 1) ने विद्वान् निचले न्यायालय के समक्ष यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अभियुक्त ने एक सूमो वाहन से आगे निकलने का प्रयास करते समय अपनी मोटरसाइकिल से बस में टक्कर मारी किन्तु उसकी प्रतिपरीक्षा के दौरान स्पष्ट रूप से यह बात सामने आई है कि सड़क पर रेत/बजरी पड़ी हुई थी और इस साक्षी ने इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि मोटरसाइकिल वाले ने ब्रेक लगाए थे और मोटरसाइकिल फिसलकर बस से टकराई थी ।

8. आशा कुमारी (अभि. सा. 3) ने भी अभि. सा. 1 के साक्ष्य की संपुष्टि की है कि अभियुक्त जब सूमो वाहन से आगे निकलने का प्रयास कर रहा था, तब वह गिर गया और उसे क्षति पहुंची किंतु आशा कुमारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि सड़क पर बजरी पड़ी हुई थी और संभवतः मोटरसाइकिल इसी कारण फिसली थी ।

9. उपरोक्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्यों का संयुक्त रूप से परिशीलन करने पर स्पष्ट रूप से यह पता चलता है कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने निश्चित रूप से अभिकथित घटना के समय प्रत्यर्थी-अभियुक्त द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने के संबंध में कथन नहीं किया है । इसी प्रकार, किसी भी अभियोजन साक्षी ने बस से टकराने वाली मोटरसाइकिल की गति के संबंध में कोई भी विशेष बात नहीं कही है ।

10. उपरोक्त बातों के अतिरिक्त किसी भी अभियोजन साक्षी ने वाहन की गति के संबंध में कोई भी विशिष्ट कथन नहीं किया है और इस प्रकार निचले न्यायालय द्वारा शिकायतकर्ता के मात्र कथन के आधार पर ऐसा कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाला गया है कि सुसंगत समय पर अभियुक्त उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में मोटरसाइकिल चला रहा था । यदि किसी अभियोजन साक्षी ने किसी विशेष गति के संबंध में उल्लेख किया होता, तब न्यायालय के लिए शिकायतकर्ता के इस दावे की असलियत और शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए एक बेहतरीन साक्ष्य होता कि अभियुक्त-अपीलार्थी उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति में वाहन चला रहा था ।

11. अब तक यह सुस्थापित हो गया है कि अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा

उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण वाहन चलाने को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर विशिष्ट साक्ष्य, यदि कोई है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए । दंड संहिता की धारा 279, 337 और 338 और मोटर यान अधिनियम की धारा 184 के अधीन दंडनीय अपराध कारित किए जाने के लिए दोषी ठहराने हेतु मात्र अभिकथन करना पर्याप्त नहीं होता है ।

12. इस प्रक्रम पर **अक्षय कुमार** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अवलंब लिया गया है जिसका सुसंगत पैरा निम्न प्रकार है :–

> "8. वास्तव में वह क्षति उपेक्षापूर्ण कारित की गई क्षति समझी जाएगी चाहे जानबूझकर कारित की गई हो किन्तु उस कार्य को करने में, बिना किसी दक्षता, ज्ञान या योग्यता जो उस कार्य को करने के लिए आवश्यक है, युक्तियुक्त सावधानी न बरती गई हो या जब वह कार्य इन बातों का युक्तियुक्त प्रयोग किए बिना किया गया हो या युक्तियुक्त सावधानी बरतने के बिना ऐसी रिष्टि को रोकने के लिए कार्य किया गया हो जो किसी ऐसे कार्य के लोप से उद्भूत हुई है जो भयावह है और जिसके संबंध में अभियुक्त को जानकारी है कि यह कार्य भयावह है और इस कार्य से क्षति कारित हो सकती है या उसे यह ज्ञान है कि ऐसे कार्य से क्षति संभाव्य है । लापरवाही और उदासीनता के जोखिम भरे कार्य को करने से यह अपराध गठित होता है । उतावलेपन के या उपेक्षापूर्ण कार्य को आपराधिक उतावलापन या उपेक्षा कहा जा सकता है । यह कार्य मात्र असावधानी या निर्णय की गलती से बढ़कर है ।"

निचले न्यायालय ने उपरोक्त तथ्यों का मूल्यांकन नहीं किया है कि सड़क के किनारे पर मलबा पड़ा हुआ था और मोड़ते समय वाहन फिसल गया, सड़क पर मोड़ लेने के संबंध में, जैसा कि ऊपर कथन किया गया है, कुछ साक्षियों ने यह स्वीकार किया है कि डांगे (स्थानीय वाहन) ने बस को रास्ता दिया जिसके कारण दुर्घटना घटित हुई और याची द्वारा उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण गाड़ी चलाए जाने से इनकार किया गया है, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि निचले दोनों न्यायालयों द्वारा याची के विरुद्ध निकाले गए निष्कर्ष साक्ष्य के विधिक और समुंचित मूल्यांकन पर

---

[1] (2009) एच. पी. एल. जे. (एच. पी.) 72 = 2009 क्रिमिनल ला जर्नल (एन. ओ. सी.) 51 (एच. पी.).

आधारित नहीं हैं । ऊपर कथित परिस्थितियों के आधार पर, यह नहीं कहा जा सकता है कि याची ने उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण आपराधिक कृत्य किया है, इस प्रकार वह संदेह का लाभ पाने का हकदार है क्योंकि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से दो मत उद्भुत होते हैं ।

13. **गुरूचरन सिंह** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णय का अवलंब लिया गया है जिसका सुसंगत भाग निम्न प्रकार है :–

> "14. इस मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए यह साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत ट्रक उर्वरक से लदा हुआ था जिसका कुल भार 90 कुन्तल था । स्पष्ट है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि उस वाहन की गति बहुत तेज थी । दूसरी बात यह है कि यह एक राजमार्ग है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग । अतः, इस कारण ट्रक की गति को बहुत तेज गति नहीं माना जा सकता ।
>
> 15. इस मुद्दे से संबंधित साक्षियों के कथनों पर विचार करने पर यह पता चलता है कि ट्रक तेज गति से चल रहा था किन्तु यह नहीं बताया गया है कि वास्तव में उसकी गति कितनी थी । यह कहना कि वाहन तेज गति से चल रहा था यह न तो उचित है और न ही इस संबंध में कोई ऐसा विधिक साक्ष्य है जिससे यह उपदर्शित हो सके कि चालक उतावलेपन से गाड़ी चला रहा था । अभियोजन पक्ष को इस पहलू पर सटीक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए था कि वाहन की गति क्या थी जो कि विचार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बिन्दु है और दंड संहिता की धारा 304क के अधीन मामला साबित किया जाना चाहिए । इसके अतिरिक्त, सड़क पर टायर की रगड़ के कोई भी चिह्न नहीं पाए गए हैं जिससे वाहन के तेज गति में चलने का साक्ष्य त्यक्त हो जाता है । इसके अतिरिक्त, साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि वाहन घटनास्थल से 50 फुट दूर जाकर रुका था । यह अतिश्योक्ति प्रतीत होती है । तथापि, यह लम्बी दूरी नहीं कही जा सकती जिसके दो आधार हैं अर्थात् पहला दुर्घटना के दौरान टक्कर लगने के स्थान से लेकर ट्रक के अन्तिम पहिए अर्थात् सम्पूर्ण ट्रक की बॉडी तक ही काफी दूरी बन जाती है । यदि इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो साक्षी द्वारा बताई गई दूरी को अधिक नहीं

---

[1] (1990) 2 ए. सी. जे. 598 = 1991 क्रिमिनल ला जर्नल 771 (एच. पी.).

माना जा सकता और इस प्रकार इसे तीव्र गति भी नहीं कहा जा सकता । याची का यह वृत्तांत कि उसने सड़क पर मोड़ आने पर हॉर्न बजाया था जिससे बालक घबरा गया, सारहीन नहीं माना जा सकता । इससे युक्तियुक्त रूप से यह निष्कर्ष निकलता है कि याची ने सड़क पर बालक को देखकर हॉर्न बजाया होगा जैसा कि साक्ष्य में भी आया है कि बालक सड़क पक्के भाग पर चल रहा था जबकि इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है कि क्या साक्षी विशेषकर घनश्याम (अभि. सा. 7), चन्दर कान्ता (अभि. सा. 8) जो कि बालक की माता है और कुछ अन्य साक्षी दुर्घटना के समय उपस्थित थे या नहीं । अपितु, इन साक्षियों के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि वे किसी ग्राम की गली से आ रहे थे जो प्रश्नगत सड़क से आकर मिलती थी । आमतौर पर इस आयु के बच्चों का स्वभाव चंचल होता है, वे अपने माता-पिता से अधिक तेज चलते हैं और रास्ते में उनसे आगे-आगे रहते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में ऐसा ही हुआ है । इस मामले की परिस्थितियों और अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सूक्ष्मता से परिशीलन करने पर यह प्रकट होता है कि मृतक सड़क के पक्के भाग पर अपने माता-पिता और अन्य साक्षियों के पहुंचने के पूर्व ही पहुंच गया था । यही कारण है कि साक्षियों के अभिसाक्ष्य में उन्होंने यह कथन किया है कि ट्रक बच्चे के ऊपर होकर उतर गया था । इसके प्रतिकूल, याची ने यह कथन किया है कि उसने हॉर्न बजाया था जो बालक ने नहीं सुना और वह सड़क पार करने लगा जिसके परिणामस्वरूप दुर्घटना में बच्चे की मृत्यु हो गई । यदि पैदल चलने वाले अचानक सड़क पार करने लगते हैं तब वाहन चालक ऐसे चलने वालों को दुर्घटना से नहीं बचा सकता चाहे वह अपना वाहन कितना भी धीमी गति से क्यों न चला रहा हो । ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह लापरवाही से वाहन चला रहा था अपितु ऐसा प्रतीत होता है कि बच्चे के माता-पिता अपने बच्चे की देख-रेख करने में लापरवाही बरत रहे थे और उन्होंने बच्चे को अकेले ही सड़क पर जाने दिया यदि बच्चे के माता-पिता ने यह देख लिया था कि ट्रक तीव्र गति से आ रहा था और वे बच्चे के पीछे-पीछे थे तब वे आगे बढ़कर बच्चे को पीछे खींच सकते थे और यदि बच्चा सड़क पार करना चाहता तो वह घटनास्थल पर पहुंचते ही पार कर सकता था । यह दुर्घटना वास्तव में किस प्रकार घटित हुई है, किसी भी साक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से और सारवान् रूप से उल्लिखित नहीं की गई है ।

ऐसा प्रतीत होता है कि साक्षी चालक के प्रति दुर्भावना रखते हैं । अतः, उनका साक्ष्य याची के कृत्य से प्रभावित हुआ है और उनके मन में बच्चे की मृत्यु हो जाने के कारण चालक के प्रति दुर्भावना आई है ।"

14. उपरोक्त बातों के अतिरिक्त, इस न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सावधानीपूर्वक परिशीलन करने के पश्चात् प्रत्यर्थी-अभियुक्त की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री किशोर पुंडीर द्वारा दी गई दलील से सहमति व्यक्त की है कि इन साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य का कोई भी अवलंब नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उनके साक्ष्य में महत्वपूर्ण असंगतताएं और विरोधाभास हैं ।

15. अब तक यह सुस्थापित हो गया है कि दांडिक विचारण में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों के साक्ष्य का निर्धारण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए और उसकी विश्वसनीयता जानने के लिए बारीकी से मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है । माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार यह अभिनिर्धारित किया है कि चूंकि आपराधिक न्यायशास्त्र के मूल पहलू सुस्थापित सिद्धांतों पर आधारित हैं कि किसी भी व्यक्ति को उसके दोषी साबित किए जाने तक, दोषी नहीं माना जा सकता, जब अनेक साक्षियों द्वारा एक से अधिक परिसाक्ष्य दिए गए हों तब उनका मूल्यांकन किए जाने के समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण मत इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है कि सभी साक्षियों के साक्ष्य के बीच तालमेल बना होना चाहिए और सभी साक्षियों का साक्ष्य में संगतता की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आपराधिक मामले में संगतता की कसौटी पर ही साक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है । इस संबंध में, **सी. मंगेश और अन्य** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्न अभिनिर्धारित किया गया है :–

"45. इस मामले में यह उल्लेखनीय है कि दांडिक न्यायशास्त्र में साक्ष्य का मूल्यांकन संगतता की कसौटी पर किया जाना चाहिए । यह कहना आवश्यक नहीं है कि संगतता किसी अभियुक्त की दोषसिद्धि कायम रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है । इस संबंध में यह उल्लेख किया जाना चाहिए कि इस न्यायालय ने सुरजा सिंह **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य {(2008) 16 एस. सी. सी. 686 = [2008]

[1] ए. आई. आर. 2010 एस. सी. 2768.

11 एस. सी. आर. 286 = ए. आई. आर. 2009 एस. सी. सप्ली 631} वाले मामले के पैरा 14 में निम्न प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है :–

> "14. साक्ष्य का मूल्यांकन उसकी अपनी अन्तर्निहित संगतता और कहानी की अन्तर्निहित संभाव्यता के आधार पर किया जाना चाहिए; अन्य साक्षियों के साक्ष्य की संगतता विश्वसनीय होनी चाहिए ;... ऐसे साक्ष्य के सारभूत महत्व के आधार पर अन्य साक्ष्य का संचयी मूल्यांकन किया जा सकता है ।
>
> दांडिक विचारण के दौरान प्रत्यक्षदर्शी के साक्ष्य का सावधानीपूर्वक निर्धारण किया जाना चाहिए और उसकी विश्वसनीयता को परखना चाहिए । चूंकि दांडिक न्यायशास्त्र का मूल उद्देश्य इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी भी व्यक्ति को उसके दोषी साबित होने तक, दोषी नहीं माना जा सकता, इसलिए ऐसी स्थिति पर विचार करते समय कड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए जिसमें कई साक्षियों द्वारा परिसाक्ष्य दिया गया हो और साथ ही न्यायालय के समक्ष बड़ी संख्या में साक्षियों ने कथन दिया हो । सभी साक्षियों के साक्ष्य के बीच तालमेल की रेखा बननी चाहिए और सभी साक्षियों के साक्ष्य के बीच संगतता को लेकर समाधान होना चाहिए ।"

16. परिणामतः, ऊपर की गई विस्तृत चर्चा को दृष्टिगत करते हुए इस न्यायालय को निचले विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषमुक्ति के ऐसे निष्कर्ष से भिन्न मत व्यक्त करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता है जो अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित है ।

17. तद्नुसार, वर्तमान अपील खारिज की जाती है । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कायम रखा जाता है । यदि अभियुक्त द्वारा जमानत पत्र निष्पादित किए गए हैं, उन्मोचित किए जाते हैं । इस न्यायालय द्वारा प्राप्त किया गया निचले न्यायालय का अभिलेख तत्काल वापस भेजा जाता है ।

अपील खारिज की गई ।

अस.

गतांक से आगे .....

दूसरी अनुसूची

(धारा 27 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

1. **कुलाधिपति** – (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, देश के शैक्षणिक या सार्वजनिक जीवन के विख्यात व्यक्तियों में से कार्य परिषद् द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी :

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष इस प्रकार सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह कार्य परिषद् से नई सिफारिशें मांग सकेगा ।

(2) कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कुलाधिपति अपनी पदावधि के अवसान होने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती अपना पद ग्रहण न कर ले ।

2. **कुलपति** – (1) कुलपति की नियुक्ति, खंड (2) के अधीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी :

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष पैनल में सम्मिलित व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन न करे तो वह विस्तारित नया पैनल मंगा सकेगा ।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में पांच व्यक्ति होंगे, जिनमें से तीन कार्य परिषद् द्वारा और दो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे तथा कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती समिति का संयोजक होगा :

परन्तु समिति का कोई भी सदस्य, उस विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था का कर्मचारी या उस विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य नहीं होगा ।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और, यथास्थिति, वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति पर भी वह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तरवर्ती नियुक्त नहीं किया जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है :

परन्तु यह और कि कुलाध्यक्ष यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा कोई कुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, कुल मिलाकर एक वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि तक, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, पद पर बना रहेगा ।

(5) खंड (4) में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, कुलपति द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पश्चात् किसी समय लिखित आदेश द्वारा कुलपति को अक्षमता, कदाचार या कानूनी उपबंधों के अतिक्रमण के आधारों पर पद से हटा सकेगा :

परन्तु कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कुलपति को उसके विरुद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरोध में हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो :

परन्तु यह और कि कुलाध्यक्ष ऐसा आदेश करने से पूर्व कुलपति से भी परामर्श करेगा :

परन्तु यह भी कि कुलाध्यक्ष ऐसा आदेश करने से पूर्व किसी समय जांच के लंबित रहने के दौरान उक्त कुलपति को निलंबनाधीन रख सकेगा ।

(6) कुलपति की परिलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी –

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और यह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुसज्जित निवास-स्थान का उपयोग करने का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के रखरखाव की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा ;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत किए जाएं :

परन्तु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जा रहे किसी महाविद्यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे या विशेषाधिकार दिए गए

किसी महाविद्यालय संस्था का कर्मचारी कुलपति नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य निधि में, जिसका वह सदस्य है, अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में उस व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा, जिससे वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था :

परन्तु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा ;

(iii) कुलपति ऐसी दरों से, जो कार्य परिषद् द्वारा नियत की जाएं, यात्रा भत्ते के लिए हकदार होगा ;

(iv) कुलपति किसी कलैंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी, पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दी जाएंगी :

परन्तु यदि कुलपति किसी आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पदभार ग्रहण करता है या पदत्याग करता है तो अनुपाततः सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए अढ़ाई दिन की दर से छुट्टी को जमा किया जाएगा ।

(v) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्ध-वेतन छुट्टी का भी हकदार होगा और इस अर्ध-वेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा :

परन्तु जब ऐसी परिवर्तित छुट्टी का उपभोग किया जाता है तो अर्ध-वेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा बाकी अर्ध-वेतन छुट्टी से विकलित की जाएगी ।

(7) यदि कुलपति का पद मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा रिक्त हो जाता है, अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो प्रतिकुलपति, कुलपति के कर्तव्यों का पालन करेगा :

परन्तु यदि प्रतिकुलपति उपलब्ध नहीं है, तो ज्येष्ठतम आचार्य कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पद ग्रहण नहीं कर लेता या विद्यमान कुलपति अपने पद के कर्तव्यों को फिर से संभाल नहीं लेता ।

3. **कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य** – (1) कुलपति, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों और सभा के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा ।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकारी या निकाय का सदस्य न हो ।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(4) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह किन्हीं शक्तियों को किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(5) कुलपति को कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी ।

4. **प्रतिकुलपति** – (1) प्रतिकुलपति की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा कुलपति की सिफारिश पर की जाएगी :

परन्तु जहां कुलपति की सिफारिश कार्य परिषद् द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है वहां उस मामले को कुलाध्यक्ष को निर्दिष्ट किया जाएगा जो कुलपति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्ति को या तो नियुक्त करेगा या कुलपति से कार्य परिषद् के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश करने के लिए कह सकेगा :

परन्तु यह और कि कार्य परिषद्, कुलपति की सिफारिश पर, किसी आचार्य को आचार्य के रूप में अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रतिकुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(2) प्रतिकुलपति की पदावधि वह होगी जो कार्य परिषद् द्वारा विनिश्चित की जाए, किन्तु किसी भी दशा में वह पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी या कुलपति की पदावधि की समाप्ति तक होगी, इनमें से जो भी पहले हो :

परन्तु ऐसा प्रतिकुलपति, जिसकी पदावधि समाप्त हो गई है, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि प्रतिकुलपति हर दशा में सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा :

परन्तु यह और भी कि प्रतिकुलपति, परिनियम 2 के खंड (7) के अधीन कुलपति के कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान, प्रतिकुलपति के रूप में अपनी पदावधि की समाप्ति पर भी पद पर तब तक बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, कुलपति अपना पद फिर से नहीं संभाल लेता या नया कुलपति अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता ।

(3) प्रतिकुलपति की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

(4) प्रतिकुलपति, कुलपति की ऐसे विषयों के संबंध में सहायता करेगा जो इस निमित्त कुलपति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन भी करेगा जो कुलपति द्वारा उसे सौंपे या प्रत्यायोजित किए जाएं ।

5. **विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष** – (1) प्रत्येक विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष की नियुक्ति, कुलपति द्वारा उस विद्यापीठ के आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम के चक्रानुक्रम से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी :

परन्तु यदि विद्यापीठ में केवल एक आचार्य है या कोई आचार्य नहीं है तो तत्समय संकायाध्यक्ष की नियुक्ति विद्यापीठ के आचार्य, यदि कोई हो, और सह-आचार्यों में से ज्येष्ठता के क्रम में चक्रानुक्रम से की जाएगी :

परन्तु यह और कि संकायाध्यक्ष पैंसठ की आयु प्राप्त कर लेने पर उस रूप में पद पर नहीं रहेगा ।

(2) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष, रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो तो उसके पद के कर्तव्यों का पालन, यथास्थिति, विद्यापीठ के ज्येष्ठतम आचार्य या सह-आचार्य द्वारा किया जाएगा ।

(3) संकायाध्यक्ष विद्यापीठ का अध्यक्ष होगा और विद्यापीठ में अध्यापन और अनुसंधान के संचालन तथा उनका स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कृत्य भी होंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(4) संकायाध्यक्ष को, यथास्थिति, अध्ययन बोर्डों या विद्यापीठ की समितियों के किसी अधिवेशन में उपस्थित होने और बोलने का अधिकार होगा, किन्तु जब तक वह उसका सदस्य नहीं है तब तक उसे उसमें मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

6. **कुलसचिव** – (1) कुलसचिव की नियुक्ति, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(3) कुलसचिव की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी जो, समय-समय पर, कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(4) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब तक कुल सचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(5) (क) कुलसचिव को, अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद को छोड़कर, ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने की जो कार्य परिषद् के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं तथा जांच होने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतनवृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी :

परन्तु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक व्यक्ति को उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया गया हो ।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील कुलपति को होगी ।

(ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव, जांच के पूरा होने पर कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा :

परन्तु शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील कार्य परिषद् को होगी ।

(6) कुलसचिव, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा, किन्तु यह इन प्राधिकारियों में से किसी भी प्राधिकारी का सदस्य नहीं समझा जाएगा और वह सभा का पदेन सदस्य-सचिव होगा ।

(7) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह –

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेख, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो कार्य परिषद् उसके भारसाधन में सौंपे, अभिरक्षा में रखे ;

(ख) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् और उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं निकाले ;

(ग) सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् के तथा उन प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे ;

(घ) सभा, कार्य परिषद् और विद्या परिषद् के शासकीय पत्र-व्यवहार करे ;

(ङ) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के अधिवेशनों की कार्य सूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं और इन अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे ;

(च) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे तथा अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपना प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे ; और

(छ) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा, समय-समय पर, अपेक्षा की जाए ।

7. **वित्त अधिकारी** – (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(3) वित्त अधिकारी की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो समय-समय पर कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु वित्त अधिकारी बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा ।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त है या जब वित्त अधिकारी रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(5) वित्त अधिकारी, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किन्तु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा ।

(6) वित्त अधिकारी –

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा ; और

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कृत्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं या जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं ।

(7) कार्य परिषद् के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, वित्त अधिकारी –

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उनका प्रबंध करेगा ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि कार्य परिषद् द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए, जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है ;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने और उनको कार्य परिषद् को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा ;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा ;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा ;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा सभी कार्यालयों, विभागों, केन्द्रों और विशेषित प्रयोगशालाओं के उपस्कर तथा अन्य उपयोज्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए ;

(छ) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई का सुझाव देगा ;

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, विभाग, केन्द्र, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे ।

(8) वित्त अधिकारी की या कार्य परिषद् द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों की विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में रसीद, उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी ।

8. **परीक्षा नियंत्रक** – (1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा ।

(3) परीक्षा नियंत्रक की परिलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो, समय-समय पर, कार्य परिषद् द्वारा विहित की जाएं :

परन्तु परीक्षा नियंत्रक बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त

हो जाएगा ।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त है या जब परीक्षा नियंत्रक रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

(5) परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय की परीक्षाएं अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में करवाएगा और उनका अधीक्षण करेगा ।

9. **पुस्तकालयाध्यक्ष** – (1) पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति कार्य परिषद् द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा ।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कार्य परिषद् द्वारा सौंपे जाएं ।

10. **सभा के अधिवेशन** – (1) सभा का वार्षिक अधिवेशन, जब तक कि किसी वर्ष के संबंध में सभा द्वारा कोई अन्य तारीख नियत न की हो, कार्य परिषद् द्वारा नियत तारीख को होगा ।

(2) सभा के वार्षिक अधिवेशन में, पूर्व वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के कार्यकरण की रिपोर्ट, प्राप्तियों और व्यय के विवरण, यथा संपरीक्षित तुलनपत्र और अगले वर्ष के लिए वित्तीय प्राक्कलनों सहित, प्रस्तुत की जाएगी ।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्राप्तियां और व्यय का विवरण, तुलनपत्र और वित्तीय प्राक्कलनों की प्रति सभा के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक अधिवेशन की तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व भेजी जाएगी ।

(4) सभा के विशेष अधिवेशन, कार्य परिषद् या कुलपति द्वारा, या यदि कोई कुलपति नहीं है तो प्रतिकुलपति द्वारा या यदि कोई प्रतिकुलपति नहीं है तो कुलसचिव द्वारा बुलाए जा सकेंगे ।

(5) सभा के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति सभा के ग्यारह सदस्यों से होगी ।

11. **कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति** – कार्य परिषद् के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति कार्य परिषद् के सात सदस्यों से होगी ।

12. **कार्य परिषद् की शक्तियां और कृत्य** – (1) कार्य परिषद् को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति के प्रबंध और प्रशासन की तथा

विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक कार्यकलापों के, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन की शक्ति होगी ।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कार्य परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(i) अध्यापन और शैक्षणिक पदों का, जिनके अंतर्गत विभागाध्यक्ष भी हैं, सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनकी परिलब्धियां अवधारित करना और आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिनिश्चित करना :

परंतु अध्यापकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद की संख्या और अर्हताओं के संबंध में कोई कार्रवाई कार्य-परिषद् द्वारा विद्या परिषद् की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् ही की जाएगी ;

(ii) उतने आचार्यों, सह-आचार्यों, सहायक आचार्यों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, जिनके अंतर्गत विभागाध्यक्ष भी है, जितने आवश्यक हों, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना ;

(iii) विभिन्न विद्यापीठों, विभागों और केन्द्रों में अध्यापन कर्मचारिवृंद की संयुक्त नियुक्तियां करके अंतरापृष्ठीय अनुसंधान का संवर्धन करना ;

(iv) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उनके कर्तव्य और उनकी सेवा की शर्तें परिनिश्चित करना और अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में उन पर नियुक्तियां करना ;

(v) कुलाधिपति और कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को अनुपस्थिति छुट्टी देना तथा ऐसे अधिकारी की अनुपस्थिति में उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक व्यवस्था करना ;

(vi) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना ;

(vii) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति,

कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक कार्यकलापों का प्रबंध तथा विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए उतने अभिकर्ताओं की नियुक्ति करना, जितने वह ठीक समझे ;

(viii) वित्त समिति की सिफारिश पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना ;

(ix) विश्वविद्यालय के धन को, जिसके अंतर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, समय-समय पर ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में विनिहित करना, जिसके अंतर्गत ऐसे विनिधान में समय-समय पर परिवर्तन करने की शक्ति भी है ;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना ;

(xi) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, साधित्रों और अन्य साधनों की व्यवस्था करना ;

(xii) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित और रद्द करना ;

(xiii) विश्वविद्यालय के ऐसे कर्मचारियों और छात्रों की, जो किसी कारण से, व्यथित अनुभव करें, किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना ;

(xiv) परीक्षकों और अनुसीमकों को नियुक्त करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें हटाना तथा उनकी फीस, परिलब्धियां और यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते, विद्या परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, नियत करना ;

(xv) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा के उपयोग की व्यवस्था करना ;

(xvi) छात्राओं के निवास के लिए ऐसे विशेष इंतजाम करना, जो आवश्यक हो ;

(xvii) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना ;

(xviii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना ;

(xix) ज्ञान की वृद्धि के लिए उद्योग और गैर-सरकारी अभिकरणों के साथ भागीदारी करना और ऐसी भागीदारी के लाभों से एक समग्र निधि स्थापित करना ; और

(xx) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उसे प्रदत्त किए जाएं या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

13. **विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति** – विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के नौ सदस्यों से होगी ।

14. **विद्या परिषद् की शक्तियां और कृत्य** – इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण के तरीकों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में अध्यापन का समन्वय करने, अनुसंधान के मूल्यांकन या शैक्षणिक स्तरों में सुधार के बारे में निदेश देना ;

(ख) विद्यापीठों के बीच समन्वय स्थापित करना और बढ़ाना तथा ऐसी समितियों या बोर्डों की स्थापना या नियुक्ति करना जो इस प्रयोजन के लिए आवश्यक समझी जाएं ;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी विद्यापीठ या कार्य परिषद् द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना ; और

(घ) विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और छात्रवृत्तियों के दिए जाने और फीस, रियायतों, सामूहिक जीवन और हाजिरी के संबंध में परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम और नियम बनाना ।

15. **विद्यापीठ और विभाग** – (1) विश्वविद्यालय में उतनी विद्यापीठें होंगी, जितनी परिनियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

(2) प्रत्येक विद्यापीठ का एक विद्यापीठ बोर्ड होगा और प्रथम विद्यापीठ बोर्ड के सदस्य, कार्य परिषद् द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे ।

(3) विद्यापीठ बोर्ड की संरचना, शक्तियां और उसके कृत्य अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएंगे ।

(4) विद्यापीठ बोर्ड के अधिवेशनों का संचालन और ऐसे अधिवेशनों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी ।

(5) (क) प्रत्येक विद्यापीठ में उतने विभाग होंगे जितने अध्यादेशों द्वारा उनमें रखे जाएं :

परन्तु कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर, ऐसे अध्ययन केन्द्र स्थापित कर सकेगी, जिनमें विश्वविद्यालय के उतने शिक्षक लगाए जाएंगे, जितने कार्य परिषद् आवश्यक समझे ।

(ख) प्रत्येक विभाग में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(i) विभाग के अध्यापक ;

(ii) विभाग में अनुसंधान करने वाले व्यक्ति ;

(iii) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष ;

(iv) विभाग से संलग्न मानद आचार्य, यदि कोई हों ; और

(v) ऐसे अन्य व्यक्ति, जो अध्यादेशों के उपबंधों के अनुसार विभाग के सदस्य हों ।

16. **अध्ययन बोर्ड** – (1) प्रत्येक विभाग में एक अध्ययन बोर्ड होगा ।

(2) अध्ययन बोर्ड का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएगी ।

(3) विद्या परिषद् के पूर्ण नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, अध्ययन बोर्ड के कृत्य विभिन्न उपाधियों के लिए अनुसंधानार्थ विषयों और अनुसंधान उपाधियों की अन्य अपेक्षाओं का अनुमोदन करना तथा संबद्ध विद्यापीठ बोर्ड को ऐसी रीति से, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए, निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करना –

(क) अध्ययन पाठ्यक्रम और ऐसे पाठ्यक्रमों के लिए, जिनमें

अनुसंधान उपाधि नहीं है, परीक्षकों की नियुक्ति ;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति ; और

(ग) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय :

परन्तु अध्ययन बोर्ड के उपर्युक्त कृत्यों का पालन, इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् ठीक तीन वर्ष की अवधि के दौरान विभाग द्वारा किया जाएगा ।

17. **वित्त समिति** – (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(i) कुलपति ;

(ii) प्रतिकुलपति ;

(iii) सभा द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक व्यक्ति ;

(iv) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट तीन व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक कार्य परिषद् का सदस्य होगा ; और

(v) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति ।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति वित्त समिति के पांच सदस्यों से होगी ।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे ।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य उसके किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा ।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम तीन बार होगा ।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की ओर उन मदों की, जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, कार्य परिषद् द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी ।

(7) वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन, वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के

लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् कार्य परिषद् को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे ।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके संसाधनों पर आधारित होगी (जिसके अंतर्गत, उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे) ।

18. **चयन समिति** – (1) आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, कुलसचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक, पुस्तकालयाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालयों और संस्थाओं के प्राचार्यों के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्य परिषद् को सिफारिश करने के लिए चयन समितियां होंगी ।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में कुलपति, कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती और उक्त सारणी के स्तंभ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे ।

सारणी

1	2
आचार्य	(i) विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष । (ii) विभागाध्यक्ष, यदि वह आचार्य है । (iii) तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में, जिससे आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो ।
सह-आचार्य/सहायक आचार्य	(i) विभागाध्यक्ष । (ii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक आचार्य ।

1	2
	(iii) दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, कार्य परिषद् द्वारा उन नामों के पैनल में से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिनकी सिफारिश विद्या परिषद् द्वारा उस विषय में जिससे सह-आचार्य या सहायक-आचार्य का संबंध होगा, उनके विशेष ज्ञान या रुचि के कारण की गई हो ।
कुलसचिव/वित्त अधिकारी/ परीक्षा नियंत्रक	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट उसके दो सदस्य ।
	(ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट ऐसा एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो ।
पुस्तकालयाध्यक्ष	(i) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिन्हें पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय प्रशासन के विषय का विशेष ज्ञान हो ।
	(ii) कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो ।
विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले महाविद्यालय या संस्था का प्राचार्य	तीन व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हों, जिनमें से दो कार्य परिषद् द्वारा और एक विद्या परिषद् द्वारा उनके ऐसे किसी विषय में विशेष ज्ञान या रुचि के कारण नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे, जिसमें उस महाविद्यालय या संस्था द्वारा शिक्षा दी जा रही हो ।

टिप्पण 1 – जहां नियुक्ति अंतर अनुशासनिक परियोजना के लिए की जा रही हो, वहां परियोजना का प्रधान संबंधित विभाग का अध्यक्ष समझा जाएगा ।

टिप्पण 2 – कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला आचार्य उस विशिष्ट विषय से संबद्ध आचार्य होगा, जिसके लिए चयन किया जा रहा है

और कुलपति, आचार्य को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और विद्यापीठ के संकायाध्यक्ष से परामर्श करेगा ।

(3) कुलपति, या उसकी अनुपस्थिति में, प्रतिकुलपति, चयन समिति के अधिवेशन का आयोजन करेगा और उसकी अध्यक्षता करेगा :

परन्तु चयन समिति का अधिवेशन कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञों से पूर्व परामर्श के पश्चात् और उनकी सुविधा के अनुसार नियत किया जाएगा :

परन्तु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तभी विधिमान्य होंगी, जब –

(क) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार है, वहां उनमें से कम से कम तीन अधिवेशन में भाग लें ; और

(ख) जहां कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशिती और कार्य परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन है, वहां उनमें से कम से कम दो अधिवेशन में भाग लें ।

(4) चयन समिति द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया अध्यादेशों में अधिकथित की जाएगी ।

(5) यदि कार्य परिषद् चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेश के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी ।

(6) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति में की जाएंगी –

(i) यदि अस्थायी रिक्ति एक शैक्षणिक सत्र से अधिक की अवधि के लिए हो तो वह पूर्वगामी खंडों में उपदर्शित प्रक्रिया के अनुसार चयन समिति की सलाह से भरी जाएगी :

परन्तु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि काम के हित में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति की सलाह से केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक की अवधि के लिए की जा सकेगी ।

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें संबद्ध विद्यापीठ का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा :

परन्तु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण कर रहा है तो चयन समिति के कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे :

परन्तु यह और कि मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण से अध्यापन पदों में हुई अचानक आकस्मिक रिक्ति की दशा में, संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा ।

(iii) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी अध्यापक की नियुक्ति की सिफारिश नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह तब तक ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में बना रहेगा जब तक, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में उसका चयन नहीं कर लिया जाता ।

19. **नियुक्ति का विशेष ढंग** – (1) परिनियम 18 में किसी बात के होते हुए भी, कार्य परिषद् विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधियां और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में, यथास्थिति, आचार्य या सह-आचार्य का पद अथवा कोई अन्य समतुल्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगी और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर वह उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगी :

परन्तु कार्य परिषद् ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति के संबंध में किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अतिरिक्त पदों का सृजन भी कर सकेगी :

परन्तु यह और कि इस प्रकार सृजित अतिरिक्त पदों की संख्या विश्वविद्यालय में कुल पदों के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

(2) कार्य परिषद्, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का जिम्मा लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या

संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द को नियुक्त कर सकेगी ।

20. **नियत अवधि के लिए नियुक्ति** – कार्य परिषद् परिनियम 18 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, नियुक्त कर सकेगी ।

21. **समितियां** – (1) विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी, उतनी स्थायी या विशेष समितियां नियुक्त कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा, जो उस प्राधिकारी के सदस्य नहीं हैं ।

(2) उपखंड (1) के अधीन नियुक्त समिति किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए, किन्तु वह नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा बाद में पुष्टि किए जाने के अधीन होगी ।

22. **अध्यापकों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता, आदि** – (1) विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद, तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे ।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्यों की परिलब्धियां वे होंगी जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

(3) विश्वविद्यालय का प्रत्येक अध्यापक और शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्रारूप अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा ।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी ।

23. **अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता** – (1) अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे ।

(2) अध्यापकों तथा अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद से भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति की रीति और परिलब्धियां वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं ।

24. **ज्येष्ठता सूची** – (1) जब कभी, इन परिनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकारी का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता का अवधारण उस व्यक्ति के, उसके ग्रेड में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा, जो कार्य परिषद् समय-समय पर, विहित करे ।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे ।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट ग्रेड में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला कार्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

25. **विश्वविद्यालय के कर्मचारियों का हटाया जाना** – (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहां अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और कार्य परिषद् को उन परिस्थितियों की तुरन्त रिपोर्ट देगा, जिनमें वह आदेश किया गया था :

परन्तु यदि कार्य परिषद् की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगी ।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य

निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, अध्यापकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में कार्य परिषद् और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, अध्यापक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी ।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा, जब उसके लिए उचित कारण हो, और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय किया गया हो ।

(4) किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तभी हटाया जाएगा, जब उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर दे दिया गया हो ।

(5) किसी अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है :

परन्तु जहां कोई अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको वह निलंबित किया गया था ।

(6) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी, –

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा ;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा :

परन्तु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से प्रभावी होगा, जिसको, यथास्थिति, कार्य परिषद् या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है ।

26. **मानद उपाधि** – (1) कार्य परिषद्, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से मानद उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगी :

परन्तु आपात स्थिति की दशा में, कार्य परिषद् स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगी ।

(2) कार्य परिषद्, उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी मानद उपाधि को वापस ले सकेगी ।

27. **उपाधियों, आदि का वापस लिया जाना** – कार्य परिषद् उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी :

परन्तु ऐसा कोई संकल्प तभी पारित किया जाएगा, जब उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर, जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने के लिए लिखित सूचना दे दी गई हो कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए और कार्य परिषद् द्वारा उसके आक्षेपों पर यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार कर लिया गया हो ।

28. **विश्वविद्यालयों के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना** – (1) विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखने और उनके संबंध में अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी ।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करने में कुलपति की सहायता करने के लिए विश्वविद्यालय का एक कुलानुशासक होगा जिसकी नियुक्ति अध्यादेशों द्वारा विहित रीति में आचार्यों और सह-आचार्यों में से कार्य परिषद् द्वारा की जाएगी ।

(3) कुलपति खंड (1) में निर्दिष्ट सभी शक्तियां या उनमें से कोई, जो वह उचित समझे, कुलानुशासक और ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(4) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की,

जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में, आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था, विभाग या विद्यापीठ में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे उतने जुर्माने का दंड दिया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो अथवा उसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्था या विभाग या किसी विद्यापीठ द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रोक लिया जाए या रद्द कर दिया जाए ।

(5) महाविद्यालय, संस्थाओं के प्राचार्यों, विद्यापीठों के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें, जो उन महाविद्यालयों, संस्थाओं, विद्यापीठों और अध्यापन विभागों के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों ।

(6) कुलपति तथा प्राचार्यों और खंड (5) में विनिर्दिष्ट अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे और महाविद्यालयों, संस्थाओं के प्राचार्य, विद्यापीठों के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे, जो वे इसमें कथित प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझे ।

(7) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करेगा ।

29. **दीक्षांत समारोह** – उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह उस रीति से किए जाएंगे, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाए ।

30. **अधिवेशनों का कार्यकारी अध्यक्ष** – जहां विश्वविद्यालय के किसी

प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष या सभापति का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिस अध्यक्ष या सभापति के लिए इस प्रकार का उपबंध किया गया है, वह अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे ।

31. **त्यागपत्र** – सभा, कार्य परिषद्, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी की किसी समिति के, पदेन सदस्य से भिन्न, कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा ।

32. **निरर्हता** – (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में से किसी का सदस्य चुने जाने और होने या किसी अधिकारी के रूप में चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा यदि –

(i) वह विकृतचित्त है ; या

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है ; या

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, और उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाही नहीं होगी ।

33. **सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्तें** – परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति, जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा ।

34. **अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता** – परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय का किसी विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय के सदस्य की

अपनी हैसियत में सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति धारित करता है, ऐसा पद तब तक धारण करेगा या सदस्य तब तक ही रहेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकारी या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति को धारित करता रहता है ।

35. **पूर्व छात्र संगम** – (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्व छात्र संगम होगा ।

(2) पूर्व छात्र संगम की सदस्यता के लिए अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा ।

(3) पूर्व छात्र संगम का कोई भी सदस्य तभी मत देने का या निर्वाचन में खड़े होने का हकदार होगा, जब वह निर्वाचन की तारीख से कम से कम एक वर्ष पहले से संगम का सदस्य रहा हो और विश्वविद्यालय की कम से कम पांच वर्ष की अवधि तक डिग्री धारक हो :

परन्तु प्रथम निर्वाचन की दशा में एक वर्ष की सदस्यता अवधि की शर्त लागू नहीं होगी ।

36. **विद्यार्थी परिषद्** – (1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विद्यार्थी परिषद् गठित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे –

(i) छात्र कल्याण संकायाध्यक्ष, जो विद्यार्थी परिषद् का अध्यक्ष होगा ;

(ii) बीस विद्यार्थी, जो अध्ययन, खेलकूद, पाठ्येतर गतिविधियों और व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में योग्यता के आधार पर नामनिर्देशित किए जाएंगे ;

(iii) बीस विद्यार्थी जो विद्यार्थियों द्वारा अपने प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचित किए जाएंगे :

परन्तु विश्वविद्यालय के किसी विद्यार्थी को, यदि अध्यक्ष द्वारा अनुज्ञात किया जाए तो विद्यार्थी परिषद् के समक्ष विश्वविद्यालय से संबंधित कोई मुद्दा लाने का अधिकार होगा और जब किसी बैठक में उस मुद्दे पर विचार किया जाए तो उसे विचार-विमर्श में भाग लेने का अधिकार होगा ।

(2) विद्यार्थी परिषद् के ये कृत्य होंगे कि वह विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारियों को अध्ययन के कार्यक्रमों, छात्र कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में सामान्यतया विश्वविद्यालय के कार्य करने की बाबत

सुझाव दे और ऐसे सुझाव मतैक्यता के आधार पर दिए जाएंगे ।

(3) विद्यार्थी परिषद् प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और परिषद् की पहली बैठक शिक्षा-सत्र के प्रारम्भ में होगी ।

37. **अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे** – (1) धारा 28 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, कार्य परिषद् द्वारा निम्नलिखित खंडों में विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय, संशोधित, निरसित या परिवर्धित किए जा सकेंगे ।

(2) इस अधिनियम की धारा 28 की उपधारा (1) में प्रगणित मामलों के संबंध में कार्य परिषद् द्वारा कोई अध्यादेश तभी बनाया जाएगा, जब ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किया गया हो ।

(3) कार्य परिषद् को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे, किन्तु वह प्रस्थापना को नामंजूर कर सकेगी या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए उस संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को उन किन्हीं संशोधनों सहित, जिनका सुझाव कार्य परिषद् दे, वापस भेज सकेगी ।

(4) जहां कार्य परिषद् ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है, वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और विद्या परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुनः अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप कार्य परिषद् को वापस भेजा जा सकेगा जो या तो उसे मान लेगी या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगी, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरन्त प्रभावी होगा ।

(6) कार्य परिषद् द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा ।

(7) कुलाध्यक्ष को, विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे ।

(8) कुलाध्यक्ष, कार्य परिषद् को खंड (7) में निर्दिष्ट अध्यादेश पर अपने आक्षेप के बारे में सूचित करेगा और विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त होने के पश्चात् वह या तो अध्यादेशों का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले लेगा या अध्यादेशों को नामंजूर कर देगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा ।

38. **विनियम** – (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात् :–

(i) अपने अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना ;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना, जिनका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में, विनियमों द्वारा विहित किया जाना अपेक्षित है ; और

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो केवल ऐसे प्राधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हों और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो ।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी ऐसे प्राधिकारी के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाही का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा ।

(3) कार्य परिषद् इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से, जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगी ।

39. **शक्तियों का प्रत्यायोजन** – इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकारी अपनी शक्तियां, अपने नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को इस शर्त के अधीन रहते हुए, प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकारी में निहित बना रहेगा ।

कार्यालय आदेश तारीख 13 फरवरी, 2017 के अनुसार विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तकों पर छूट देने की सूची

क्रम सं.	पुस्तक का नाम, लेखक का नाम व प्रकाशन वर्ष (संस्करण)	पुस्तक की मुद्रित कीमत (रुपयों में)	7 वर्ष से पुराने संस्करण पर 35% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	8 से 15 वर्ष पुराने संस्करण पर 50% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)	15 वर्ष से अधिक पुराने संस्करण पर 75% छूट के पश्चात् कीमत (रुपयों में)
1.	भारत का विधिक इतिहास - श्री सुरेन्द्र मधुकर - 1989	30	–	–	8
2.	माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि - डा. एन. वी. परांजपे - 1990	40	–	–	10
3.	वाणिज्य विधि - डा. आर. एल. भट्ट - 1993	108	–	–	27
4.	अपकृत्य विधि के सिद्धांत - श्री शर्मन लाल अग्रवाल - 1993	40	–	–	10
5.	अन्तर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय - डा. एस. सी. खरे - 1996	115	–	–	29
6.	श्रम विधि - श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा - 1996	452	–	–	113
7.	संविदा विधि - डा. रामगोपाल चतुर्वेदी - 1998	275	–	–	69
8.	चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान - डा. सी. के. पारिख - 1999	293	–	–	74
9.	आधुनिक पारिवारिक विधि - श्री राम शरण माथुर - 2000	429	–	–	108
10.	भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) - विधि साहित्य प्रकाशन - 2000	225	–	–	57
11.	हिन्दू विधि - डा. रवीन्द्र नाथ - 2001	425	–	–	106
12.	भारतीय भागीदारी अधिनियम - श्री माधव प्रसाद वशिष्ठ - 2001	165	–	–	41
13.	प्रशासनिक विधि - डा. कैलाश चन्द्र जोशी - 2001	200	–	–	50
14.	भारतीय दंड संहिता - डा. रवीन्द्र नाथ - 2002	741	–	–	185
15.	विधिक उपचार - डा. एस. के. कपूर - 2002	311	–	–	78
16.	विधि शास्त्र - डा. शिवदत्त शर्मा - 2005	580	–	290	–
17.	मानव अधिकार - डा. शिवदत्त शर्मा - 2006	120	–	60	–

विधि साहित्य प्रकाशन
(विधायी विभाग)
विधि और न्याय मंत्रालय
भारत सरकार
भारतीय विधि संस्थान भवन,
भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमशः चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ पाठकों की सुविधा के लिए शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका को उपादेय और ज्ञानवर्द्धक बनाने के लिए प्रिवी कौंसिल के निर्णयों को भी समाविष्ट किया जा रहा है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 195/- उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 125/- और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की मासिक कीमत ₹ 125/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

विधि साहित्य प्रकाशन

(विधायी विभाग)

विधि और न्याय मंत्रालय

भारत सरकार

भारतीय विधि संस्थान भवन,

भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001

दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105